(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

ग्रंक 4) षष्टम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का सातवां दिवस (संख्या 5

मंगलवार

दिनांक 10 अक्टूबर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई (श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष का सदन को अभिवादन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप पहले उनको ही नमस्कार किया करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 'प्रथम देवाय नमः' की परम्परा अध्यक्ष महोदय निभा रहे हैं। देवताओं का चमत्कार है और आज के देवता आप ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देवताओं का सवाल नहीं है; तुलसीदास जी ने जो कहा है उसका सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कहीं कहीं ऐसी परम्परा भी है कि स्पीकर विपक्ष को पहले हाथ जोड़ता है। लेकिन यहां पर जो मेरे प्रिडिसेसर किया करते थे वह ही मैं भी कर रहा हूं, उसको चेन्ज करना मैंने आवश्यक नहीं समझा।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : It is a respect to the opposition.

श्री अध्यक्ष : आपने जो सलाह दी वह अच्छी है, परन्तु मुझे जो ठीक लगेगा वह ही करूंगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1

श्री खेतसिंह !

भूतपूर्व सैनिकों को राहत

129. श्री वृद्धिचन्द जैन (सांचोर) : [श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) की अनुपस्थिति में]: क्या सैनिक कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने की दृष्टि से किसी कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो इस कमेटी ने गत दो वर्षों में अपनी कब कब बैठकें आयोजित कीं तथा उनमें क्या क्या निर्णय लिये गये ?

राज्य मन्त्री, सैनिक कल्याण (श्री महबूब अली) : जी हां। इस कमेटी की गत दो वर्षों में हुई बैठकों के दिनांक एवं उनमें लिये गये निर्णय की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

(2)

श्री वृद्धिचन्द जैन : भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने की दृष्टि से जनता पार्टी ने क्या क्या निर्णय लिये और वह निर्णय किस प्रकार क्रियान्वित किये जा रहे हैं, उसकी जानकारी दें ? पिछली सरकार ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिये कुछ निर्णय लिये थे, उन पर भी अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री महबूब अली : सवाल में पूछा गया है कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को राहत देने की दृष्टि से किसी कमेटी का निर्माण किया हुआ है, तो कमेटी के निर्णयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री उमरावसिंह गूजर (महुवा) : भूतपूर्व सैनिकों के लिये नौकरियों में साढ़े बारह प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को उस प्रावधान के अन्तर्गत नौकरियां दी गईं ?

श्री महबूब अली : वैसे तो यह इस सवाल के परव्यू में नहीं आता और इसके लिये आपको अलग से प्रश्न करना चाहिये तो ही जवाब दिया जा सकता है, फिर भी जो मुझे जानकारी है वह बता रहा हूं। साढ़े बारह प्रतिशत की जो प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल है। उसके सरलीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन चल रहा है।

मेजर श्री फतह सिंह (भीम) : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ? इस प्रक्रिया का सरलीकरण कब तक हो जायेगा ? पिछले अधिवेशन में भी मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा, तो यह अब तक क्यों नही किया गया ? पिछली बार भी आप ने बताया था कि प्रक्रिया जटिल है जिसके कारण नियमों की क्रियान्विति नहीं हो रही है। तो यह सरलीकरण कब तक हो जायेगा और अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए कोई प्रायोरिटी या रिजर्वेशन आफ सीट्स का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? लॉ क्लासेज हैं, एम. ए. की क्लासेज हैं और दूसरी फैकल्टीज हैं जो ग्रेजुएट्स हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या आप कोई सहूलियत देने का विचार रखते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस प्रश्न पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : आपने भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के बारे में कोई टार्गेट रख रखा है ? उस टार्गेट को अचीव किया या नहीं, उसका कोई इवेल्युएशन किया है ? कितना प्रतिशत उन टार्गेट्स को आप अचीव कर पाये हैं ?

मेजर श्री फतह सिंह : इस सम्बन्ध में एक सवाल है।

श्री मूलचंद डागा : मेरे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

मेजर श्री फतह सिंह : आपने कहा था कि राजस्थान सोल्जर्स बोर्ड का भी विधिवत गठन नहीं हुआ है। उसका गठन भी अब तक कर दिया कि नहीं ?

श्री महबूब अली : राजस्थान सोल्जर्स बोर्ड के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है

Page No 3

(3)

(श्री महबूब अली)

इसके बारे में तुरन्त घोषणा की जायेगी। इससे पूर्व कोई सोल्जर्स बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। पिछले सत्र में भी मैंने निवेदन किया था कि काफी समय से बिना सोल्जर्स बोर्ड के ही यह भूतपूर्व सैनिक कल्याण का कार्य चलता आ रहा है। सोल्जर्स बोर्ड के नाम से कोई संस्था नहीं है। अमलगमेटेड फण्ड नाम से एक कमेटी है जो यह कार्य करती है। उसके सचिव से मैंने बात की तो उन्होंने बताया की बोर्ड का गठन नहीं हुआ है और यह कमेटी ही काम कर रही है। सोल्जर्स बोर्ड के गठन की कार्यवाही चालू कर दी है। उसके नाम करीब करीब फाइनेलाइज होकर गवर्नर साहब के पास भेज दिये गये हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : क्या आने वाले अधिवेशन तक घोषणा कर दी जायेगी ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन देने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का विचार रखती है ? उनको पेन्शन उनके घरों पर ही मिल जाये, ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अभी उनको काफी तकलीफ होती है और तहसील में धक्के खाने पड़ते हैं। उनको आसान तरीके से पेन्शन का भुगतान करने की व्यवस्था करें।

श्री महबूब अली : यह प्रश्न पहले भी आया था। इस पर विचार किया जा रहा है कि पोस्ट आफिस के मार्फत उनको घर बैठे पेन्शन दी जाये। यह सही है कि ट्रेजरी में उनको कठिनाई होती है, इससे मैं एग्री करता हूं।

श्री नारायण सिंह (डिग्गी) : अध्यक्ष महोदय, हर बात पर माननीय मंत्री जी फर्मा रहे हैं कि विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, तो आखिर इसकी कोई टाइम लिमिट भी है कि कब तक इन पर निश्चय किया जायेगा ?

दूसरी बात, कितने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियों में रखा गया इसकी सूचना वह सदन की टेबल पर रखें तो उचित होगा।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि सोल्जर्स बोर्ड के गठन की कार्यवाही चल रही है मैं जानना चहता हूं कि यह कार्यवाही कब चालू हुई और कब तक पूरी हो जायेगी ? पहले भी वही उत्तर दिया गया था और आज भी यही स्थिति है। तो आखिर कितना समय लेंगे ?

श्री महबूब अली : शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

श्री ओंकार लाल चौहान : शीघ्र से क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री महबूब अली : पेपर्स गवर्नर साहब के यहां गये हुए हैं, वहां से आते ही घोषणा कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि इसका इवेल्यूएशन किया या नहीं ? इतने सालों तक हम बातें करते रहे हैं आप कभी इवेल्यूएशन किया या नहीं ?

Page No 4

(4)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री मूलचन्द डागा : आप उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

श्री बंशीलाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 25 सालो में सैनिक कल्याण का विषय आलोचना का विषय रहा है। उस लकीर से हट कर जनता पार्टी का शासन आने के बाद भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सैनिक कल्याण के लिए क्या-क्या विशेष कार्यक्रम अपनाये गये हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वह मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। जिस जिले से मैं आता हूं वह हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर पर सैनिक जिला है और सीकर भी है मान्यवर, मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियां देने के लिए सभी विभागों को सभी प्रकार की नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी है ?

नम्बर 2 मेरा सवाल है, जैसा श्री मथुरादासजी माथुर ने पूछा लॉ कालेज आर आर्ट्स कालेज में भर्ती की बात कही है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान सरकार मेडिकल कालेज में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती में रिजर्वेशन करने के ऊपर विचार कर सकती है ?

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन लेने जाते समय रिश्वत देनी पड़ती है ?

श्री महबूब अली : मेरे नोटिस में ऐसा नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नरपतराम बरबड़।

सूरसागर क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था

130. श्री **नरपतराम बरबड़** (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के ग्राम जाजीवाल, बरबड़, घडाव, खोखरिया, गुजरावास, बौरावास, आंगनवा आदि में वर्षा के पानी के अलावा अन्य पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं है जिससे इन ग्रामों के लोग बहुत दुःखी हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है तथा इस समस्या का समाधान कब तक हो जायगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली): जी हां। ग्राम खोखरिया में जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर ली गई है। शेष ग्राम वर्ष 77-78 की जिला आयोजना समिति में प्रस्तावित

(श्री महबूब अली)
नहीं है। अतः इन ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं पर विचार नहीं किया जा सका। राज्य सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करने के लिए प्रयत्नशील है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि जिला आयोजना समिति में कोई गांव या योजना प्रस्तावित नहीं होती है यद्यपि वह योजना गांव में पानी ले जाने के लिये बहुत जरूरी है तो क्या राजस्थान सरकार उस पर विचार करना ठीक नहीं समझती है ? आपके स्तर पर यह ध्यान में लाया जाये कि यह लेना जरूरी है तो क्या आप उस पर विचार नहीं करेंगे ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, यह बात प्रक्रिया की है। एक डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी बनी हुई है, एम. एल. ए. जिसका मेम्बर होता है, उसमें सारी स्कीम एग्जामिन होकर प्रोसेस होकर जो स्कीमें आती हैं, उनमें से चयन किया जाता है। इसके अलावा जो एम. एल. ए. और एम.पी. और सार्वजनिक कार्यकर्ता अपनी दरख्वास्तों के द्वारा किन्हीं स्कीम के बारे में प्रस्ताव भेजते हैं उन सब कागजातों पर भी ध्यान दिया जाता है और फिर स्कीम का चयन किया जाता है। इसके बाद धन की उपलब्धि और टेक्निकल फिजिबिलिटी आदि सभी बातों को ध्यान में रख कर स्कीम का चयन किया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : सार्वजनिक कार्यकर्ता का क्या आधार है ? मुझे आज मालूम हुआ कि सार्वजनिक कार्यकर्ता प्रस्ताव भेजते हैं। इसका आधार क्या है ? इधर वाले या उधर वाले या आर. एस. एस. वाले, यह सार्वजनिक कार्यकर्ता कौन होते हैं ?

श्री महबूब अली: माननीय सदस्य राजनीति में बहुत अर्से से काम कर रहे हैं। सार्वजनिक कार्यकर्ता कौन होता है यह मेरे जैसे छोटे आदमी को बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी के शासन में आने के बाद कई परिभाषाएं बदल गयी हैं। रिश्वत की जगह नजराना ने ले ली मैं जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी के आने के बाद सार्वजनिक कार्यकर्ता किस को माना है ?

श्री नरपतराम बरवड़ : माननीन अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जाजीवाल तालाब का पानी बिल्कुल खारा हो गया है ? वहां की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। मवेशी भी मरने लग गये हैं उस पानी से।

श्री महबूब अली : इसकी सूचना प्राप्त करके आपको बता दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अगर यह सूचना सही पाई जाये तो क्या राजस्थान सरकार आल्टरनेटिव व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री महबूब अली : प्रयास तो किया ही जायेगा उसके लिए।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रयास क्या किया जायेगा ? दस गांव प्यासे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था की जायेगी जब कि मुख्य मंत्री जी ने जो ऐलान किया और जनता पार्टी ने चुनाव का आधार

(श्री रामनारायण चौधरी)
बनाया उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए आप कमिटेड हैं। दूसरे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कमिटेड हैं। आप भ्रष्टाचार मिटा रहे थे तो भ्रष्टाचार तो मिट चुका है। यह प्रमाणित हो गया कि भ्रष्टाचार जितना था उससे दुगना हो गया लेकिन मुख्य मन्त्री जी के राज्य में जोधपुर के पास सूरसागर के पास दस गांव प्यासे मर रहे हैं और पानी जहरीला हो गया है। यह आपके विभाग की लापरवाही की वजह से खराब हो गया है कोई कुदरत की वजह से नहीं। आप कहते हैं कि प्रयास किया जायेगा। तो क्या प्रयास मारने का किया जायेगा? और केमिकल डलवाया जायेगा और लोगों को मारा जायेगा?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : कितने आदमी प्यास से मरे? आप ऊल जलूल बोलने लग जाते हैं।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : प्रश्न बहुत हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य!

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, 360 महीनों का नापतोल 15 महीनों में करना चाहते हैं। इनको थोड़ी बहुत जलालत ही नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना कहना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण से प्रश्नकर्ता ने साफ कहा है कि इतने गावों में कोई पेयजल की सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है और लोग बहुत दुखी हैं। मैं आशा करूंगा कि कृपया इस संबंध में कुछ न कुछ हल निकालने पर सरकार विचार करे।

श्री बंसीलाल सारस्वत : मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि क्या इससे भी ज्यादा गम्भीर समस्या वाले गांव हैं?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मंजूर अली।

राज्य में उर्दू भाषा के उत्थान हेतु प्रयत्न

131. श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर): क्या भाषायी अल्पसंख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार उर्दू को आम जनता की जुबान नहीं मानती? अगर हां, तो उर्दू पढ़े-लिखे व्यक्तियों को किसी सरकारी माध्यम से कोई रोजगार दिलाने का प्रबंध है? अगर नहीं, तो उर्दू जुबान को जीवित रखने के लिये क्या राज्य सरकार कोई योजना बनाने का इरादा रखती है?

राज्य मंत्री, भाषायी अल्पसंख्यक (श्रीमती विद्या पाठक) : 1971 की जन-गणना के अनुसार राजस्थान में उर्दू 2.53 प्रतिशत व्यक्तियों की भाषा है। उर्दू पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिए भी रोजगार के समान अवसर उसी प्रकार उपलब्ध हैं जिस प्रकार अन्य भाषा पढ़े-लिखे व्यक्तियों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उर्दू शिक्षण की विशेष व्यवस्था है, जिसके लिए उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है। उर्दू के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उर्दू अकादमी की स्थापना भी की जा चुकी है।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय द्वारा बताये

(श्री मंजूर अली)

गये 2.53 पर्सेन्ट के फिगर को चैलेन्ज करता हूं। जिस समय सैन्सस हुआ था उस समय भी मैंने खुद मेरे मोहल्ले में घूम करके देखा है कि वह घराने जिनकी उर्दू के अलावा दूसरी जुबान नहीं है उनकी जुबान भी कुछ और लिख दी गई है। मैं सरकार से आपकी मार्फत मतालबा करता हूं कि जब कभी जुबान का कालम भरा जाय तो खास तौर से उनको हिदायत दी जाये कि वह करता खानदान से तस्दीक करके सही जुबान लिखें। इस अमर का एक सर्टिफिकेट उस कार्ड में शामिल किया जाये जिसमें करता खानदान की तस्दीक हो कि उससे मालूम करके जुबान का कालम भरा गया है। आज हालत यह है कि किसी पोस्टकार्ड पर उर्दू का पता लिखा हुआ होता है तो पोस्टमैन पूछता फिरता है कि क्या पता है। उर्दू के जरिये आज कोई रोजगार हासिल करने का इन्तजाम नहीं है। इस साइन्टिफिक जमाने में, जब कि दुनिया बहुत सिकुड़ गयी है, उर्दू हमारे फारिन ट्रेड में भी बहुत जरूरी है साउथ-ईस्ट एशिया में व मिडिल-ईस्ट मुल्कों से तिजारत में उर्दू मददगार साबित हो सकती है।

श्री रतन लाल वर्मा : सिर्फ प्रश्न होने चाहिये। प्रश्न बहुत बाकी हैं। इतने प्रश्न रह जायेंगे।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा प्रावधान है कि किसी आदमी के पास उर्दू के सर्टिफिकेट्स हों तो उसको कोई नौकरी मिल सकती है ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न...

श्रीमती विद्या पाठक : जैसा आपको निवेदन किया, 1971 की जन गणना के अनुसार राजस्थान में उर्दू 2.53 प्रतिशत व्यक्तियों की भाषा है। जहां तक उर्दू के जानने वालों का प्रश्न है, पोस्टमेन पोस्ट कार्ड पर उर्दू का पता नहीं पढ़ सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं–यह सब कुछ पढ़ने पर निर्भर करता है। जो जैसा आप्शन देता है उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई हो सकती है।

श्री मंजूर अली : यह मंत्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि क्या स्कूलों में ऐसा इन्तजाम है कि जहां क्लास में 10 लड़के उर्दू लेना चाहते हैं वहां उर्दू सब्जेक्ट हो ? आपको इत्तला करना चाहता हूं कि कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10, 20 लड़के ऐसे हैं किन्तु उर्दू पढ़ाने का इन्तजाम नहीं इसलिये वे उर्दू सब्जेक्ट नहीं लेते हैं।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। कोटा के अन्दर टीचर्स के लिये साक्षात्कार लिया गया था। 8 या 9 महीने हो गये वहां अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की। जयपुर सिटी के अन्दर जितने स्कूल हैं उनमें उर्दू अध्यापक नहीं हैं। जो व्यवस्था में गड़बड़ी है इसको ठीक करायें।

दूसरी बात एक और है, उर्दू अकादमी यहां बनी है उर्दू के विकास के लिये। क्या उसका कोई आफिस खोला गया है ? यदि हां, तो कब उसका आफिस खोला गया है ? कृपया जानकारी दें।

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : उर्दू अकादमी के लिये कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया

Page No 8

(8)

(श्री ईश्वर चन्द)
है, केवल कागजी कार्यवाही हो कर रह गई है। यह हम सब लोगों का सवाल है, यह केवल अल्प संख्यकों का या किसी सम्प्रदाय का सवाल नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि उर्दू के बारे में जनता सरकार की क्या नीति है इस पर मुख्य मंत्री स्पष्ट रूप से प्रकाश डालें।

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने कितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए दाखला पा रहे हैं...

श्री मूलचन्द डागा : उर्दू ...

श्री मन्जूर अली : मेरे सप्लीमेंट्री का जवाब दिलाया जाये...

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, 2 लाख रुपया उर्दू अकादमी के लिये रखा है, यह फरमाया। मैं जानना चाहता हूं कि इस राज्य सरकार ने उर्दू के लिये क्या प्रयास किये ? कितनी राशि उपलब्ध करके खर्च की ? उर्दू अकादमी का दफ्तर कहां है ? आपके मन में ईमानदारी से कोई मंशा नहीं है। यह जिला शिक्षा अधिकारी का एक पत्र है जिसमें लिखा है कि हमको नियुक्त करने के आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिये हैं। उर्दू के टीचर्स उनको चाहिये, बजट मौजूद है किन्तु इनडाइरेक्टली उनको मना कर रखा है। इस पत्र की कापी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रतन लाल वर्मा : झूठ है, झूठ है।

श्री अब्दुल अजीज : शिक्षा मंत्री के आदेश हैं कि टीचर्स की नियुक्ति मत करिये। शिक्षा अधिकारी का पत्र है, उसकी कापी सदन की मेज पर रख रहा हूं, आप मुलाहिजा फर्मायें। यह बिल्कुल जनता के साथ धोखा है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति को स्पष्ट करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है...

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री इस नीति...

(व्यवधान)

हमें शंका पैदा हो रही है...

(व्यवधान)

यह दोनों तरफ के माननीय सदस्यों के दिमाग में बहुत शंका है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री उदाराम हटीला।

श्री मन्जूर अली : आप से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : सप्लीमेंट्री जो पूछे गये हैं उनका उत्तर सुनें तो।

जितने सप्लीमेंट्री पूछे गये हैं उनसे यह निष्कर्ष मैं निकाल पाई हूं कि एक तो स्कूलों और कालेजों में टीचर्स रखने में डिस्क्रीमीनेशन किया गया है। सदन को मैं स्पष्ट करना चाहती हूं ऐसे कोई आदेश प्रसारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक अकादमी का प्रश्न है, इनके लिये अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गुल मोहम्मद : जिस स्कूल में जगह खाली है वहां उर्दू के टीचर्स नहीं लगाये जा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री उदाराम हटीला !

श्री मन्जूर अली : मेरे सप्लीमेंट्री का जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो कहना था, सब कुछ कह दिया है। सरकार जिस स्थिति में थी, वह उत्तर भी आ गया है कितनी देर हो गई। आधा घंटा हो गया, 2 ही प्रश्न आये हैं। अभी दूसरे प्रश्न भी हैं।

श्री उदाराम हटीला !

राजस्थान नहर परियोजना से बीकानेर जिले में सिंचित भूमि

132. श्री उदाराम हटीला (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान नहर परियोजना से बीकानेर जिले के किन-किन ग्रामों की भूमि सिंचित क्षेत्र में आ चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

उपनिवेशन मंत्री (श्री केदारनाथ) : बीकानेर जिले के जो ग्राम राजस्थान नहर परियोजना के उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हैं उनकी राजस्व तहसीलवार गांव वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री उदाराम हटीला : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सूची दी है सूची के अनुसार नहर की खुदाई नहीं की गई है। नहर के एन. डी. चक 26, 27, 28 में नहरें नहीं खोदी गई हैं। पानी नहीं लगा है इसका एतराज है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय क्या राजस्थान नहर का काम बन्द हो गया है? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, जो प्रश्न उठाया है, जमीनें अलाट कर दीं किन्तु पानी नहीं लगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कन्सट्रक्शन हो रहा है। कम्प्लीट हो जायेगा तब पानी आ जायेगा।..

श्री उदाराम हटीला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बीकानेर जिले में भीकमपुर गांव के जो लोग हैं उनको बसाने के बारे में क्या किया?

श्री बंशी लाल सारस्वत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बीकानेर की तहसीलें लूणकरणसर, कोलायत में नहर की व्यवस्था हो गई है? क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग की इसी वर्ष में ट्यूब वैल बना कर या और कोई साधन से पानी देने की योजना है?

श्री केदारनाथ : ड्रिन्किंग वाटर की प्राब्लम नहीं है। यह दूसरी प्राब्लम है।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट। श्री हरिसिंह !

समाज कल्याण विभाग का कार्यालय

133. श्री हरिसिंह (फुलेरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के निदेशक का कार्यालय केसरगढ़ केसल से हटा कर अन्यत्र ले जाया जा रहा है ?

(2) अगर हां, तो यह कार्यालय कितने किराये पर है और नया लिये जाने वाला कार्यालय किस किराये पर नियत हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार व केसरगढ़ केसल के मालिक के बीच केसल को खाली करवाने का कोर्ट में मामला चला था ? यदि हां, तो उसके फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी हां।

(2) वर्तमान भवन 1094) रु. प्रति माह किराये पर है। नये भवन के किराये के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने आफिस कहां शिफ्ट किया है ? बिना किराया फिक्स हुये कैसे शिफ्ट कर दिया ?

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : किराया फिक्स नहीं किया न आफिस शिफ्ट किया।

श्री मूलचन्द डागा : आफिस कहां ले गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लिया, पर्याप्त है।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अपर्याप्त है। यह किसलिये छोड़ा जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री मंजूरअली : सीकर हाउस में लिया जा रहा है और साढ़े तीन हजार रुपये माहवार पर लिया जा रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह कि क्या सरकार किराये का मकान लेने से पहले किराया तय नहीं करती है और अपना आफिस भी शिफ्ट कर लेती है ?

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक तार दिल्ली से जयपुर आया है उसके बड़े गुल खिलने वाले हैं। इसलिये मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें और इसको टालने की कोशिश न करें। कृपा कर मंत्री महोदय को निर्देश देकर स्पष्ट उत्तर दिलवायें।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार किराये का मकान लेने से पहले बिना किराया तय किये हुए ही अपना आफिस शिफ्ट कर देती है ?

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह : क्या यह सही बात है कि जो इजेक्टमेंट सूट किया गया था वह खारिज हो गया ? उसके उपरान्त गवर्नमेंट इसको खाली करने की क्यों आवश्यकता समझती है ? क्या सरकार की यह मंशा थी

(मेजर श्री फतहसिंह)
कि इसको खाली कर दिया जाय ताकि नया पर्चेजर इसमें आ सके।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या पुराने दफ्तर को खाली किया जा रहा है? और यदि खाली किया जा रहा है तो किसकी तरफ से आग्रह किया गया है? क्या वह भवन इस स्थिति में आ गया है कि गिर जायगा या किसी का दबाव आ रहा है, या कोई अदालत का फैसला आ गया है कि इस भवन को छोड़ा जाय, या फिर यह कारण है कि इस भवन से सस्ते में दूसरा भवन मिल रहा है? इन सब सवालों पर रोशनी डालें, मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई उत्तर तो सुनिये।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : यह सही है कि केसरगढ़ को राजस्थान पत्रिका ने खरीदा है। यह भी सही है कि यह मकान खरीदा है राजस्थान पत्रिका के कार्यालय के लिये। पत्रकारों को किस प्रकार सहायता दी जाय और पत्रों को भी किस रूप में सहायता प्रदान की जाय, यह पुरानी सरकार की भी नीति रही है और इस सरकार की भी नीति है। अभी तक किसी पत्र कार्यालय को भू-खण्ड या भवन आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : At the cost of public exchequer?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई पब्लिक एक्स-चैकर पर भार नहीं पड़ता है। आज तक सरकारी मकान दिये हैं वे किस कॉस्ट पर दिये है? इस पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। इसको खाली करवा कर दिया जायगा, इस प्रश्न पर विचार चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप यह कह रहे हैं गलत काम नहीं है तो क्या यह ठीक काम है?

(व्यवधान)

श्री बजरंग लाल शर्मा : दिल्ली के जवाब को आपने काउन्टर नहीं किया है इसलिय मान लिया जाय कि वहां का दबाव है और ऐसा ही करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दबाव नहीं है, पत्रकारों को सहायता देने की नीति है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इस बात को आपने मान लिया है कि केसरगढ़ को इस रूप में दिया जाय...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : सवाल का जवाब सन्तोषजनक नहीं आया, अध्यक्ष महोदय। सवाल यह है कि सरकार ने कितने साल तक मुकदमा डिफेन्स के रूप में लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा। सरकार उसमें जीत गई। सरकार ने 25 हजार रुपया खर्च किया है...

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : इस उत्तर में सन्तुष्टी का तो सवाल ही नहीं है।

Page No 12

(12)

श्री हरि सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पेसिफिक सप्लीमेन्ट्री है । यह जगह राजस्थान सरकार के कब्जे में कब से है, सन् 1947 से है या सन् 50 से है ? इसमें कितनी एकड़ जमीन है और जमीन की मार्केट वेल्यू कितनी है ? ये तीन बड़े स्पेसिफिक सवाल हैं । इस केसरगढ़ में पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, राजपूताना बोर्ड का कार्यालय था । यह कब से राजस्थान सरकार के कब्जे में है, कितनी जमीन है और कितनी मार्केट वेल्यू है और अब कितने में बेचा जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, उत्तर दीजिये नहीं तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री श्रवण लाल !

(व्यवधान)

She is not prepared to answer your question. How can I compel her ?

माननीय सदस्य कह रहे हैं दिल्ली से दवाव है । गुल खिलने की क्या क्या बात रते हैं । अब मैं किसी तरह अलाउ नहीं करूंगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया जवाब देने को खड़ी हो गई हैं ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता को अधिकार है कि एक सप्लीमेंट्री पूछे । कम से कम इनको एक सप्लीमेंट्री पूछने की इजाजत तो दीजिए । आपने पूछ लिया सप्लीमेंट्री, अब जवाब आने दीजिए ।

श्री मूलचन्द डागा : जवाब ही आना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : सरकारी उत्तर आए या नहीं आए, इसके लिए मैं इनको मजबूर नहीं कर सकता ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उत्तर दे रही हैं साहब, खड़ी हो गई हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरा का पूरा मकान समाज कल्याण विभाग के कब्जे में नहीं है । इस विभाग के कब्जे में मुख्य भवन एवं मुख्य भवन के पास बना हुआ सेन्ट्रल हाल है एवं एक गैराज किराये पर । उसका कुल कारपेट एरिया 16564 वर्ग फीट है । इसके अतिरिक्त 18400 वर्ग फीट इसके सामने वाली खुली जमीन है ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह मेहरबानी राजस्थान पत्रिका पर ही क्यों की है, बाकी लोगों पर क्यों नहीं ? यह कार्य बाकी पत्रों के लिए क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मेहरबानी का सवाल नहीं है । पैसा देकर चीज खरीदी है इसमें मेहरबानी का क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री श्रवण लाल!

प्रतिभावान खिलाड़ियों की पुलिस विभाग में नियुक्ति

134. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुलिस में नियुक्त करके रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ? यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ऐसी योजना (नियोजन) हेतु क्या क्या नियम बनाये गये हैं ? प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। अब तक एक व्यक्ति श्री जीवराज सिंह की नियुक्ति उप निदेशक ए. पी. के पद पर की गई है।

(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 में यह प्रावधान मौजूद है कि प्रति वर्ष उप निरीक्षक या उसके समकक्ष पदों में से जो कुल स्थान प्रति वर्ष रिक्त होते हैं उनमें 10 प्रतिशत पदों को बगैर निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन किये भरा जा सकता है व उनमें उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जावे जो गेम्स एवं स्पोर्ट्स में कुशल हों बशर्ते वे शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक क्षमता व आयु की शर्तों को पूरा करते हों। सम्बन्धित नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री श्रवण लाल : आपने यह बताया कि एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है तो क्या औरों ने अप्लाई नहीं किया ?

श्री सम्पतराम : औरों ने भी अप्लाई किया था लेकिन इस समय जितनी जगह खाली है इस धारा के तहत भरने के लिए, उसके अनुसार बेस्ट आदमी अमंगस्ट आल सलेक्ट कर लिया गया है।

श्री बालकृष्ण थानवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल आवेदन-पत्र कितने आए थे ? क्या एक ही आवेदन-पत्र आया था या और भी आए थे ?

श्री सम्पतराम : मेरा ऐसा खयाल है कि····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : शायद नहीं, उत्तर चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : खयाली पुलाव मत पकाओ, उत्तर दो।

श्री एच.एन. शर्मा : खयाली पुलाव से काम नहीं चलने वाला है।

श्री सम्पतराम : लगभग पचास प्रार्थना-पत्र आए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पचास खिलाड़ियों के प्रार्थना-पत्र थे और उनमें से एक लिया। यही आपका खिलाड़ियों को प्रोत्साहन है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : आपने कहा कि पचास आवेदन-पत्र आए

(श्री हरीश शर्मा)
और एक को लिया तो यह दस पर्सेंट कैसे हो गया ?

श्री मूलचन्द डागा : "लगभग" कैसे कहा ? सरकार के पास आंकड़े हैं फिर लगभग कैसे कहा ? बड़ा आश्चर्य है....

श्री अध्यक्ष : आश्चर्य प्रकट मत करिये, प्रश्न पूछिए।

श्री हरीश शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि कितने स्थान रिक्त थे जिसके दस प्रतिशत में एक खिलाड़ी को नियुक्त किया गया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुनिये।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर सबसे प्रथम इस सरकार ने महसूस किया कि जो मेधावी लड़के हमारे खेलकूदों में काफी अच्छे स्पोर्ट्समैन साबित होते हैं उनको कुछ प्राथमिकता दें, इस आधार पर हमने यह सिस्टम चालू किया है। इसके लिए हमारी निश्चित प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम स्पोर्ट्समैन को प्राथमिकता के आधार पर ले लें....

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : मैंने पूछा कि कितने स्थान रिक्त थे ?

श्री सम्पतराम : मेरी बात तो सुन लीजिये। अगर मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो आप बोल लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री हरीश शर्मा : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप इनको घुमाना चाहते हैं तो घुमाते रहें।

श्री सम्पतराम : सही सूचना थी वह मैंने दे दी।

श्री गुल मोहम्मद : जिनको लिया है वह कौन से खेल में होशियार थे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता। 135

कडाना बांध का निर्माण कार्य

135. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कडाना बांध का काम कब प्रारम्भ हुआ और उस पर कुल सीमेंट कितनी खर्च हुई ?

(2) उसमें बांध–नहरों आदि पर कितनी खर्च हुई और मकानों पर कितनी खर्च हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) कडाना बांध का निर्माण कार्य गुजरात राज्य में गुजरात सरकार द्वारा कराया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा नहीं।

(2) उपरोक्त अनुसार। हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, गुजरात सरकार कार्य करा रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवर लाल ऐरन !

रोहतास इण्डस्ट्रीज के कर्मचारियों का बोनस

136. श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर, डालमिया नगर संस्थान की एक शाखा है और इसका राज्य में कोई मुख्य कार्यालय न होने से क्या राज्य को आय कर का भारी नुकसान हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्थान के जयपुर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारीगण को सन् 1970 से बोनस व भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा उक्त संस्थान कर्मचारीगण को निर्धारित समय अवकाश एवं वेतन शृंखला के लाभ से वंचित कर उनका शोषण कर रहा है ?

(3) राज्य सरकार इस गम्भीर विषय पर क्या कार्यवाही कर रही है जिससे राज्य सरकार को आय कर की क्षति न हो और कर्मचारीगण का शोषण रुके ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) रोहतास इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर डालमिया नगर संस्थान की शाखा है परन्तु इसका हानि-लाभ का ब्योरा अलग-अलग रखा जाता है।

आयकर अधिनियम के तहत संस्थान द्वारा आयकर मुख्यालय डालमिया नगर में होने के कारण दिया जा रहा है।

(2) जहां तक 1970 का बोनस देने का प्रश्न है इसे (औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर) ट्रिब्यूनल में रेफर कर दिया गया है। भविष्य निधि भुगतान कराने का कार्य भविष्य निधि आयुक्त, केन्द्र सरकार द्वारा कराया जाता है। कर्मचारियों की भविष्य निधि जून, 77 से काटी जा रही है। इस संस्थान द्वारा कर्मचारीगण को काम करने का समय, अवकाश एवं वेतन शृंखला की सुविधा उपलब्ध है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भंवर लाल ऐरन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सन् 1975-76 और 76-77 में रोहतास इण्डस्ट्रीज, जयपुर शाखा को 18 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ और 1977-78 में 15 लाख का लाभ हुआ और उस पर इन्होंने कोई आय कर नहीं दिया ?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री भंवरलाल ऐरन : दूसरी बात यह कि इतना लाभ होते हुए भी यहां के कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं दिया जा रहा है ? इसके अलावा जो उनका निर्धारित समय है उससे अधिक समय तक उनको नौकरी पर रखा जाता है, उनसे काम लिया जाता है, क्या यह भी सही है ?

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : मंत्री महोदय ने कहा 'जी हां'। इसका मतलब क्या यह है कि इतना लाभ हुआ है फिर भी इन्कम टैक्स नहीं दिया ? जब लाभ हुआ तो इन्कम टैक्स क्यों नहीं दिया ?

श्री केदारनाथ : बोनस एक्ट के तहत किसी भी सब्सीडियरी यूनिट को यह अधिकार है कि अपने प्रोफिट एण्ड लॉस के अलग

(श्री केदार नाथ)

अलग अकाउन्ट दे सकती है। रोहतास इंडस्ट्रीज को शुद्ध लाभ जरूर हुआ है लेकिन इन्कम टैक्स के अन्दर रिलीफ लेने के लिए जो इसके दूसरे यूनिट्स है, सिंथेटिक्स है, जे. के. है, जयपुर इंडस्ट्रीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इन सब के हैड आफिस दिल्ली में हैं और इसी लिए इन सब का इन्कम टैक्स दिल्ली आफिस से काटा जाता है। अध्यक्षजी, मैं इस क्वेश्चन को लॉ पोइन्ट आफ व्यू से एग्जामिन करवा रहा हूँ कि कहां तक हमारे परव्यू में यह चीज आती है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : जे. के. सिंथेटिक्स का आफिस राजस्थान में हो इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : इन्होंने अपने आपको बोनस एक्ट से बचाने के लिए अपने प्रोफिट एण्ड लॉस के अकाउन्ट्स अलग-अलग तैयार किए हैं। इन्होंने पांच साल का इन्फेंसी पीरियड प्लीड किया है। जब यूनिट नया हो तो पांच साल का एग्जेम्पशन प्लीड कर सकते हैं, इस केटेगरी में इन्होंने अपने आपको रखा है।

दूसरा आपने प्रश्न यह किया कि उनके ड्यूटी आवर्स क्या हैं ? माननीय अध्यक्षजी, शाप एण्ड कार्मशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत वे कवर होते हैं। सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को साढ़े पांच बजे जाते हैं। फैक्ट्री एक्ट की फेसेलिटी इनको भी मिले इसके लिए फ्रिंज बेनिफिट देने के लिए कंसीलियेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : मंत्री महोदय, यह जयपुर की रोहतास इंडस्ट्री सन् 1970 में चालू हुई और पांच साल का समय समाप्त हो गया फिर पांच साल का लाभ कैसे लेना चाहते हैं ?

श्री केदार नाथ : सन् 1970 के अन्दर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1973 में प्रोडक्शन शुरू हुआ इसलिए प्रोडक्शन से शुरू माना जाता है।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी के लिए माननीय मंत्री महोदय बतायें, क्या इनको अपन नहीं कह सकते कि यहां पर हैड आफिस खोलें ?

श्री केदारनाथ : अध्यक्षजी, यह कहां तक हमारे काम्पीटेंस में है, हम इस प्रश्न को एग्जामिन करा लेंगे। अगर हम मजबूर कर सकते हैं तो जरूर किया जावेगा।

श्री नूरा (मसूदा) : मंत्री महोदय, भविष्य निधि का भुगतान इतना लाभ होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ?

श्री केदारनाथ : भविष्य निधि का पैसा काट रहे हैं। मगर मैंने आपसे निवेदन किया कि यह इन्फेंसी पीरियड में ट्रीट कर लिया है। कमिश्नर प्रोवीडेंट फण्ड के यहां पर केस चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री नूरा : काट तो लिया है, भुगतान नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री मूलचन्द सामरिया !

राज्य के पत्रकारों पर हमले

137. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1978 में कितने पत्रकारों पर हमले हुए तथा कितने पत्रकारों की सन्देहास्पद दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई ? पूरा विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मृतक पत्रकारों की सन्देहास्पद मृत्यु के क्या कारण थे तथा इस सम्बन्ध में किन लोगों को गिरफ्तार किया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) गिरफ्तार लोगों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) मृतक परिवारों के आश्रितों को क्या सरकारी कोष से कोई आर्थिक सहयोग दिया गया ? यदि हां, तो किन किन को कितना कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठाना चाहती है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्री (**श्री सम्पत राम**) : (1) राज्य में वर्ष 1978 में अब तक केवल 4 पत्रकारों पर हमले के केस दर्ज हुए हैं। किसी पत्रकार की सन्देहास्पद दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) हमले के चार अभियोगों में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिनका चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। जो विचाराधीन अदालत है।

(4) आइटम नं. (1) के उत्तर के अनुसार प्रश्न पैदा नहीं होता है

(5) सरकार प्रत्येक नागरिक की पूर्ण सुरक्षा का उतरदायित्व रखती है व प्रबन्ध करती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने जो सूची दी है, उसको मैं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार अपूर्ण मानता हूं। पेपर्स में आपने पढ़ा होगा इस विषय में कि शर्माजी की पत्नी को गुप्ता साहब ने अपने घर में रखने का प्रयास किया। उनकी मिसेज तथा मिसेज शर्मा में झगड़ा होने पर उसको जला दिया गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसको मिसेज गुप्ता बता कर भर्ती किया गया। यह समाचार पेपर में आया था। वह एक पत्रकार की पत्नी थी। उसकी हत्या कर दी गई। यह पेपर्स में आपने पढ़ा होगा। मैंने यह पेपर्स में पढ़ा है।

श्री बालकृष्ण थानवी : जिन पत्रकारों पर जो हमला किया गया क्या वे किसी राजनैतिक पक्ष से सम्बन्धित थे ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री सम्पतराम : अभी माननीय सामरियाजी ने जो प्रश्न पूछा है, मैंने इस सम्बन्ध में विभाग से जानकारी प्राप्त की और जो तथ्य मेरे सामने आए वह मैंने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। अभी माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसकी मैं जानकारी

(श्री सम्पत राम)
करूंगा कि क्या वास्तव में इस प्रकार की कोई घटना हुई है और कोई केस रजिस्टर हुआ था ?

श्री मूलचन्द सामरिया : आपने जो सूची दी है उसमें आइटम तीन व चार को आप देख लें। यह कहा गया कि इनका फेक्ट्स के अभाव में पता नहीं चल सका है। ऐसा लगता है कि मुलजिमान को बचाया गया है। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ है कि यह कोई सशक्त व्यक्ति हो सकता है। क्या आप इसका पूरा विवरण देंगे, वाक्यात बताएंगे ताकि इस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि फेक्ट्स के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? क्या मंत्री महोदय सूची के आइटम तीन, चार के सम्बन्ध में बताएंगे ?

श्री सम्पतराम : यह कभी संभव नहीं है कि सारा का सारा इन्वेस्टीगेशन सदन के सामने प्रस्तुत कर दूं। इस प्रकार की मांग की आवश्यकता सदन समझे तो स्वयं विचार कर ले। सरकार यह सूचना दे सकती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उनका अगर आप सदन में जिक्र कर देंगे तो उससे देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा या हमारे राज्य की नींव हिल जाएगी ? ये बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, बावजूद अदम सबूत अदम वकूवा····

श्री सम्पतराम : शंका का समाधान करना तो बहुत कठिन है परन्तु जो वस्तुस्थिति मुझे प्राप्त हुई है वह सदन के सामने रखी है वह जानकारी मैंने दी है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसके पूरे फेक्ट्स आप सदन के सामने नहीं रख रहे हैं। उनके नाम बता दीजिये। किस किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ? उन मुलाजिमान के नाम बता दीजिये। क्या यह सही है कि उनके नाम डिसक्लोज करने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है ?

श्री मूलचन्द डागा : नाम तो डिसक्लोज करना चाहिये।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो केस नं. 1 है। उसमें अच्छू और पप्पी इन दोनों का केस चालान कर दिया गया है। नम्बर दो जो केस है उसमें चक्रधर, प्रकाश चन्द्र और लल्लूराम हैं। इस केस का भी चालान कर दिया गया है। जो सूची माननीय प्रश्नकर्ता को दी है उसके नम्बर 3 पर यह कहा है कि मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, अदम पते में। जांच खतम हो गई। और नम्बर चार में कृष्ण मुरारी, राधेश्याम की शिकायत थी उसकी जांच करने पर वह झूठ पाई गई।

श्री मूलचन्द सामरिया : हमलावर कौन सी पार्टी से सम्बन्धित थे।

श्री सम्पतराम : इसका मुझे पता नहीं है। माननीय सदस्य पता लगा सकते हैं कि वे कौनसी पार्टी से सम्बन्धित थे।

प्रश्न संख्या 138

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 139

श्री माधवसिंह दीवान ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

मेजर श्री फतहसिंह । प्रश्न संख्या 140.

बिना टिकट बसों में यात्रा करवाने वाले परिचालक

140. मेजर श्री फतहसिंह (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम के जिन परिचालकों की बसों में यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाये गये थे, उन परिचालकों को सेवा से निकाल दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त परिचालकों को पुनः सेवा में लेने के आदेश हो गये हैं ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) इस प्रकार के दोषी परिचालकों में से अनेक को सेवा से निकाला जाता रहा है।

(2) आपात काल में तथा दिनांक 1-4-77 से दिनांक 31-3-78 तक की अवधि में सेवा पृथक् किये गये परिचालकों में से 936 व्यक्ति पुनः निगम सेवा में ले लिये गये हैं। यूनियन से दिनांक 12-4-78 को हुए समझौते के तहत ऐसे अन्य कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार भी किया जा रहा है।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या सरकार इस को उचित समझती है कि जिन कन्डक्टर्स को गाड़ी में लोग बिना टिकट चलते हुए पाए गए और उनको सस्पेन्ड किया गया, उनको वापस राज्य निगम सेवा में लिया जाय ?

श्री मूलचन्द डागा : पहले इसका जवाब आने दीजिये।

मेजर श्री फतहसिंह : उनको पकड़ा गया है बिना टिकट यात्रा करते हुए, क्या यह सही है ?....

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द : कोई विभागीय जांच नहीं की गई। उनको सुनने का मौका नहीं दिया गया ...

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या राज्य सरकार ने कोई क्राइटेरिया बनाया है कि इतने पेसेन्जर बिना टिकट यात्रा करते हुए पाए गए तो कन्डक्टर्स के खिलाफ यह कार्यवाही की जाएगी ? यह बताने का कष्ट करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पचास, पचास सवारियां बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ी गई हैं। ऐसे कन्डक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया। उनको वापस सेवा में लिया जा रहा है। उनको पुनः लेंगे तो रोडवेज का सत्यानास हो जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिन अधिकारियों के हुक्म से ...

श्री नूरा (मसूदा) : क्या इन अधिकारियों को सजा नहीं दे सकते ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नूरा, स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय का आप जवाब सुनिए।

श्री केदारनाथ : स्टेन्डिंग आर्डर के तहत पहली गलती पर उनको वार्निंग देना जरूरी है, चार्ज शीट देना जरूरी है और उसके बाद सेल्फ डिफेन्स का मौका देना चाहिये। पहले डिफाल्ट पर उनको सस्पेन्ड किया जा सकता है परन्तु इमर्जेंसी के दौरान बिना किसी कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई वार्निंग दिए डाइरेक्ट ही डिसमिस कर दिया गया था जो गैर कानूनी था इसलिये उनको रिइन्सटेट किया गया है।

श्री श्योपर्तसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर आप रोडवेज को बचाना चाहते हैं तो इस तरह की कार्यवाही को रोकिये वरना इसका सत्यानास हो जायगा।

श्री श्योपर्तसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, इमर्जेंसी के दौरान संजय गांधी...

श्री नूरा : इमर्जेंसी के दौरान आप माफी मांग कर आए हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री श्योपर्तसिंह।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय इमर्जेंसी के दौरान जिन अधिकारियों के आदेश से संजय गांधी के दौरे के समय बसों की फ्लीट चली थी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या जांच की गई? नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई?

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरा पाटन) : अध्यक्ष महोदय, आपातकाल का नाम लेकर जिस तरह से दोषी व्यक्तियों को सेवा में लिया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : शासन पैरों पर है। यस, मेजर फतहसिंह।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमन्, जो यात्री बिना टिकट के जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, जिस बस में बिना टिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा उनके कण्डक्टर्स को सस्पेण्ड किया गया, हटाया गया। माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि बिना कारण हटाया गया जब कि वे रेड हैन्डेड पकड़े गये थे। तो यह बिना कारण कैसे हुआ? नियम यह है कि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता है और पकड़ा जाता है कोई यात्री बिना टिकट जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा और 200 रु. तक का जुर्माना हो सकता है। उन कण्डक्टर्स के लिये क्या किया जो बिना टिकट के यात्रियों को ले जाते हैं...

श्री मूलचन्द डागा : जिनको रेड हेन्डेड पकड़ लिया गया...

श्री श्योपतसिंह मकासर : रेड हेन्डेड गिरफ्तार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। आप कृपा करें तो माननीय मंत्रीजी को मैं कह सकता हूं कि वे उत्तर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, रोडवेज के प्रश्न में पूरा प्रश्नकाल निकल गया।

श्री अध्यक्ष : लीजिये, मैं प्रश्नकाल समाप्त करता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, संजय गांधी के दौरे के अन्दर जिन अधिकारियों के आदेशों से बसों के फ्लीट के फ्लीट फ्री गये उनके बारे में आपका क्या उत्तर है ?

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इमर्जेन्सी के दौरान रूल्स और प्रोसीजर को ताक में रख दिया गया। सेंस आफ कोंफिडेन्स पैदा करने के लिये जिनको बिना सुनवाई के, बिना नोटिस दिये निकाल दिया गया रोडवेज कार्पोरेशन में उनको रीइन्सटेट किया है। यह उनके लिये काम किया गया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिन अधिकारियों ने संजय गांधी की यात्रा के दौरान आदेश दिये उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सदन के प्रांगण में दिये जाते हैं उनके अलावा जिनके लिखित उत्तर दिये जाते हैं, उन पर न कोई अधिकारी हस्ताक्षर करता है न किसी मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। बड़े कन्फ्यूजिंग रिप्लाई दिये जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है, जो लिखित उत्तर मिलते हैं उन पर अधिकारियों या मंत्रियों के हस्ताक्षर होने चाहिये या नहीं होने चाहिये। अन्यथा....

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी उचित व्यवस्था हो सकती है वह करने का पूर्णतया प्रयास करूंगा।

श्री बजरंगलाल : आपकी अनुमति हो तो आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपको जानकारी समर्पित करूं ताकि...

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं किसी न किसी आथोरिटी के हस्ताक्षर तो होने चाहिये। इस बारे में उचित व्यवस्था करने का प्रयास किया जाय।

श्री एच.एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार मांग करने के बावजूद सदन की मेज पर सूची नहीं रखी जाती। पालना नहीं होती। बार-बार मांगने पर भी सूची सदन की मेज पर नहीं आती; इसके लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी माथुर साहब ने बताया एक फार्वर्डिंग लैटर आता है। आपके प्रश्न के संबंध में जानकारी के बाद उचित व्यवस्था होगी वह करूंगा।

श्री रतनलाल वर्मा : जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं उनके......

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर
बिशन समद बांध

138. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिशन समद बांध को किसी फीडर (नहर) के द्वारा भरा

(श्री बत्तीलाल मीणा)

जाता है ? क्या यह भी सही है कि इसमें पानी की आमद इसकी क्षमता से कई गुनी अधिक है जिसके कारण यह प्रति वर्ष फूट जाती है ? इस कारण उसका पानी बांध में न जाकर किसानों की खेती को नष्ट करता रहता है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके पानी को भुनकी बांध, जो बिशन समद का सहायक बांध है और जो कई सालों से फूटा पड़ा है, में ले जाने की कोई उपयुक्त योजना बनायेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बिशन समद फीडर द्वारा इस बांध को भरा जाता है। ज्यादा पानी आने से फीडर सन् 1972, 1975 एवं इस साल टूट गई थी । इसका पानी टूटने पर खेतों में फैलता हुआ निकलता है।

(2) इस कार्य का पूर्ण सर्वेक्षण किया जावेगा एवं उसकी तकनीकी एवं आर्थिक उपदेयिता की जांच की जावेगी ।

आयुर्वेद औषधालय खोलने का आधार

139. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य में नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का क्या क्राइटेरिया होता है ?

(2) राज्य में 75-76, 76-77, 77-78 में कहां कहां नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति हुई तथा कहां कहां औषधालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) नवीन औषधालय प्रायः उन्हीं स्थानों पर खोले जाते हैं जहां कि–

1) प्रभावित जन संख्या कम से कम 2000 हो,
2) निःशुल्क भवन औषधालय हेतु उपलब्ध हो,
3) अन्य कोई राजकीय चिकित्सा सुविधा 8 कि.मी. के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो,
4) औषधालय स्टाफ के निवास हेतु सुविधा उपलब्ध हो ।

(2) सूची संलग्न है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

"शास्त्री सदन" छात्रावास सांचौर

84. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सांचौर में 'शास्त्री सदन' अनुसूचित जाति छात्रावास राजकीय अनुदान द्वारा चलाया जाता है ? अगर हां, तो कब से, एवं उसको सालाना कितना अनुदान दिया जाता है ? छात्रावास में मौजूदा कितनी सीटें हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास में मौजूदा सीटों से अधिक छात्र भर्ती होना चाहते हैं ? अगर हां, तो अब तक कितने अधिक छात्रों ने प्रवेश हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं तथा अधिक छात्रों को प्रवेश हेतु राज्य सरकार कब तक कितनी और सीटें बढ़ाना उचित समझेगी ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास में अनुसूचित जाति के जिले में सब से ज्यादा छात्र हैं ? अगर हां, तो राज्य सरकार छात्रावास समिति की मांग के अनुसार उक्त छात्रावास को अपने हाथ में क्यों नहीं लेती ? उक्त छात्रावास को राजकीय छात्रावास कब तक घोषित कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रावास का भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? अगर हां, तो उसकी विशेष मरम्मत राज्य सरकार द्वारा कब तक करादी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास का अनुदान अग्रिम रूप से नहीं दिया जाता ? अगर हां, तो क्यों ? अब क्या राज्य सरकार छात्रावास का हर तीन माह के खर्चे का अनुदान अग्रिम रूप से देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1968 से प्रारंभ किया गया है वर्तमान में छात्रों की उपस्थिति के आधार पर कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिये 95 रुपये तथा 9 से 11 के छात्रों के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति छात्र की दर से अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में इस छात्रावास को 39,000 रुपये एक वर्ष के लिये देय होगा। छात्रावास में 40 सीटें स्वीकृत हैं तथा 40 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

(2) इस प्रकार की जानकारी सरकार को नहीं है और न ही संस्था की ओर से सीटें बढ़ाने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न अस्पष्ट है। छात्रावास समिति द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां, प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भवन अब मरम्मत के योग्य भी नहीं रहा है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। अनुदान अग्रिम रूप से दिये जाने का प्रावधान नियमों में है।

पत्रकार को भूमि आवंटन का मामला

85. श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री अनुसूया प्रसाद को एक अधिस्वीकृत पत्रकार होने के नाते राज्य सरकार द्वारा भू-खण्ड आवंटित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि श्री कमल किशोर जैन, अतिरिक्त निदेशक और श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट, निदेशक ने बेरी कमीशन में श्री अनुसूया प्रसाद द्वारा सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध गवाही देने के कारण उनका भूखण्ड निरस्त करवा दिया ? यदि हां, तो श्री अनुसूया प्रसाद को अब यह भूखंड दिलवाने की राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा श्री कमल किशोर जैन को इस प्रकार एक पत्रकार के विरुद्ध कार्यवाही करने की क्या सजा दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क निदेशालय के पत्र क्रमांक सभा/2481, दिनांक 7-10-1967

Page No 24

(24)

(जन सम्पर्क मंत्री)
द्वारा 14 अधिस्वीकृत पत्रकारों को भू-खण्ड आवंटित करने की सिफारिश नगर विकास न्यास, जयपुर से की गई थी जिनमें श्री अनुसूया प्रसाद का नाम भी सम्मिलित था। नगर विकास न्यास द्वारा इन्हें भू-खण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 31–10–67 को जारी कर दिया गया था।

(2) जी नहीं। नगर विकास न्यास के पत्र क्रमांक 18283, दिनांक 2-7-69 के अनुसार भू-खण्ड के नजराने की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण दिनांक 19–3–1969 को उनके नाम से भू-खण्ड रद्द कर दिया गया।

लूनी नदी के बहाव में परिवर्तन

86. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चीतलवाना से केरिया गांव तक लघु सिंचाई, चीतलवाना बांध बंधने के कारण लूनी नदी का पुराना बहाव बदल कर नई नदी बन गई है? अगर हां, तो कब एवं नई नदी का बहाव किन-किन गांवों में होकर जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि लूनी नदी का बहाव बदलने के कारण सांचौर के नैपड क्षेत्र का बड़ा भारी नुकसान हुआ और सेवज रबी फसल बहुत कम हो गई है? अगर हां, तो राज्य सरकार ने लूनी नदी का पानी पुराने कोर्स में डालने का अभी तक क्या प्रयत्न किया है? भविष्य में इस बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

(3) लूनी इनन्डेशन नई स्कीम कब तक बनाई जाकर कार्यान्वित की जा सकेगी।

(4) क्या यह सही है कि सांचौर के लघु सिंचाई बांधों में से अधिक पानी निकालने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लाखों रुपयों के लोहे के फाटक खरीद कर सांचौर में डाले थे? अगर हां, तो कुल कितने फाटक कुल कितनी रकम के कब खरीद कर सांचौर लाये गए थे? उनमें से कितने फाटक अब तक बांधों पर लगाये गए हैं? बाकी फाटक अब तक काम में नहीं लाने के क्या कारण हैं? बचे फाटक कब तक काम में लिए जा सकेंगे?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त लोहे के फाटक बिना जरूरत के ही अग्रिम रूप से खरीद लिये गए थे? अगर हां, तो क्यों? इस बारे में अब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में कब तक, क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। चीतलवाना से केरिया गांव तक लघु सिंचाई बांध चीतलवाना के निर्माण के कारण लूनी ने पुराना बहाव नहीं बदला। लेकिन अतिवृष्टि के कारण नदी में अत्यधिक पानी आने के फलस्वरूप नदी ने वर्ष 1976 में बहाव बदला। नदी का नया बहाव अब मोरसिंह, वली, नई वली, हेमागुडा इत्यादि गांवों से होकर जाता है।

(2) जी नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

अतिवृष्टि के कारण लूनी नदी का बहाव बदलने से सांचौर के नैपड़ क्षेत्र में कुछ हानि हुई है। लूनी नदी के नये बहाव का पानी पुराने कोर्स में डालने का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है और अब इस नदी का पानी अपने मूल कोर्स में चलेगा।

(3) इस विभाग के पास लूनी इनन-डेशन का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां।

सांचौर के लघु सिंचाई बांधों में से अधिक पानी निकालने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा 59 फाटक 8.28 लाख रुपये लागत के खरीद कर वर्ष 1971-72 में सांचौर लाये गये थे। इन फाटकों में से सीतलवाड़ा बांध पर तीन फाटक लगाये गये हैं। अन्य क्षेत्र में नींव के लिये चट्टान काफी गहराई तक नहीं मिलने के कारण फाटक नहीं लगाये जा सके। गेट नहीं लगाने का निर्णय 1972-73 में लिया गया था। बचे हुए फाटक अन्य जगह आवश्यकतानुसार लगाये जायेंगे।

(5) जी नहीं।

फाटक प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही खरीदे गये थे।

नागौर क्षेत्र में बिजली

87. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की यह मान्यता है कि जायल, नागौर और मुण्डवा पंचायत समितियों के क्षेत्र में नगण्य को छोड़कर कहीं भी विद्युत् व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई पेयजल, उद्योग व अन्य सुख-सुविधा की दृष्टि से विद्युत प्रसार अत्यन्त आवश्यक समझती है ?

(3) क्या यह प्रसार व विस्तार सम्पूर्ण क्षेत्र में नागौर में 132 के.वी. की लाइन बिजली की लाये बिना कतई संभव नहीं है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नागौर में 9.4%, मुण्डवा में 8.1% तथा जायल पंचायत समिति में 15.65% ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(2) जी हां। सरकार धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण करना चाहती है।

(3) धन की उपलब्धि के अलावा विद्युत् प्रसार के लिये प्रणाली (सिस्टम) में पर्याप्त क्षमता होना भी आवश्यक है।

ब्राह्मणी नदी तहसील बेगूं से सिंचाई की योजना

88. श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बेगूं तहसील में बहने वाली ब्राह्मणी नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई हेतु कोई सिंचाई योजना विचाराधीन है ? अगर हां, तो स्थान के नाम एवं योजना की जानकारी कराने की कृपा करें।

(श्री एच. एन. शर्मा)

(2) इस योजना में कितनी लागत लगेगी तथा कितने एकड़ भूमि की सिचाई की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

यह योजना हरीपुरा गांव के पास तहसील बेगूं जिला चितौड़गढ़ में प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 22,000 एकड़ भूमि सिंचित हो सकने का अनुमान है।

अभी इस परियोजना का सर्वेक्षण किया जाना है।

(2) इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 5.00 करोड़ रुपये होगी एवं 22,000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। स्पष्ट स्थिति सर्वेक्षण के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेगी।

चूरू जिले की आर. ई. सी. स्कीम्स

89. **श्री हजारी मल** (सरदारशहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 77-78 व 78-79 में चूरू जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चूरू जिले में कितनी आर.ई.सी. स्कीम्स प्रस्तावित हैं, कितनी स्वीकृत हुई तथा कितनी योजनाओं पर काम शुरू हो गया ? आर.ई. स्कीम्स में शामिल गांवों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 में चूरू जिले में 12 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1978-79 में अभी किसी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, कार्य चल रहा है।

(2) कोई आर. ई. सी. स्कीम अभी प्रस्तावित नहीं है। दो लघु योजनायें स्वीकृत हुई हैं और दोनों में कार्य चल रहा है। स्वीकृत योजनाओं में शामिल गांवों की सूची 'ब' व 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

आयुर्वेद विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

90. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

आयुर्वेद विभाग के उन कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिनके स्थानान्तरण एक वर्ष के भीतर दो या अधिक बार किये गये ?

उत्तर

सूची संलग्न प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला

91. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चिकित्सा विभाग समान योग्यता एवं समान कार्य के आधार पर बिना लिंग भेद के पदोन्नति किये जाने में विश्वास रखता है ? यदि हां, तो मेल नर्सेज को फीमेल नर्सेज की तरह नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर विभाग द्वारा पदोन्नत क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) यदि वर्तमान नियमों के अनुकूल नहीं है, तो क्या राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) में आवश्यक संशोधन किया जाकर "लिंग भेद" समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो समान कार्य, वेतन, योग्यता होते हुए भी पदोन्नत नहीं किये जाने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक नोन मैट्रिक ए.एन.एम. (मिडवायफ) को अनुभव के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नत किया जाता है ? यदि हां, तो फिर नोन मैट्रिक कम्पाउन्डर ग्रेड III (मेल नर्स ग्रेड III) को मेल नर्स ग्रेड II के पद पर पदोन्नत क्यों नहीं किया जाता है ?

(4) कार्य, वेतन समान होने पर भी एक ही विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले में यह भेद क्यों है ?

उत्तर

(1) जी हां। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां

नोन मैट्रिक कम्पाउण्डर को ग्रेड III से ग्रेड II में पदोन्नति देने का सेवा नियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मामला सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा

92 **श्री एच. एम. शर्मा** (बेगूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या नीति अपनाने जा रही है ?

(2) कितनी आबादी पर राज्य सरकार अस्पताल, रेफरल अस्पताल, चिकित्सा इकाई, उप केन्द्र इत्यादि खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हेतु जो नीति राज्य सरकार अपनाने जा रही है उसका ब्यौरा संलग्न है।

(2) राज्य में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा संस्थायें स्थापित करने का माप दण्ड निम्न प्रकार है:—

1. डिस्पेंन्सरी एवं एडपोस्ट

(चिकित्सा मंत्री)

एक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम दो डिस्पेन्सरी तक एक एडपोस्ट।

2. रेफरल अस्पताल

रेफरल अस्पताल राज्य में कार्यरत 25% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत किया जा रहा है।

3. उप केन्द्र

10 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक उप केन्द्र की व्यवस्था का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई के डाक्टर का मामला

93. श्री हरिकृष्ण (नदबई): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई (भरतपुर) के डा. श्री अनन्तनारायण शर्मा ने सन् 1976-77 में कितना आकस्मिक अवकाश लिया ?

(2) उनका विना अवकाश स्वास्थ्य केन्द्र से अधिकतर अनुपस्थित रहने का क्या कारण है ?

(3) क्या अनुपस्थिति में उपस्थिति पंजिका पर बाद में भी हस्ताक्षर किये जाते हैं ?

उत्तर

(1) उक्त डाक्टर ने वर्ष 1976 व 1977 में लिए अवकाश का उपयोग निम्न प्रकार है:—

वर्ष	
1976	15 दिवस का आकस्मिक अवकाश
	28 दिवस का उपार्जित अवकाश
1977	15 दिवस का आकस्मिक अवकाश
	2 दिवस का उपार्जित अवकाश

(2) कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं।

आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

94. श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू): श्री बृजेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य सरकार को राज्य के किस-किस आई. ए. एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारियों के विरुद्ध गत पांच साल में पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुईं एवं राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(29)

उत्तर

पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जलदाय विभाग की बकाया राशि

96. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 75-76 एवं 77-78 में राज्य के निम्नलिखित उपभोक्ताओं में जलपूर्ति की कितनी-कितनी राजस्व की राशि बकाया थी:–

1. भूतपूर्व नरेश
2. नगरपालिकायें
3. केन्द्रीय सरकार के विभाग
4. राजकीय विभाग
5. सामान्य उपभोक्ता

(2) क्या यह सही है कि भू. पू. नरेशों पर सन् 71-72 में 7 लाख 95 हजार 180 रुपया, सन् 72-73 में 8,23,073 व 73-74 में 7,31,145 रुपये की राजस्व बकाया थी ? इतनी बड़ी धनराशि को वसूल न करने में किन अधिकारियों की लापरवाही रही व अब उपरोक्त राशि राज्य सरकार कैसे व कब तक वसूल कर लेगी ?

उत्तर

(1) राजस्व की बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है:––

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	वर्ष 75-76	वर्ष 77-78 (रु. लाखों में)
1.	भूतपूर्व नरेश	6.97 लाख	5.56 लाख
2.	नगरपालिका, अजमेर	18.36 ,,	157.17 ,,
3.	केन्द्रीय सरकार के विभाग	6.87 ,,	56.77 ,,
4.	राज्य सरकार के विभाग	14.87 ,,	13.94 ,,
5.	सामान्य उपभोक्ता	24 84 ,,	26.22 ,,

(2) जी हां। इस राशि की वसूली में किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं रही है ताकि भूतपूर्व नरेशों को नोटिस जारी करने एवं विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिये प्रयत्नशील रहने के फलस्वरूप वर्ष 73-74 में 7.31 लाख रु. की बकाया राशि वर्ष 77-78 के अन्त में 5.68 लाख रु. रह गई।

भूतपूर्व नरेशों के नाम बकाया राशि का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा 12/5/72 के पत्र द्वारा 1-4-67 से नि:शुल्क जल पूर्ति की सुविधा समाप्त करना है। अत: अधिकतम वसूली इस अवधि की बाकी रह गई। बकाया की वसूली के लिये विभाग सतत् प्रयत्नशील है एवं वसूली के प्रयत्नों में अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गई है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

भूतपूर्व नरेश जोधपुर एवं उनके रिश्तेदारों पर 77-78 की बकाया 3.99 लाख रु. है । इस राशि को वसूल करने हेतु पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही की जा रही है एवं की गई है।

भूतपूर्व नरेश बीकानेर में वर्ष 1977-78 के अन्त तक की बकाया 1.78 लाख रु. की राशि करणीसागर कुओं के किराये की राशि से समायोजित कर ली जाने का निर्णय किया गया है।

शासन सचिवालय में हिन्दी टाइप राइटर

98. श्री ईश्वरचन्द (पिडावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के शासन सचिवालय में कितने हिन्दी के टाइप-राइटर हैं व कुल काम हिन्दी में करने हेतु कितने टाइप-राइटरों की आवश्यकता है ?

(2) क्या सन् 1980 तक सचिवालय का पूरा काम-काज हिन्दी में होने लगेगा ?

उत्तर

(1) राज्य के शासन सचिवालय में 364 (तीन सौ चौंसठ) अंग्रेजी के टाइप-राइटर हैं। कुछ काम हिन्दी में करने हेतु लगभग 400 (चार सौ) हिन्दी टाइप-राइटरों की और आवश्यकता हो सकती है।

(2) सचिवालय का पूरा काम जल्दी से जल्दी हिन्दी में करवाये जाने हेतु राज्य सरकार जागरूक है।

सरदारशहर तहसील की जलप्रदाय योजनाओं में अव्यवस्था

99. श्री हजारी मल सारण (सरदार शहर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर तहसील की वर्तमान जलदाय योजनाओं में भयंकर अव्यवस्था की शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन जलदाय योजनाओं में शामिल कुछ गांवों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों को और किन कारणों से ?

(3) जिन गांवों को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, उन गांवों को कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सरदार शहर की वर्तमान जल प्रदाय योजनाओं में पानी की सप्लाई की कमी के बावत शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अधिकांश का निवारण कर दिया गया है।

(2) जी हां, दो क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के कुछ ग्रामों में पानी उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। इसमें से सरदार शहर आसपालसर के 22 ग्रामों में से दो गांव डालमान व मुकन्दसर बड़ा को पानी नहीं पहुंचता था जिसका कारण जल स्रोत की कमी आदि थे। बिल्लू-बोगेरा योजना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में से 5 ग्राम मेहरासर, नीमरासर, रातूसर, आहूवाला व गाय-

(स्वास्थ्य मंत्री)
पुर में पानी नहीं दिया जाता है जिसका मुख्य कारण जल स्रोत की कमी है।

(3) क्षेत्रीय योजना सरदार शहर आसपालसर के दोनों ग्राम डालमान व मुकन्दसर बडा में जल उपलब्ध करवा दिया है। बिल्लू बोगेरा योजना पर एक नया नल कूप बनाने के लिये इस वर्ष एक लाख रुपया आवंटित कर दिया गया है। तथा भू-जल विभाग को शीघ्र नलकूप बनाने के लिये निवेदन कर दिया गया है। नलकूप बनते ही इन पांचों ग्रामों में जल उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार

100. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान में विभिन्न विभागों में रोजगार कार्यालय के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

(2) गत 31 मार्च, 1978 को राजस्थान में विभिन्न काम दिलाऊ कार्यालयों में सभी श्रेणियों के कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड थे ? इनमें से साल भर में नौकरी देने के बाद कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया जा सका ?

(3) अगले चार वर्षों में कितने लोगों को काम देने की आवश्यकता होगी तथा उनको किस प्रकार रोजगार देने का राज्य सरकार विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) पिछले वित्तीय वर्ष में 1-4-77 से 31-3-78 तक राजस्थान में विभिन्न विभागों में रोजगार कार्यालय के द्वारा 17,679 लोगों को रोजगार पर लगाया गया।

(2) गत वर्ष 31 मार्च, 1978 को राजस्थान में विभिन्न काम दिलाऊ कार्यालयों में सभी श्रेणियों के 2,86,731 प्राशार्थी पंजीकृत थे। इनमें से साल भर में जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया उनका प्रतिशत 6.17 था।

(3) अगली पंच-वर्षीय योजना में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है जिसके अन्तर्गत काफी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

नागौर में राज्य पथ परिवहन निगम का डिपो

101. श्री **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपना डिपो नागौर में स्थापित करने का निश्चय कर चुका है ? यदि हां, तो डिपो स्थापना में कितना समय और लगेगा ?

उत्तर

जी हां। नागौर में आगार कार्यालय तथा वर्कशाप हेतु भवन निर्माणाधीन है। भवन निर्माण पूर्ण होते ही आगार कार्यालय प्रारम्भ कर देगा।

Page No 32

(32)

राज्य पथ परिवहन निगम में टायरों की खरीद

102. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम ने वर्ष 75–76, 76–77 व 77–78 में कितनी धनराशि के टायर किस किस कम्पनी से कौन कौन सी तारीखों में खरीदे ?

(2) टायर खरीदने में क्वालिटी की दृष्टि से किस किस बात का ध्यान रखा जाता है व अच्छी क्वालिटी को कौन प्रमाणित करता है ?

(3) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में निगम ने सबसे अधिक टायर मोदी कम्पनी के खरीदे, जो अच्छी क्वालिटी की गणना में नहीं आते ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। खरीद की तारीख सम्बन्धी सूचना का संकलन सम्भव नहीं हुआ है।

(2) टायरों को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है।

1. टायर अधिक से अधिक किलोमीटर तय करें।
2. टायर पर दो बार रबर चढ़ाने पर अधिक से अधिक किलोमीटर तय करें।

अच्छी क्वालिटी को निगम के सम्भाग यांत्रिक अभियन्ता (टायर) प्रमाणित करते हैं।

(3) जी नहीं। मोदी टायर अच्छे टायरों की गणना में आते हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान नहर के प्रथम चरण से सिंचित भूमि

103. डा. नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर परियोजना का प्रथम चरण कितना पूरा हो चुका है तथा शेष कब तक पूरा हो सकेगा ?

(2) प्रथम चरण के अन्तर्गत अब तक बनी राजस्थान नहर से कितनी भूमि सिंचित की जा रही है और पूर्ण हो जाने पर कुल कितनी भूमि सिंचित करने की संभावना है ?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) राजस्थान नहर के 'प्रथम चरण' के अन्तर्गत बनी राजस्थान नहर से वर्ष 1977–78 में 2.94 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित की गई। प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने पर 110 प्रतिशत सिंचाई सघनता के आधार पर 5.36 लाख हैक्टेयर सिंचन योग्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने का अनुमान है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में हरिजनों पर अत्याचार के मामले

104. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में 22 जून, 1977 से अब तक हरिजनों पर अत्याचार के कोई मामले हुए हैं ? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। जिलेवार विवरण सूची 'अ' में संलग्न है।

(2) की गई कार्यवाही का विवरण सूची 'ब' में संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

राज्य में अपराध वृद्धि

105. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1975-76 से लेकर अब तक प्रति वर्ष राज्य में हत्यायें, चोरी, डकैती व बलात्कार के कितने कितने मामले हुए ? यदि कहीं वृद्धि व कमी हुई हो, तो उनका प्रतिशत क्या रहा ?

(2) उपरोक्त अपराधों को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाये गये और उनमें कहां तक सफलता मिली ?

(3) इसी समय में अन्य राज्यों की क्या स्थिति है और उनमें कमी व बेशी किस प्रतिशत में हुई ?

(4) भविष्य में इन अपराधों में और कमी हो, इसके लिये राज्य सरकार के पास क्या-क्या योजनायें हैं ? उन पर कब तक अमल होगा तथा उनके क्या क्या परिणाम होने की आशा है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1975 से वर्ष 1978 के माह जनवरी से माह अगस्त तक के हत्या, चोरी डकैती व बलात्कार के आंकड़े सूची में संलग्न है। कमी व वृद्धि का प्रतिशत भी अंकित है।

(2) इन अपराधों को रोकने हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं। इस वर्ष जो सफलता मिली उसकी सूची संलग्न है।

(3) अन्य राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(4) अपराधों की रोकथाम हेतु जयपुर नगर व राजस्थान के अन्य थानों में पुलिस कर्मचारियों की नफरी बढ़ाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। इन पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राज्य में अपराधों की संख्या

106. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जुलाई 1971 से मार्च 1978 तक राज्य में पचास हजार और इक्कीस अपराध दर्ज हुए ?

(श्री वंशीलाल सारस्वत)

(2) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में अपराधों की संख्या क्या थी ?

(3) क्या सन् 1970-71 की अपेक्षा राज्य में अपराधों की सं. में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संख्या में कमी लाने का क्या प्रयास कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर अपराधों की संख्या और जघन्यता में श्रीगंगानगर को भी पीछे छोड़ गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1975-76 में जुलाई से मार्च तक की संख्या 37595 है व वर्ष 1976-77 की इसी अवधि में 37075 अपराध दर्ज हुए।

(3) जी हां। अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु सभी प्रयास समय-समय पर किये जाते रहे हैं।

(4) दोनों जिलों की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण ऐसी अपराधिक तुलना करना उचित नहीं होगा।

राज्य में अपराधों की संख्या की रोकथाम की योजना

107. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य में अपराधों की संख्या बढ़ी है ? पिछले तीन वर्षों के अपराधों की तुलनात्मक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन अपराधों की रोकथाम के लिये राज्य के महानिरीक्षक पुलिस ने राज्य सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न है।

(2) जी हां। अपराधों की रोकथाम के लिए जयपुर शहर में पुनर्गठन की योजना एवं राजस्थान के थानों में नफरी बढ़ाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में 1970 से 1978 तक लूट, डकैतियां, हत्यायें एवं बलात्कार के अपराध

108. श्री समर्थलाल (राजगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् 1970 से 1978 तक राज्य में डकैतियां, लूट, चोरियां, छुरेबाजी, बलात्कार व हत्याएं कितनी हुई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

Page No 35

(35)

केन्द्रीय कारागृह कोटा में किराये पर लिया गया फर्नीचर

109. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जून 1975 से मार्च 1977 तक केन्द्रीय कारागृह, कोटा में कुर्सी, टेबल, तख्ते तथा अन्य कोई सामान किराये पर लिया गया था ? यदि हां, तो क्या क्या सामान, किस दर से, कब से कब तक किराये पर लिया गया ? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान किन-किन दुकानों या संस्थाओं से किराये पर लिया गया था ? मय फर्म का नाम व पतों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त सामान के किराये के रूप में कितनी धनराशि किस फर्म को कब चुकाई ? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जून, 75 से 31-12-76 तक की अवधि में समय समय पर आवश्यकतानुसार जिला कारागृह कोटा में राजनैतिक बंदियों के लिए पलंग, हार्ड बैड (तख्ता), कुर्सियां, टेबल, कढ़ाई, पल्टा, भगोने, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे, झारे व बाल्टियां विभिन्न दरों से किराये पर ली गयी थीं, जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त वस्तुएं निम्न लिखित संस्थानों से किराये पर ली गयी थीं:—

(1) मैसर्स कालूराम रामनारायण, रामपुरा कोटा।

2) मैसर्स याकूब खां, सिलाई मशीन रेक्स वाला, रामपुरा, कोटा।

3) पंचायती जैन वार्डरान, कोटा।

4) मैसर्स खालसा टेन्ट हाउस, गुमानपुरा, कोटा।

5) मैसर्स शर्मा टेन्ट हाउस, कोटा।

(3) निम्नलिखित संस्थानों को किराये के रूप में 23,114.20 पैसा चुकाया गया है:—

नाम संस्थान 1	किराये की राशि 2	भुगतान की तिथि 3
1. मैसर्स कालूराम रामनारायण, रामपुरा, कोटा	240.00	19-1-77
2 मैसर्स याकूब खां	32.25	21-4-78
3. मैसर्स पंचायती वार्डरान	50.25	22-4-76
4. मैसर्स खालसा टेन्ट हाउस	2639.72	14-7-77
5. मैसर्स शर्मा टेन्ट हाउस	20151.98	13-7-77
योग :—	23114.20	

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

Page No 36

(36)

थाना गुमानपुरा (कोटा) में दर्ज चोरी के मामले

111. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला कोटा के अन्तर्गत थाना गुमानपुरा कोटा में मई, 76 से अक्टूबर, 76 तक चोरी के मामलों की रपट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन व्यक्तियों द्वारा रपट दर्ज कराई गई तथा क्या क्या सामान, जेवरात आदि चोरी जाना बताया गया है ? विवरण सहित जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त अवधि में श्री सत्यनारायण गुप्ता एडवोकेट एवं श्री अभिमन्यु सिंह के घर भी चोरी होने की रपट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो क्या यह चोरियां बरामद की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या श्री सत्यनारायण गुप्ता एडवोकेट, कोटा द्वारा उक्त चोरी की किसी दूसरे पुलिस अधिकारी से तफतीश कराने के लिए आवेदन-पत्र द्वारा मांग की गई थी ? यदि हां, तो उसे किस पुलिस अधिकारी को किस किस आदेश से तफतीश हेतु तैनात किया गया था ? आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) जी हां, सूचना संलग्न है ?

(2) जी हां, श्री सत्यनारायण गुप्ता की चोरी बरामद नहीं हुई है। श्री केशवसिंह पिता अभिमन्युसिंह की चोरी बरामद कर ली गई है।

(3) जी हां। श्री कृष्ण गोपाल सी. आई. को हस्ब आदेश उप पुलिस-अधीक्षक सिटी ईस्ट कोटा के आदेश संख्या 5494 दिनांक 24-5-76 द्वारा तथा श्री शिवराज सिंह पुलिस उप निरीक्षक कोटा को पुलिस अधीक्षक कोटा के आदेश से तैनात किया गया था। आदेशों की प्रतिलिपि उपलब्ध न हो सकने के कारण संलग्न करने में असमर्थता है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

एम. बी. सी. खैरवाड़ा में एच. सी. के रिक्त पद

112. श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खेरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एम. बी. सी. खैरवाड़ा में एच. सी. के रिक्त स्थानों की संख्या जनवरी 1970 से 1978 तक कितनी रही ?

(2) क्या एच. सी., हैड कांस्टेबलों के रिक्त स्थानों की पूर्ति एम. बी. सी. से पदोन्नति द्वारा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या एच. सी., हैड कांस्टेबलों की पदोन्नति कम्पनी कमाण्डर के लिये एम. बी. सी. से ही की गई ? यदि हां, तो कितने रिक्त स्थानों की ? यदि एम. बी. सी. से नहीं की गई, तो क्यों ?

(4) क्या एम. बी. सी. में कार्यरत अधिकारी एच. सी. के पदोन्नति हेतु शैक्षणिक एवं शारीरिक अयोग्यता रखते हैं ? यदि नहीं, तो एम. बी. सी. से पदोन्नति क्यों नहीं की जाती ?

(श्री सूर्यप्रकाश डोडा)

(5) क्या यह सही है कि बाहर से कर्मचारी के आने से एम. बी. सी. के मुलाजिमानों को प्रमोशन का कोई अवसर नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) खेरवाड़ा तहसील के नये व्यक्तियों की जनवरी, 1970 से आज तक कितने नये स्थानों पर भर्ती की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या इन नियमों का यूनिट पूर्णरूप से पालन कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उल्लंघन करने के आदेश राज्य सरकार ने दे रखे हैं ? यूनिट की नियमावली सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) क्या वर्तमान राज्य सरकार पूरी यूनिट पूर्व के समयानुसार पुनः स्थापित करने की योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या एम. बी. सी. के मुलाजिमानों का प्रमोशन व्यवस्थित ढंग से चल रहा है ? यदि हां, तो 1970 से 78 तक कितने मुलाजिमानों के किन किन पदों पर प्रमोशन हुए ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1970 से अब तक 44 स्थान रिक्त हुए।

(2) 44 में 35 स्थानों की पूर्ति एम. बी. सी. के अधिकारियों को पदोन्नति देकर की गई। शेष 9 पद स्थानान्तरण द्वारा भरे गये। नियमों के अनुसार अन्य जिलों के ए. पी. के. एच. सी. का स्थानान्तरण एम. बी. सी. में किया जा सकता है।

(3) जी नहीं, हैड कांस्टेबलों के पद से नियमानुसार सीधी पदोन्नति कम्पनी कमाण्डर के पद पर नहीं की जा सकती।

(4) जी नहीं, पदोन्नति हेतु हैड कांस्टेबल के पद पर नियमानुसार एम.बी.सी. के ही कांस्टेबलों की परीक्षा ली जाती है। जो योग्य पाये जाते हैं उनकी पदोन्नति की जाती है।

(5) जी नहीं।

(6) सूची संलग्न है।

(7) जी हां, नियमों का उल्लंघन करने के आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। भर्ती यूनिट की कोई पृथक् नियमावली नहीं है। अतः पेश करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(8) जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था उपयुक्त है व इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(9) जी हां, सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

भरतपुर एवं अलवर जिलों में अपराधों में वृद्धि

113. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के भरतपुर और अलवर जिलों में इस वर्ष अपराधों की संख्या बढ़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) इन जिलों के पिछले तीन वर्षों के अपराधों के आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अपराधों की संख्या बढ़ी है तथा जिला अलवर में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 1978 में अपराधों की कमी हुई है। अपराधों की संख्या बढ़ने का कारण जन-संख्या में वृद्धि होना एवं आपातकालीन स्थिति हटने के बाद आम आदमी द्वारा निर्भीकतापूर्वक पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज करांना है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

उदयपुर जिले में अपराध वृद्धि एवं रोकथाम

114. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1977–78 में कितनी चोरियां, हत्यायें हुई तथा कहां कहां हुई ? उनमें से कितनी चोरियों तथा हत्याओं का पता पुलिस ने लगा लिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने जिला-पुलिस अधीक्षकों को कारें देने का विचार किया है क्योंकि जीपों से चोरों का पीछा करना संभव नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस थाने में सिपाहियों की न्यून संख्या के स्थान पर अधिक संख्या बढ़ाने का विचार किया है ?

(4) क्या थाना केलवाड़ा (उदयपुर) की पक्की इमारत बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

पंचायत समिति सांचौर में प्राथमिक शालाएं

115. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र, सांचौर में इस सत्र में सिर्फ एक प्राथमिक पाठशाला ग्राम लाछडी में ही राज्य सरकार द्वारा खोली गई है, जब कि प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की मांग कई स्थानों पर की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र, जो अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में आया हुआ है, में कई स्थानों पर स्कूल भवन एवं शिक्षक के लिये भवन, ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध करवाने के बावजूद भी अभी तक प्राथमिक पाठशालायें

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

नहीं खोली गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां-कहां पर खोली गई हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में गांव की सरहद ज्यादा क्षेत्र में होने के कारण गांव को आबादी एक ही स्थान पर नहीं बसी हुई है, परन्तु कई स्थानों पर बिखरी हुई है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार जहां ग्रामवासी प्राथमिक पाठशाला भवन उपलब्ध करायें, व कम से कम 25 लड़के उपलब्ध हों वहां, प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लेना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार रेगिस्तानी व अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशाला खोलने की वर्तमान नीति में संशोधन करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक क्या नीति अपनाई जावेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से राजस्थान में लागू करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा में कोई सुधार लाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि पिछले दो सालों में पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में लड़कियों की कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कहां पर खोली गई है ?

(7) ग्रामों में लड़कियों की शिक्षा प्रसार के लिये राज्य सरकार भविष्य में कब तक क्या-क्या कदम उठाना चाहेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में इस सत्र में सिर्फ एक प्राथमिक पाठशाला ग्राम लाछड़ी में खोली गई है। इस ग्राम के अलावा ग्राम सिलोलन वुहावा, वक्सई, बालबा?ी, तथा सायरकासाटा में भी प्राथमिक शालाएं खोली गई हैं।

(2) शाला व शिक्षक भवन जन सहयोग से व निर्माण के आधार पर स्कूल खोलने के मानदण्ड बनाने पर भविष्य में विचार किया जावेगा। पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में जहां पाठशालायें खोली गई जो प्रश्न (1) के उत्तर में बता दिया गया है।

(3) इस बारे में भविष्य में मापदण्ड बनाते समय राज्य सरकार विचार करेगी।

(4) भविष्य में मानदण्ड बनाते समय सुझावों पर विचार किया जावेगा।

(5) राज्य सरकार सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा के लिये कटिबद्ध है। इसकी योजना बनाई जा रही है तथा राष्ट्र स्तर पर इसका विचार किया जा रहा है।

(6) सामान्यतया छात्राओं के लिए अलग से प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाते हैं अत: पंचायत समिति क्षेत्र में पिछले दो सालों में लड़कियों की कोई प्राथमिक शाला अलग से नहीं खोली गई है।

(7) ग्रामों में लड़कियों की शिक्षा प्रसार के लिये निम्न योजनाएं विचाराधीन हैं:—

1. ग्रामीण छात्राओं की उपस्थिति को प्रोत्साहन।

(शिक्षा मंत्री)

2. ग्रामीण छात्राओं के लिए छात्रावास।

3. अध्यापक आवास गृह।

4. छात्राओं व अध्यापिकाओं के लिए आवागमन की सुविधाएं।

5. शिशु क्रीड़ा केन्द्र।

6. कन्याओं के लिए अधिक संख्या में अध्यापिकाओं की नियुक्ति।

राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति

116. श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पति-पत्नी, जो सरकारी कर्मचारी हों, का स्थानान्तरण एक ही स्थान पर करने के आदेश जारी किये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के अनुसार एक ही विभाग में कार्यरत पति-पत्नी का स्थानान्तरण एक स्थान पर हो सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत पति-पत्नी का एक स्थान पर स्थानान्तरण हो सकता है ? क्या स्थानान्तरण नीति में सिर्फ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का ही स्थानान्तरण एक स्थान पर करने का प्रावधान रखा गया है ? क्या यह सही है कि अलग अलग विभाग में कार्यरत पति-पत्नी का स्थानान्तरण एक स्थान पर नहीं हो सकता तथा या तो पति को या पत्नी को नौकरी छोड़ देनी पड़ती है ?

(4) श्रीमती कमला अग्रवाल का स्थानान्तरण उदयपुर डी. आई. जी. एस. में किया है उसमें उन्होंने किस नीति को काम में लेकर स्थानान्तरण किया है ?

(5) क्या यह सही है कि श्रीमती विमला शर्मा, डी. डी. वूमन, शिक्षा विभाग उदयपुर द्वारा जिला स्थानान्तरण में सिर्फ शिक्षा विभाग कर्मचारियों की पत्नियों का ही स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की नवीन स्थानान्तरण नीति क्रमांक बी. क. दिनांक 15–6–78 के अनुसार पति-पत्नी को एक स्थान पर रखने के नियम की उन्होंने पालना की है ? यदि हां, तो यह कहां तक सही है कि सिर्फ शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अन्य विभाग के कर्मचारी लाभान्वित नहीं हो सकते ?

(6) श्रीमती शारदा उपाध्याय, स. अ., उ. प्रा. वि., भीलूड़ा जिला डूंगरपुर में 4 वर्षों से कार्यरत हैं, और उनके पति उदयपुर बैंक में कार्यरत हैं। कई बार निवेदन करने पर भी उनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या ये अलग-अलग विभाग के हैं इसलिये उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। यथा संभव एक ही स्थान पर रखने के प्रयत्न किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। विभिन्न विभागों में कार्यरत पति-पत्नियों को राज्य सरकार के आदेशानुसार एक स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) जी हां। शिक्षा विभाग में कार्यरत पति-पत्नी को एक स्थान पर रखने का प्रावधान है और इसके अनुसार आवश्यकता हो तो पद भी स्थानान्तरण से रिक्त कराया जा सकता है परन्तु पति-पत्नी को कहां स्थानान्तरित किया जावेगा इसका निश्चय सक्षम अधिकारी करेगा। अलग अलग विभाग में कार्यरत पति-पत्नी का स्थानान्तरण पदों की उपलब्धि एवं राज्य सरकार की सामान्य नीति के अनुसार हो सकता है। इस कारण से पति-पत्नी को नौकरी छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) श्रीमती कमला अग्रवाल स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ही उप जिला शिक्षा अधिकारी बनाई गई हैं।

(5) जी हां। श्रीमती बिमला शर्मा, उप निदेशक (महिला) उदयपुर ने स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के पति-पत्नी को एक ही स्थान पर रखने हेतु स्थानान्तरण किये हैं। इस प्रश्न के भाग–2 का उत्तर प्रश्न (3) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(6) श्रीमती शारदा उपाध्याय के पति राज्य सेवा में नहीं है, अतः यह प्रकरण स्थानान्तरण नीति में नहीं आता।

राष्ट्रीय सैन्य कालेज देहरादून में राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति

117. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून में प्रवेश पाने वाले दो छात्रों को 1800 रु. प्रति वर्ष के हिसाब से छात्रवृत्ति देती है ? अगर हां, तो अब तक जिन-जिन छात्रों को राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दी गई उनकी पूर्ण सूची मय उनके पूर्ण पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में किसी राजस्थानी छात्र को प्रवेश मिला है परन्तु उसे अभी तक छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त कॉलेज में प्रवेश पाने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को बढ़ाने का इरादा रखती है ? क्योंकि अन्य राज्य 6000/– रु. प्रति वर्ष तक अपने प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है ? क्या उक्त छात्रवृत्ति राज्य सरकार ने 1956 में तय की थी, इस लम्बे समय के पश्चात जब कि शिक्षण खर्च काफी बढ़ गया है बढ़ाना राज्य सरकार उचित समझती है ? अगर हां, तो इस बिन्दु पर निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, दिनांक 20–1–78 से आरम्भ होने वाले सत्र के लिए दो छात्रों सर्व श्री करन दीक्षित व विवेक करनावट को चयन किया गया है। इन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने संबंधी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(3) राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में प्रवेश पाने वाले राजस्थानी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति दरों में सन् 1975 से राजस्थान सरकार ने 1200 रु. से बढ़ा कर 1800) रु. प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की है। वर्तमान में छात्रवृत्ति दरों में वृद्धि करने के कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

आबू पर्वत पर भवन निर्माण

118. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबू पर्वत पर कुल कितने भवन 1965 के बाद बने ?

(2) सरकारी व गैर सरकारी कितने बने ?

(3) इन भवन निर्माताओं को जमीन किस दर से दी गई ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) आबू पर्वत पर 1965 के पश्चात् 161 भवनों का निर्माण हुआ है।

(2) इसमें 11 भवन सरकारी एवं 150 भवन गैर सरकारी हैं।

(3) वांछित सूची संलग्न है। जो भू-खण्ड आवंटन अथवा नीलामी से पालिका द्वारा दिये गये हैं उनकी दर सूची में अंकित कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पोलीटेक्निक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी

120. श्री जीतमल जैन (अलवर) :— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत पोलीटेक्निक संस्थानों में चलने वाले एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में आरम्भ से अब तक कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर चुके हैं ? उनका वर्षवार व पाठ्यक्रम विवरण क्या है ? सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार अब तक इन पाठ्यक्रमों पर कुल कितनी धन राशि व्यय कर चुकी है ? वर्षवार पाठ्यक्रम, वर्षवार प्रति छात्र व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार उक्त व्यय एवं व्यवस्था से संतुष्ट है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) एकवर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजना-भिन्न स्कीम के अन्तर्गत है:—

1. रेफ्रीजरेशन एवं एयर कण्डिशनिंग
2. बिल्डिंग टैक्नोलोजी एण्ड वेल्यूएशन
3. ग्राउण्ड वाटर इंजीनियरिंग

(शिक्षा मंत्री)

अतः कुल व्यय धनराशि की सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है। प्रति छात्र औसत 3000) तीन हजार रुपये प्रति वर्ष व्यय होता है।

निम्नांकित दो पाठ्यक्रमों पर प्रति छात्र व्यय निम्न प्रकार है:–

(1) मशीन टूल टेक्नोलोजी:–

वर्ष	धनराशि	प्रति छात्र व्यय
74–75	0.58 लाख	5800)
75–76	0.48 ,,	6900)
76–77	0.68 ,,	5300)
77–78	0.76 ,,	8400)

(2) ट्रैफिक एवं ट्रान्सपोर्ट:–

वर्ष	धनराशि	प्रति छात्र
77–78	0.59 लाख	2400)

(3) रेफ्रीजरेशन एवं एयर कण्डिशनिंग तथा बिल्डिंग टेक्नोलोजी एवं वेल्यूएशन एक वर्षीय पाठ्यक्रम, जो क्रमशः पोलीटेक्निक अजमेर एवं अलवर में चलाये जा रहे थे, में प्रवेश की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सत्र 1978–79 में दोनों पाठ्यक्रम हेतान पोलीटेक्निक जयपुर में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं तथा वर्तमान सत्र मे प्रवेश की स्थिति निम्न प्रकार है:–

1.	बिल्डिंग एवं वेल्यूएशन	12
2.	रेफ्रीजरेशन एवं एयर कण्डिशनिंग	13

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शालाओं की व्यवस्था

121. **श्री काशीनाथ गुप्त** (कुम्हेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिन क्षेत्रों में पिछले पांच-पांच वर्षों से बाढ़ आ रही है और तीन–तीन, चार–चार महीने तक बाढ़ के भरे पानी में होकर लोगों को आना–जाना पड़ता है, क्या उन ग्रामों में प्राथमिक शालाएं या उच्च प्राथमिक शालाएं खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी जिससे इस देवी प्रकोप के कारण वहां के बालक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें? यदि हां, तो कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र के धनवाड़ा, पारि तथा करउआ ग्रामों, जहां के लिए चार–चार फीट पानी में होकर तीन–चार महीने तक आना-जाना पड़ता है, की प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करेगी एवं किशनपुरा, रुंध मरावली आदि ग्रामों में प्राथमिक शाला इसी सत्र से खोलेगी?

उत्तर

जी हां। इस प्रकार के ग्रामों में प्राथमिक शालायें या उच्च प्राथमिक शालायें खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी। धनवाड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया है।

नये महाविद्यालय खोलने के मापदण्ड

122. **श्रीमती श्यामा कुमारी संगर** (कपासन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में नये स्थान पर महाविद्यालय खोलने का क्या मापदण्ड है? क्या

(४५)

(श्रीमती श्यामा कुमारी सैंगर)

कपासन उस मापदण्ड में पूरा उतरता है या नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि कपासन में कुछ वर्ष पूर्व एस.टी.सी. ट्रेनिंग सैन्टर चलता था और किन्हीं राजनैतिक कारणों से वह बांसवाड़ा चला गया और वह भवन आज भी खाली है, जिसमें एक अच्छा कालेज चल सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष कपासन के छात्रों ने महाविद्यालय की आवाज उठाई थी और हड़ताल भी की थी और मंत्री जी ने आने वाले वर्ष में कालेज खोलने का आश्वासन दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि कपासन के आस-पास 17 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनके द्वारा कालेज भली प्रकार फीड किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नये स्थान पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। सन् 1969–70 में निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड बनाये गये थे:–

1. यदि किसी क्षेत्र की 30 मील की परिधि (रेडियस) में कोई राजकीय या अराजकीय महाविद्यालय हो और जिसमें छात्रसंख्या 450 से कम हो तो उस परिधि में कोई दूसरा महाविद्यालय न खोला जाये।

2. कम से कम उस क्षेत्र (25 मील की परिधि) में 4 हायर सैकण्डरी स्कूल हों जिसके छात्र उस महाविद्यालय में अध्ययन कर सकें।

3. प्रथम वर्ष में कम से कम 120 विद्यार्थी एक संकाय में प्रवेश लें।

4. यदि तीन वर्ष में उस महाविद्यालय में 200 छात्र नहीं होते हैं तो उस महाविद्यालय को बन्द कर दिया जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस वर्ष यह निर्णय लिया था कि अगले पांच वर्षों में नये महाविद्यालय न खोले जायें क्योंकि लगभग 50 प्रतिशत महाविद्यालयों में न्यूनतम छात्र संख्या 450 से कम है व भविष्य में नये महाविद्यालय खोलने से पहले उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाये।

(2) कपासन में पहले एक ट्रेनिंग स्कूल था किन्तु राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 1969 में 29 ट्रेनिंग स्कूल बन्द किये गये उनमें से यह भी एक था।

(3) कपासन में महाविद्यालय खोलने के लिए जनता की मांग अवश्य थी किन्तु किसी प्रकार के आश्वासन की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(4) कपासन के आस-पास में कपासन, राशमी तथा रेलमगरा में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इन तीनों उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 169, 29, 73 थी। कपासन के आस-पास नाथद्वारा एवं चित्तौड़गढ़ में भी महाविद्यालय है।

एम. बी. एम. कालेज, जोधपुर में प्रवेश में अनियमितताएं

123. श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सी. टी. ई. कालेज, उदयपुर के तृतीय वर्ष (डिप्लोमा) उत्तीर्ण छात्र हेतु एम. बी. एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर में स्थान के आरक्षण का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो 6 छात्रों को कब प्रवेश मिलेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि एम. बी. एम. कालेज, जोधपुर में प्रवेश हेतु निम्न छात्रों ने प्रथम श्रेणी परीक्षा पास कर फार्म प्रस्तुत किये थे:–

1.	श्री रतनलाल भट्ट	65.7%	सी. टी. ई. कालेज उदयपुर
2.	श्री नरेन्द्रकुमार जैन	76.5%	,,
3.	श्री रामचन्द्र श्रीमाली	69%	,,
4.	श्री घनश्याम सोनी	64.3%	,

यदि हां, तो उपरोक्त चार छात्रों के लिये पक्षपात क्यों किया?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सौतेला व्यवहार कर अन्य पड़ौसी राज्यों के छात्रों को प्रवेश मिलता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि एम. बी. एम. कालेज, जोधपुर में प्रत्येक वर्ष 25 छात्रों के प्रवेश पाने का प्रावधान रखा गया है?

(5) क्या यह सही है कि फिलहाल तीन स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो कितनी भर्ती हो चुकी?

(6) क्या यह सही है कि श्री डी. एस. भण्डारी, इलेक्ट्रिकल रीडर तथा भर्ती सुपरवाइजर ने एम. बी. एम. कालेज में दादागिरी व अनियमितताएं की हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार जांच कर उनको निलम्बित करने या उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर में 6 सीटें माइनिंग विभाग में डिप्लोमा धारियों के लिए आरक्षित हैं। यह सीटें सी. टी. ए. ई. कालेज, उदयपुर के लिए आरक्षित नहीं हैं। ये प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर किये जाते हैं। इस वर्ष राजस्थान में माइनिंग के रिजल्ट अगस्त में निकलने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका।

(2) जी हां। इन छात्रों द्वारा डिप्लोमा उत्तीर्ण संबंधी सूचना विलम्ब से दिये जाने के कारण इनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जा सका।

(3) राज्य के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है परन्तु राज्य के छात्र उपलब्ध न होने पर अन्य राज्यों के उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

(4) जी हां। माइनिंग में 25 छात्रों के प्रवेश पाने का प्रावधान है। इनमें 6 डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां। कुल भर्ती 22 विद्यार्थियों की हुई है जिनमें छः डिप्लोमाधारी शामिल हैं।

(6) जी नहीं। जांच का प्रश्न नहीं उठता।

नगर सुधार न्यास, पाली की बैठकें

125. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली नगर सुधार न्यास की जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिये गये हैं ? उन बैठकों में विधायकों को कब-कब बुलाया गया है और नहीं बुलाया गया तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार की यह मंशा है कि जिन शहरों की आबादी एक लाख से कम है, वहां नगर सुधार न्यास नहीं रहेगा ? यदि हां, तो इस घोषणा को कब तक लागू किया जाएगा और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास पाली की केवल दो बैठकें दिनांक 7-4-77 व दिनांक 20-1-78 को हुईं। दोनों बैठकों में जो निर्णय लिये गये हैं उनकी प्रतिलिपि संलग्न है। बैठक दिनांक 7-4-77 में पाली से तत्कालीन विधायक श्री शंकरलाल उपस्थित थे। दिनांक 20-1-78 की बैठक में किसी विधायक महोदय को बुलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता चूंकि वे उस समय नगर विकास प्रन्यास पाली के सदस्य नहीं थे।

(2) राज्य सरकार की नीति के अनुसार भीलवाड़ा पाली, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, गंगानगर, भरतपुर, सीकर, ब्यावर व पुष्कर के नगर विकास न्यास दिनांक 1-9-78 को भंग कर दिए गए हैं।

(निर्णय की प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री अब्दुल गफ्फार व श्री उम्मेदसिंह नीमाज को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुझे बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि द्वितीय राजस्थान विधान सभा में फतहपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए श्री अब्दुल गफ्फार का निधन हो गया है।

श्री गफ्फार ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। आप प्रारंभ से ही एक सच्चे कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते थे। आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था। आपका जीवन बहुत सादगीपूर्ण था वैसा ही आपका व्यवहार था। साथ ही मैं यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि 1957 में जिस निर्वाचन क्षेत्र से श्री गफ्फार चुन कर आये उस क्षेत्र से जीतने वाले और हारने वाले दोनों की ही जमानत जब्त हो गई। शायद देश में यह पहली घटना होगी जो जीते उसकी भी जमानत जब्त और हारे उसकी जमानत भी जब्त।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जोधपुर में एच. के. व्यास के समय भी ऐसा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह शायद इसके बाद हुआ होगा।

उनके निधन से हमें काफी गहरा शोक है। उनकी आत्मा की शांति के लिये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार को इस सदन की तरफ से सद्भावना और संवेदना अर्पित करता हूं।

साथ ही राजस्थान विधान सभा में सन् 1952 में निर्वाचित श्री उम्मेदसिंह नीमाज का भी देहावसान हो गया। वे भी एक बहुत ही सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। इस सदन में मैंने उनको अच्छी तरह से देखा है। जिस प्रकार की सादगी और बोलचाल में मिठास उस व्यक्ति में था वह वास्तव में अनुकरणीय है। उनके निधन से भी हमें गहरा शोक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस आघात को सहने की शक्ति प्रदान करें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने हमारे सदन के दो भूतपूर्व दिवंगत सदस्यों के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से समर्थन करता हूं तथा उनकी भावनाओं के साथ हमारी भावनाएं भी सम्मिलित करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री गफ्फार मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पास से ही निर्वाचित हुए थे। वे बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। उस इलाके में वे बहुत लोकप्रिय हुए। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 1957 से 1962 तक इस सदन के सदस्य रहते हुए उन्होंने लोगों की पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। उनके चुनाव लड़ने का अपना अलग ही तरीका था। उनका इतना अच्छा व्यवहार था कि उनके सम्पर्क में जो भी आया उसने उनकी प्रशंसा की।

इसी प्रकार से श्री उम्मेदसिंह जी नीमाज को मैं व्यक्तिगत तौर से तो नहीं जानता, लेकिन जो भी सुना है उससे लगता है, वह बहुत ही भले और सज्जन व्यक्ति थे। मैं मेरी ओर से और अपने दल की ओर से सदन के माननीय नेता की भावनाओं के साथ संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : श्री अब्दुल गफ्फार और श्री उम्मेदसिंह नीमाज के बारे में सदन के नेता महोदय ने जो भावनाएं प्रकट की हैं उनके साथ दोनों ही दिवंगत सदस्यों की आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय द्वारा श्री गफ्फार और श्री उम्मेद सिंह जी के बारे में जो शोक प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सदन की भावनाओं के साथ मैं अपनी भावनाओं को जोड़ता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय भूतपूर्व सदस्य

(श्री प्रद्योतसिंह मकासर)

श्री उम्मेदसिंह नीमाज और श्री अब्दुल गफ्फार खां का निधन हुआ है। श्री अब्दुल गफ्फार खां सन् 1957 में विधान सभा के सदस्य थे। उस समय उनके साथ मुझे भी रहने का मौका मिला था। वह अत्यन्त सीधे-सादे और नेक व्यक्ति थे। उनकी याद आज भी जब उस क्षेत्र में जाता हूं तो आती है। उनकी बातचीत और उनका व्यवहार प्रभावित करता था। स्वाभाविक बात है कि उनके निधन से उनके परिवार और उनके मित्रों और परिचितों को दुःख हुआ।

मैं अपने दल की तरफ से और अपनी ओर से उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। दोनों दिवंगत सदस्यों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं यह कामना करता हूं कि उनके परिवारों को सांत्वना मिले।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने सदन के दो भूतपूर्व दिवंगत विधायकों श्री अब्दुल गफ्फार खां और श्री उम्मेद सिंह जी के बारे में शोक प्रस्ताव रखा है। श्री अब्दुल गफ्फार खां और श्री उम्मेदसिंह जी के साथ रहने का मुझे मौका नहीं पड़ा है लेकिन आपके वे साथ रहे हैं। उन्होंने देश के लिए कुछ किया है इसी के कारण आज उनके नहीं होते हुए भी उनका नाम राजस्थान और इस देश में जीवित है। उनके नहीं रहने से राजस्थान को क्षति हुई है। मैं कामना करता हूं कि उनके परिवारों को दुःख सहन करने की शक्ति मिले। मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता ने व माननीय सदस्यों ने श्री अब्दुल गफ्फार खां और ठाकुर उम्मेदसिंह नीमाज के निधन पर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। इन भावनाओं के साथ में मैं अपनी भावनाएं भी सम्मिलित करता हूं। दोनों दिवंगत महानुभाव लोकप्रिय और परम सज्जन थे। उनकी आत्मा की चिर-शान्ति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

मैं उनके परिवारों के प्रति हार्दिक सम्वेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। सदन से निवेदन करता हूं कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की व उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय देंगे। क्योंकि मेरे विषय में भी प्रस्ताव आने वाला है इसलिये वही आकर व्यवस्था देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपके विषय का सवाल नहीं है।

(12.15 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मथुरा दास माथुर : अब तो वह आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी है।

(श्री उपाध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री रामकरण सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटपूतली तहसील में औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के क्रम में पूर्व में अवाप्त किये गये कुछ खसरा नम्बरों को छोड़ कर मालियों की जमीन अवाप्त करने के विषय में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थाओं में चुनाव न करवाये जाकर प्रशासकों की नियुक्ति किये जाने के विषय में।

(3) सर्व श्री वृद्धिचन्द्र जैन, अब्दुल हादी व गंगाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से बाड़मेर जिले में वर्षा के अभाव में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इस विषय में।

(4) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से पाली तहसील के कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध न होने के विषय में।

(5) श्री मांगीलाल, सदस्य विधान सभा की ओर से जायल क्षेत्र में बिजली की उपलब्धि में अनियमितता के विषय में।

(6) सर्व श्री माधोसिंह व रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से तहसील रेवदर जिला सिरोही व तहसील भीनमाल जिला जालोर में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति शिथिल होने के विषय में।

(7) श्री रणमल सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से जिला सीकर के विकास खण्ड, खन्डेला एवं पीपराली में लगाई गई कुछ पाबन्दियों के कारण भूमि विकास बैंक से ऋण उपलब्ध न होने के विषय में।

(8) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य विधान सभा की ओर से मेहता कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद भी पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं, इस विषय में।

(9) सर्वश्री रामरघुनाथ, अब्दुल अजीज, सुमित्रासिंह व जेठमल बरड़, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 7 अक्टूबर को जिला नागौर के ग्राम बड़ापुरा के एक व्यक्ति पर पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला करने के विषय में।

(10) श्री मथुरादास माथुर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य होटल निगम के कुछ कर्मचारियों को, जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, सेवामुक्त करने के विषय में।

(11) सर्वश्री रामदेव सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में अपहरण, डकैती व अन्य अपराधों में वृद्धि होने की घटनाओं के विषय में।

(12) श्री जगतार सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से टोंक कस्बे में छात्रों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा रहा है। इनमें से जिन प्रस्तावों का सम्बन्ध कानून और

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था की स्थिति से है, उनके विषय में माननीय सदस्य दि. 12 अक्टूबर को होने वाली बहस के समय चर्चा उठा सकते हैं। मैं इन्हें अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : पाइन्ट आफ आर्डर····

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अगर व्यवस्था में नहीं लिया गया है तो आप चर्चा नहीं कर सकते। मैं उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री रामकरणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि तहसील कोटपूतली में औद्योगिक क्षेत्र हमारी जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जब विभाग के अधिकारी लोग मौके पर गये, मैं भी मौजूद था, गांव के कुछ वरिष्ठ व्यक्ति भी मौजूद थे, हमने उस जमीन को देखा। वह जमीन लेने की बात आई तो उन्होंने कहा कि यह तो दूर पड़ेगी, बच्चों को स्कूल वगैरह जाने की भी दिक्कत रहेगी। उसके बाद एक दूसरी जमीन एक सेठ, जो कलकत्ता में रहते हैं, की दिखलाई गई। उन्होंने वह जमीन वहां पर खरीद कर डाल रखी है। उसके अन्दर खेती भी नहीं हो रही है और मौके पर भी है। वह उनको बताई गई। अधिकारी लोग उससे सहमत भी हो गये। उस जमीन का खसरा नम्बर लेकर जिला अधिकारियों को दे दिया गया। उसके बाद दफा 4 का नोटिस भी दे दिया गया। उसके बाद में मन्त्री महोदय के पास और अधिकारियों के पास अप्रोच होने लगी। अब वह जमीन छोड़ी जा रही है। जिन आदमियों के पास तीन-तीन और चार-चार बीघा जमीन है जो उसमें फसल और सब्जी उगा कर अपना गुजारा करते हैं, अब उनकी जमीन ली जा रही है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप जानते हैं, आप भी एक किसान के घर में पैदा हुए हैं उन किसानों की क्या हालत होगी जिनके पास एक मात्र जीविका का साधन तीन-चार बीघा जमीन है। वहीं पर उन्होंने अपने रहने के लिए घर भी बना रखा है और सब्जी उगा कर, और फसल उगा कर वे अपना पेट पालन करते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आपने अन्त्योदय योजना चालू की है। गरीबी का अगर अन्त करना है तो वास्तव में इस प्रकार की जो भी दिक्कतें सामने आयें उनको आप व्यक्तिगत रूप से देखें। वह सेठ कलकत्ता में बैठा हुआ है, उसकी जमीन बेकार पड़ी हुई है उसको आप छोड़ते हैं और गरीबों की जमीन लेते हैं। मेरा निवेदन है कि आप जैसे किसान मुख्य मंत्री होते हुए छोटे किसानों की जमीन लेते हैं और उनको बेघर करते हैं तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस जमीन के खसरा नम्बर दिये जा चुके हैं, दफा 4 का नोटिस भी दिया जा चुका है उसके बाद में किन कारणों से यह किया जा रहा है और नये खसरों का नम्बर दिया जा रहा है? उन लोगों की दरखवास्तें मेरे पास भी आई हैं और आपके पास भी

(श्री रामकरण सिंह)

आई हैं। उन पर आप रहम कीजिए। वहां पर वे किसी प्रकार से अपना गुजारा कर रहे हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। राजस्थान में आज एक भी लोकतांत्रिक संस्था ऐसी नहीं है जिसके ऊपर राज्य सरकार ने प्रशासक नहीं बैठा रखा हो। राजस्थान के बनने के बाद यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, मान्यवर, राजस्थान सरकार ने एक भी लोकतांत्रिक संस्था को जनप्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रहने दिया। एक संस्था राजस्थान विधान सभा ही है जहां पर राजस्थान की तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इसके अलावा नीचे की तमाम चुनी हुई संस्थाओं को भंग करके उनके अन्दर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। आज राजस्थान की सभी 232 पंचायत समितियां, सभी जिला परिषदें प्रशासकों के अधीन कार्य कर रही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : और नगरपालिकाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभी 180 नगरपालिकाएं प्रशासकों के तहत काम कर रही हैं। तमाम सहकारी संस्थाएं, तमाम कृषि उपज मन्डियां प्रशासकों के तहत काम कर रही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, मान्यवर, एक भी लोकतांत्रिक संस्था ऐसी नहीं है जिसके अन्दर जनप्रतिनिधि बैठा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने पंचायतों के चुनाव करवाये। पंचायतों के चुनाव करवाने का, मान्यवर, कोई अर्थ नहीं रहा। आज ऐसी हालत है कि पंचायत समितियां काम नहीं कर सकतीं, ग्राम पंचायतों के ऊपर राजस्थान की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। उनका लोकतान्त्रिक स्वरूप नहीं रहा और आगे क्या स्वरूप होगा इस बारे में राजस्थान की सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। विधान सभा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पंचायतों के चुनाव होने के बाद वे तुरंत आगे के चुनाव करवायेंगे। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ गई, वह क्या है, सरकार ने उसकी सिफारिशों पर क्या निर्णय लिया है, इसके बारे में अभी तक इस सदन को कोई सूचना नहीं दी गई। मैं यह कहूंगा, मान्यवर, इस मामले में जो भी स्थिति हो उसको स्पष्ट किया जाय। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आये दो महीने हो गये लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से इस सदन को किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है।

मान्यवर, यह भी मामला है कि पंचायतों के चुनाव हुए 12 महीने होने जा रहे हैं, 8 महीने हो गये लेकिन उन ग्राम पंचायतों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। पंचायतों का इस प्रकार से संचालन किया जा रहा है जिस प्रकार से कि भेड़ों का संचालन किया जाता है। राजस्थान सरकार के मंत्री 24 घण्टे पहले सूचना देते हैं सरपंचों को इकट्ठा करने के लिए जिस प्रकार से पुराने जमाने में कामदार लोगों को इकट्ठा करने के लिए हुक्म देता था कि सरकार आ रहे हैं। एक गांव में माननीय सूर्यनारायण चौधरी पधारे थे, तमाम सरपंचों को लाया गया लेकिन वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं था कि कब चुनाव कराये जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि ग्राम पंचायतों का क्या स्वरूप रहेगा। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं

(श्री रामनारायण चौधरी)
में जनप्रतिनिधियों को चाहते हैं या नहीं ? उनका क्या स्वरूप रहेगा। मान्यवर, पंचायतों के चुनावों के बाद जो उम्मीद मुख्य मंत्री जी ने दिलाई थी वह उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि ग्राम पंचायतों के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी का दल, जनता पार्टी गांवों में बराबर पस्त हो रही है। राजस्थान की सी. आई. डी. और रेवेन्यू आफिसरों की मार्फत या स्वयं की एजेन्सी की मार्फत उन्होंने यह जानकारी करवा ली है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अन्दर अपने दल को जिता कर नहीं ला सकते।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल लायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अपने दल को बचाने के लिए और नेताओं की डांट नहीं खाए इसलिए वे चुनाव को टालना चाहते हैं और चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं।

यही हालत, मान्यवर, सहकारी संस्थाओं की है। उनका मेनेजमेन्ट बोर्ड भंग कर दिया गया। इस बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनका क्या स्वरूप होगा। पूरा का पूरा सहकारी विभाग एक सरकारी विभाग के रूप में काम कर रहा है जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसका उद्घाटन, मान्यवर, आपने किया था। उसमें पांच आदमी गैर सरकारी और अट्ठाइस सौ सरकारी कर्मचारी थे, केवल चार पांच आदमी दूसरे थे। राजस्थान के अन्दर सहकारी समितियों और पंचायत राज संस्थाओं, दोनों के ऊपर नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी हावी है। उनका जो जनतांत्रिक स्वरूप अब तक था वह स्वरूप नहीं रह गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है।

यही हालत, मान्यवर, नगरपालिकाओं की है। नगरपालिकाओं के जब चुनाव नहीं हुए, माननीय मुख्य मन्त्री जी जब विरोधी पक्ष में बैठते थे, 1972 तक तब आप बराबर यह शिकायत करते थे कि वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति हो रही है, उनका जनतांत्रिक स्वरूप खतम करके नौकरशाही के हाथ में उनका प्रशासन दे दिया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं में जो निर्वाचित प्रतिनिधि काम कर रहे थे उनको आपने एक आर्डिनेन्स के जरिये भंग कर दिया, यह कह कर कि उनके चुनाव इमर्जेन्सी में हुए और वहां पर प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। मान्यवर, शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन सहकारी जीवन और नगरीय जीवन चारों प्रकार का जीवन, सब जगहों पर राजस्थान की सरकार ने न केवल कुण्ठित कर रखा है बल्कि उसको नष्ट कर दिया है, नौकरशाही को हावी कर दिया है, सारा शासन नौकरशाही के हाथों में दे दिया है।

राजस्थान के किसानों की उपज के लिए सरकार ने कृषि विपणन बोर्ड बनाया था और उसके तहत कृषि उपज मण्डियों की स्थापना की थी। उनका स्वरूप भी लोकतांत्रिक है। सरपंच और सहकारी समितियों के सदस्य मिल कर कृषि उपज मण्डी समिति का संचालन करते हैं। जैसी कानून में व्यवस्था है तीन साल तक राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों का मनोनयन करके काम चलाती है। आज की राज्य सरकार ने तमाम मण्डियों का मैनेजमेंट, जो नामीनेटेड थे वे ही नहीं, बल्कि जो निर्वाचित थे उनको भी

(श्री रामनारायण चौधरी)

भंग कर दिया। मुख्य मंत्री जी, आप इस स्थिति को स्पष्ट करें कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में पंचायती राज आता है, सहकारी समितियां दूसरे स्वरूप में आती हैं, नगरपालिकाओं के रूप में नगरों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण है, इसमें आप क्या स्वरूप लाना चाहते हैं ? आप इस की जानकारी सदन को दें।

नवम्बर में आपने चुनाव कराने का इरादा बताया था, लेकिन जो गतिविधियां जनता पार्टी की चल रही हैं और जिस प्रकार के संकेत मुख्य मंत्री जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, संसद सदस्यों और विधायकों को दिए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि नवम्बर में नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो सकेंगे। पंचायत समितियों वगैरह के चुनाव आपने जनवरी तक करवाने की बात कही है। जनवरी, फरवरी में उनका चुनाव होना संभव नजर नहीं आता। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इस सारी स्थिति का स्पष्ट चित्र दें और राजस्थान की तीन करोड़ जनता, जिसका सम्बन्ध इस विधान सभा के बाद लोअर लेवल पर है, की जो चिन्ता है, उस चिन्ता का निवारण अपने वक्तव्य द्वारा करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। जो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस पर क्या सदन में डिस्कशन कराने का विचार सरकार रखती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने पंचायत समितियों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, सहकारी समितियों व कृषि उपज मंडियों के चुनाव के सम्बन्ध में चर्चा उठाई। सदन को जानकारी होगी कि जिस समय पंचायतों के चुनाव हुए, पिछले सत्र में माननीय सदस्यों ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराए जाने की मांग की थी, उस समय सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि भारत सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की है। उस समिति का प्रतिवेदन आने के पश्चात् पंचायत समितियों का स्वरूप कैसा होगा, जिला परिषदों का स्वरूप कैसा होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, उनके क्षेत्र में कौन कौन से काम होंगे, इन सब पर और अगली कार्यवाही के बारे में हम निर्णय लेंगे। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। राज्य सरकार ने भी इस पर विचार किया है। मेरी स्वयं की ऐसी इच्छा है कि इस रिपोर्ट पर सदन के माननीय सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाए कि पंचायत समितियों का क्या स्वरूप हो, जिला परिषदों का क्या हो। इसके साथ साथ हम अन्य राज्य सरकारों से भी सूचना प्राप्त कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर वे किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव टालने के पीछे यह नीयत या भावना नहीं है कि जनता पार्टी के सरपंच जीत कर नहीं आयेंगे। माननीय रामनारायणजी ने राजनैतिक कारणों से ऐसा कह दिया तो यह उनकी इच्छा की बात है। पूरा राजस्थान जानता है कि पंचायत के चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया...

कई माननीय सदस्य : गलत, गलत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। इन्होंने कहा कि जनता पार्टी का सफाया हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : हकीकत थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हकीकत तो दूसरी है, रामनारायणजी भी जानते हैं। सफाई की आवश्यकता नहीं। चुनाव आप जीतेंगे या हम जीतेंगे, यह जनता के हाथ की बात है ! जब चुनाव होंगे तो पता लग जायेगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। रामनारायणजी को पता है कि पिछले 13 वर्षों से पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। खुद पंचायत मंत्री थे उस समय लोकतंत्र जिंदा था ? तीन वर्ष की जगह 5 वर्ष, 5 वर्ष की जगह 7 वर्ष, 7 वर्ष की जगह 9 वर्ष, 9 वर्ष वर्ष से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 13 वर्ष हो गये…

(व्यवधान)

उस समय लोकतंत्र जिंदा था ? लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बहुत बढ़ रही थी ? 13 वर्ष तक चुनाव नहीं होने का परिणाम इमर्जेन्सी में निकला, उससे अंदाजा लगता है कि सरकार की प्रवृत्ति क्या थी ?

इसके अतिरिक्त माननीय माथुर साहब का वित्त विभाग से संबंध रहा है इसलिये वे मेरी बात का समर्थन करेंगे कि पिछली पंचायतों का 33 करोड़ रुपए का हिसाब अभी तक हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब ठीक कर रहे हैं। आपने हमारे लिये बेगार छोड़ी है, वह कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषदें काम करें वे क्लीन स्लेट से अपना काम प्रारम्भ करें। 33 करोड़ रुपये का हिसाब कहां गया, कौन ले गये ? यह थी सरकार के पंचायत राज की सबसे बड़ी उपलब्धि।

यहां नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई। नगरपालिकाओं के चुनाव में विलम्ब इसलिए हुआ कि राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया कि 18 वर्ष की आयु के लोग भी नगरपालिकाओं में मतदान करेंगे। वोटर्स लिस्ट में उन सब लोगों का नाम लिखा जाना चाहिये, यह आवश्यक है। हमने पहले विचार किया कि जो वोटर्स लिस्ट आम चुनावों के लिए होती है, उसी लिस्ट में यदि 18 वर्ष की आयु वालों के नाम भी लिख लिये जायं तो चुनाव जल्दी कराए जा सकते हैं लेकिन चुनाव कमीशन ने सुझाव दिया कि अलग से निर्वाचन सूचियां बनानी पड़ेंगी, उसमें कुछ समय लगेगा। लोकतन्त्र की तथाकथित हामी भूतपूर्व सरकार के हजारों आडिट पेराज पड़े हैं जिनका आज तक निपटारा नहीं किया गया है। उस सम्बन्ध में भी हम कार्यवाही कर रहे हैं ताकि कम से कम पुराने जो अकाउन्ट उनके गले में पड़े हुए हैं उनका तो किसी प्रकार से शुद्धीकरण हो जाए।

इन सारी स्थितियों के कारण ये चुनाव जो जल्दी होने चाहिये थे उनमें विलम्ब हुआ है। पंचायत समिति का क्या स्वरूप हो, जिला परिषद् का भी क्या स्वरूप हो, क्या अधिकार क्षेत्र हों, इस पर निर्णय कर सहकारी समितियों व कृषि उपज मण्डियों के चुनाव दिसम्बर, जनवरी व फरवरी, इन तीन महीनों में निश्चित रूप से राज्य सरकार कराने का विचार रखती है और करायेगी। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हम चुनाव अवाइड नहीं करना चाहते। जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। हार जीत किसकी होगी, यह तो चुनाव से पता लगेगा। मैं कह दूं, सब सीटें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम जीत जायेंगे और आप कह दें कि आप जीत जायेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यह तो चुनाव के समय पता लगेगा। आप जीतेंगे तो स्वागत है, हम जीतेंगे तो आप स्वागत करना। इसलिए माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन तीन महीनों के अन्दर सारी स्वायत्तशासी संस्थाओं के निश्चित रूप से चुनाव करा देंगे। इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है

श्री मथुरादास माथुर : आप सदन में जब यह घोषणा करते हैं कि दिसम्बर, जनवरी और फरवरी याने फरवरी से पहले पहले यह चुनाव करवाना चाहते हैं पंचायती राज के तो पंचायती राज की रूपरेखा अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्या हो, इस पर क्या राज्य सरकार कोई निर्णय लेकर गाइड पेपर इश्यू करके डिस्कशन करेगी या सदन में निर्णय लेने के बाद करेगी या इस नवम्बर में होने वाले सैशन में कर लेगी या आगे फिर सैशन में करेगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस संबंध में माथुर साहब ने जो बात कही है मैं भी कई दिनों से प्रयास कर रहा हूं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट छपी छपाई भारत सरकार से मिल जाये ताकि हम माननीय सदस्यों को डिस्ट्रिब्यूट कर दें, लेकिन मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली। आप चाहें तो मैं एक रिपोर्ट, जो मेरे पास है, आपको दे दूं। उस पर आप चर्चा कर लें। नवम्बर में चर्चा करने से निश्चित रूप से विलम्ब होगा, इसलिए मैंने कहा था कि यदि दल के अलग अलग सदस्य या जो सदस्य उसमें दिलचस्पी लेना चाहें वे बैठ कर उसके बारे में चर्चा कर लें। उसके बाद राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी और उसके आधार पर चुनाव करायेगी। मैं तो आपकी राय जानना चाहता था।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन था कि अगर राज्य सरकार इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करा ले या सेमिनार आयोजित कर ले अगर आपका कोई व्हाइट पेपर हो या निर्णय या थिंकिंग हो क्योंकि हमारी स्टेट की स्थिति बिल्कुल डिफरेन्ट है, हमारी पंचायतें और पंचायत समितियां हैं वह अशोक मेहता कमेटी के अनुसार कैसे एडजस्ट होंगी, मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार उस पर अपना माइन्ड बना ले और एक पेपर इश्यू कर दे। उस पर सदन में बहस हो जाये और फिर निर्णय ले लें। फिर कानून बन जायेगा। इससे गवर्नमेन्ट की थिंकिंग का पता लग जायेगा। आप इस पर सोचिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह उचित समझता था कि पहले आपकी राय जान लें, और फिर उस पर निर्णय कर लें।

श्री मदनसिंह दांता : श्री अशोक मेहता यहां पधारे थे। सदन के सभी सदस्यों को बुलाया था और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये थे। उनका विचार यही था कि पंचायत समितियां होनी चाहिए। अब यह सुना जाता है कि शायद पंचायत समितियां नहीं रह कर कुछ और ही रूप बनेगा। उस समय मैंने एक पत्र दिया था, उस पर अशोक मेहता जी बड़े नाराज भी हुए कि यह किस ने कह दिया कि पंचायत समितियां नहीं होंगी। उस समय सारे सदस्यों ने यह भी कहा था कि राजनैतिक आधार पर चुनाव लड़े जायेंगे। अब ऐसी

(श्री मदनसिंह दांता)
विपरीत बात आई है। मैं चाहता हूं कि पूरा स्पष्टीकरण होकर सदन में पूरे विचार व्यक्त होने चाहिए ताकि सारी स्थिति साफ हो जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसके पीछे यही भावना थी कि जो पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद्, सहकारी समितियां और कृषि उपज मण्डियों के चुनाव नहीं हो रहे हैं उससे हम यह देख रहे हैं कि पीछे के जो घोटाले हुए हैं उनका तो आप शुद्धीकरण कर दें, लेकिन काफी अर्सा होने से लोगों में निराशा छा रही है। वह चाहे किसी भी दल के लोग हों लेकिन इस दफा अमूमन पंचायतों में 90 पर्सेन्ट नया खून आया है तो उसको यूटीलाइज करना चाहिए। उनमें निराशा की भावना व्याप्त हो रही है। जल्दी चुनाव नहीं कराये, तो सारे काम ठप्प पड़े हैं। हमने बहुत लम्बा समय खो दिया है। 11 साल के करीब हो जायगा, यह बहुत बड़ा वक्त है। उनको हम यूटीलाइज कर सकते थे और राज्य के बहुत बड़े निर्माण कार्यों में जुट सकते थे। उसमें देरी हुई है। अब आगे देरी नहीं होनी चाहिए, यही मेरी मंशा थी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत संजीदगी के साथ अपनी सरकार की तरफ से राय दी। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। पंचायतों के अन्दर 30 या 32 करोड़ का घोटाला है उसको आप साफ करिये इसके लिए हमें एतराज नहीं है। मान्यवर, पंचायतों के बारे में आप जानते हैं कि बहुत कम शिक्षा प्राप्त किये हुए लोग उनमें आते है। उनसे वित्त संबंधी अनियमिततायें होना स्वाभाविक है। यह तो आप मानेंगे कि अनियमिततायें हुई हैं लेकिन 95 प्रतिशत लोग मन और भावना से ईमानदार रहे हैं और बेईमानी से दूर रहे हैं। जहां तक बेईमानी का सवाल है, मुख्य मंत्री जी, 13 साल तो हमने लगा दिये मैं उसमें रेपुडियेट करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि 12 साल बराबर यह चला था लेकिन एक बात बता दूं कि हमारा स्वरूप तो डेमोक्रेटिक था। हमने तहसीलदार और बी.डी.ओ. को नहीं बैठाया था। जनता के प्रतिनिधि थे। जनता के प्रतिनिधियों और उनमें अन्तर है। आपने जो भ्रष्टाचार की बात कही, मैं आज राजस्थान गवर्नमेन्ट की भ्रष्टाचार की बात नहीं करता लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आपके शेखावाटी में कहावत है, कमजोर की बहू होती है उसको सब भाभी कहते हैं। तो ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां कमजोर है और उनका लोकतांत्रिक स्वरूप कमजोर है। आप तो चुनाव करा दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप तो बस राजनैतिक आधार पर निर्णय नहीं लें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : घोटाले वाले गये। कोई नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोटाले वालों की सहानुभूति लेने के लिए रामनारायण जी अभी बोले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह इरादा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजनैतिक भेद-भाव के आधार पर नहीं कह रहा हूं। जो पुराने अकाउन्ट्स हैं उनका समायोजन हो जाये और किस में कितना बकाया है इसका पता लग जाये, कौन दोषी है, उस दोषी को क्या दण्ड दिया जा सकता है, यह सारी कार्यवाही आरम्भ हो जाये केवल इस दृष्टि-कोण से आपसे बात कही है। कोई सरपंचों को दोष देने की बात नहीं है। रामनारायण जी को पता होगा कि वह पंचायतों को 4 आना प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देते थे। अब राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि प्रति व्यक्ति 2।। रुपया अनुदान दिया जाये। . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो, हमें एत-राज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके साथ ही फूड फोर वर्क के लिए भी हमने पंचायतों को कहा है कि व्यक्तियों से विकास के काम लेना चाहें तो ले लें। पंचों और सरपंचों की ईमानदारी पर किस को सन्देह था इसका तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार ने फैसला किया है 5 हजार से कम काम के लिए किसी बी. डी. ओ. या इन्जीनियर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं भी नक्शा बना लें और स्वयं ही उचित समझें कि टेक्निकल पर्सन की ओपीनियन लेनी है तो वह भी ले लें और काम को पूरा करवा लें। इससे विश्वास हो जायेगा। पंचायतों की ईमानदारी पर सन्देह किया था तो भूतपूर्व सरकार ने किया था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत बढ़िया घोषणा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्य मंत्री जी कोई भी बात कहते हैं तो उसको टाल देते हैं। पिछली बार 2।। रुपये की घोषणा की लेकिन एक भी पंचायत को एक पैसा नहीं मिला, यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मिल गया। आप गांवों में नहीं जाते।

श्री जयकृष्ण शर्मा : पिछली साल पैसा नहीं मिला। इस साल 1। रुपया मिला और 1। रुपया 6 महीने बाद मिलेगा। यह घोषणा इस साल हुई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो 4 आना देते थे।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि 1। रुपया मिल चुका है और 1। रुपया मिलने वाला है। गांवों में विकास के काम शुरू हो गए। आपको मालूम ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप चार बार तो चुनावों में हार चुके।

श्री रतनलाल वर्मा : साल में 4 आना देते थे।

(व्यवधान)

सवा दे दिया है, सवा दिसम्बर में दे दिया जायेगा।

श्री मदन सिंह दांता : यह सच है। मैं अभी गांवों में गया। मैंने देखा कि पंचायतों को रुपया मिल रहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मुख्य मंत्री जी हमेशा टालना चाहते हैं। पंचायतों के मास्टर आज जनता पार्टी के बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : वह सजा पायेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यदि आप नामों को देखना चाहते हैं, घोटालों की लिस्ट देखना चाहते हैं, बड़े-बड़े पदों पर घोटाले मास्टर तो आपके यहां बैठे हुए हैं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कानसिंह आयोग...

(व्यवधान)

जेल जाने की तैयारी कर लो....

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बाड़मेर जिले में काफी गांवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है, उस बारे में रखा है। जून और जुलाई में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अच्छी वर्षा हुई थी। अच्छे आसार बन गये थे कि इस वर्ष अच्छा जमाना आयेगा, परन्तु 1½ महीने तक वर्षा नहीं आने के कारण काफी गांवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ गांवों में तो पानी के संकट का प्रश्न पैदा हो गया। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जो कुछ फसलें थीं उनकी भी तबाही हुई है। अब इस प्रकार की स्थिति है कि मेरा सम्बन्धित मंत्री जी से निवेदन है कि इस समय के अन्दर पूरी छानबीन करके कितने गांवों में अकाल की स्थिति है उन गांवों की गिरदावरी वगैरह करके उन्हें अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये। जो पुराने राजस्व की वसूली है और अन्य जो वसूलियां हैं वे अभी चल रही हैं। उनके कारण भी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है और जहां एक ही फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, उन क्षेत्रों में यह वसूली का काम नवम्बर से लेकर अप्रेल तक होना चाहिये। अप्रेल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर इनमें अगर वसूली होती है तो किसानों को बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है। किसानों को दूसरों से, महाजन से कर्ज लेकर वसूली की रकम देनी पड़ती है। उनकी स्थिति ऐसी खराब हो जाती है कि वे आगे उठ नहीं सकते। पहले साल में कुछ गांवों में अकाल था। पहले जो अकाल की स्थिति थी उसमें अधिकांश वही गांव हैं जहां अब अकाल पड़ा है। इसलिए इस अकाल की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को अभी से सतर्क होना चाहिये। कलेक्टर को आदेश दे देना चाहिये कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उसके बाद में अकालग्रस्त क्षेत्र की घोषणा की जाये। पहले जो अकालग्रस्त एरिया घोषित किया गया था उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की वसूली स्थगित की गई थी। महसूस हमने यह किया कि अकालग्रस्त क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अलावा भी जो वीकर सैक्शन हैं, जिनकी स्थिति खराब होती है, उनकी वसूली स्थगित नहीं किये जाने से और उनसे वसूली किये जाने से बड़ा असन्तोष होता है। हमारे समय में कभी भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। सारी वसूलियां स्थगित की जाती थीं क्योंकि सब पर संकट होता है। 1–2 साल से यह स्थिति पैदा हो गई है। मेरा यह निवेदन है कि केवल शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की न करके सभी की वसूली स्थगित की जानी चाहिये। सस्पैन्शन आफ प्रोसीडिंग्स एक्ट के तहत वसूली समाप्त की जानी चाहिये।

पानी के बारे में मैंने कल भी प्रकाश डाला था। जल प्रदाय योजना अच्छे ढंग से चालू की जाये और कुछ स्थानों पर पानी ट्रान्सपोर्ट से भेजने की व्यवस्था की जाये। बाड़मेर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति आपके ध्यान में लाया हूं इस सम्बन्ध में आप बतायें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव किस सम्बन्ध में है ?

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पानी का है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, श्री मूलचन्द जी डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरा सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री जी यहां है और जल प्रदाय मंत्री जी भी यहां हैं। पाली की रोहट पंचायत समिति में 40 गांव हैं जिनमें से आज 15 गांवों में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है।

मुख्य मंत्री जी जायं नहीं, बहुत बड़ा सवाल है।

सबसे पहली बात यह थी कि गांवों में जल प्रदूषण के कारण पानी पीने के लायक नहीं रहा। सारी फैक्ट्रियों का पानी आने के कारण कुओं में चला गया और कुओं का पानी पीने के लायक नहीं रहा। मैंने जो कुएं बताये हैं उनमें गांव भुटानी, पचपदरिया, लाम्बड़ा, रेवड़ा, डूंगरपुर, खांडी, सुनाई के हैं। आपके जितने अधिकारी हैं कलेक्टर, एस.डी.ओ., तहसीलदार, उनके पास मैं पहुंचा। मैं राहत मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा। कृपया सुनें। आप कृपया सुनें, राहत मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सुन रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी पार्टी की मीटिंग एक बजे तक चली...

श्री दाऊदयाल जोशी : पार्टी की हमें चिन्ता है।

श्री मूलचन्द डागा : आज पीने का पानी नहीं है। मैंने सब दरवाजे खटखटा दिये हैं। आप कोई योजना अगर चालू नहीं कर सकें तो आप कृपा करके ट्रांसपोर्ट के द्वारा टैंकर्स से लायें...

श्री महबूब अली (जल प्रदाय मंत्री) : पानी कब से नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : 30 साल से नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : 15 दिन से बरसात हुई, थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा किया गया था, काम चल गया। अब बिल्कुल पानी नहीं रहा। जो पानी कुओं में हैं वह फैक्ट्रियों के पानी के कारण, जल प्रदूषण के कारण पीने के लायक नहीं रहा। यह बड़ा मानवीय प्रश्न है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप सहयोग दीजिये। आप जांच करवा लें, जिन कुओं का नाम लिया है उनकी रिपोर्ट मंगा लें नहीं तो कलेक्टर से बात कर लें, राहत मंत्री जी और बात करने के बाद कुछ न कुछ व्यवस्था करें। उन गांवों में पानी नहीं पहुंचेगा तो मीलों दूर जाना पड़ेगा। लोग मीलों दूर जाने की स्थिति में नहीं है। मैं जब से सदन में आया हूं तब से बराबर कह रहा हूं . . .

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी बांकली गांव एक मील की परिधि में है, इसलिये माननीय डागा जी गलत बोल रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : एक मील की परिधि है ? मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, बांकली गांव तीन मील की दूरी पर है। आप मानवीय प्रश्न पर भी इस तरह की बात करते हैं ! मैं आपसे यह आशा नहीं करता था।

मैंने पहले भी कहा है माननीय मंत्री जी को, कृपया एक दिन मेरे साथ चलें। सारी फैक्ट्रियों के पानी से एक दाना पैदा नहीं होता है। फैक्ट्रियों का सारा गन्दा पानी कुओं में चला गया है काश्तकार बरबाद हो गये, खेती बरबाद हो गई और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उद्योगों के लगाने से पानी में प्रदूषण हो गया, उपज नहीं हो सकती है। एक तरफ सात हजार आदमी काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 20 हजार आदमी बेकार हो रहे हैं। आज वर्षा की कमी होने के कारण गांवों में पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। आपके मुख्य मंत्री जी ने बड़ी घोषणा की थी कि हम उन गांवों को पानी देंगे और प्राथमिकता के साथ देंगे जहां पानी का अभाव है . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करूंगा, आप जांच करवायें और जिन गांवों में पानी की भयंकर समस्या है या जल प्रदूषण हो गया है या जहां पानी खराब हो रहा है उन सब गांवों में पानी की कोई व्यवस्था करें। कुओं के पानी से खेती नष्ट हो रही है, इसकी भी आप जांच करवा लें। आपके आर. एम. आई. डी. सी. के द्वारा जो योजनायें चल रही हैं वे सफलीभूत नहीं हुई हैं और सारा जल प्रदूषण हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगी लाल जी पहले बोल लें।

श्री मांगी लाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बड़े बड़े गांव है जिनकी आबादी 5–5, 7–7 हजार की है। जायल मेरा क्षेत्र है। 9 हजार की आबादी वाला गांव है, खियाला में 4-5 हजार की आबादी है, दुगस्ताउ में 4 हजार की आबादी है, ढहू में

(श्री मांगीलाल)
सात हजार की आबादी है, कटौती में चार हजार की आबादी है, सोनेली, दुगली और छापड़ा की 3-3 हजार की आबादी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बड़े-बड़े गांव हैं जिनमें से एक में भी बिजली नहीं दी है। जायल में पंचायत समिति है और तहसील हैडक्वार्टर है, दसवीं तक का स्कूल है, हास्पिटल है, कई सरकारी लोग रहते हैं लेकिन वहां बिजली नहीं पहुंचाई है। बिजली की बड़ी आवश्यकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि एक छोटे से गांव में, कालसी में तो बिजली लगा दी और जायल में बिजली नहीं दी। मन्त्रीजी के दिल में वहां बिजली देने की अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा निवेदन है कि बिजली उन गांवों को जरूर दी जाय।

श्री अब्दुल अजीज: उपाध्यक्ष महोदय, जहां चार हजार, सात हजार की आबादी के गांव हैं वहां तो बिजली लगा दें।

(व्यवधान)

श्री मांगीलाल: मेरे क्षेत्र में जल्दी से जल्दी बिजली लगा दी जाय।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़े तर्क से बात कही है कि पंचायत हैड क्वार्टर जायल है और तहसील हैड क्वार्टर भी है, हाई स्कूल भी है, सब डिपार्टमेंट्स हैं फिर भी बिजली नहीं है। वहां लवे सड़क के गांव हैं तो बिजली दी जानी चाहिये। सड़क पर ही बड़े-बड़े गांव हैं, 5-5, 7-7 हजार की आबादी के गांव हैं। मैं यह नहीं कहता कि जहां बिजली दी है, वहां से हटाई जाय। आप कहीं भी बिजली ले जायं लेकिन इनको भूलें नहीं।

श्री ह्योपतसिंह मकासर: उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बड़ी दर्द भरी आवाज में बात कही है। विद्युत मन्त्री जी, आप इनकी बात को जरूर महसूस करें और उस क्षेत्र में बिजली लगा दें। न वहां कोई तालाब है, न सिंचाई के अन्य कोई साधन हैं। वहां नीचे मीठा पानी है। कांग्रेस के जमाने में भी जायल नेगलेक्टेड रहा है। कहीं नाथूराम जी का ठिकाना है, तो कहीं माथुर सहाब का ठिकाना है। जायल में किसी का ठिकाना नहीं रहा इसलिए वह नेगलेक्टेड रहा है। तहसील हैड क्वार्टर है फिर भी बिजली नहीं। आपने दुखी दिल से बात कही है।

श्री माघोसिंह (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा विद्युत मन्त्री जी का ध्यान मेरे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस ओर दिलाना चाहता हूं कि तहसील रेवदर में आर. एस. ई. बी. का कार्य पांच साल से, सन् 74 से शुरू है। उसको आज साढ़े चार साल हो गये लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। पहले 86 गांवों के लिए विद्युतीकरण की मंजूरी हुई थी लेकिन 53 गांवों में ही विद्युतीकरण हुआ है। साढ़े चार साल निकल गये हैं जब कि तीन साल में पूरा विद्युतीकरण करना था। उपाध्यक्षजी, आज तक केवल 53 गांवों में ही विद्युतीकरण हो पाया है। आज यह स्थिति है कि कई जगह पोल पड़े हुये हैं तो कई जगह तार हैं, कई जगह पोल पर तार नहीं खिचे हैं और कई जगह कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। जब आपके विद्युत् अधिकारी से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है,

(श्री माधोसिंह)

ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, इसलिए समय पर विद्युतीकरण नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी किसान एक्स. ई. एन. के पास डेपूटेशन लेकर गये थे और यह बात सामूहिक रूप से कही थी कि जिन गांवों को विद्युतीकरण योजना में लिया गया है उनमें बिजली पहुंचा कर कनेक्शन दें, और सारी व्यवस्था को ठीक करें। कुछ तो व्यवस्था कर्मचारियों की वजह से ठीक नहीं है और कुछ सामान की वजह से ठीक नहीं है। जो विद्युत् स्टेशन रेवदर का है उसका 25 सौ किलोवाट का वेट बढ़ गया है। वहां का जो ट्रांसफार्मर है वह 1 हजार की क्षमता वाला है। जब गत वर्ष एक्स. ई. एन. के पास डेपूटेशन पहुंचाया था तो 500 किलोवाट का एक नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया था। अब जिलाधीश के कहने से 500 किलोवाट वाले ट्रांसफार्मर को भी हटा कर ले गये। मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहां इससे ज्यादा आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि शहरी लोगों को ज्यादा आवश्यकता रहती है लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुल पच्चीस सौ किलोवाट का लोड, विद्युत् लोड वहां पर है, उसकी जगह एक हजार किलोवाट के ट्रांसफार्मर से काम लेना चाहें तो कैसे काम चल सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि किसानों का फसल का समय आ गया है और आज स्थिति यह है कि हर घण्टे पर उसका फ्यूज उड़ जाता है और लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। पानी कुओं से क्यारी तक नहीं पहुंचता है, क्रोप फेल हो जाती है। लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, इस तरह की स्थिति आज वहां पर हो गई है। अभी दस रोज पहले करीब दो सौ लोगों ने ए. ई. एन. के यहां पर रात को डेढ़ बजे घरना दिया। उन लोगों ने कहा कि इस व्यवस्था को सुधारो। गत वर्ष भी यही स्थिति हुई थी, वापस रबी की फसल का समय आ गया है। इस समय इस स्थिति को नहीं सुधारा तो यही स्थिति फिर आगे भी सामने आ सकती है। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और सुझाव के रूप में विद्युत् मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब विद्युत् के कनेक्शन दिए जावें तो वे दिवाली तक दे दिये जावें। दिवाली तक जितने भी कनेक्शन देने हों दे दें ताकि किसानों को यह विश्वास हो जावे कि हमने रबी की फसल के लिए कनेक्शन प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद में जिनको भी कनेक्शन देना हो वह रबी की फसल के बाद में देना चाहिए। फिर आपको 11 के. वी. का कार्यक्रम चालू कर देना चाहिए ताकि विद्युतीकरण की व्यवस्था ठीक ढंग से चल सके। दोनों कार्य साथ साथ करने से इधर का कार्य नहीं हो सकता है और उधर जिनका विद्युतीकरण हो चुका है वे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चार हजार कुए हैं रेवदर तहसील में, और 53 गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है, इतना लोड बढ़ गया है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिये लाइनें डिस्टर्ब हो रही हैं। ट्रान्सफार्मर की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतने लोड को सहन कर सके। इसकी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयत्न करें ताकि लोगों को आपके पास में यहां तक नहीं पहुँचना पड़े। धन्यवाद।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने भी माधोसिंहजी के साथ ही स्थगन प्रस्ताव दिया है। भीनमाल में विद्युतीकरण के बारे में हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। भीनमाल आर.ई.सी. में विद्युत् कनेक्शन देने का जो काम चल रहा है वह बहुत ही मन्द गति से चल रहा है। पिछले साल जहां पर दो सौ कनेक्शन दिए गये थे उस लिहाज से इस साल दस पन्द्रह कनेक्शन हो पाए हैं। रबी की फसल के सोइंग का टाइम नजदीक आ रहा है लेकिन आर. ई. सी. भीनमाल के पास न तो पोल हैं, न तार हैं, न दूसरा सामान है। इसलिए मैं माननीय विद्युत् मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भीनमाल आर. ई. सी. में जो सामान की कमी है वह शीघ्र पूरी कराने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा झूंझानी और दासवी के अन्दर 80 कनेक्शन की फाइलें पिछले साल डेढ़ साल से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसके लिए स्कीम बना कर भेजी हुई है, उसको भी शीघ्र ही फाइनल करवा कर भेजें ताकि रबी की फसल से पूर्व किसानों को कनेक्शन मिल सकें, अन्यथा कनेक्शन ऐसे समय में दिए जाते हैं जब कि काश्तकार लोग अपना काफी पैसा डीजल इंजिन वगैरह ठीक कराने में और डीजल स्टोर करने में लगा चुके होते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के डिमाण्ड नोट निकालते हैं जिससे किसान बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं विद्युत् मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि जितने भी कनेक्शन देना चाहें वह अक्टूबर के लास्ट वीक में या दिवाली से पहले दे दिये जावें।

मेरे क्षेत्र के अन्दर जसवन्तपुरा और सायला के अन्दर आर. ई. सी. स्कीम के अन्दर 70 किलोमीटर की लाइन खींचने का काम चल रहा है। मेरा सुझाव है कि भीनमाल के पास में ही कई कुए हैं, कई गांव दो किलोमीटर के अन्दर हैं, वहां काफी बेरे हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि गोमता वगैरह जो गांव भीनमाल के बहुत नजदीक हैं, दो किलोमीटर के अन्दर हैं वहां कनेक्शन देकर किसानों को राहत दी जावे। इसी तरह से जसवन्तपुरा के पास में भादेडा गांव है जिसके चारों तरफ जसवन्तपुरा आर. ई. सी. की लाइनें हैं। सब गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन भादेडा गांव में विद्युतीकरण नहीं हो सका है। चारों तरफ गांव के लाइनें खींच दी गई हैं फिर वहां विद्युतीकरण करने में क्या दिक्कत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए भीनमाल आर. ई. सी. से भादेड़ा गांव के चालीस बेरों को भी कनेक्शन की सुविधा दी जावे। इन्हीं सुझावों की ओर विद्युत् मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी समुचित व्यवस्था करें।

श्री रणमल सिंह (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में 840 गांव हैं। पिछले तीस साल का नाम लेते हैं जब कि हमारे यहां के एम. एल. ए. का केवल डिप्टी मिनिस्टर बनने का नम्बर आया था। अब सौभाग्य से चीफ मिनिस्टर हमारे जिले के हैं और उद्योग व लॉ मिनिस्टर भी हमारे जिले के हैं फिर दिये तले अंधेरा क्यों है ? सन् 1974 में बहुत बड़ा अभियान चला मेरे जिले में। उसमें चार हजार कुए पी.एन. भंडारी ने खुदवाए और शत प्रतिशत कामयाबी हासिल हुई। अब उन कुओं के लिए

(श्री रणमल सिंह)

हमारी दो पंचायत समितियां हैं खण्डेला और पीपराली, जहां पर लोनिंग की बड़ी भारी समस्या हो रही है। वहां पर भूमि विकास बैंक के अलावा कहीं से ऋण नहीं मिल सकता है। इस प्रकार का प्रतिबंध लगा हुआ है। भूमि विकास बैंक ने असमंजस में डाल रखा है। पहले चिट्ठी आई सीनियर हाइड्रो ज्योलोजिस्ट अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड बीकानेर के कार्यालय से 4–10–76 को, उसमें यह लिखा कि इस एरिया को दो जोन में बांटा गया है, ए और बी में, जिनमें बी जान का बी वन, टू और थ्री है जिनमें 150 मीटर ए जोन और करीब दो सौ मीटर बी जोन का फासला होना लिखा है। दूसरा पत्र डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, री-फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कोर्पोरेशन का सात महीने पहले, दिनांक 16–3–78 को आया। उस पत्र में यह लिखा है कि कुओं पर पम्पिग सेट देने के लिए 260 मीटर का फासला होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में कोआपरेटिव्स हैं, काफी संख्या में लोग बसते हैं, जमीन इतनी है उसमें एक कुए से दूसरे कुए के बीच में 260 मीटर का फासला कैसे रह सकता है? इस फासले में तो तीन-तीन कुए हैं। पहले यह भविष्यवाणी की थी तीस वर्षों में कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होगी, वह भविष्यवाणी तो बिल्कुल गलत साबित हुई, झूठी साबित हुई लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो भविष्यवाणी की वह शत प्रतिशत सही हुई है। उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहने दूंगा। वह भविष्यवाणी इतनी सही निकली कि जितना पानी सारे मौसम में बरसता था वह आठ घन्टे में बरस गया। मैं उनको पक्का ज्योतिषी मानता हूं, वह कहते हैं वह बिलकुल सही है। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं, कि सीकर जिले में पचास प्रतिशत मोटर जल गई। कुओं पर जो मोटरें पानी से पांच छह फीट ऊपर रखी हुई थीं वह पानी में डूब गई। अब कार्पोरेशन वाले मानते नहीं हैं। कार्पोरेशन वालों के बाप-दादाओं ने कभी खेती नहीं की, उनको किसी बात का पता नहीं है और वे हमको वंचित कर रहे हैं लोन से। यह तो उसी तरह की कहावत हो गई है कि अपने घर खाना मत और बिन बुलाए आना मत। हमको घर पर खाने भी नहीं देते हैं और न्यौता भी नहीं देते हैं। इस तरह से भूखों मार रहे हैं। हमको एक तरफ सात महीने से ऋण दिया नहीं और जो दूसरे शिड्यूल्ड बैंक हैं, कोआपरेटिव बैंक है, उनमें से किसी से लोन लेने नहीं देते हैं। डवलपमेंट कार्पोरेशन के लोग हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने कुओं पर वही पम्पिग सेट और डीजल की मोटर लगावें जो कि वह अप्रूव करें। इस तरह के दबाव से पर्टीक्यूलर टाइप की मोटर खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, उस पर 260 मीटर के फासले की शर्त लगा रखी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लॉ मिनिस्टर हमारे यहां के हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे जिले के हैं फिर भी हमारे यहां पर यह हालत हो रही है। जब सारी सुप्रीम पावर हमारे यहां की है फिर हमारी यह हालत क्यों है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जो भी बैंक हो शिड्यूल्ड बैंक हो हमारे यहां पर कई बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक है,

(श्री रणमलसिंह)

कामर्शियल बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वहां पर है, सभी प्रकार के बैंक हैं फिर भी हमको पैसा नहीं मिल रहा है। हमारी मुसीबत दूर होनी चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज!

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बड़ावरा डीडवाना कान्स्टीट्यूएन्सी और नागौर जिले का एक गांव है वहां की पुलिस की ज्यादती के संबंध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग और उसके कर्मचारियों ने किस तरह से लोगों के प्रति अपना दिमाग बना रखा है। गृह मंत्री महोदय यहां पर तशरीफ नहीं रखे हुए हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर जब चर्चा हो तब संबंधित विभाग के मंत्री महोदय को सदन में रहना चाहिए..

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनके स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी है कि व्यवस्था एवं कानून के सम्बन्ध में 12 तारीख को सदन में विशेष चर्चा होगी....

श्री अब्दुल अजीज : यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आज यह व्यवस्था दी है कि 12 अक्टूबर को कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष चर्चा होगी...

श्री अब्दुल अजीज : यह स्थगन प्रस्ताव उसका हिस्सा नहीं है। आप इस पर गौर फर्मा लें...

श्री सूर्य नारायण चौधरी (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी है अजीज साहब के स्थगन प्रस्ताव पर कि अजीज साहब को इससे सम्बन्धित घटना या जो कुछ उनके ग्रिवेन्सेज हैं, उन पर जो कुछ कहना है वह जिस रोज लॉ एण्ड आर्डर पर बहस होगी उस दिन फर्मा सकते हैं। इसलिए आज जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वह लिया जाए...

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, वह इससे ताल्लुक नहीं रखता है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : यह एक अलग विषय है। इसमें कानून की कमी या व्यवस्था की कमी का प्रश्न नहीं है। यह एक विशेष घटना का विषय है। ताजी घटना है जो दो-तीन रोज पूर्व हुई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विधि मंत्री को यह भी ख्याल नहीं है कि यह एक स्थगन प्रस्ताव का विषय है...

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : मालूम है मेरे को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षेप में कहें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि बडावरा गांव में 7 तारीख को दिन के 4 बजे के करीब पूर्णाराम अपने ट्रेक्टर को लेकर, खेत का काम करके गांव की तरफ जा रहा था। चार बजे के करीब वहा के डी.वाई.एस.पी., एस.एच.ओ. ने मय कुछ कांस्टेबल के जीप

(श्री अब्दुल अजीज)

से उसका पीछा किया। उन्होंने ट्रेक्टर को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया बल्कि उन्होंने दनादन पांच गोलियां अपनी पिस्तौल से और चार-पांच गोलियां राईफल से चलाई। यह एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसकी वजह से लोग भयभीत हो गये हैं। गोलियां चलते ही जो ट्रेक्टर पर किसान लोग थे वे उतर कर भाग गये। ट्रेक्टर को वहीं पर छोड़ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस तमाम वाकया के पीछे क्या बात है उसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। नागौर जिले में 27 थानेदार हैं उनमें से तकरीबन 20 थानेदार एक ही कौम के हैं। मैं नहीं कहता पुलिस विभाग के गृह मंत्री आपके मुख्य मंत्री या जनता सरकार जिस तरह से अपने सिद्धान्तों को रोग बताती है उसके अनुसार किस कौम का थानेदार हो, एस.एच.ओ. हो। उस सम्बन्ध में मैं कोई अर्ज नहीं करना चाहता परन्तु जिस तरीके से गोलियां चलाई गईं, जिस बदले की भावना को लेकर चलाई गई मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। क्या ट्रेक्टर पर कब्जा करने का सीधा और कोई तरीका नहीं था? क्या उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया था कि सिवाय गोली चलाने के और कोई उपाय नहीं बचा था? क्या वे कोई डकैत थे जिनका पीछा ट्रेक्टर को रोकने के लिये किया गया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं? उसके पीछे जो भावना थी, वह यह थी कि वे चैनाराम प्रधान के लड़के थे उनसे बदला लेने के लिए ऐसा किया गया। उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से ऐसा किया गया। यह उसकी जान लेने का एक षड्यन्त्र था। पुलिस ने उस ट्रेक्टर को रोकने के लिए बदले की भावना के कारण गोलियां चलाई। यहां पर किसान सभा ने प्रदर्शन किया था। उस पर भी अश्रु गैस छोड़ी गई थी। अब आगे क्या हुआ? उन पर 307 का मुकदमा पुलिस के अधिकारियों ने चलाया। दशहरा का मौका था। इस प्रकार उनको गिरफ्तार करने की साजिश की गई। परन्तु उनके संरक्षक और उनकी पार्टी के लोगों ने अदालत के दरवाजे खटखटाये। इस तरह से झूठे मुकदमे बना कर, ट्रेक्टर का पीछा कर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। वहां पर एक आतंक का वातावरण बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार साजिश करके, एक बदले का दिमाग बना कर पुलिस विभाग के अधिकारी ऐसी कार्यवाही करें, तो मैं आपके माध्यम से उस पर एतराज करता हूं और सदन से दरख्वास्त करता हूं कि पुलिस इस तरह से बदले की भावना से किसी एक पर्टीक्यूलर आदमी के साथ व्यवहार न करे। इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ पूरी जांच की जाए और उस वक्त तक मुकदमे को रोका जाये। ऐसे अधिकारी को निलंबित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी दरख्वास्त और है। एक घटना सुनने में आई है। उसी गांव में एक भैंस की चोरी का वाकया गुजरा है। उस वक्त जो विरोधी दल के नेता थे उन्होंने उस मसले को इस सदन में उठाया था और तत्कालीन मुख्य मंत्री को लेकर वे घटना स्थल पर गये थे। उनके द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई थी। अब पांच-पांच गोलियां वहां पर चली हैं। विरोधी दल के नेता आज मुख्य मंत्री हैं। क्या वे घटना स्थल पर जाकर इसकी जांच करेंगे, जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वहां पर इस घटना से किस प्रकार का

(श्री अब्दुल अजीज)

असन्तोष का वातावरण बना हुआ है? नागौर जिले में इस तरह की घटनाएं, बढ़ती जा रही हैं। वहां पर अब तक 5-6 कत्ल हो चुके हैं। वहां पर राजनैतिक विद्वेष के कारण कार्यवाही हो रही है और उससे जो वातावरण वहां पर बना हुआ है, उसको नहीं रोका गया तो यह एक कम्युनिटी का विवाद हो जायेगा। आपकी सरकार की कितनी क्षमता है, किस तरह से ऐसी घटनाओं की वह रोकथाम कर पाएगी, यह तो मैं जानता हूं परन्तु समय रहते मैं उसकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और यह अनुरोध कर रहा हूं, गृह मंत्री इस समय यहां पर नहीं हैं, वे इस घटना की जांच करें। वे इस पर्टीक्यूलर केस को देखें और सोच समझ कर इस पर कार्यवाही करें।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी जो स्थगन प्रस्तावों की सूची है उसमें तो आपका नाम···

श्री जेठमल बरवड़ : उसमें मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका शुभ नाम ?

श्री जेठमल बरवड : जेठमल बरबड़।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 तारीख को यह घटना घटी है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। किसान ट्रेक्टर पर जा रहे थे। पीछे से जाकर पुलिस अधिकारियों ने, जिनमें एस.एच.ओ. और डी वाई. एस.पी. थे, उन किसानों के ऊपर गोलियां चलायीं। भगवान की मर्जी थी वे लोग बच गये। वे लोग भाग गये ट्रेक्टर को छोड़ कर वरना क्या होता ? नौजवान लड़के मर जाते। जिस राज्य के अन्दर जनता की दुहाई दी जाती है उसमें इस तरह से किसानों के ऊपर पुलिस अधिकारियों द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं। इतनी क्या जल्दी थी ? इतना बड़ा क्या मुकदमा था जिसके लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी ?

इसी तरह से 15 अगस्त को मेरे क्षेत्र में जो घटना हुई है उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। परबतसर निर्वाचन क्षेत्र है उसके मंगलाणा गांव में 15 अगस्त को एक जाट की लड़की अपने खेत को जा रही थी···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर ही चर्चा करें। स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री जेठमल बरवड : यह तो मैं रेफरेन्स दे रहा हूं। उस लड़की को कुछ लोग मारना चाहते थे। उसकी मौत कैसे हुई ? वह ट्रक के नीचे आ गई और वह मर गई। पुलिस वालों को सूचना दी गई, किन्तु आज तक उसका कोई पता नहीं है। 15 अगस्त के दिन की यह घटना है। एक तरफ तो औरत को मार कर चले गये दूसरी तरफ लोगों पर गोलियां चलाई। इस राज्य में यह क्यों होता है ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय यहां पर नहीं है, परन्तु सरकार के दूसरे मंत्रीगण हैं, वे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें और उनको उचित दंड दें ताकि जिले में जो भय का वातावरण बना हुआ है वह दूर हो वरना यह वातावरण ज्यादा फैलेगा।

Page No 68

(68)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसी महीने की 7 तारीख को यह घटना घटी है। कुछ लोग ट्रैक्टर से अपने फार्म से गांव की तरफ जा रहे थे। ट्रैक्टर पर पूर्णाराम और उसके दो साथी थे। उसी समय पुलिस वाले बन्दूकों हथियारों से लैस और जीप में सजधज कर आए जिसमें सिपाहियों के अलावा एक हैड कान्स्टेबल और एक थानेदार झुनझुना व डी. वाई. एस. पी. डीडवाना साथ थे। जीप में सिपाही बन्दूकों और पिस्तोलों से लैस थे। जीप वैसे भी ट्रैक्टर से तेज चलती है। अगर उनके खिलाफ किसी तरह का मुकदमा होता तो वैसे ही उनको पकड़ा जा सकता था लेकिन उन्होंने जैसे डाकुओं पर हमला करते हैं उस तरह फायरिंग की, कारतूस चलाये। फायर करने के साथ ही डी. एस. पी. चिल्लाया कि बन्दूक चलाओ और बन्दूकें चलीं। मुझे समझ में नहीं आता, श्रीमान्, बन्दूक चलाने से पहले बहुत कुछ मामले की गंभीरता को देखा जाता है। मजिस्ट्रेट भी साथ होता है, उसकी स्वीकृति होती है। उसके बाद भी दुनियां भर की जांच होती है। वहां कोई इस प्रकार का मामला नहीं था। फिर भी उन्होंने रिवाल्वर चलाई। थ्री नौट थ्री की बन्दूकों से फायर किया। उसमें से एक गोली ट्रैक्टर के पहिये में लगी जो आज भी देखी जा सकती है। श्री पूर्णाराम और उसके साथी घबरा गये और ट्रैक्टर को छोड़ कर भाग गये। भागने पर उनका पीछा नहीं किया गया पर ट्रैक्टर, जिसका पहिया गोली लगने से फूट गया था, को सड़क तक थानेदार खुद चला कर लाये और एक दूसरे ट्रक का बन्दोबस्त करके उसमें डाल कर थाने लाया गया, इस डर से कि टायर फूट गया और अब ये मुकदमा करेंगे अतः कोई मुकदमा पहले बना लिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो किसी तरह की योजना बना कर थाने में छोड़ दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, श्री चेनाराम जब जोधपुर थे, उनको पता चला कि इस तरह की घटना उनके लड़के के साथ घटी है तो नागौर जाकर एस. पी. साहब से मिले और पूछा कि क्या इस तरह की कोई घटना घटी है ? तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि किसी थानेदार द्वारा व डी. एस. पी. द्वारा गोली चलाई जाय और एस. पी. को पता ही नहीं हो। अतः उनको जानकारी थी और उन्होंने जानबूझ कर छिपाया। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। उनको जानकारी थी तथा नहीं बताया तो साफ जाहिर है कि उनका इरादा साफ नहीं था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम कैसे विश्वास करके चलें कि ये हमारे संरक्षक हैं, सुरक्षा कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा करेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिन अफसरों ने ऐसी हरकतें की हैं उस पूरे के पूरे जत्थे को किसी अन्य जगह लगाया जाय या तुरन्त आदेश से निलंबित किया जाय। पूरी जांच सी. आई. डी. से कराई जाय और किसी आला अफसर को भेजा जाय।

अभी मकराना के माननीय विधायक · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराज जाइये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : बता रहे थे सुखाड़िया जी के मुख्य मंत्री काल में इसी पुलिस थाना खाटू के पास एक भैंस मारने की घटना घटी थी। तब तक का पूरा मंत्रिमण्डल मय अब के मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत भी वहां गया था। तब आप विपक्ष में विराजते थे तो क्यों नहीं अब इस जांच हेतु आप व आपका कैबीनेट जाये या विधायकों के एक ग्रुप को जांच हेतु भेज दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ट्रेक्टर के टायर में एस.एच.ओ. डी.एस.पी. गोली मार दें ऐसी कौनसी जरूरत थी? चैनाराम का चालान अगर पिछले राज मे नहीं किया तो अब आप करें...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त करिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एक गुनाह को छिपाने के लिये, उसको जस्टिफाई करने के लिये एक और झूंठा मुकदमा बनाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपत सिंह जी, कृपया विराज जाइये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप चैनाराम को फांसी पर चढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह आवश्यक है कि इस पर चर्चा की जाय? अगर चर्चा करनी है....

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : इसका जवाब तो दिया जाना चाहिये। इतनी बड़ी बात हुई, इसका जवाब देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर : क्या उच्चाधिकारी से जांच करवाने हेतु आदेश हुए हैं? इतना ही मैं कहूंगा क्योंकि मेरे दस्तखत नहीं थे, मुझे पहले नहीं बताया था।

मैंने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा है वह है होटल निगम से 17 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।

श्री संपतराम (गृह मंत्री) : अगर आप चाहें तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सदन में आने से पहले यह सूचना स्वयं माननीय मथुरा दास माथुर साहब ने मुझे दी थी। मैंने रिपोर्ट मांगी है। वह सारी रिपोर्ट आ जाती है, उसको देख कर सरकार विचार करेगी। अगर किसी बड़े अधिकारी से जांच कराने का प्रश्न होगा तो वैसा कराएगी। जो सही बात होगी वह की जाएगी।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उस चैनाराम को गोली मारो अब।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि पहले भी यह सवाल मैंने सदन में उठाया, उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि होटल निगम को खतम किया जा रहा है। अब खतम नहीं किया जा रहा है और लोगों को रखा जा रहा है। इन 17 व्यक्तियों को नोटिस मिल चुका है और इनसे पहले 19-8-78 को 12 होटल निगम के कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के लिये नोटिस मिले। इसके बाद ये लोग इंडस्ट्रियल कोर्ट में गये। वहां कुछ कारण मालूम नहीं होने की वजह से निगम को लिखा गया। फिर निगम ने 17 आदमियों को 30-8-78 को नोटिस दिये और यह कहा कि राजस्थान

(श्री मथुरा दास माथुर)

धारा सभा के अन्दर कैन्टीन चल रही थी और गवर्नमेंट होटल में कैन्टीन चल रही थी अब क्योंकि असेम्बली सैक्रेटेरियट ने उनका मैनेजमेंट प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है इसलिये आदमियों की जरूरत नहीं है और उनको कम किया जा रहा है। श्रीमान, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी इससे कुछ ताल्लुक रखते हों, ये जितने भी 17 आदमी हैं इनमें से 3 के अलावा 14 आदमी जब होटल कार्पोरेशन ने काम करना शुरू किया था उसके पहले से ही मुलाजिम हैं। ये लोग 1974-75 से मुलाजिम हैं। इसलिये यह दलील गलत है कि इनको इस काम के लिये रखा गया था। तीन आदमियों को छोड़ कर बाकी 14 आदमी खासा कोठी में और दूसरी जगह काम करते थे। यह झूंठी दलील देकर इनको मोअत्तिल किया गया है, नौकरी से निकाला गया है और नोटिस दे दिया गया है। इसमें गौर करने की यह बात है कि 17 आदमियों में से मेजोरिटी एस. सी., एस. टी. की है इसलिये आप देख लें। मुख्य मंत्रीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदमी, जो एस. टी. के हैं, को नौकरी से अलग किया जा रहा है। दूसरे राजस्थान सरकार के अन्दर कोई विभाग को खतम किया जाता है या कर्मचारियों की कमी कर दी जाती है या कर्मचारियों को सरप्लस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सरप्लस डिक्लेयर करने के बाद जिनकी नौकरी परमानेन्ट है वे कहां जायेंगे? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति हैं। उनको नौकरी मिल नहीं सकती है। सरप्लस करने से भी गवर्नमेंट पर ही भार हो जाता है। होटल व कार्पोरेशन बन्द है तो टूरिस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन तो रहेगा। असेम्बली की कैन्टीन खतम हो गई है लेकिन वह पहले से नौकर है। इसलिए परमानेन्ट को आप नहीं निकाल सकते हैं। सरप्लस करके और विभागों में डाल दीजिए। आपका टूरिस्ट कार्पोरेशन बन रहा है उसमें रख दीजिये। उनकी चार चार साल की नौकरी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उन लोगों को उसमें स्थान दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह महसूस करता हूं कि आपका जो विषय है, वह आप 12 तारीख की चर्चा में उठा सकते हैं। उस दिन इस पर चर्चा होगी। कोई भी माननीय सदस्य जो इस विषय पर बोल रहे हैं यदि वह आज बोलते हैं तो फिर उस दिन चर्चा नहीं होगी।

श्री जगतारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज हत्या और डकैतियां होती हैं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था ठीक नहीं है कि आज माननीय सदस्य बोल रहे हैं इसलिए उस दिन बोल नहीं सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर बोल लिये हैं और फिर बोलेंगे तो आप कहेंगे कि फिर बोल रहे हो। यह क्या कानून की बात कर रहे हैं? क्या कोई नम्बरिंग लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : कुछ समय दे दिया जाये।

श्री जगतारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मान लेता हूं कि आपने 12 तारीख को भी मुझे बोलने का मौका दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ऐसा नहीं कहा है लेकिन आप बोल लें।

श्री जगतारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नारायणदास मीणा सिनेमा देखने गया था। वहां उसके साथ मारपीट की गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। छात्रों ने जब जलूस निकाला तो उन पर लाठियां बरसाई गईं। छात्रों और जनता के लोगों पर पुलिस ने डण्डे बरसाये। सिनेमा हाल में झगड़ा हो रहा था, वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसके साथ झगड़ा हुआ वह मां बाप का एक ही बेटा था। वह मार दिया गया। यह पुलिस की तत्परता का एक नमूना है। पुलिस झगड़े को रोक नहीं सकी और न वह कुछ व्यवस्था कर सकी। पुलिस ने जनता के अगेंस्ट में लिखा है। बच्चे के शव को लेकर जब प्रदर्शन किया जा रहा था, जांच की मांग की जा रही थी तो पुलिस की ओर से लाठियां बरसाई जा रही थीं।

श्री रामनारायण चौधरी : शेम, शेम।

एक माननीय सदस्य : अच्छा।

श्री जगतार सिंह : श्रीमान् जी, एक तरफ नागौर जिले में बडावरा गांव के जमींदार को, जो ट्रैक्टर पर जा रहा था, पुलिस द्वारा टायर में पीछे से गोली मार कर रोका गया जब कि जीप ट्रैक्टर से आगे ज्यादा स्पीड की वजह से जा सकती थी और उसको रोका जा सकता था। जनता सरकार की क्या यही पुलिस की व्यवस्था है? क्या उनकी गोलियां जनता के लिए ही हैं? क्या यही शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का तरीका है कि कोई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करें तो पुलिस अधिकारी उनको बर्बरता से पीटे जैसा कि टौंक में प्रदर्शन किया गया है। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने उस लड़के को मारा है क्या उनमें से किन्हीं को पकड़ लिया है? नहीं पकड़ा है. तो क्यों नहीं पकड़ा है? गांवों से शहरों में लोग इसलिये आते हैं कि उन को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पुलिस व्यवस्था कायम करेगी। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी टौंक के बारे में जो माननीय सदस्य ने फर्माया है, मैं उसके बारे में एक वक्तव्य देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री सम्पतराम : दिनांक 3 अक्टूबर, 1978 को श्री नारायण मीणा अपने कुछ साथियों के साथ नारायण सिनेमा हाल में मैटिनी शो देखने गया। सिनेमा के कर्मचारी श्री मुन्ना ने चैकिंग के दौरान श्री नारायण मीणा को बिना टिकिट के पाया जिस पर सिनेमा कर्मचारी मुन्ना श्री मीणा को सिनेमा के थर्ड क्लास की बुकिंग के कमरे में ले गया। वहां उसने व उसके

(श्री सम्पत राम)

अन्य दो साथियों ने श्री मीणा के साथ मार पिटाई की, जिससे श्री मीणा के चोटें आईं। श्री मीणा ने थाना कोतवाली पर इस घटना की रिपोर्ट उसी समय दर्ज कराई। श्री मीणा के चोटें जाहिरा तौर पर ऐसी नहीं थीं कि पुलिस हस्तक्षेप अपराध बनता हो लेकिन श्री मीणा ने पूरे शरीर में दर्द होना बताया था। अन्दरूनी चोटें कैसी हैं, यह स्पष्ट नहीं था, इसलिए श्री मीणा को अस्पताल डाक्टरी मुआयना हेतु भेजा गया। श्री मीणा को डाक्टर ने दाहिने कंधे की हड्डी उतर जाने के शक में अस्पताल में भर्ती कर लिया। उसी शाम को कोतवाली में उसकी चोटों का मुआयना प्राप्त हुआ जिसमें उसके चार साधारण चोटें कुन्द आले से आना दर्ज थीं। कन्धे की चोट के बारे में एक्स-रे रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट देना अंकित था। दिनांक 6-10-78 को अस्पताल से दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के बाद एक्स-रे प्राप्त हुई, जिसमें श्री मीणा के कन्धा उतर जाना अंकित था। इस चोट के गम्भीर श्रेणी में आने के कारण थाना कोतवाली ने उसी रोज दि. 6-10-78 को अभियोग संख्या 182/78 धारा 323, 325 व 34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दिनांक 6-10-78 को प्रात: श्री मीणा अस्पताल से बिना डाक्टर की स्वीकृति लिए कहीं बाहर चला गया। जब डाक्टरों ने वार्ड का प्रातःकाल राउण्ड लिया तो वह अपने बैड से गायब पाया गया। जिस पर डाक्टरों ने उसके बैड हैड टिकट पर उसके स्वयं अनुपस्थित हो जाने का नोट दर्ज किया। श्री मीणा दिन में करीब 2 बजे अस्पताल में अपने वार्ड में वापस आया और शौचालय गया। जब वह शौचालय से वापस आ रहा था तो गिर गया और उसकी हालत एकाएक खराब हो गई जिस पर ड्यूटी कम्पाउण्डर ने तत्काल डाक्टरों को सूचना दी। जिस पर डाक्टर वेनी प्रसाद एवं सी. एम. एच. ओ. डाक्टर गोगना अस्पताल पहुंचे। जिन्होंने श्री मीणा की हालत गम्भीर पाई। डाक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद श्री मीणा को बचाया नहीं जा सका और पौने चार बजे शाम को उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। श्री मीणा का शव परीक्षण दिनांक 7-10-78 को प्रात: किया तो मृत्यु का कारण बताया।

"Death was due to shock, due to pain, due to injury to the shoulder joint and also due to pulmonary embolism."

रिपोर्ट पर धारा 302 भा. दं. सं. अभियोग की तफ्तीश की गई। मृतक के शव को उसके रिश्तेदारों को दे दिया गया। मृतक उटकपुरिया, जो टौंक के करीब 5 कि. मी. दूरी पर है, का रहने वाला था।

श्री मीणा की मृत्यु का समाचार मिलने पर कुछ छात्र मीणा के गांव की ओर गये और लाश के गांव में पहुंचने के पूर्व ही उस लाश को वापस टौंक ले आये और उस शव की जलूस यात्रा की योजना बनाने लगे। जिला अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की और समझा बुझा कर मृतक के शव को उसके गांव वापस भिजवा दिया, मगर कुछ असन्तुष्ट छात्र फिर उसके गांव में एक ट्रक लेकर पहुंच गये और श्मशान से मृतक श्री मीणा की लाश को वापस टौंक ले आये।

(श्री सम्पतराम)

शव के साथ मृतक के रिश्तेदार भी टोंक आ गये। छात्रों ने स्कूल छात्रों को भी जलूस में शामिल होने के लिये उकसाया तथा लाउड स्पीकर शहर में घुमा कर दुकानदारों से अपनी दुकानें बन्द करने का ऐलान किया, जिस पर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बन्द कर दीं। छात्रों ने मृतक मीणा के शव का जलूस नगर के प्रमुख बाजारों में होकर निकाला और रास्ते में तीन भवनों के सामने लगे साइन बोर्डों और फर्नीचरों की तोड़फोड़ की। जलूस के साथ उपस्थित एस. डी. एम. एवं उप पुलिस अधीक्षक, टोंक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। दिन के करीब 2.30 बजे यह जलूस मय शव के जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचा जहां पर अतिरिक्त जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक, टोंक ने प्रदर्शनकारियों को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। छात्रों ने जिलाधीश कार्यालय पर मामूली सा पथराव भी किया परन्तु समझाने बुझाने पर उन्होंने मृतक की लाश को गांव भिजवा दिया और भीड़ तितर-बितर होने लगी।

जब यह बातचीत जिलाधीश कार्यालय पर चल रही थी तो सूचना मिली कि कुछ छात्र, जिनमें कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गये हैं, नारायण सिनेमा की ओर जा रहे हैं। जिस पर एस. डी. एम. व पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस फोर्स के साथ नारायण सिनेमा पर गये। सिनेमा पर पहले से ही पुलिस का बन्दोबस्त किया हुआ था। मौके पर एस. डी. एम. व उप पुलिस अधीक्षक के पहुंचने से पूर्व ही लगभग 400–500 की भीड़ ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया व उनमें से कुछ ने सिनेमा में जबरदस्त प्रवेश कर सिनेमा की स्क्रीन को फाड़ दिया और हॉल में रखे फर्नीचर की तोड़ फोड़ की और कुछ में आग लगा दी। आग पर तत्काल काबू पा लिया गया। एस.डी.एम. ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए भीड़ को गैर कानूनी करार देकर तितर-बितर हो जाने के आदेश दिये। छात्रों ने पुलिस पर भयंकर पथराव किया। एस.डी.एम. ने बार-बार भीड़ को चेतावनी दी परन्तु पथराव नहीं रुका। पथराव के कारण पुलिस उप अधीक्षक, एस. एच. ओ. कोतवाली, चार हैड कान्सटेबल व 12 कान्सटेबल के चोटें आईं। इस पर स्थिति पर नियन्त्रण पाने हेतु एस.डी.एम. के आदेश पर भीड़ को तितर-बितर करने हेतु तथा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु बल प्रयोग (केन चार्ज) किया गया और टीयर गैस छोड़ी गई जिस पर भीड़ तितर-बितर हो गई। कुल 12 टीयर गैस सैल्स और दो गैस के ग्रेनेड छोड़े गये।

इस समय नगर में शान्ति है और स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है। पथराव के कारण जिन पुलिस कर्मचारियों के चोटें आईं उनमें से एक कान्सटेबल के सिर में ज्यादा चोट आ जाने के कारण अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। नगर में शान्ति व्यवस्था हेतु पूर्ण प्रबन्ध कर दिये गये हैं।

मृतक श्री मीणा पर हमले के सम्बन्ध में दर्ज अभियोग में दो सिनेमा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भीड़ द्वारा जलूस के समय श्री सईउद्दीन खां एडवोकेट के दफ्तर में तोड़-फोड़ व नुकसान के संबंध में श्री सईउद्दीन खां एडवोकेट द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 183/78 धारा 427, 379 आई. पी. सी. पंजीबद्ध

(श्री सम्पतराम)

किया गया है तथा सिनेमा पर तोड़फोड़ एवं पुलिस कर्मचारियों पर पथराव कर चोट पहुंचाने के सिलसिले में अभियोग संख्या 184/78 धारा 142, 143, 427, 436, 332, 353, 446 ता. हि. तथा अभियोग संख्या 185/78 धारा 147, 149, 307, 326, 332, 353 ता. हि. दर्ज किये गये हैं। सभी अभियोगों में तफतीश जारी है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल उठता है सबसे पहले कि कितने लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई ? नम्बर दो, गिरफ्तारियां जो हुई वह झगड़ा होने के पहले हुई या बाद में ? नम्बर तीन, क्या सिनेमा मालिकों ने छात्र की इतनी पिटाई की जिससे वह मर गया ? डाक्टरों की नेगलिजेन्स थी या यह कहें कि मालिकों के दबाव से उन्होंने झूठी रिपोर्ट देना चाही ? अगर पहले ··

(व्यवधान)

काज आफ डेथ–

श्री मंजूर अली : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मुकदमा के दौरान तफसील में डिस्कस करने से इन्वेस्टीगेशन हेम्फर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पर विचार करें, It will be against the policy of the State.

श्री श्योपतसिंह मकासर : उससे क्या ताल्लुक रखता है ? लोगों को मारो पुलिस की गलती की वजह से। मुलजिमान को पहले पकड़ा जाता तो लाजिमी तौर पर यह नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि जिन लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराई उन लोगों को नहीं पकड़ा। अब उन मुलजिमों को 323 के मुकदमें में सजा मिलेगी, ज्यादा नहीं हो सकती। उनको गिरफ्तार नहीं करके यह केस बिगाड़ा गया। इस बात का आप जवाब दें कि उनको किस तारीख को गिरफ्तार किया गया ?

श्री सम्पतराम : यह जानकारी तो अभी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर क्या है ?

श्री सम्पतराम : जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया ? गुण्डागर्दी की वजह से ··

(व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को आप उत्तर देने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले से सतर्कता बरती जाती तो यह सारी स्थिति पैदा ही नहीं होती।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। उस छात्र की पिटाई नारायण सिनेमा के कर्मचारियों ने भयंकर रूप से की, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं ली, मालिक और पुलिस वाले मिल गये इसलिए उसकी डाक्टरी नहीं कराई गई। डाक्टर, पुलिस और सिनेमा मालिक तीनों मिले हुए थे वरना लड़के के मरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ? चार दिन बाद वह

(श्री रामनारायण चौधरी)

मरा। आज भी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसमें नकली मुलजिमान बना दिये गये। मालिक फरार हो गया, यह केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि सारी वास्तविकता को जानने के लिये क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन छोड़ने के बाद आप जुडिशियल इन्क्वायरी का आदेश दीजिए। गैस के सैल छोड़े गये हैं, बेरहमी से छात्र को पीटा गया है। डाक्टर से मिल कर रिपोर्ट लिखवा ली गई। इसलिए पुलिस की लापरवाही, डाक्टर की लापरवाही, लाठी चार्ज, गैस का प्रयोग इस सारे मामले पर न्यायिक जांच का आदेश दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कब पकड़े गये ? यह स्थिति क्यों पैदा हुई ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर पुलिस समझदार होती तो इस परिस्थिति को टाला जा सकता था। जब ज्यादा बात बढ़ गई तो दस आदमियों को पकड़ कर बिठा लेते तो भी लोग सेटिस्फाइड हो जाते।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो पाइन्ट इम्पोर्टेन्ट हैं। आर्डर का डिसओबिडियेन्स हुआ, पुलिस ने समय पर कार्यवाही नहीं की। लड़के के शोल्डर का डिस्लोकेशन हो गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसको चार दिन बाद लाये। इस बारे में पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया, इस पर गृह मंत्रीजी ने क्या कार्यवाही की है ? दूसरे, शोल्डर डिस्लोकेशन को मामूली चोट मान कर चलें, क्या इस तरह चोटों का क्लासिफिकेशन नये ढंग से करने का गृह मंत्री ने इरादा कर लिया है ? तीसरे, शोल्डर डिस्लोकेशन मामूली चोट है या नहीं, इसके लिए डा. हरिसिंह, जो सौभाग्य से सदन के सदस्य हैं, से पूछ लिया जाए। इस पर गौर किया जाना चाहिए। शोल्डर ज्वाइंट डिस्लोकेट हो जाए फिर भी पुलिस के खिलाफ गृह मंत्री कुछ करने को तैयार नहीं, इसमें उनकी कोई मजबूरी होगी।

श्री मदनसिंह दांता : आपकी पार्टी का भी तो डिस्लोकेशन हो रहा है।

श्री सम्पत राम : जिस समय उस लड़के ने पुलिस में केस दर्ज कराया, उसी समय पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : यह कोई मेहरबानी की ?

श्री सम्पत राम : सुनिए तो।

उस समय पुलिस ने ही उनको दाखिल कराया था। उसके शरीर पर इस प्रकार की चोट नहीं थी, जिससे पुलिस केस बनता। चूंकि उसने शरीर में दर्द बताया इसलिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया। 6 तारीख को उसकी मृत्यु हुई है और 7 तारीख को मुलजिमान को अरेस्ट किया।

श्री श्योपत सिंह मकासर : एफ. आई. आर. कितने लोगों के खिलाफ है ?

श्री सम्पत राम : एफ. आई. आर. तो उसने ही शुरू में दर्ज करा दी थी कि 3–4 आदमियों ने पीटा, 2–3 आदमियों के नाम लिए। जिस समय यह जलूस आ रहा था उस समय ही अरेस्ट कर लिया था। यह तो मोब मेन्टेलिटी है इसलिये ही हो गया नहीं तो खास बात नहीं है।

Page No 76

(76)

व्यवस्था का प्रश्न

सत्र काल में शिक्षा मंत्री द्वारा सदन से बाहर घोषणा

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, I am placing a serious point before the House. मुख्य मंत्री जब इधर बैठते थे 1972 में पहले तो इन्होंने कुछ परम्परायें कायम की थीं। उधर जाने के बाद एक एक करके बेरहमी के साथ उन परम्पराओं को तोड़ते जा रहे हैं। अभी अभी एक घोषणा शिक्षा मंत्री ने सदन के बाहर की है जब कि विश्वविद्यालय एक्ट विचाराधीन है कि अस्थाई प्राध्यापकों की सेवाएं नियमित होंगी। राजस्थान विश्वविद्यालय अस्थाई प्राध्यापक अध्यादेश के अन्तर्गत सेवा-मुक्त किए गए। राजस्थान व जोधपुर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों का एक शिष्ट मंडल कुछ विधायकों के साथ आज यहां राज्य के शिक्षा मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा से मिला। शिक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि विधान सभा के चालू सत्र में ही उपरोक्त अध्यादेश की तिथि 31 अगस्त से बढ़ा कर 15 नवम्बर करके उन प्राध्यापकों की सेवाओं को स्थायी व नियमित कर दिया जायगा जिन्हें विश्वविद्यालय की गलती से स्थायी नहीं किया गया है।

मान्यवर, जब यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल आर्डिनेन्स के द्वारा मंत्री जी ने निकाला और सदन में रख दिया और उस पर विचार होना बाकी है, वह सदन के सामने नहीं आये उससे पहले शिक्षा मंत्री अपने कुछ विधायकों को साथ लेकर डेपुटेशन को बुलवायें और उनकी मांगों के बारे में ऐसा कहें तो यह सदन का अपमान है।

श्री मूलचन्द डागा : This is breach of privilege of the House. विशेषाधिकार का हनन है। उनका एक्स-प्लेनेशन काल किया जाए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कि प्राध्यापकों के साथ ज्यादतियां हुई हैं। जब उनका शिष्ट मंडल शिक्षा मंत्री से मिला तो मंत्री जी उनसे क्या कहते कि मैं आपकी नहीं सुनूंगा? हमें तो इस बात का स्वागत करना चाहिए। मेरे स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में डेपूटेशन उनसे मिला तो कहां गड़बड़ हो गई? उन्होंने कहा, अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें तरमीम करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता···

(व्यवधान)

हम हरिजनों की बात करते हैं, एक हरिजन को निकाल दिया गया···

श्री रतन लाल वर्मा : दो बजे का टाइम फिक्स था। दो बज गए हैं, इसलिए आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। इस विषय को समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप इसे विशेषाधिकार हनन मानते हैं तो नियमानुसार मोशन लायें।

श्री रामनारायण चौधरी : शिक्षा मंत्री माफी मांगें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको आवश्यक नहीं समझता। आप प्रिविलेज मोशन के रूप में अपनी बात अध्यक्ष महोदय के सामने रखें।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामनारायण चौधरी : दूसरी सीरियस बात लीडर आफ दी हाउस से हुई है। इस प्रकार का लैप्स आज तक सदन के इतिहास में नहीं हुआ। मुख्य मंत्री ने जयपुर के अन्दर कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान हेतु माथुर समिति के गठन की घोषणा की। राज्य की कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान एवं सुनियोजित ढंग से बसाने के लिए राज्य सरकार ने भूतपूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री मथुरादास माथुर की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सब पढ़ लिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : मुख्य मंत्री के डिस्क्रिशन को या प्रीरागेटिव को हम चुनौती नहीं देते लेकिन हम अपने प्रीरागेटिव को क्लेम करते हैं। यह घोषणा मुख्य मंत्री को इस सदन में करनी चाहिए थी। किसी को भी अध्यक्ष बनायें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम मुख्य मंत्री के प्रीरागेटिव और डिस्क्रिशन को चेलेंज नहीं करते लेकिन हमारा जो प्रिविलेज है उसको क्लेम करते हैं। यदि सदन के नेता और उनके मंत्रिमण्डल के सदस्य इस प्रकार से सदन की सुप्रीमेसी को, मैग्नीफिसेंस को अंडरमाइन करेंगे तो कैसे डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा नाम आया है, मुझे सफाई पेश करने दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : विरोधी दल के नेता की कितनी जिम्मेदारी होती है इसका अंदाजा तो सदन स्वयं लगाए। अगर वह इस प्रकार की बात कहते हैं तो विरोधी दल की क्या स्थिति है उसका भी अंदाजा लगायें।

श्री मदनसिंह दांता : हम नहीं है उनके साथ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको जानकारी होगी कि मथुरादास माथुर एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमेन हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा कि कच्ची बस्तियों के संबंध में यदि एस्टीमेट्स कमेटी सारी स्थिति पर विचार करके कोई रिपोर्ट तैयार करे तो सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। यह कोई नई कमेटी नहीं बनाई गई है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। मुझे अफसोस है कि 6 महीने के बाद आपकी नींद खुली है। यह कमेटी कई स्थानों का भ्रमण करके आ गई। अगर आपको माथुर साहब के नाम से जलन है तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने भी अखबार पढ़ा। खबर देने में गलती हुई है या लेने में गलती हुई है। राज्य सरकार ने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया हो। मैं राज्य सरकार की बनाई हुई कमेटी का अध्यक्ष बनता नहीं हूं जब तक मुझे स्पीकर इजाजत न दें। मैं एस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमेन हूँ, चुना हुआ सदस्य हूँ, और by speaker नामीनेटेड चेयरमेन हूं। स्पीकर साहब को एक पत्र मुख्य मंत्री ने लिखा था एस्टीमेट्स कमेटी झुग्गी झोंपड़ी समस्या को भी एग्जामिन करे। वह पत्र मैंने एस्टीमेट्स कमेटी के सामने रखा। उसने निर्णय लिया कि हम

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरे विषयों को एग्जामिन कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको भी एग्जामिन करें। एस्टीमेटस कमेटी का निर्णय होने पर हमने एग्जामिनेशन्स शुरू किये। आज हम उनको खतम करने जा रहे हैं और रिपोर्ट देंगे। तो माथुर साहब को मुख्य मन्त्री ने कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया है चेयरमेन बना कर अगर विरोधी दल के नेता को कोई वहम हो गया हो तो वह निकाल दें। अखबार में खबर छपी है इसके बारे में पहले मुझसे तो पूछ लेते कि, माथुर साहब, आप कौनसी कमेटी के चेयरमेन हो। मैं तो एस्टीमेट्स कमेटी का चेयरमेन हूं और मुझे गर्व है कि मैं इस सदन के द्वारा चुना हुआ हूं। सदन का मेम्बर होने के नाते मुझे अधिकार है। उसी अधिकार के नाते बना हूं। चेयरमेन मुझे अध्यक्ष महोदय ने बनाया है। न तो मैंने किसी का अधिकार छीना है और न कुछ किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : बड़ी अजीब स्थिति है, मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि यह तो 6 महीने पहले ही बना दी थी। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि क्या मामला है ? क्या माजरा है ? मुख्य मन्त्री यह तो बता दें कि कितनी टेस्ट ट्यूब कमेटीज हैं जो कि काम कर रही हैं और प्रकट में नहीं आ रही हैं ? यह टेस्ट ट्यूब कमेटी आपको प्रकट कर देनी चाहिए ताकि पता तो लगे कि आपने कौन कौन सी कमेटीज बना रखी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विरोधी दल के माननीय नेता हैं कोई भी प्रश्न उठावें तो नियमों के अनुसार उठावें। कोई पालिसी डिक्लेरेशन का सवाल होता है तो वह सदन में दिया जाता है। यह पालिसी स्टेटमेंट नहीं है और जो खबर है उससे आभास नहीं होता है कि कोई पालिसी का डिक्लेरेशन किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, निवेदन यह है कि जैसा अखबार में छपा है उस में किसी कमेटी का नाम नहीं था। एस्टीमेट्स कमेटी का नाम होता तो शायद यह स्थिति नहीं होती। एस्टीमेट्स कमेटी को कच्ची बस्तियों के संबंध में काम सौंपा गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पीकर महोदय को पत्र लिखा और अभी चेयरमेन साहब कह रहे थे कि वह बहुत जल्दी सरकार को रिपोर्ट देने वाले हैं। एस्टीमेट्स कमेटी सदन की है तो क्या वह सरकार को डाइरेक्टली रिपोर्ट देगी, यह जानना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो रिपोर्ट सदन को देंगे। रूल्स के अनुसार एक कापी सरकार को भी जाती है। लेकिन हम तो सदन में रखेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इलेक्टेड कमेटी का कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है। यह परम्परा के खिलाफ है। सदन में पेश नहीं हो तब तक नहीं कह सकते कि क्या पेश होगा क्या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सब हाइपोथेटिकल बात है।

श्री मथुरादास माथुर : एस्टीमेट्स कमेटी के रूल्स पढ़िये। रूल्स के हिसाब से

(श्री मथुरादास माथुर)
हम सदन को रिपोर्ट देंगे। स्पीकर ने डाइरेक्शन्स दिये कि एग्जामिन करो तो हम क्या करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हाउस की कमेटी है उसके फंक्शन का स्कोप रूल्स में प्रोवाइडेड होता है या चिट्ठी से प्रोवाइडेड होता है? यह रूलिंग दे द आप तो।

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स में प्रोवाइडेड होता है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह माननीय उपाध्यक्ष जी से व्यवस्था मांग रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट की किसी चिट्ठी से रूल्स के तहत किसी कमेटी का स्कोप बढ़ाया जा सकता है? कृपा करके इस पर निर्णय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष के पास कोई पत्र प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने नियमों के अनुसार निर्णय लिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं लिया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई स्पीकर आर्डर देता है तो वह रूल नहीं है। इस वक्त प्रिसाइडिंग आफिसर आफ दी हाउस आप हैं, स्पीकर महोदय ने रूल्स के विपरीत किया है तो आप फैसला कर दें। यह जो कुछ हुआ है यह क्या नियमों के अन्तर्गत है? नियमों में प्रावधान देख कर यह तय करें कि सरकार की किसी चिट्ठी से किसी कमेटी का स्कोप बढ़ाया जा सकता है? एस्टीमेट्स कमेटी को काम सौंपा गया है क्या वह नियमों के अन्तर्गत है? यह स्पेसिफिक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्मा जी, मैं इसके बारे में देख लूंगा। जब मैं आसन पर आऊं तो आप मेरा ध्यान आकर्षित करें मैं स्वयं इसकी व्यवस्था दूंगा।

विशेषाधिकार प्रश्न।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 20 सितम्बर, 1978 में प्रकाशित लेख

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हृदय से आभार मानता हूं कि आपने विशेषाधिकार सम्बन्धी सारी पुस्तकें पढ़ कर कानून की कसौटी पर कस कर मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने और चर्चा उठाने का अवसर दिया। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह है 20 सितम्बर, 1978 के रोज राजस्थान पत्रिका में एक सम्पादकीय लिखा गया। सम्पादकीय को मैंने आदि से अन्त तक पढ़ा है और रामायण की पंक्ति जैसे कोई पढ़ता हो वैसे ही मैंने पढ़ा है। मस्तिष्क की सारी शक्ति को इकट्ठा करके मैंने उसकी एक एक पंक्ति को पढ़ा है। मैं, श्रीमान, उसका कुछ उद्धरण आपकी सेवा में और सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं :

"यह जानकर आश्चर्य होता है कि दोनों ही नेता अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद की मर्यादा को तिलांजलि देकर अशोभनीय और अवैधानिक और अहितकर मार्ग पर अग्रसर हुए हैं।"

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं इसको आदि से अन्त तक पढ़ने के लिए हरएक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे इसमें विशेषाधिकार हनन मालूम हुआ। हमारे अध्यक्ष, जो माननीय महारावल लक्ष्मणसिंह जी हैं, 18 जुलाई, 1977 के दिन निर्विरोध निर्वाचित किये गये। वह दिन था जिस दिन सभी दलों के नेताओं ने उनको निर्विरोध चुना। माननीय परसराम जी मदेरणा उस समय विरोधी दल के नेता था, उन्होंने यह आस्था जाहिर की, 'अध्यक्ष महोदय, आपकी विद्वता, शालीनता और सहिष्णुता से यह सदन भलीभांति परिचित है। आपके लम्बे संसदीय और सादा जीवन के अनुभव से सदन को लाभ होगा।' हमारे श्योपतसिंह जी ने कहा, 'आपने राजस्थान विधान सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में इतने वर्ष तक गरिमापूर्ण और शालीनता का रोल अदा किया।' हमारे नूरा भाई ने भी स्वर में स्वर मिलाया; अध्यक्ष महोदय ने भी अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा, "इस महान सदन की गरिमा और इस सदन की स्वस्थ परम्पराओं को बराबर कायम रखना मेरा परम पावन और पुनीत कर्त्तव्य होगा।" यह लेख जब मैंने पढ़ा तो मुझे 18 जुलाई, 77 की याद आई। इस लेख में लिखा है कि उस दिन के बाद से उन्होंने अपने पद की मर्यादा, गरिमा और शालीनता को खण्डित कर दिया। लेकिन मैं बराबर सदन में आज तक उपस्थित हूं। आज कल के देश के वातावरण से परिचित हूं। आज-कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि विधान सभाओं और उनके अध्यक्ष के जो दृश्य नजर आते हैं, वह मैं कहना नहीं चाहता। महारावल लक्ष्मण सिंह जब से कुर्सी पर आसीन हुए, निर्विरोध निर्वाचित हुए, तब से आज तक राजस्थान विधान सभा में अध्यक्ष महोदय ने अध्यक्ष पद की गरिमा, परम्परा और मान्यताओं को कायम ही नहीं रखा है, बल्कि अपनी शालीनता से इसको ऊंचा कर दिया है। जब कभी हम लोग इधर बैठने वाले कानून बताते हैं तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं, "आप सही हैं लेकिन मैं सरकार का काम नहीं रुकने दूंगा, मेरी रूलिंग सुप्रिम है।" 'मंत्री जी आप रख दीजिये टेबल पर यह आपको अधिकार देता हूं।' 'इनका कहना भी ठीक है लेकिन मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालूंगा।' ईश्वरचन्द भटनागर खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं, आप भी बोलिये। जब कौशलकिशोर जी कहते हैं, तो उनको कहते हैं आपको तीन मिनट देता हूं। मैंने हमारे अध्यक्ष की गरिमा और शालीनता को देखा है। उनका सौन्दर्य सदन में बिखरता है। सदन जब कभी उग्र रूप धारण करता है तो मेरे अध्यक्ष, मुझे गौरव है कहने में, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अध्यक्ष पैरों पर खड़ा है। आसन पैरों पर खड़ा है। सारा सदन शांत हो जाता है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही को चलाते हैं और व्यवस्था रखते हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था, सदन की गरिमा को रखने के लिये मुझे आज थोड़ा सा कुछ पेन है; धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिये। जब मैं उनके चैम्बर में जाता हूं। तो पूछते हैं, आप क्या कहने आये हैं, डागा जी ? "श्रीमान, मैं आपकी बात को सुनूंगा जरूर लेकिन मेरे सचिव से भी मैं पूछूंगा।" "कुछ हद तक आप सही हैं लेकिन मुझे कुछ और बात पूछनी है।" स्वागत, सत्कार से सदस्यों का सम्मान

(81)

(श्री मूलचन्द डागा)

ऊपर रखते हैं। किसी भी सदस्य को यह महसूस नहीं होता कि वे अध्यक्ष हैं। कभी मैंने उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट नहीं देखी। मैं आपकी कृपा के कारण पार्लियामेन्ट में भी रहा। अध्यक्ष महोदय वहां पर कभी कभी उग्र रूप से बोलते हैं लेकिन 4, 6 घंटे बैठने के बाद वे भी मुस्कराते हुए चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय की इस प्रकार की जो गहराई है उसके लिये यह लिखा है सम्पादक ने। उन्होंने बताया है कि यहां के माननीय मुख्य मंत्री का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है, उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण ही उनका निर्वाचन हुआ है। उनके प्रभाव के कारण से ही वे कुर्सी पर आसीन हैं। वे यह बताते हैं कि कुर्सी पर आसीन होने के बाद उन्होंने अपनी शालीनता, गरिमा को तिलांजलि दे दी। अध्यक्ष के लिये जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, मैं, श्रीमान, उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता कि अध्यक्ष की गरिमा क्या है? अध्यक्ष क्या है? मैं एक कोटेशन पढ़ देता हूं।

"The Speaker represents the House. He represents the dignity of the House, the freedom of the House and because the House represents the nation, in a particular way, the Speaker becomes symbol of nation's freedom and liberty."

स्पीकर की गरिमा पर आघात करने वाला जो लेख है उस लेख को और जर्नलिस्ट को या सम्पादक को देखता हूँ तो मेरा सर झुक जाता है। जर्नलिस्ट अपनी जागरूकता से, त्याग को अपने जीवन के अन्दर जिस प्रकार उतार कर जन सेवा करते है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूं। लेकिन जब कभी कोई सम्पादक या कोई लेखक सत्ता की ओर झुक जाता है, लक्ष्मी का पुजारी हो जाता है, सरस्वती का पुजारी नहीं रहता और राजनीति को आधार बना लेता है तो वह समाज की और देश की गरिमा को कम करता है। श्री कुलिश ने क्या लिखा है? यह लिखा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी दया के सागर हैं जिनकी कृपा और जिनकी मेहरबानी से अध्यक्ष महारावल कुर्सी पर आसीन हैं। वे चाहें तो उनको अध्यक्ष पद से हटा कर मूलचन्द डागा की तरह साधारण सदस्य बना सकते हैं। लेकिन उनकी दया है, उनकी कृपा है इसलिये वे टिके हुए हैं। मास्टर आदित्येन्द्र जी को एक झटके में राजनीति के मार्ग से हटा कर सन्यास की ओर अग्रसर कर सकते हैं, यह उनकी कृपा है। मुख्य मंत्री की कृपा नहीं है, सदन में हमारे मुख्य मंत्री इतने प्रभावशाली नहीं हैं। उनके व्यक्तित्व के कारण महारावल का चुनाव नहीं हुआ। विरोधी दल एवं सबने सोचा था और ईमानदार, योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति को चुन कर व गौरवशाली पद पर आसीन कर सदन गौरव अनुभव कर रहा था। राजस्थान की धरती 17 जुलाई की रात आकाश से यह कह रही थी कि आज राजस्थान की विधान सभा ने एक बड़े ईमानदार, निष्पक्ष और योग्य व्यक्ति को चुना है। यह बात राजस्थान की धरती ने आकाश से ठंडी रात के समय कही। बड़े दुःख की बात है कि राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने इस प्रकार का लेख लिख दिया और सारे सदन की प्रतिष्ठा उन्होंने गिरा दी। मैंने आपकी सेवा में प्रार्थना की नम्रतापूर्वक कि मैं उन्हें बराबर इतने लम्बे समय से देख रहा हूं लेकिन इस तरह नहीं

(श्री मूलचन्द डागा)

लिखा गया। कुलिश जी बहुत बड़े लेखक होंगे लेकिन जब लेखक केसरगढ़ की तरफ ध्यान देते हैं और सत्ता भी उन पर मेहरबानी हो जाती है, लक्ष्मी की मेहरबानी पर वह आगे बढ़ते हैं तो सरस्वती के पुजारी कहलाने वाले खून भरे हुए पैरों से जिन्दगी की कठिनाइयों को रोंदते हुये चलते हैं और आगे बढ़ते है।

यह वही कुलिश हैं जो हरिदेव जोशी के गीत गाते थे। आज वही कुलिश जी भैरों सिंह जी के बाजे बजाते हैं। कुलिश ने सम्पादक जगत पर क्या कलंक लगाया है! उनकी शक्ल और सूरत देखना चाहते हैं तो अब उनको केसरगढ़ में देखें। लम्बी चौड़ी जमीन है वहां घूमें, आराम करें। 40 लाख की जमीन है यह उनके लिये वरदान है, यह इसलिये लिख दिया है। मैं गौरव अनुभव करता हूं जब कोई सम्पादक लिखता है, कोई साहित्यकार लिखता है या कोई जर्नेलिस्ट लिखता है। लेकिन वाह रे कुलिश जी, आपने क्या लिखा है। महारावल साहब पर क्या व्यंग्य करते हैं, लिखते हैं, वे तो परम्परा से राजा हैं। लोकतन्त्र शासन पद्धति में वे राज्य विधान सभा में विरोधी दल के नेता के रूप में रहे हैं अत: उन्हें स्वत: ही शासन की बागडोर मिल जानी चाहिये थी। ऐसा उन्होंने कभी कहा नहीं। उन्होंने तो कहा है जिस दिन सदन के एक सदस्य का विश्वास भी अर्जित नहीं कर सकूंगा, मैं पद त्याग दूंगा।

जब यह विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव मैंने पेश किया, श्रीमन्, मैंने आपकी सेवा में रखा तो आपने मुझे किताबों पर किताबें पढ़ाई। श्रीमन्, आपने मेरी बड़ी अच्छी खबर ली। मुझे पढ़ने का मौका मिला। आप तो काफी पढ़ते हैं। सचिव महोदय ने भी बारीकी से देखा है। शायद अब इनकी आंखें भी दर्द करती होंगी। लेकिन मुझे भी अनुभव है। जिस प्रकार का स्ट्रक्चर पास किया है इस प्रकार के लेख को लिख कर इससे सारे माननीय सदस्यों की गरिमा, सदन की गरिमा को खण्डित कर दिया। सदन की गरिमा को खण्डित करके लिखते हैं कि अध्यक्ष महोदय चुने कैसे गये थे। वे कहते हैं अध्यक्ष महोदय चुने गये, क्योंकि मुख्य मंत्री का ऐसा प्रभाव था। मुख्य मंत्री जी के प्रभाव के कारण अध्यक्ष महोदय निर्वाचित हुए हैं। मैं उस लेख की क्या लाइन पढ़ूं? यह पढ़ते हुये मेरे मन में दुःख होता है। मेरा निवेदन है कि वे, कुलिशजी, सन्यास ले लें और भगवान रजनीश की तरह केसरगढ़ में मौज करें...

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इन जर्नेलिस्ट महोदय ने तीन बार विधायकों पर टीका-टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विधायकों का काम क्या है केवल यहां बैठ कर भत्ता कमाते हैं। मैं उस छोटे से प्रश्न पर तो चुप हो गया, मौन हो गया। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारे मुख्य मंत्री जी, जो इस सदन के नेता हैं, और उनकी दोस्ती में कमी आ जाय। उनकी दोस्ती अमर रहे। वे चेम्बर में बैठे रहें और घंटों बात करें। लेकिन जब इस प्रकार के सम्पादक को और इस प्रकार की पत्रिका को विज्ञापन देकर कुछ मदद की जाती है तो मन को बड़ा खेद होता है। आप चाहते हैं इस प्रकार वे आपकी चमचागिरी सीख जायं। भैरों सिंह जी आप मुझ से बहुत ऊंचे हैं आप आकाश पर हैं और मैं धरती पर हूं लेकिन मैं कहना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहता हूं कि सत्ता में जो चापलूसी होती है वह जन मानस पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। उस चापलूसी से, आदरणीय नेता महोदय, जब कीर्ति के प्रति मोह हो जाता है तो वह जिन्दगी में एक सांप के समान हो जाती है। निन्दा करने से किसी को गिराया नहीं जा सकता है। जब अन्दर के गुण गिर जाते हैं तो अपने आप आदमी का विनाश हो जाता है। इस प्रकार के कुलिशजी लेख लिखें और वह आपके मेम्बर्स के लिये लिखें वह किसी प्रकार शोभनीय नहीं कहा जा सकता है। कह दें तुम्हारी और मेरी दोस्ती रहेगी केवल मानवता के नाते लेकिन चूंकि तुमने मेरा सिर ऊंचा नहीं किया और सदन की गरिमा खण्डित कर दी। राजस्थान में जनतन्त्र का जो सिम्बल है, जो हमारे स्पीकर हैं, इस सारे सदन में पांच फीट ऊंचे बैठते हैं, जो हमारे हृदय के आसन पर विराजते हैं यह उनकी डिगनिटी पर आंच है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। Reflections on character and impartiality of the Speaker in the discharge of his duties. it is not only contempt of the privileges of the speaker, but contempt of whole of the House and contempt of whole of Rajasthan also." सारे राजस्थान के नुमाइन्दों ने उनको चुना है इसलिये, श्रीमान्···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न कई दिन पहले रखा था। आपकी कृपा है कि आपने इतने दिन मुझे किताबों का अध्ययन करने का अवसर दिया। मैं आपका आभार मानता हूं, मैं सचिव महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तकलीफ दी किन्तु इस रूप में फिर कभी दुबारा दें। मैं चाहता हूं सदन के जो माननीय नेता हैं वे भी कहेंगे कि प्रस्ताव को ले लिया जाय और आज के दिन उनको कठघरे में खड़ा किया जाय। कुलिश को कह दें कि अब इस चीज को छोड़ कर और कोई मार्ग अपना लें। केसरगढ़ की खाली जमीन है उस खाली जमीन पर जिंदगी भर आराम करें। मौज मस्ती उड़ायें। मेरा निवेदन है कि वे अब किसी भी रूप में साहित्यकार व सम्पादक जगत के लिये नहीं रहे।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे भी एक निवेदन करना है। क्या किया, किसने किया और क्यों किया इस पर ज्यादा लम्बी चौड़ी चर्चा न करके नियमों के अधीन जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: क्या और कोई माननीय सदस्य इस विषय में कहना चाहेंगे?

एक माननीय सदस्य: इस काबिल ही नहीं है कि अब कुछ कहें।

श्री अब्दुल अजीज: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं··

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा···

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मोशन पर हाउस में वाद-विवाद करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अली : ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि ऐसे मोशन पर वाद-विवाद नहीं हो सकता है....

श्री मदनसिंह दांता : इस तरह के मुद्दे पर इस सदन में पहले भी बहस हो चुकी है।

श्री मंजूर अली : ऐसा कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत हम इस हाउस में बहस नहीं कर सकते हैं?

श्री मदनसिंह दांता : इस मुद्दे पर इस सदन में पहले भी बहस हो चुकी है तो अब इस बात की पाबन्दी क्यों है कि हम बहस नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : दोस्तों की पैरवी मत करो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कौन पैरवी कर रहा है, भाई।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। वैसे मैंने भी इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका देने के लिए लिख रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। जैसी कि भावनाएं और जो बातें माननीय डागाजी ने कही हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं और सत्य की कसौटी पर कस कर रखी हैं। माननीय महारावल साहब के लिए हमारे पक्ष के लोगों ने तो क्या विपक्ष के लोगों ने भी श्रद्धा की भावनाएं प्रकट की हैं और उन्हीं भावनाओं के बीच उन्होंने, महारावल साहब ने, अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। उस समय हमारे विरोधी दल ने जो श्रद्धा की भावनाएं प्रकट की थीं उनमें तथ्य भरे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय डागा जी ने फर्माया कि स्पीकर हमारे पूरे राजस्थान के जनतंत्र के प्रतीक हैं, वे केवल महारावल लक्ष्मणसिंह ही नहीं हैं। उनकी इज्जत पर कहीं आंच आने वाली बात होती है तो मैं समझती हूं कि पूरे राजस्थान की इज्जत पर आंच आने वाली बात है। उनका अपमान पूरे राजस्थान का अपमान है।

दूसरी बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सम्पादक महोदय ने जो लिखा है वह यह है कि "महारावल और मास्टरजी दोनों ही नेता अपनी प्रतिष्ठा और पद की मर्यादा को तिलांजलि देकर अशोभनीय, अवैधानिक और अमर्यादित कार्य कर रहे हैं और महारावल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा जाना चाहिये।" मेरा, मान्यवर, इस पर कहना है कि इस प्रकार का उल्टा प्रचार क्यों कर रहे हैं, माननीय कुलिशजी। इस पर उनको विचार करने की जरूरत नहीं है, हम दो सौ मैम्बर बैठे हुए हैं, इसके लिए हम लोग ही यहां पर विचार कर लेंगे। उन्हें अपने सुझाव देने की कतई आवश्यकता नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत सुन्दर बात कही है।

(व्यवधान)

श्रीमती श्यामाकुमारी सैंगर : उन्होंने कहा था कि "माननीय महारावल साहब जो हैं वे वंश परम्परा से राजा हैं।" वे वंश परम्परा से राजा रहे हैं और लोकतांत्रिक शासन पद्धति में राज्य विधान सभा में विरोधी दल के नेता भी रहे हैं। उनका यह कहना कि वे चाहते हैं कि उनको शासन की बागडोर मिल जावे। मैं यह कह सकती हूं कि उन्होंने तो राज को भोगा है उन्हें इसकी ऐसी भूख नहीं है। आज के नेता राज को भुगत रहे हैं। उनके लिए प्रतिस्पर्धा की बात कहना शोभनीय नहीं है। यह आपसे और अर्ज करना चाहूंगी, वैसे तो सभी माननीय सदस्यों की उनसे आपस में बातचीत होती रहती है। प्रत्येक बात सबके सामने कहने की नहीं होती लेकिन एक दफा महारावल साहब के पास मैं बैठी हुई थी उस समय एक माननीय सदस्य आए और उन्होंने अपनी समस्या उनके सामने रखी। उस समय उन्होंने क्या जवाब दिया, इसका अनुमान बहुत कम लोगों को होगा। उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्य, भैरोंसिहजी इस समय कठिनाई में हैं, आप उनको सहयोग कीजिए और इस प्रकार की बात मेरे सामने आकर मत कहिये।" इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करना चाहती हूं कि लोकतंत्र के अन्दर विचारों का आदान-प्रदान अखबारों के माध्यम से होता है लेकिन जब सम्पादक चाटुकारिता और अवसरवादिता का आधार लेते हैं तो वे डूबते हैं क्योंकि ये दोनों चीजें पत्रकार के लिए एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई का काम करती हैं। अतः जो पत्रकार सही मायने में जीवित रहना चाहे उसे इन दोनों से अलग रहना होगा इन्हें छोड़ना होगा।

अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस प्रकार के प्रमादपूर्ण विचार 'राजस्थान पत्रिका में आये दिन छपवाते रहते हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई विशेष बात इस बारे में, इस संदर्भ में कहना चाहें तो कह दें वैसे काफी चर्चा माननीय डागाजी कर चुके हैं।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में ही अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट मैं भी निवेदन करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा भी प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं उनमें आपका है और दुलारामजी का दिया हुआ है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं तो सिर्फ दो मिनट लेना चाहता हूं।

श्री नवनीत पालीवाल : इनका प्रस्ताव नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : इसमें शेयर तो कर सकता हूँ ।

श्री नवनीत पालीवाल : इसमें वाद-विवाद का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता : यह सदन के माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है । यह प्रस्ताव हमारे सामने आ गया है । पहले भी अध्यक्ष महोदय ने ऐसे प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी थी ।

श्री नवरंग सिंह : इस पर चर्चा हो जावे तो अच्छी चीज है । आसन को इस पर उदारता से विचार करके अवसर देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अब्दुल अजीज जी, मैं चाहूंगा कि हमें भावावेश में नहीं बहना चाहिये । माननीय डागा जी ने काफी कह दिया है, फिर भी कोई विशेष बात कहना चाहें तो आप बहुत संक्षेप में कह दीजिए ।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पहले भी इस सदन में आए हैं । आये दिन इस प्रकार लिख कर हमें, हमारे सदन और हमारे अध्यक्ष को एक बहुत ऊंचाई से गिराने की बात करते हैं तो हमें चिन्ता होती है । हालांकि हम बहुत छोटे सदस्य हैं अगर हमारे लिए ऐसी बात कही जावे, हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात लिखी जावे बमुकाबले हमारे स्पीकर महोदय के तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यह जो कुछ भी राजस्थान पत्रिका में लिखा गया है, वह बहुत ही शर्मनाक है, शर्मजनक है । एक जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट की सीमा में रहना चाहिये । उसको इस तरह से दूती का काम नहीं करना चाहिये । दूती शब्द के मायने क्या हैं यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं । इस हाउस की गरिमा को गिराने के लिए हम माननीय सदस्य, मंत्री और अध्यक्ष महोदय के लिए इस प्रकार की बातें लिखते है जिसमें हम सब को दर्द महसूस होता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा, जो विशेषाधिकार समिति निर्धारित करे, दी जानी चाहिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान पत्रिका में महारावल और मास्टर जी नाम से जो लेख प्रकाशित हुआ है उससे निश्चित तौर से इस सदन का बड़ा भारी अपमान हुआ है । माननीय महारावल जी पहले विरोधी पक्ष में बैठते थे और जब से वे विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तब से लेकर आज दिन तक इस राजस्थान विधान सभा का जिस तरीके से संचालन कर रहे हैं वह तहेदिल से स्वागत योग्य है । चाहे इधर बैठने वाले सदस्य हों और चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों, जिन परिस्थितियों में विधान सभा आज कल चलती है, जिस ढंग से उसका सुचारु रूप से अध्यक्ष महोदय संचालन करते हैं उससे सभी भलीभांति परिचित हैं । देश के सामने राजस्थान विधान सभा एक उदाहरण है । पहले रामनिवास जी मिर्धा ने जो कुछ परम्परायें कायम की थीं उन्हीं परम्पराओं को कायम रखते हुए ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य जनता की मांगों को व्यक्त करके संतोष प्राप्त कर सदन से जावें ऐसा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न करते हैं । इनके समय व इनकी उदारता का कभी नाजायज फायदा भी हम लोग जरूर उठा लेते हैं, यह तो कह सकते हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा व्यवहार नहीं

Page No 87

(87)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

रहा है और पहले भी और अभी भी सदन का संचालन करने में कोई ऐसी बात आज तक हमको प्रतीत नहीं हुई है। जनता पार्टी के अन्दरूनी झगड़े जो हैं जिस तरह से उनके आपसी झगड़े हैं उसमें किसी एक पक्ष को मजबूत करने के लिए किसी पत्रकार को इस तरह से अध्यक्ष को बीच में नहीं लाना चाहिये। पत्रकार के नाते उनकी जिम्मेदारी है, यह उनको नहीं भूलना चाहिये। महारावल राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष हैं और इनके प्रति कोई ऐसी प्रतिक्रिया हुई तो उसका क्या नतीजा होगा यह भी उन्हें नहीं भूलना चाहिये। माननीय कुलिश पुराने पत्रकार हैं, कई मुख्य मंत्री उन्होंने देखे हैं। मोहन लाल जी सुखाड़िया का 17 साल का शासन काल देखा, उसके बाद माननीय बरकत साहब और फिर हरिदेवजी जोशी का शासन काल देखा और उसके बाद में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का शासन-काल देख रहे हैं। सुखाड़ियाजी, भैरोंसिंहजी और मैं भी इस सदन में 1962 से बराबर हूं। मैंने देखा है कि किसी भी प्रश्न को लेकर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने और वापस जवाब देने की सरकार ने स्वस्थ परम्परा सदन में डाली थी। इसके बाद कोई संतुष्ट हों, असन्तुष्ट हों, किस तरह समय दिया जावे, यह अलग बातें थीं। जो भी माननीय सदस्य जनता पार्टी के पक्ष में बैठने वाले हैं, वे कभी यह भूल जाते हैं और इस आसन पर आरोप लगाते हैं कि उनकी उदारता से विरोधी पक्ष को समय मिल जाता है और हमको समय नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय यह मानते हैं कि इनकी भी समस्यायें हैं। एक तरह से ये माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि अध्यक्ष महोदय हम सबकी तरफ से चुने हुए हैं। मन्त्रिमण्डल आपका है, ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए हैं आपका प्रतिनिधित्व हो रहा है, सारा बिजनेस आपका पास होता है, सारा काम आपका होता है, यह भूलना नहीं चाहिये। यह प्रजातंत्र है, जिसमें दो पक्ष हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी दो तीन दिन पूर्व ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि अगर इस तरह से विरोधी पक्ष के नेता को नहीं बोलने देंगे या सत्ता पक्ष के मुख्य मंत्री, जो मुख्य मंत्री बाद में हैं पहले सदन के नेता है, को अगर नहीं बोलने दिया तो सदन की कार्यवाही चलाना बहुत ही असम्भव है। इस तरह की व्यवस्था को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अध्यक्ष महोदय काफी अनुभवी हैं, उन पर इस तरह से छींटाकशी की जाए. इस तरह से विचार उनके लिए व्यक्त किए जाएं तो निश्चित तौर से मैं अन्तरात्मा से कह सकता हूं इससे उनका अपमान हुआ है और यह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। मैं भी इतने वर्षों से सदन में हूं। कई मौके सदन में आए हैं, इस सदन में कई झगड़े मैं देख चुका हूं। एक बार तो ऐसा वाकया सामने आया कि दोनों तरफ तनातनी थी। सदन के नेता को भी यह भलीभांति मालूम है कि कितना उग्र वातावरण था। मेरे चोट लगी थी और खून आ गया था। वातावरण काफी उससे भड़क गया था। मेरे चोट लगी थी, जिस ढंग से लगी थी और जिस तरफ से लगी थी, मुझे मालूम था कि यह किसने किया है। परन्तु मैंने वह सूचना सदस्य के नाते भी नहीं दी। मैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चाहता तो सदन के उन सदस्य को सदन से सजा दिला देता । परन्तु मुझे यह कोई अच्छी परम्परा नहीं लगी। मैंने उस घटना को दरगुजर कर दिया। मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इस तरह से वह मामला ड्राप हो गया । यह जो आपका घटकवाद है उसमें हम पड़ना नहीं चाहते। परन्तु महारावल साहब के लिए यह प्रश्न कहां आता है ? ...

श्री नवनीत पालीवाल : यह घटकवाद क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिसको लेकर यह लेख लिखा गया है । अध्यक्ष के प्रति इस लेख में ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिये था। पत्रकार के लिखने की भी कोई सीमा है । मैं इसको ज्यादा उचित नहीं समझता हूं। मैं काफी वर्षों से अध्यक्ष महोदय को जानता हूं। वे काफी कोमल हृदय के हैं। जिस ढंग से, डेमोक्रेटिक ढंग से वे काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय है। हमारी तरफ से दो-तीन मामले उठाये गये। उन्होंने एग्री किया। सदस्यों को नाराज किया और हमें पूरा मौका दिया। यह काम बड़ा मुश्किल होता है। कई मामलों में एग्री किया और जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया है । एक पत्रकार ने उनके खिलाफ ऐसा लिख दिया, यह उचित नहीं है। मैं ज्यादा बहस में न पड़ कर यह निवेदन करना चाहता हूं, तहेदिल से मेरा यह मत है कि यह जो लेख है इससे निश्चित तौर से पूरे सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। स्पीकर संसदीय प्रजातन्त्र का सिम्बल है ? हम उनको सम्बोधित करके ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैं आशा करता हूं जो अध्यक्ष का पद है उसकी गरिमा को सदन के नेता महोदय भी स्वीकार करेंगे। वे सदन की गरिमा को किसी रूप में भी कम नहीं होने देंगे । उस पत्रकार के खिलाफ, जो इस तरह की हरकत बार-बार करता है, विधान सभा पर छींटा कसी करता है, हमको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हमारी मल्टी-फेरियस ड्यूटी है। हम यहां पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। बाकी हमारे पास क्या है ? अध्यक्ष महोदय, हमारी सभा का संचालन करते हैं। उनके खिलाफ इस तरह की बात लिखी जाये, तो मेरे हिसाब से वह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है। उसी हिसाब से फैसला दिया जाना चाहिए। इसलिए जैसा भी उचित हो निर्णय किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सदन की इस प्रश्न पर अनुमति चाहूंगा, क्या अनुमति है ?

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर यह व्यवस्था दें कि सभी माननीय सदस्य इस पर बोल सकें ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह, चर्चा काफी हो चुकी है। प्रश्न केवल यह है

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक मिनट में बात खतम कर दूंगा। एक खास बात है...

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या खास बात का ठेका माननीय श्योपतसिंह जी का है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं अकेला सदस्य हूं ...

श्री मदनसिंह दांता : पार्टी के एक ही सदस्य हैं इसलिए बोल सकते हैं। श्योपतसिंह जी का नाम आया है···

श्री बजरंग लाल शर्मा : नाम का प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न पर सब को बोलने का मौका दिया जाय, ऐसी कोई पद्धति है, तो नियम बता दीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप पहले विपक्ष के सदस्य बनिए···

श्री उपाध्यक्ष : एक निवेदन करना चाहूंगा···

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने इजाजत दे दी है···

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह समझ रहा था कि आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं और कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे बड़ा व्यवस्था का प्रश्न और क्या पैदा हो सकता है कि हमारी भावनाओं को ठेस लगी है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, पगड़ियां उछाली जा रही हैं, कभी मुख्य मंत्री की पगड़ी उछाली जाती है, कभी अध्यक्ष की पगड़ी उछाली जाती है। यह क्या हो रहा है ? इसके बारे में कहना चाहता हूं, यह आखिरकार किस सन्दर्भ में लिखा गया है ? क्यों लिखा गया है ? आज मालूम हुआ यह सारी की सारी केसरगढ़ की मेहरबानी है। यह सारा केसरगढ़ कहलवा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अनावश्यक चर्चा न उठावें।

श्री श्योपतसिंह मकासर: यह कैसी पत्रकारिता है। यह बहुत बुरी बात है।

श्री ईश्वरचन्द : व्यवस्था का प्रश्न है। अनुमति विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को दी जाए उसके पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि यह एक प्रकार से सदन की गरिमा का सवाल है। इसलिये सदन इस पर विचार करने के लिये सक्षम है। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा इसलिए इस प्रश्न पर समिति द्वारा भली प्रकार से विचार नहीं किया जा सकेगा। इस पर आप सम्यक बहस चाहते हैं, इफेक्टिव निर्णय चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि सदन खुद इसको तय करे। सदन सुप्रीम है इसलिए इस पर सदन में खुली बहस हो जाए। कोई और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, आपकी आज्ञा भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर बाद में विचार होगा। पहले सदन की अनुमति लेनी होगी। आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो इसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाए···

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्या यह सदन की अनुमति है,····

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप कृपा कर के······

श्री उपाध्यक्ष : आपके तर्कों से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप रूल्स का मुलाहिजा कीजिए···

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति लेनी होगी इस प्रश्न पर नियम संख्या···

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले नियम बता दीजिए। राजस्थान पत्रिका के बीच ग्राफ प्रिविलेज पर अध्यक्ष महोदय की एक रूलिंग है····

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले नियम 161 को पढ़ लीजिए उसके बाद चर्चा करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : नियम 161 162, 163 पढ़ लिया है। अध्यक्ष की व्यवस्था है तीन दिन पहले की···

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस व्यवस्था के अनुरूप, नियम के अनुरूप ही अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री मन्जूर अली : आधा मिनट मुझे दें, उपाध्यक्ष महोदय···

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप उस व्यवस्था, जो अध्यक्षजी ने दी है, का मुलाहिजा कर लीजिए। कहीं इनकन्सिस्टेन्सी आफ रूलिंग न हो जाए···

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में जो प्रावधान है उसके अनुरूप ही माननीय सदस्यों की अनुमति चाहूंगा।

क्या सदन की अनुमति है कि इस विशेषाधिकार प्रश्न को लिया जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में नियम 161 के अनुसार यह मेरा डिस्क्रिशन है कि इसको सदन के समक्ष रखा जाय या विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा जाए।

माननीय सदस्यों के सुझाव क्या हैं ? और भी माननीय सदस्य संक्षेप में सुझाव दें तो मैं स्वागत करूंगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अगर अनुमति हो तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। यह इसलिये भी विचारणीय है कि प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस के मुताबिक यह नहीं होगा कि किसी ऐसी बाडी के पास कोई ऐसा मामला भेजा जाय जो नोमिनेट करने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित हो जैसा माननीय ईश्वरचन्द्र जी ने कहा है कि जिस कमेटी को नोमिनेट किया है उस कमेटी के जरिये यदि इसका निर्णय कराया जाय तो प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस के अनुसार नहीं होगा। अभी तीन दिन पहले स्वयं अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अब एक और प्रश्न विशेषाधिकार के बारे में आ रहा है जो कि चूंकि मुझसे ताल्लुक रखता है इसलिये जिस दिन सदन उस पर विचार करेगा उस दिन की सिटिंग को मैं प्रिसाइड नहीं करूंगा। श्रीमान्, यह मामला उस समय आया है जब आप आसन पर आसीन हैं। मेरा निवेदन करना है कि स्वयं अध्यक्ष से यह मामला ताल्लुक रखता है···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

स्वर्गीय निरंजन नाथ आचार्य इस सदन के जब अध्यक्ष थे, चूंकि भारत का संविधान यह प्रोवाइड करता है कि यह एक पद ऐसा है जिसमें कंटीन्युटी होती है, स्पीकर कंटीन्यू करता है इसलिए जब कांग्रेस पार्टी ने निरंजन नाथ आचार्य को टिकट नहीं दिया तो तत्का-

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
लीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुड़ावत को ब्रीच ग्राफ प्रीविलेज का नोटिस दिया गया। स्वयं अध्यक्ष के बारे में पहले भी प्रश्न उठा है कि आपके द्वारा प्रिसाइडेड हाउस इस बात पर विचार करे और आप द्वारा यह निर्णय हो। इस तरह की बात भविष्य में नहीं हो इस दृष्टि से हम इस पर सही निर्णय, सम्यक् निर्णय ले सकें, प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस के मुताबिक ले सकें इसके लिये उचित यह है कि सारा मामला हाउस को सौंपा जाय, बजाय एक प्रिविलेज कमेटी को सौंपने के।

श्री कौशल किशोर जैन: उपाध्यक्ष महोदय, कृपया रूल 234 अवश्य देखें। समय-समय पर ऐसे मामलों को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाता है। उसके बाद रूल 235 में समिति ऐसे प्रश्न की जांच करती है। प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखें। चूंकि जनता पार्टी की इमेज पर आघात होने से लोगों के दिलों में बहुत बड़ा दर्द उभरा है, और चूंकि कई प्रकार की अनर्गल बातें कही गई हैं अत: मैं चाहूंगा कि सम्यक् रूप से स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस के लिये यह आवश्यक है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप इस सदन में ही बहस होने दें।

श्री रामनारायण चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, रूल 161 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—

"If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer the question to a Committee of Privileges for report within a period to be specified, unless he is of opinion that the matter is such as may be disposed of by the House without reference to the Committee, in which case the member making the complaint shall make a motion that the matter be taken into consideration forthwith or at some future time."

माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने जो आपके सामने एक प्रपोजिशन रखा है वह इससे मेल नहीं खाता। आपका डिस्क्रिशन है कि आप पूरे हाउस के सामने रखें या कमेटी के सामने। हाउस के सामने इसी सूरत में रखने पर विचार करेंगे, मान्यवर, जब कम्पलेन्ट करने वालों की ओर से प्रस्ताव आये, अदरवाइज वह प्रस्ताव नहीं करता है तो, मान्यवर, आप इस बात के लिये पाबन्द हैं, आप इसे प्रिविलेज कमेटी के अलावा हाउस में विचार करने की अनुमति नहीं दे सकते। हम कम्पलेंट करने वाले सदस्य हैं। हमने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा है। इसलिये माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही इर्रेलेवेन्ट है। इस पर हाउस में विचार नहीं हो सकता।

श्री मंजूर अली: माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 161 में यह है—

"If leave under rule 160 is granted, the Speaker shall refer....."

इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है "shall" यानि, उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई एक्सट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टान्स नहीं है तो इसको प्रिविलेज कमेटी को दिया जाना अनिवार्य है। इस मामले में कोई गैर मामूली हालात नहीं है...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, "shall" को मैं समझता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री मंजूर अली : मैं "shall" शब्द के व ो अर्थ लेता हूं। मैं इससे अलग के अधिकार महदूद नहीं कर रहा हूं। बेशक स्पीकर के अख्तियार गैर महदूद हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर एक्स्ट्रा आर्डनरी गैर मामूली बात नहीं हो तो इस सम्बन्ध में आप इस रूल के अनुसार विचार करें। इन सम्पादक महोदय के खिलाफ एक मोशन पहले भी प्रिविलेज कमेटी को जा चुका है। आलरेडी वह कमेटी एक मोशन को एग्जामिन करेगी। इसके अलावा एक मोशन और इनके खिलाफ आ चुका है। ये सम्पादक महोदय हाउस की गरिमा के साथ मेम्बर्स की डिग्निटी, उनके स्टेटस पर किसी मंसूबा-बन्द, प्रि-प्लान्ड स्कीम के तहत हमला करना चाहते हैं . . .

(व्यवधान)

एक मोशन इसी सम्पादक के सम्बन्ध में रेफर हुआ है। उसके बावजूद ठीक उसके दूसरे दिन ही फिर उनका लेख आया है। एक मोशन फिर दिया गया है। यह तीसरा मोशन है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। सदन के माननीय नेता इस पर कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके मेरिट्स और डी-मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता। लेकिन रूल 161, जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है, के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं सदन में कई वर्षों से लगातार आने वाले सदस्य जानते हैं कि प्रिविलेज मोशन कई बार ऐसे भी होते हैं जिन पर चर्चा करने की या उस चर्चा के आधार पर रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कई बार इस सदन में लोग पर्चे फेंक देते हैं या सदन में और किसी प्रकार कार्यवाही होती है तो ऐसे प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी को रेफर नहीं किया जाता। इस मोशन में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, इस सदन और माननीय अध्यक्ष की गरिमा का प्रश्न है। मैं ऐसा समझता हूं और माननीय सदस्य भी उचित समझेंगे कि उस गरिमा के अनुसार ही इसे प्रिविलेज कमेटी को जाने दिया जाये। मैं यह इसलिए चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी सारे प्रश्न पर चर्चा करेगी। अखबार में क्या लिखा गया है, उस पर क्या प्रश्न उठता है, क्या लिखने का अधिकार था, विधान सभा सदस्यों के क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, इस अखबार में किस प्रकार से उनके कर्तव्यों पर दुर्भावना व्यक्त की गई है, उनके अधिकारों का किसी प्रकार हनन हुआ है या नहीं ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनको गम्भीरता से लेना चाहते हैं तो कमेटी के सामने जाने पर ही चर्चा हो सकेगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं इसे प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाय। उसकी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। प्रिविलेज कमेटी इस प्रकार के प्रश्न को लेकर एग्जामिन करती है, तो यह मानना गलत है कि प्रिविलेज कमेटी स्पीकर के द्वारा नामिनेटेड होती है, इसलिए वह इण्डिपेण्डेण्ट वर्क

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं कर सकेगी। परम्परा यह है कि जो भी कमेटी होती है, वह सदन के द्वारा नामीनेटेड होती है और इण्डिपेण्डेण्ट वर्क करती है। यह सूचना गलत है कि वह अध्यक्ष द्वारा मनोनीत है, इसलिए उनके द्वारा प्रभावित होगी। इस प्रकार की भ्रान्ति मन में न रखें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : रूल नं. वन्...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है। इसकी व्याख्या के बारे में सन्देह नहीं है। जो चर्चा हुई है, उसमें यह मत व्यक्त किया है कि इसे सलेक्ट कमेटी को रेफर करना है। सदन की ऐसी परम्परा रही है, ज्यादातर इस प्रकार के प्रस्ताव सलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा जो चर्चा हुई है उसकी दृष्टि से मैं यह उचित समझता हूं कि यह प्रस्ताव भी विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाये। समिति अपना प्रतिवेदन आगामी अधिवेशन के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। समिति जब तक अपना प्रतिवेदन दे तब तक इस पत्रकार को रोक तो दीजिए कि वह ऐसा नहीं करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक फैसला नहीं होगा, वह ऐसा ही करेंगे।

श्री नवरंग सिंह : इसके बारे में सोचना चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया है, आपका क्या रुख है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्यप्रकाश डोडा, आधा घण्टे की चर्चा उठायेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी इस पर अपने विचार रखें। जो कुछ भी पत्रकार ने लिखा है, जब तक उस पर निर्णय नहीं हो तब तक इस पत्रकार को कम से कम विधान सभा की गैलरी में नहीं बैठने दें। जो हमको नहीं देखना चाहते हैं, उनको विधान सभा की गैलरी में नहीं बैठने दें। मैं यह मोशन रखता हूं, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की पत्रकार गैलरी में इस पत्रकार को नहीं बैठने दिया जाय।

आधा घंटे की चर्चा

जयसमन्द झील के लिये सहकारी समितियां

(प्रश्न सं. 46 दिनांक 6 अक्टूबर, 1978)

श्री सूर्यप्रकाश डोडा (खेरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा घण्टे की जो चर्चा के उठाने के लिये समय दिया है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखूंगा। वर्तमान समय में जो नियम बना हुआ है, उसको जयसमन्द में मछली पकड़ने का ठेका दिया गया है और उसके द्वारा मछली पकड़ने का काम हो रहा है। वर्तमान सरकार ने निगम पर भरोसा किया है। भरोसे के मुताबिक काम होना चाहिये था, वह काम नहीं हुआ। जो सोसाइटी बनी हुई हैं उन पर ठेकेदार एक प्रकार छाये हुए हैं इसलिये वर्तमान सोसाइटी की क्षमता का सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सोसाइटी बनाई जा रही है,

(श्री सूर्य प्रकाश डोडा)

उनको सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न करें। जयसमन्द भील में मछली पकड़ने का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है वह अफसोस-जनक है। एक साल में निगम में 47 लाख का घोटाला वताया गया है। वहां के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का 1.50 लाख यात्रा व्यय वताया गया है। यह यात्रा व्यय एक साल का है। इतना मन्त्री महोदय का भी यात्रा व्यय नहीं बनता होगा। इसी प्रकार से हजारों लाखों रुपयों की बरवादी हो रही है। इस निगम का करोड़ों रुपया दिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा या केन्द्र सरकार के द्वारा। इस निगम में एक साल के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। आज तक कितना क्या होगा, उसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयसमन्द के आसपास के जो जो आदिवासी हैं, वे पहले से ही गुलामों की तरह ठेकेदारों के द्वारा लगाये जाते रहे हैं। इस स्थिति में वहां के आदिवासियों के द्वारा एक सोसाइटी बनाई गई ताकि आदिवासियों को काम मिले और वह गुलाम न रहें। वर्तमान सरकार द्वारा जिस तरह से अन्त्योदय योजना बनाई गई है इसी तरह से उनको ऊंचा उठाने के लिए सोसाइटी बनाई गई है। उस सोसाइटी को ठेका मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। जो निगम है उसने आदिवासियों की सोसाइटी को ठेका मिलने में रोड़े अटकाये हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 400 मैट्रिक टन मछली सहकारी समितियों द्वारा निकाली गई जिसकी कीमत 60 लाख रुपया है। वर्तमान सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के तहत मत्स्य सहकारी समितियां एवं अन्य सभी सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीकरण सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है। मत्स्य सहकारी समितियों के लिए सरकार ने उपनियम, बाइलाज, बनाये हैं जिसके अन्तर्गत इन सहकारी समितियों को मछली मारने, बेचने इत्यादि सभी कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। वर्ष 77-78 में जयसमंद भील में मछली मारने का कार्य सहकारी समितियों ने किया तथा उसे बेचने का काम निगम ने किया जब कि उसे राजस्थान सरकार के द्वारा बनाये गये बाइलाज के तहत सहकारी समिति द्वारा पकड़ी गई मछली बेचने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इस तरह से निगम वर्तमान में सहकारी समितियों के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। इसी प्रकार से मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि निगम के द्वारा जो अवैधानिक कार्य किए गये उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। जन जाति विभाग बतावे कि किस नियम के तहत मछली वेचने का अधिकार निगम को प्रदान किया गया था? न तो सहकारी समिति अधिनियम में ऐसा प्रावधान है और न ही प्रावधान बनाने हेतु नियमों में राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन किया गया है। निगम का विकास सम्बन्धी जो काम है उसको वही काम करना चाहिए। जब उदयपुर में निगम का कार्यालय स्थापित हुआ था उस समय इसका उद्देश्य मछली पकड़ना और बेचना नहीं था फिर उसे मछली पकड़ने या बेचने का अधिकार किसने कब दिया? वर्ष 77-78 में क्या निगम के द्वारा मछली वेचने के लिये टेण्डर

(श्री सूर्य प्रकाश गोड़)

मांगे गये थे ? यदि नहीं मांगे गये तो क्यों ? बिना टेण्डर के ही मछली क्यों बेची गई तथा कहां बेची गई ? इसी प्रकार सहकारी समितियों से ज्ञात हुआ है कि मछली बिना टेण्डर या नीलामी के निगम द्वारा दिल्ली के हाफिज सिराज एण्ड कम्पनी को बेची गई तथा कलकत्ता की फर्म को 6 रुपये प्रति किलो की दर से बेची गई। जब कि कलकत्ते में गत वर्ष मछली की दर 15 रुपये प्रति किलो से 25 रुपये प्रति किलो तक रही, निगम ने 6 रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेची। इस प्रकार इसके अन्दर भी निगम के अधिकारियों ने घोटाले किये । इसी प्रकार जयसमंद झील से गत वर्ष कुल 400 मैट्रिक टन मछली सहकारी समितियों द्वारा निकाली गई जो 4000 हजार क्विन्टल के बराबर होती है। प्रति किलो 15 रुपये की दर से इतनी मछली की कुल कीमत 60 लाख रुपये होती है परन्तु निगम के रिकार्ड के आधार पर कुल 13 लाख 10 हजार रुपये की मछली बेचना बताया गया है और निगम ने 88 हजार रुपये का नुकसान भी बताया है । राज्य मन्त्री, जनजाति विभाग कृपया यह बताने का कष्ट करें कि निगम को यह घाटा किस प्रकार हुआ तथा 4000 क्विन्टल मछली की बिक्री के 47 लाख रुपये कहां गये ? यह तो एक मामूली रकम है लेकिन ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह एक स्मरणीय बात है। इसी प्रकार से यह भी बताया जाय कि निगम के अधिकारियों...

एक माननीय सदस्य : He may be allowed to read.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आधा घंटे की चर्चा का वक्त तभी समाप्त समझा जायगा जब आधा घंटा हो जायगा। आप कोई चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, पढ़ें नहीं।

श्री सूर्यप्रकाश डोडा : इस प्रकार से जो घोटाले किये गये वह वर्तमान समय में अशोभनीय हैं। मैं यह मानता हूं कि सहकारी समितियों को सरकार द्वारा एक तरह से सहयोग देना चाहिए और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना चाहिएं लेकिन सोसाइटी को नाम मात्र की सोसाइटी ही रहने दिया गया। सोसाइटी की यह स्थिति बना दी गई जैसे हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। इस प्रकार जो पहले की रीति-नीति चल रही है वह नहीं चलनी चाहिए...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और जो नियम हैं उसी के आधार पर काम होना चाहिए। मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत कार्यवाही की और घोटाले किये उनकी जांच की जानी चाहिये और उसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय लेंगे आप ? संक्षेप में कह दीजिये।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, जयसमन्द झील एशिया महाद्वीप में मछलियों की प्रसिद्ध झील है। भारत सरकार की तरफ से ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत जन जाति विकास सहकारी निगम बनाया गया आदिवासियों की भलाई के लिए और उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिये. लेकिन निगम के अधिकारियों ने आदिवासियों का शोषण किया, उसके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। जयसमन्द झील से मछली पकड़ने के लिए सहकारी समितियों के केवल 650 ही सदस्य बनाये गये, जबकि बीस हजार आदिवासियों को सदस्य बनाया जा सकता था। 650 सदस्यों में से केवल 80 सदस्यों को ही जाल दिये और नाव दी बाकी के 570 सदस्यों को बेरोजगार कर दिया। इस प्रकार से उनसे पैसे लेकर उनका शोषण किया गया। जब कि निगम ने 7 लाख रुपये लिये थे तो जो 570 आदिवासी बेरोजगार हैं उनको भी जाल और नावें दी जानी चाहिए थीं लेकिन अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको जाल व नाव नहीं देकर उनका शोषण किया। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष निगम ने बिना टेण्डर काल किये मछलियों का ठेका दिया वह गैर कानूनी दिया। निगम को मछली विभाग के बिना लाइसेंस के मछली बेचने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार से उसने सरकार के नियमों की अवहेलना की। उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष आदिवासियों ने चार हजार क्विन्टल मछलियां जयसमन्द झील से निकालीं। उनको 12 आने या सवा रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से मजदूरी दी गई जब कि सरकार का यह नियम है कि कम से कम पांच रुपया मजदूरी दी जानी चाहिए। वैसे जयसमन्द झील में मछली पकड़ने वालों को दस रुपये मजदूरी दी जाय तो भी कम है। उपाध्यक्ष महोदय, 12 आने और सवा रुपये किलोग्राम के हिसाब से मजदूरी दी गई और चार हजार क्विन्टल मछली 15 रुपये और 25 रुपये किलोग्राम के हिसाब से कलकत्ता में जाकर बेची। 15 रुपये के हिसाब से भी सात लाख रुपये होते हैं जब कि अधिकारियों ने केवल 13 लाख 10 हजार रुपये ही बताये हैं। 47 लाख रुपये कहां गये; यह प्रश्न आता है? उपाध्यक्ष महोदय, जो निगम आदिवासियों की भलाई के लिये बनाया गया है, उस निगम के अधिकारियों ने 47 लाख रुपयों का घोटाला किया। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जिन जिन अधिकारियों ने ये घोटाले किये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, निगम के अधिकारियों ने कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली हवाई जहाज से दौरा किया, डेढ़ लाख रुपये यात्रा भत्ता लिया गया। यह एक शोचनीय बात है और इसके लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। निगम के अधिकारी पदमचन्द सिंघवी को हटाया जाना चाहिये। यह सारे घोटाले करने में पदमचन्द सिंघवी का हाथ है। वे घोटाले में सबसे आगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, निगम को 88 हजार का नुकसान बताया गया है लेकिन पैसों का दुरुपयोग हुआ है और घोटाला हुआ है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि निगम ने आदिवासियों का शोषण किया है। इस साल भी आदिवासी विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिख कर दिया

(श्री नाथूराम)

था। उन्होंने सोसायटी को ठेका देने के आदेश भी दिये फिर भी अधिकारियों और राज्य मंत्री महोदय ने मिल कर निगम को ठेका दिया। मैं मांग करता हूं कि यह ठेका आदिवासियों की सोसाइटियों को दिया जाना चाहिए। उनको इसका फायदा मिलना चाहिये, उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए, यही मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का शोषण होता है वह हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं 1957 से इस विधान सभा का सदस्य हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों का शोषण हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मछलियां पकड़ने के ठेके की जो चर्चा चल रही है उस बारे में मुझे दो मिनट का समय दिया जाए।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किस प्रकार निगम ने ठेके देने में गड़बड़ की। राजस्थान में मच्छी के तेल का पोटेन्शियल है। अगर नेशनलाइजेशन की बात होती तो मैं उसका स्वागत करता लेकिन कहीं पर ठेका प्रणाली और कहीं पर टेन्डर प्रणाली कर रखी है। इसमें मंत्री को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है। आपने पहले ही कानसिंह आयोग बिठा रखा है। आप कितने आयोग बिठायेंगे? इन मंत्रियों को अनुभव नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुये लोग घाघ हैं। उनको इसका अनुभव है कि how to befool the people. कोआपरेटिव सोसाइटीज के इतिहास में यह एक तरीका बनाया है। सहकारी समितियों के माध्यम से भरतपुर में, मछलियों का व्यापार होता है। यह जो कपूर ठेकेदार था जयसमंद झील के लिए इस ठेकेदार से एग्रीमेंट किया और इस ठेके में घोटाला हुआ। राजस्थान की तमाम मछलियां अलग-अलग जगह आगरा, बम्बई, दिल्ली, हावड़ा तक जाती हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा कहा 4000 क्विंटल मछलियां जयसमन्द झील से निकलीं। मेरे एरिया में 15 रुपये किलो से कम कीमत मछलियों की नहीं है। आपने क्या किया? निगम के जरिये फिश कार्पोरेशन आफ इन्डिया को मछली नहीं बेचीं जब कि निगम को सारी मछलियां बेचनी चाहिए थीं फिश कार्पोरेशन आफ इन्डिया या फिश कार्पोरेशन आफ वेस्ट बंगाल को। लेकिन उसने दिल्ली की दो पार्टियों को बेचीं। मंत्रियों को पता नहीं, मंत्री चले गये होंगे तो मछलियों के व्यापारियों ने उनको दावत जरूर खिलाई होगी। मुझे पता नहीं कि उन्होंने निगम के अधिकारियों को खुश किया या मंत्री को लेकिन घोटाला है। मैंने 20 लाख रुपये के घोटाले के बारे में कहा था, मेरे पूर्व वक्ता ने 47 लाख रुपये के घोटाले का कहा है लेकिन निश्चित तौर से राजस्थान में मछलियों का भाव 15 रुपये किलो से कम नहीं है। इस प्रकार मजदूरों को एक्सप्लाइट किया गया है एक तरफ आप कहते हैं कि आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हो दूसरी तरफ अपनी पार्टी की पालिसी को तोड़ते हो। अगर आप मछलियां कार्पोरेशन के माध्यम से बेचते तो आपको कितने रुपये मिलते? आपको 13 लाख रुपये मिलते हैं उसकी जगह 60–70 लाख रुपये मिलते। आपको सारा तजुर्बा हो गया। ठेके

(श्री शिवचरण सिंह)

देने की टेंडर प्रणाली निकाली, यह दूसरी गलती अधिकारियों ने आपसे कराई। पहले ओपन आक्शन था। इस प्रणाली से आपकी मछलियों की आमदनी पिछले साल के मुकाबले में कम हुई इस साल बारिश हुई इस कारण मछलियों का चढ़ाव होता है। आपका इस साल मछलियों का ठेका उसके मुकाबले 20 पर्सेन्ट कम है। आपको अधिकारियों ने गुमराह किया। आप मछलियों के विकास के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं या आप नेशनलाइज्ड तरीके से चलाना चाहते हैं? अगर नेशनलाइज्ड तरीके से चलाना चाहते है तो पूरी तरह से चलाइए या आप निगम के जरिये मछलियां पकड़वाइये। क्या कपूर ने कोई बोतल खोल दी जैसे पहले खुला करती थीं?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजस्थान हाउस मे वह आता था। मैं कपूर का घर देख कर आया हूं। उसका घर अलग है, मोदी का घर अलग है। आप कृपा करके इसकी जांच करें और अपनी पालिसी को रिवाइज करें।

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है। मैं नहीं चाहूंगा कि मंत्रीजी उत्तर नहीं दे सकें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्रीजी उत्तर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप ने सदस्यों से बुलवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, कह दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो आदिवासी लोग हैं उनको निगम मजदूरी एक रुपया या सवा रुपया किलो देता है जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रति दिन 4 रुपये मिलते हैं जब कि मिनिमम वेजेज के हिसाब से उनको 5) रुपये प्रति दिन मिलने चाहिए। तो क्या आपने यह सोसाइटी इसलिए बनाई कि आदिवासियों का शोषण हो? शोषण भी किसी दूसरी पार्टी द्वारा नहीं होता, निगम जैसी संस्था होते हुये भी आदिवासियों का संरक्षण नहीं किया गया। एक रुपये किलो मे उनसे निकलवाते हैं और 16-17 रुपये किलो में कलकत्ता में बेचते हैं। इतना मुनाफा ठेकेदार खाता है, मुझे ऐसा लगता है। उनसे भी अधिक खाने वाली सरकार द्वारा बनाई हुई यह संस्था यदि आदिवासियों का शोषण करे तो उचित नहीं लगता। इसलिए मेरी मन्शा है कि उन आदिवासियों की मजदूरी कम से कम 3 रुपये प्रति किलो हो जिससे वे अपना पेट भर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नंदलाल मीणा (राज्य मंत्री, मत्स्य): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम जय समद झील का मत्स्य आखेट का ठेका निगम को दिया गया उसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने उठाई है। उसके लिए मेरा निवेदन है कि यह ठेका वर्ष 1953 में मत्स्य ठेकेदार श्री एच. सी. कपूर को दिया गया। समय समय पर ठेके की शर्तें बदलती रहीं और श्री कपूर 1975-76 तक अलग अलग रायल्टी के आधार पर कार्य करते रहे। वर्ष 1976 में श्री कपूर का ठेका समाप्त कर दिया गया। चूंकि मछलियां काफी तादाद में निकाली जा चुकी थीं, वर्ष 1976-77 में इस जलाशय को रिजर्व रखा गया।

(श्री नंदलाल मीणा)

उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि यह ठेका कपूर को या अन्य ठेकेदार को देने के बजाय एक फेडरेशन बनाया जावे जिसकी मार्फत जय समंद संमेत अन्य जलाशयों में मछली पकड़ने का काम किया जावे और जो सहकारी समितियां काम करें वे उस फेडरेशन की सदस्य हों। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि इतने बडे जलाशय में मछली पकडने का काम छोटी छोटी सहकारी समितियों को नहीं दिया जावे क्योंकि उनके पास न तो कार्य करने वाले तकनीकी अधिकारी हैं और न ही विपणन की कोई व्यवस्था है। यह नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और काफी रुपयों की आवश्यकता है, इस दृष्टि से इसमें समय लगेगा। विश्व बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता ली जावेगी व कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा। जब तक यह फेडरेशन कार्य प्रारंभ न कर देवे राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि जयसमंद जलाशय का मछली का ठेका जनजाति विकास सहकारी निगम को दिया जावे। यह निगम भी सहकारी संस्था है व जन जाति उपयोजना क्षेत्र की सहकारी समितियों के फेडरेशन के तरीके से ही कार्य कर रहा है। जिस प्रकार 5 समितियों को ठेका देने की बात चली है, इस र विवाद चला है, यह निगम भी जन जातियों के आने वाले क्षेत्र में जो सहकारी समितियां हैं उन्हीं के आधार पर बना हुआ है। उसके लिए हर एक जिले में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व उदयपुर में लेम्पस और पैक्स वे काम कर रही हैं। जिन 5 सहकारी समितियों से निगम मछलियां निकलवाता है वे समितियां निगम की तुलना में सशक्त नहीं हैं, आर्थिक रूप से दृढ़ नहीं हैं, उनके पास साधन नहीं हैं इसलिए इस वर्ष भी जयसमंद जलाशय का ठेका इसी सहकारी निगम को दिया गया है।

मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि गत वर्ष जितनी मछलियों का विक्रय हुआ उसके अन्दर घोटाले के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। वर्ष 1977–78 में सहकारी निगम ने करीब 7 माह मत्स्य आखेट का कार्य किया। ठेका डेड रेन्ट कम रायल्टी के आधार पर दिया गया जिससे राज्य सरकार को करीब 5।। लाख रुपये की आमदनी हुई। वर्ष के दौरान 2,63,255 किलोग्राम मछली पकड़ी गई जो दिल्ली और कलकत्ता में बेची गयी। दिल्ली में 1,10,243 किलोग्राम और कलकत्ता में 1,30,031 किलोग्राम बेची गयी। यह मछलियां दिल्ली में 2।। रुपये से लगाकर 6।। रुपये प्रति किलोग्राम तक नीलामी में बेची गई। कलकत्ता के लिए. ताजा मछलियों के लिए राज्य शासन सचिव, मत्स्य विभाग पश्चिमी बंगाल, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार और जन-जाति विभाग के आयुक्त एवं सहकारी निगम के प्रबंध संचालक के बीच बातचीत हुई और एक गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी के आधार पर 3 किलोग्राम से ऊपर वजन की मेजर कार्प की दर 6।। रुपये प्रति किलोग्राम, उदयपुर रेलवे स्टेशन पर 1 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक की मेजर कार्प की दर 5।। रुपये प्रति किलो व अन्य मछलियों की रेट 3।। रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई। सर्दी के मौसम में मछलियों को उदयपुर से दिल्ली व कलकत्ता ले जाने से करीब 10

(श्री नंदलाल मीणा)

प्रतिशत खराब हो जाती है सड़ जाती है और गर्मियों के मौसम में कलकत्ता जाने वाली मछली करीब 30 प्रतिशत तक खराब हो जाती है। इस प्रकार होजत हुई।

इसके अलावा माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया ने एक बात और बताई कि आदिवासियों को मजदूरी प्राप्त नहीं मिली। इसको ध्यान में रखते हुए गत वर्ष विचार करके मच्छी निकालने का मेजर कार्य 3 किलोग्राम से ऊपर 1। रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से निगम देता था। और उसके बाद 1 किलो से 3 किलोग्राम तक का 1 रुपया और 1 किलो से नीचे वाली मच्छी का 75 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता था, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस साल हमने दरों में वृद्धि की है और जो मछली 3 किलो से ऊपर की है उसका 1। रुपया, 1 से 3 किलो वाली मछली का 1 रुपया प्रति किलो ग्राम के हिसाब से और 1 किलो से नीचे है उसका 1 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 सहकारी समितियों के सदस्यों को भुगतान किया जायेगा।

इसके साथ ही हमने एक और व्यवस्था की है कि जो 5 सहकारी समितियां हैं उनके ऊपर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाये। जो भ्रष्टाचार की बात कही है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, गबन लांछन नहीं लगे इसके लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इन 5 सहकारी समितियों में से प्रत्येक से एक-एक सदस्य इस सलाहकार समिति का सदस्य होगा। उनको सारे साधन उपलब्ध करा दिये गये हैं। जो निगम को लाभ होगा उसका बंटवारा भी सहकारी समितियों में भी किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, निगम के मिस्टर सिंघी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वह हवाई जहाज के द्वारा कलकत्ता गये। मैं इसका भी स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अक्टूबर और नवम्बर, 1977 में जब काम का जमाना था क्योंकि निगम का उद्देश्य केवल मछलियों को पकड़ कर बेचना ही नहीं था उसके अलावा यह भी था कि लघु वन सम्पदा आदि वासी क्षेत्र में है, उसका भी विपणन करें और आदि वासी उपभोक्ताओं को दैनिक आवश्यकताओं की चीजें मुहैय्या करायें। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कार्य एक और है कि खाद, बीज तथा कीटनाशक दवायें सारे आदि-वासी क्षेत्र में वितरित की जायें। क्योंकि मछलियों को पकड़ने के काम में देरी हो रही थी और विपणन की व्यवस्था नहीं बैठ रही थी इसलिये काम को जमाने के लिए अक्टूबर और नवम्बर में दो बार हवाई जहाज से कलकत्ता जाना पड़ा और जून व जुलाई, 78 में दो दफा रेलवे द्वारा हिसाब-किताब तय करने हेतु जाना पड़ा। इसमें कुल 5 हजार का खर्चा हुआ।

मैं कह सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी चर्चा के अन्दर मुद्दे उठाये गये हैं और कहा गया है कि अनियमितताये हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, गबन हुआ है जैसा कि मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया इससे यह साफ है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह आक्षेप उठाये हैं उनमें से किसी ने भी सदन में तथ्यपूर्ण बात नहीं कही। अगर कोई बात प्रमाणित है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम बैठें। अगर

(श्री नंदलाल मीणा)

कोई अधिकारी या कर्मचारी नीलामी या क्रय विक्रय में दोषी पाया जायेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यही मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि किसी सदस्य ने तथ्यपूर्ण बात नहीं कही··

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1977–78 में बिना टेन्डर काल किये निगम ने मछलियों का ठेका दिया और मत्स्य विभाग से लाइसेन्स लिये बिना मछलियां बेचीं ? क्या यह नियमों के विरुद्ध काम नहीं किया ? 570 सदस्यों को बेरोजगार क्यों रखा ? निगम ने 7 लाख रुपये उठाये और कुल 80 सदस्यों को ही जाल वगैरह दिये, इसका क्या कारण है ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह भी है कि समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव किया था कि तीन सदस्यों की समिति बना कर दिल्ली और कलकत्ता लोग गये और उनके माध्यम से मछलियां बेचीं ? जब आदिवासी दिल्ली पहुंचे तो निगम के अधिकारियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, धोखा दिया और धक्के देकर दिल्ली से रवाना किया, क्या यह सही नहीं है ? यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें उसके पहले और भी समस्यायें हों तो उनका निराकरण करने के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव हो तो उसका जरूर ध्यान रखें। चर्चा का समय आधा घंटे का था वह समाप्त हो गया है। ज्यादा इस पर मैं चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री नाथूराम : हाउस की परम्परा रही है कि आधा घंटे से ज्यादा समय भी लगा है। आदिवासियों का शोषण हो रहा है और निगम के अधिकारी अपना पेट भर रहे हैं। इस प्रश्न पर तो हाउस में चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रतिवेदन दीजिए और उसकी प्रतिलिपि मंत्री महोदय को दे दीजिये।

श्री नाथूराम : इसकी ही जांच करायें··

सदन पटल पर रखे गये पत्र
अधिसूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री केदारनाथ (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की 1 से 10 तक अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

[निम्नलिखित अधिसूचनाएं उपनिवेशन मंत्री ने सदन पटल पर रखीं :

1. अधिसूचना संख्या प. 4 (13) राज/उप/76 दिनांक 19 सितम्बर, 1978

2 अधिसूचना संख्या प. 4 (13) राज/उप/76 दिनांक 19 सितम्बर, 1978

3. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) रेव/कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

4. अधिसूचना संख्या एफ. 2(9) रेव/कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

(श्री केदारनाथ)

5. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) रेव/कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

6 अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) रेव कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

7 अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) रेव कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

8. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9)रा./उप/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

9. अधिसूचना संख्या एफ. 2(9)रा./उप/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978

10. अधिसूचना संख्या एफ. 2 (9) रेव/कोल/69 दिनांक 20 सितम्बर, 1978]

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ की थी वह समाप्त नहीं हुई। आप काफी चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं 1, 2 मिनट में ही समाप्त कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा को मानते हुए मैं चाहूंगा कि आप मुझे 2 मिनट की जगह थोड़े से अधिक मिनट ठीक समझें तो दें। आप कानून के ज्ञाता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप 5 मिनट बोल लें।

श्री मूलचन्द डागा : सारा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट सारा लॉ डिपार्टमेंट एक दफा पुनर्विचार कर ले, यह कानून अल्ट्रा वायर्स है। यह कानून लाने की जरूरत नहीं थी। इस कानून को लाना बिलकुल जरूरी नहीं था। मैंने आपकी सेवा में रेवेन्यू बोर्ड की यह रूलिंग पढ़ी थी।

"We, therefore, answer the reference made to us that an assessing authority will be competent to file a revision under section 14 (1) of the R. S. T. Act, 1954, against his own orders which have

(श्री मूलचन्द डागा)

merged in the appellate order and consequently he feels aggrieved by it."

रेवेन्यू बोर्ड ने आपके लिये दरवाजा बन्द नहीं किया था। आप क्या क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं? रेवेन्यू बोर्ड ने कहा था, आप हमारे यहां अपील करने के बाद भी आ सकते हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने यह कहा कि जो एसेसिंग आथोरिटी है, वह अपने आर्डर के अगेन्स्ट में रेवेन्यू बोर्ड को मूव कर सकते हैं। श्रीमान्, आप क्यों संशोधन लाना चाहते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय विधि मन्त्री जी से। कानून में मना पहले नहीं है। रूलिंग में दिया है--

"The assessing authority shall be competent to move the Board of Revenue against its own order whether the order has been the subject matter of appeal or not and if appealed against, whether confirmed or not."

यह साफ लिखा हुआ है। यह रेवेन्यू बोर्ड की रूलिंग है। उसने मना कहां किया? आप कौनसा रिवाजन लेकर गये इस जजमेंट के बाद और रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि आप मेहरबानी करके बाहर चले जायें। मुझे एक इन्सटांस कोट करिये, मैं आपका बड़ा आभार मानूंगा। मैं आपकी सेवा में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पेश करना चाहता हूं। सुप्रिम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है It is the law for the land.

श्री रघुनन्दन व्यास: डागा जी ने 3 दिन पहले कहा उन्हीं बातों का रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, No disturbance, please.

श्री मूलचन्द डागा: "The Supreme Court held that there can be no doubt that if an appeal is provided against an order passed by a tribunal, the decision of the appellate authority is the operative decision in law. If the appellate authority modifies or reverses the decision of the tribunal, it is obvious that it is the appellate decision that is effective and can be enforced in law. The position would be just the same even if the appellate decision merely confirms the decision of the tribunal. As a result of the confirmation or affirmance of the decision of the tribunal by the appellate authority, the original decision merges in the appellate decision and it is the appellate decision alone which subsists and is operative and capable of enforcement."

हमारा विधि विभाग है इसके लिए लाखों रुपयों का बजट बनाते हैं और उसको हम मन्जूरी देते हैं। मेरा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं और विधि मन्त्री जी भी आ गये हैं। मैं पूछना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के विधि मन्त्री से, आप बड़े वकील हैं, किस लिए इस कानून को लाना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: इन्होंने देखा ही नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : यह जजमेंट रीसेन्टली हुआ है, इसी के बेसिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है :—

"If an appeal is provided against an order passed by a tribunal, the decision of the appellate authority is the operative decision in law that is effective and can be enforced even if the appellate decision has merely confirmed the decision of the tribunal. Thus, if there is in law confirmation or affirmance of the decision, it merges in the appellate order."

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, अपीलेट डिसीजन कन्फर्म हो गया या नहीं भी हुआ रिवीजन के लिये बोर्ड में जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़े कानून के जानने वाले हैं। जब मैं पार्लियामेंट में था, सिविल प्रोसीजर कोड जाईंट कमेटी में था। उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसमें साफ कहा है—if there is a substantive question of law, then and then alone the party can move the High Court for revision.

मुझे एक बात बताओ, सब्सटेन्टिव लॉ आप लाना चाहते हैं तो इसमें आपने क्या लिखा है। 15 रुपये, 20 रुपये के केसेस पर रिवीजन पर जाते हैं। इनके आफिसर्स जाते हैं। अगला आदमी नहीं जाता है। 4000 केसेज में से 3000 केसेज पेंडिंग हैं। आफिसर्स टी. ए., डी. ए. कमाते हैं। कामन गाड़ी है। सी. टी. ओ. के पास गाड़ी है। ए. सी. टी. ओ. के पास गाड़ी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह लॉ पेश किया है, वित्त मन्त्रीजी, मैं आपसे कर जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान की जनता के लिए ऐसा बेड लॉ, इस प्रकार का कानून विधि डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक होगा। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसे स्वीकार किया जाये, हाथ जोड़ कर कहता हूं स्वीकार किया जाये या इसे विथड्रा कर लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदेरणाजी, आप कहना चाहेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे निश्चित रूप से कुछ कहना है। कहना यह है कि इस आर्डिनेन्स के जो रीजंस दिये गये हैं, सदन के पटल पर जो रखे हैं इनमें यह बात कही गई है—

"Though section 14 of the Rajasthan Sales Tax Act does no prohibit an Assessing Authority from filing a revision against his own order to the Board of Revenue, yet this provision has not been interpreted in keeping with the intention of the Legislature by the Board."

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है लेजिस्लेचर का कोई अधिकार नहीं है। लेजिस्लेचर का यूज क्या है ? अब तक किसी भी कानून के सम्बन्ध में लेजिस्लेचर की क्या इन्टेन्शन है उसका इन्टरप्रिटेशन कोर्ट आफ लॉ ही करता है। लॉ बनाते वक्त क्या इन्टेन्शन थी लेजिस्लेचर की, यह कोर्ट ही

(श्री परसराम मदेरणा)

फैसला करता है। सरकार को इस प्रकार लेजिस्लेशन लाने का कोई राइट नहीं है क्योंकि लेजिस्लेचर अपने आप में सोवरिन है, उसमें सार्वभौम सत्ता निहित है। उपाध्यक्ष महोदय, सार्वभौम सत्ता जनता में निहित है लेकिन यह हाउस राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, राजस्थान की जनता को रिप्रेजेन्ट करता है इसलिये सोवरिनिटी हाउस में ही वेस्ट करती है। किस प्रकार का कोई इन्फरेन्स निकलेगा लेजिस्लेशन का, वह हाउस की इन्टेंशन पर डिपेन्ड करता है। यह हाऊस ही काम्पीटेंट है लेजिस्लेशन के लिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल लेकर आये हैं माननीय प्रभारी मंत्री जी और इस बिल में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अनुसार जिस प्रकार का उसमें में प्रोविजन था यह विथड्रा किया है वह 21 जून, 1978 को विथड्रा किया है। गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन की पावर्स है फिर भी सदन के सामने यह बिल विचाराधीन रखना था। उसको विथड्रा करने का मतलब है सदन की जो लेजिस्लेचर की काम्पीटेन्सी है, सोवरिनिटी है, उस पर कुठाराघात किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपने लेजिस्लेचर की काम्पीटेन्सी और सोवरिनिटी पर कुठाराघात ही नहीं किया है, बल्कि आपने लेजिस्लेचर को बाइ पास करने की कोशिश की है और आपने हमारी लेजिस्लेशन-पावर्स को इरोड किया है। उसके साथ ही हाउस की जो सार्वभौम सत्ता है उसको भी इगनोर किया है क्योंकि आपने बिल विथड्रा किया है और विथड्रा करने के लिये एक एक्सप्लेनेशन दिया है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे। रीजन्स में यह कहा गया है; सैक्शन 41 राजस्थान के अन्दर रिवीजन को मूव करने का तरीका नहीं है। आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? माननीय उपाध्यक्षजी, एक्सप्लेनेशन यह है कि ....

"An assessing authority shall be competent ...."

सैक्शन बहुत क्लियर है। इसमें असेसिंग आथोरिटी का हवाला दिया गया है। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें वर्डिंग्स हैं--

"...shall be competent to move the Board of Revenue against its own order.."

इसका मतलब है बोर्ड आफ रेवेन्यू में जा सकते हैं..

"...whether its order had been the subject matter of appeal or not and, if appealed against, whether confirmed or not." मतलब यह है कि असेसिंग आथोरिटी सुओ मोटो उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन में जा सकती है असेसी रिवीजन में नहीं जा सकता है। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने का मतलब है कि एक्जीक्यूटिव की इन्टेंशन सही नहीं थी। दूसरा यह भी है कि गवर्नमेंट का कोई आर्डर बता सकते हैं, जो मेरा खुद का आर्डर है और मैं खुद ही एग्रीव्ड फील कर रहा हूं। यह गलत होगा, वह अपने आर्डर से कैसे एग्रीव्ड हो सकता है। वह जज और प्रोसीक्यूटर दोनों कैसे हो सकता है। आपने आगे लिखा है, अपील हुई है या नहीं हुई है। और अपील हुई है तो कन्फर्म हुई है या नहीं हुई है तो भी अपील में जा सकता है। अपील कन्फर्म हो गई तो नाम वाला रह गया। यह तो मानता हूं कि

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डर मोडीफाई हो गया है और आर्डर सैट असाइड हो गया अपीलेट कोर्ट से तो उसका डिसीजन अफेक्टिव है but "...against its own order". How can yon go against your own order ? कानून के सामने असेसिंग ओथोरिटी और असेसी दोनों व्यक्ति बराबर हैं, लेकिन इस पर्टीक्यूलर मामले में प्रारम्भ से ही दोनों व्यक्ति बराबर नहीं हैं और इसलिये भी बराबर नहीं हैं कि असेसिंग आथोरिटी द्वारा जिसको असेस किया जा रहा है वह अनदर पार्टी है और अनदर पार्टी है तो एग्रीव्ड पार्टी तब तक उसको नहीं माना जा सकता है जब तक अपील में नहीं जाये, उसके बाद एग्रीव्ड माना जा सकता है। वही रिवीजन के लिये जायेगा।

आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देने जा रहे है आर्डिनेन्स के जरिये और इसके लिये जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जैसा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना किसी आर्डिनेन्स के जरिये अवैध होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिलकुल डिस्क्रिमिनेटरी है। असेसी तभी एग्रीव्ड माना जा सकता है जब वह अपील करे। फर्स्ट अपील के अन्दर नहीं जाय और अपील कन्फर्म नहीं हो तो वह एग्रीव्ड पार्टी कैसे हो सकता है? यह प्रिन्सिपल आफ इक्वेलिटी आफ लॉ के अगेन्स्ट है। इससे करप्शन होगा और यह करप्शन के चान्सेज को जन्म देने वाला होगा।

आज मान लीजिये, प्रभारी मंत्री जी सैक्शन 3 के नीचे असेसमेंट किया है पार्टी का, और उसका किसी प्रकार गलत असेसमेन्ट कर दिया तो उसमें एक लिमिटेड पीरियड है, within limited period he can file a revision.

पार्टी असेसमेंट के खिलाफ, रिवीजन में जा सकती है। सैक्शन 3 के नीचे असेसिंग आथोरिटी उन लोगों के खिलाफ एग्रीव्ड हो जाएगी जिन लोगों का किसी भी समय असेसमेंट नहीं हुआ, जिनका आर्डर कन्फर्म नहीं हुआ और जिसके खिलाफ में अपील में नहीं गए इन तीनों को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर आप जो प्रोवीजन करने जा रहे हैं यह उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने टैक्स कलेक्ट नहीं किया है। इसको रिट्रोस्पेक्टिव करते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन होगा। यह आपका आर्डर फुल्ली डिस्क्रिमिनेटरी होगा, और अल्ट्रावायर्स होगा, उसके साथ-साथ यह न केवल डिस्क्रिमिनेटरी है बल्कि इनकरेक्ट प्रोस्पेक्ट में है। कलेक्टिव टैक्सेशन इस रूप में भी डिस्क्रिमिनेटरी रहेगा कि सेल्स टैक्स का कलेक्शन होता है वह फर्स्ट पाइन्ट पर लगता है। मैं सेल्स टैक्स लेता हूं और जिससे टैक्स लिया है वह सैकिंड पार्टी है। जब असेसी ने थर्ड पार्टी से टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया है तो उसके बाद में उसको टैक्स पे करने के लिए लायबल बनाना कोई इंसाफ की बात नहीं है। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान बनेगा तो मुझे यह बताया गया है और बताया ही नहीं गया है बल्कि हकीकत है, उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड में रिवीजन इसी बात पर लाए थे। सैल्स टैक्स एक्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि असेसिंग आथोरिटी अपने आर्डर का रिवीजन कर सकती है। जिस असेसी ने थर्ड पार्टी से टैक्स कलेक्ट नहीं किया है वह लायबल नहीं होगा सेल्स टैक्स पे करने के लिए, लेकिन आपने वह भी रखा है। चाहे आपने थर्ड पार्टी से टैक्स

(श्री परसराम मदेरणा)

लिया है या नहीं लिया है, लेकिन आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं यह आर्टिकल प्रोस्पेक्टिव नहीं रहेगा। जब टैक्स वसूल ही नहीं किया तो आप किस तरह से वसूल कर रहे है? इस वक्त एक एक्सप्लेनेशन के जरिये रिट्रोस्पेक्टिव भी प्रोवीजन करते हैं जो यह रीडेडेंट हैं। इस प्रकार का प्रोवीजन करके असेसमेंट होने के बाद में आप कहते हैं इस पर टैक्स लगेगा, जब कि उसने थर्ड पार्टी से कलेक्ट नहीं किया है, उसको आज इस एक्सप्लेनेशन के जरिये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने जा रहे हैं तो यह डिस्क्रिमिनेटरी है।

अन्त में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड ने इस प्रकार के फैसले दिये हैं और रेवेन्यू बोर्ड ने जो तर्क दिए हैं वह कामनसेंन्स की बात पर ठीक प्रतीत होते हैं। एक्जीक्यूटिव इस अमेंडमेंट को करके वाइड पावर अपने हाथ में लेना चाहती है, उसने इसमें एग्रीव्ड शब्द का प्रोविजन करके वाइड पावर्स ले ली है। अब एग्रीव्ड पार्टी कौन होगी? अगर आर्डर मोडीफाई होता है, असेसिंग आथोरिटी अपने आर्डर को चेंज करती है, उसका आर्डर रिवर्स होता है तो वह एग्रीव्ड पार्टी है। बिना एग्रीव्ड पार्टी के ओरिजनल आर्डर जायज है इसलिये जब तक एग्रीव्ड पार्टी खड़ी नहीं होती है पहले वाला आर्डर चेंज नहीं होता है अगर असेसिंग आथोरिटी सुओमोटो भी अपने आर्डर को मोडीफाई करती है या अपीलेट आथोरिटी उस आर्डर को मोडीफाई करती है तो मोडीफाई करते ही उसका आर्डर रिवर्स हो जाता है। तो असेसिंग अथोरिटी एग्रीव्ड पार्टी कैसे हुई? एक्जीक्यूटिव ने इसको एग्रीव्ड पार्टी बना दिया, इस लिहाज से यह बिल बिल्कुल अनजस्ट है। यह दोनों नहीं बन सकती है, आथोरिटी और एग्रीव्ड पार्टी नहीं बन सकती। आप उसको प्रोसीक्यूट करने जा रहे हैं। अगर प्रोसीक्यूट करने जा रहे हैं तो यह जो कुछ भी कार्यवाही कर रहे हैं यह कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं है।

इसके बाद में अन्त में मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी असेसिंग आथोरिटी ने एक आर्डर पास किया जिसमें यह निर्णय लिया गया, असेसिंग आथोरिटी का आर्डर यह है कि इस पर्टीक्यूलर असेसी को कोई टैक्स पेयबल नहीं है। तीन साल तक कोई बोला नहीं, ढाई साल तक चुप बैठा रहा। उसके बाद में दूसरा अधिकारी आता है, दूसरा असेसिंग आफिसर आता है वह कहता है कि पहले असेसिंग आथोरिटी का आर्डर ठीक नहीं है। पहले वाला गलत आर्डर पास किया गया है, मैं रिवीजन में जा रहा हूं, मेरे पास में फर्स्ट रेमेडी है, मुझे अपीलेट आथोरिटी में जाने की जरूरत नहीं है। इसको इफेक्ट देने के लिये आप यह एक्सप्लेनेशन देकर उसको आल्टरनेटिव दे रहे हैं यह बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। असेसिंग अथोरिटी के द्वारा असेस किये जाने के बाद में ढाई साल बाद में उसको एग्रीव्ड पार्टी का इफेक्ट देकर प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही करना प्रिंसिपल आफ नेचरल जस्टिस के अगेन्स्ट जाने वाली बात है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कोई असेसिंग अथोरिटी राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 12 और 17 के अन्दर रीअसेसमेंट कर सकती है, यह

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोविजन है। तीन साल के पहले के आर्डर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना फुल्ली डिस्क्रिमिनेटरी है। जिसने रिवीजन कर दिया है और जिसको रिवीजन करने का अधिकार नहीं है उसके लिये इसमें लिखा है।

"...to move the Board of Revenue against its own order..."

तो वह ठीक नहीं है। रिवीजन सी.टी.ओ. या कमिश्नर कोई भी कर सकता है लेकिन इसको धोखे में रख कर जिस तरह से एक्सप्लेनेशन जोड़ कर आप कह रहे हैं, जैसा अभी मुख्य सचेतक महोदय कह रहे थे मेरा उनसे निवेदन है कि यह साधारण सा एक्सप्लेनेशन नहीं है। विधि मंत्रीजी, आप भी गौर करेंगे यह साधारण का एक्सप्लेनेशन नहीं है :

"An Assessing Authority shall be competent to move the Board of Revenue against its own order..."

अपील नहीं हुई है, अपील हो नहीं सकती है, रिवीजन नहीं हो सकता है असेसिंग आथोरिटी के आर्डर का वह एग्रीव्ड नहीं है इसलिए कर नहीं सकते हैं।

"Whether its order had been the subject matter of appeal or not and if appealed against, whether confirmed or not."

इसलिये आपने एक एक्सप्लेनेशन के रूप में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे कर के डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन रखा है यह बिल्कुल गलत है। मैं सरकार को वार्न करना चाहता हूं और सदन से अपील करना चाहता हूं कि जो मैंने सदन में विचार रखे हैं और बजट सेशन में भी जब इस प्रकार का बिल आये थे तो माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने इसको विथड्रा कर लिया था और अब आर्डिनेंस लाकर जिस तरह का प्रोविजन किया है यह लेजिस्लेटिव पावर्स का बेजा इस्तेमाल किया है, सदन को बाई पास करने की कोशिश की गई है, सदन का अपमान किया है इसलिए मेरे संशोधन को स्वीकार करके इस आर्डिनेन्स को आउट राइट रिजेक्ट किया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मदेरणा साहब का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा बहुत सा काम सरल कर दिया है। यह अध्यादेश जो जारी किया गया है मैं इसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, इसके दो कारण हैं। अध्यादेश का विरोध मैं इसलिए करता हूं कि यह मान भी लिया जावे कि इस तरह की तरमीम एक्सप्लेनेशन के जरिये करना राज्य सरकार द्वारा टैक्स वसूली करने के लिए और उसमें लीकेज को रोकने के लिए बहुत ही जरूरी था। उसके बावजूद भी मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह का कानून जो कि डिबेटेबल है, जो चेलेंजेबल है, जिस पर कोम्पीटेंट जुडिशियल आथोरिटी, सेमी जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल आथोरिटी के फैसले हो चुके हैं, इस आर्डिनेन्स के जरिये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए इसको लागू करना डेमोक्रेटिक सिस्टम के अनुकूल नहीं होगा। एक दफा कानून बना कर बिल के रूप में सदन में ला चुके थे, जिसका जिक्र माननीय मदेरणा साहब अभी कर चुके हैं, कि पहले भी यह बिल सदन में आ चुका है। उस समय तो खूबसूरती से वापस ले लिया, अब फिर आर्डिनेन्स लाकर इस कानून की फेट अकम्पली करके सदन के सामने लायें। इस

(श्री मथुरादास माथुर)

तरह का प्रयत्न और इस तरह की प्रणाली तन्दुरुस्त प्रजातन्त्र में, हैल्दी डेमोक्रेसी में नहीं होती इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इस आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं थी। अगर राज्य सरकार ने इस आर्डिनेन्स को इसलिए जारी किया क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड ने जो फैसले दिए हैं, वे सरकार के खिलाफ हैं तो रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला तो यह दिया कि जब तक कोई आदमी एग्रीव्ड न हो वह रिवीजन में नहीं जा सकता। असेसिंग आथोरिटी ड्यूली एग्रीव्ड नहीं। दूसरी बात यह कही कि जो फैसला देता है वही उसके खिलाफ अपील नहीं सुन सकता। उसको अपने फैसले से नाराजगी नहीं हो सकती। जब तक फैसले से नाराजगी नहीं होगी तब तक अपील में कोई नहीं जाएगा। यह रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है, जो असेसिंग आथोरिटी है वह रिवीजन में नहीं जा सकती है। असेसिंग आथोरिटी ड्यूली एग्रीव्ड नहीं है। अपने फैसले के खिलाफ असेसिंग आथोरिटी नहीं हो सकती। यह समस्या पैदा हो गई, इस समस्या का क्या हल किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। जो आपने हल निकाला है, वह सही नहीं है। प्रभारी मंत्रीजी, लॉ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर, जो कानून दां हैं, से मेरा निवेदन है कि जो आपने आर्डिनेन्स निकाला है उसके जरिए से आपने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है इससे क्या समस्या हल हो गई ? आपने तो इम्पोटेन्ट को पोटेन्ट लिख दिया। आपने लिखा कि हमारा असेसिंग आथोरिटी चाहे एग्रीव्ड न हो, असेसिंग आथोरिटी जजमेन्ट के खिलाफ एग्रीव्ड हो या नहीं हो he shall be competent. कैसे काम्पीटेन्ट हो गया ? काम्पीटेन्ट वर्ड को एक्स-प्रेस करने से ही काम्पोटेन्सी नहीं होती। अगर आपने एक्सप्लेनेशन दिया है 14 के ऊपर, जिसमें आपने यह कहा है "The Assessing Authority shall be competent" काम्पीटेन्ट एक्सप्रेशन से ऐसा मालूम पड़ता है कि The Assessing Authority shall be competent to move the Board of Revenue against his own order, सवाल यह पैदा करेगा whether its order had been the subject matter of appeal or not. यह दोनों बातें इसमें आई हैं। यह क्वेश्चन है। इसका आपको जवाब देना है। "Assessing Authority competent to move...." इस लेंग्वेज के पहले यह लेंग्वेज थी ओरिजनल एक्ट में। यह एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसमें क्या था। इसके अन्दर यह था। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर मूव हो सकता है "The Board of Revenue on being moved by the Authority..." अब इसकी जगह "The Assessing Authority shall be competent to move...." इसमें मुझे कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। दो बातें उन्होंने कही हैं। उसका फैसला नहीं कर रहे हैं। Whether an Assessing Authority is aggrieved against its own judgment, or whether the Assessing Authority is not aggrieved against its own judgment. इन दो बातों का फैसला आपको करना होगा। इसमें आपने यह एक्सप्लेनेशन डाल कर इसका फैसला कर दिया है। इससे मेरी यह धारणा है कि रेवेन्यू बोर्ड ने यह जो होल्ड किया है, The Assessing Authority shall not be competent to move the Board of Revenue under section 14(1) unless it is aggrieved.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है अगर लेजिस्लेशन में इस तरह इन्सर्ट कर देते है उसके बाद भी जजमेन्ट हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : नेचरल जस्टिस में इन्टरप्रिटेशन तो बाद में भी होंगे । if you say woman is a man and a man is woman, it is not at all acceptable. पहले हमने किया था उसमें कमी क्या थी ? यह बात करीब-करीब पहले कर चुके हैं । हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है । इस एक्सप्लेनेशन के जरिए आप यह करना चाहते हैं। मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसको और एग्जामिन करवा लीजिए । जो एक्सप्लेनेशन दिया है, वह बेड लॉ है। एक्सप्लेनेशन गुड लॉ भी है, It is with the Government in carrying out the task. यह लेजिस्लेशन के इन्ट्रेस्ट में दिया है और पहले भी हमारा लेजिस्लेशन के इन्ट्रेस्ट में था । यह 1954 में कानून बना था । उसमें सात दफा अमेन्डमेन्ट हो चुके हैं । पहले यह कमिश्नर था । कमिश्नर सुओमोटो मूव कर सकते थे। कमिश्नर आथोरिटी थी । इसमें सुओमोटो था । सुओ मोटो मूव करे । उसमें जो लफ्ज था, वह कमिश्नर लफ्ज था । फिर यह रेवेन्यू बोर्ड सुओमोटो किया । इसके बाद किया Provided that no order shall be called...' फिर यह किया in the interest of the state, यह सब लफ्ज आते रहे । अब यह असेसिंग ऑथोरिटी दी गई है । वही आदमी फैसला करे वही रिवीजन में जाए। मैं अपने फैसले से एग्रीव्ड हूं, यह रेवेन्यू बोर्ड ने नहीं माना है । प्रोसीजर वही का वही है । केवल आपने उसको काम्पीटेन्ट कर दिया इससे काम्पीटेन्सी नहीं आती । आपकी डिफिकल्टी क्या है ? इससे जो आपका पर्पज है, वह पर्पज सर्व नहीं होता है ।

तीसरी बात यह है, परसराम जी ने कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं । डागा साहब ने कहा अपील का प्राविजन है । असेसिंग आथोरिटी एण्ड दी डीलर, इनकी लॉ में इक्वीटेबल पोजीशन है । वह अपील में चला गया । आपका अपील को बाई पास कर के डिस्क्रिशन हो गया । इसको भी देख लें । कान्स्टीटयूशनली पोजीशन क्या है इसको देख लें । प्रेक्टीकल बात तो यह होगी, इससे करप्शन का गेट वे खुल जाएगा । इसकी तरफ माननीय सदस्यों ने इशारा किया है । पहले जिस असेसिंग ऑथोरिटी ने फैसला किया, सभी ईमानदार नहीं होते और सभी बेईमान भी नहीं होते, पहले उसने उससे पैसा लेकर एग्जेम्पट कर दिया और फैसला कर दिया । दो साल बाद, तीन साल बाद उसने कहा और पैसा दो नहीं तो मैं अपने फैसले के खिलाफ रिवीजन में जाता हूं । वह रिवीजन में चला जायगा या कोई दूसरी असेसिंग आथोरिटी आ गई, उसने देखा यह गलत हो गया तो वह पैसा खाएगा । मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर आप विचार करें । राज्य सरकार को इतनी जल्दी में इस लेजिस्लेशन को आर्डिनेन्स के जरिए नहीं लाना चाहिए था । यह बहुत ही डिवेटेबल है, डिस्प्यूटेबल है । इसको बिल के रूप में लाकर, कमेटी में रेफर करके, वहां पर चर्चा करनी चाहिए । लीगल रिमेम्बरेन्सर आपके पास है, कुछ यहां पर एक्सपीरियन्स से बैठे हैं और कुछ कानून से बैठे हैं इनकी राय लेकर आप कोई कानून बनायें ताकि आगे कोई डिफिकल्टी नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

आवे। इस सैक्शन 44 में सन् 1954 से लगातार 7 दफा अमेन्डमेन्ट हो चुके हैं। उसके बाद यह आठवीं दफा अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं। यह फिर खारिज होगा। हमारी जो असेसिंग आथोरिटी है वह एक दफा गलती कर जाए, पूरा टैक्स वसूल न कर पाए, तो उस टैक्स को राज्य सरकार किस तरह से वसूल कर सके, इसमें कोई बेईमानी न कर सके, गलती न कर सके, इसको देख लें। इसको पाइन्ट आउट कर दें। यह टैक्स वसूल होना चाहिए था। वसूल नहीं हुआ। इसके लिए क्या कानून हो सकता है यह आज आपकी प्राब्लम है। इस पर चर्चा करके रास्ता निकालें। पुराना कपड़ा है उसके अन्दर आपने थेगड़ी लगा दी। अब उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लगा कर बचना चाहते हैं। आपके लिखने से बच जाएंगे, मेरी यह राय नहीं है। मैं यह मानता हूं कि किसी कारण से कोई टैक्स को बचा जाए, तो किसी तरह से राज्य सरकार उसको वसूल करे, तो यह किसी न किसी प्रोसेस आफ लॉ के जरिए हो। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सरकार को कोई एक्स्ट्रा आथोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। कानून की रूपरेखा में इसको रखा जाए। नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं परन्तु इसको एक्सप्लेनेशन से कर रहे हैं, इसलिए डिफिकल्टी हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 जून, 1978 को प्रख्यापित राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1978, अध्यादेश सं. 4 को अस्वीकार करने का एक संकल्प आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इस संशोधन के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं बहुत संक्षेप में जनता पार्टी के सिद्धान्तों के बारे में कहूंगा। साथ ही यह जो संशोधन अध्यादेश लाया गया है इसका विरोध करूंगा और सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाय। मान्यवर, बिक्री कर के संबंध में जनता पार्टी का मेनीफेस्टो यह बतलाया है, जनता पार्टी ने पूरे चुनाव इस आधार पर लड़े कि वह बिक्री कर के खिलाफ है और ज्यों ही उनका शासन आ जाएगा वह इसे समाप्त कर देगी। राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में यह मुहिम थी। इसी की वजह से व्यापारी कंफ्यूज्ड और मिसगाइडेड हो गये इसलिये उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और आपको मत दिया। इस कारण से तन-मन-धन से आपका साथ दिया।

(व्यवधान)

आज स्वयं के घोषणा पत्र के प्रति ही आपकी निष्ठा नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इन्होंने विश्वासघात किया जनता के प्रति।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि आपकी घोषणा-पत्र के प्रति निष्ठा होती तो आप इस कानून में ऐसा संशोधन नहीं लाते। मान्यवर, आज भी जनता पार्टी के शासक उसी प्रकार से व्यापारियों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिल, जिसका उद्घाटन कर रहे हैं राजस्थान के वित्त मंत्री, वे कहेंगे, केन्द्र की नीति बिल्कुल अस्पष्ट है इस कारण राज्य सरकार कन्फ्यूज्ड है। वह सहमत इसलिये नहीं हो रही है कि केन्द्र की नीति अस्पष्ट है राज्य सरकारों के मामलों में। केन्द्र का

(श्री रामनारायण चौधरी)

शासन कहता है कि राज्य सरकारें नहीं मान रहीं, हम तो पहले ही कहते थे। मान्यवर, यह कोई बिक्री कर का विकल्प नहीं है। आप कहते थे कि दो विकल्प हैं, एक तो यह है कि इसको हटा दिया जाना चाहिये। यह व्यापारियों के लिये और जनता के लिये बहुत दुःखदायी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज भी आप कन्फ्यूज कर रहे हैं। आज भी आप नेशनल लेवल पर मीटिंग बुला रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विधि मंत्री जी कहते हैं कि तुम घेराव करो अपने मिनिस्टर्स का।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने

(व्यवधान)

कहा है कि इसके अन्दर जो जटिलताएं हैं, उनको हम दूर करके सुगमता लाना चाहते हैं। क्या सुगमता लाना चाहते हैं वह स्पष्ट नहीं किया? उन्होंने और कन्फ्यूज कर दिया इसमें क्या सरलीकरण करेंगे? इस प्रकार से आज का शासन प्रदेशों में और केन्द्र में मिस-गाइडेड है। माननीय विधि मंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे, इस सदन का उन्होंने मुंह नहीं देखा था। आज वे विधि मंत्री बने बैठे हैं। कभी भी उन्होंने आर्डिनेन्स का समर्थन नहीं किया। मुझे अफसोस है कि आज के विधि मंत्री इस प्रकार की विधि दे रहे हैं जब कि सेल्स टैक्स के खिलाफ थे। आपके मेनीफेस्टो में है कि बिक्री कर को समाप्त करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब अपने ही कथन से मुकर रहे हैं। जिस सरकार की पार्टी के घोषणा पत्र के प्रति कोई निष्ठा नहीं, जिसका पार्टी के प्रोग्राम में विश्वास नहीं वह यह जो आर्डिनेन्स लाई है, इसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिये, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट तो बोलूं।

मैं जनता सरकार से कहना चाहूंगा कि वैसे तो यह बिक्री कर (संशोधन) विधेयक आ रहा है यह स्वीकार होगा। चाहे दण्ड प्रक्रिया संहिता हो, चाहे सेल्स टैक्स का बिल हो, इसको स्वीकार कराना इनका बर्थ राइट हो गया है। जनता के सामने इन्होंने जो घोषणा की हैं उन घोषणाओं, उद्देश्यों व उसूलों से हट कर कार्य करना इनका राइट है। परन्तु यह जो आर्डिनेन्स एड किया जा रहा है इसके पीछे एक इन्टेंशन हो सकती है परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रिट्रोस्पेक्टिवली यह कानून बनाना चाहती है 28-9-78 से जब इस सरकार ने रिट्रोस्पेक्टिवली कर समाप्त करने की नीति अपनाई है। अब जनता सरकार ने, माननीय भैरोंसिंह जी के मंत्रि-मंडल ने 1967 से रिट्रोस्पेक्टिवली बिक्री कर समाप्त करने को कहा है लेकिन यह कमी सरकार की नजर में आई कि लाखों रुपये जो सरकार के खजाने में आने चाहिये थे, जिस रेट से चार्ज किये जाने चाहिये थे वह चार्ज नहीं किये गये, 5 साल बाद में इन्हें अपनी भूल मालूम पड़ी और इस ढंग से उसका असेसमेंन्ट चालू हुआ किन्हीं वेस्टेट प्रेसर में आकर, हांलाकि यह मसला मेरे क्षेत्र

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

का है फिर भी मै पूछना चाहता हूँ, रिट्रोस्पेटिव टैक्स समाप्त करने का क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप संकल्प तक ही सीमित रहें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं इसी पोइन्ट को रख रहा हूं कि जो इन्टेन्शन है, उसके पीछे क्या भावना हो सकती है। जो रुपये टैक्स के वसूल होने चाहिए थे वह वसूल हो। यही एक इण्टेंशन हो सकती है कि अधिक से अधिक रुपया आये। यही इण्टेंशन हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : अपनी सीमा में बोलें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सीमा में बोल रहा हूं।

यह सरकार इतनी उदार है कि सेठों को लाखों रुपया देने के लिए तैयार है। 1967 से टैक्स माफ करने के नोटिस निकाल दिये। उसको उन्होंने स्टे किया है।

(व्यवधान)

मैं ठीक बोल रहा हूं।

कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार....

(व्यवधान)

मगर आप 1967 से, आज से 10 साल पहले का टैक्स माफ कर रहे हैं। एक ओर तो आपने समाज के सबसे गरीब आदमी की गरीबी दूर करने का ठेका लिया है, अन्त्योदय योजना आपने चालू कर दी है और दूसरी तरफ टैक्स में छूट दी जा रही है वह पूंजीपतियों को दी जा रही है। रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स माफ करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। यह अधिकार हो सकता है कि टैक्स की डेट से माफ कर सकते हो, लेकिन रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से माफ करना अनैतिक है। यह भ्रष्टाचार बढ़ाने का खाता खोला है।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्रीमान्, यह लाखों रुपयों का मामला है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यह घोषणा करें कि इस प्रकार से रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से माफ करने का ठेका इस सरकार ने लिया है तो मैं कल से दफ्तरों में ताला लगा दूंगा। कह देंगे कि हम से गलती हो गई कि हमने टैक्स वसूल नहीं किया है। हमें माफ कर दें। मेरा निवेदन है कि जनता सरकार कभी भी पीछे का टैक्स माफ नहीं करे वरना यह आरोप लगा दिया जाएगा कि यह सरकार पूंजीपतियों की है। इसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

(व्यवधान)

यह मेरा कहना है। आपने केसरगढ़ के केस में 28 हजार रुपये का खर्चा किया है।

(व्यवधान)

तो यह फैसला सारे मन्त्रिमंडल ने लिया है। किसी एक मंत्री ने नहीं लिया है। सारे मंत्रिमण्डल की यह दशा है। आप में हिम्मत हो तो खड़े होकर कह दें कि हमने माफ किया है, ठीक किया है। अगर हिम्मत नहीं है तो कम से कम इस नोटिफिकेशन को समाप्त करवायें। इसके बाद में ही इस काले कानून को लेकर आयें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

Page No 114

(114)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और दे दें।

दूसरा मेरा इस अमेण्डमेंट के बारे में गम्भीर आब्जेक्शन है। आपने इस फैसले के खिलाफ क्या निर्णय लिया है? आज तक आपने इस फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील कराई है? क्या असेसिंग आथारिटी ने ने पुनः रिवीजन करना तय किया है? जैसा कि कहा है, क्या भ्रष्टाचार के कारण अपील करने के लिए गलत मुद्दे बना कर, मूल सेक्शन के विपरीत, व्यवस्था के विपरीत अपील कर सकता है? क्या ऐसा कोई आधार इस असेसिंग आथोरिटी के पास नहीं है कि वह रेवेन्यू बोर्ड में जाए? क्या कानून के इन आधारों पर दुबारा रेवेन्यू बोर्ड में भेज सकते हैं? क्या आपने कोई गाइड लाइन दी है? अगर नहीं दी है तो फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि तानाशाही का अधिकार दिया गया है....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

कि इतने सालों के लाखों रुपये के टैक्स को माफ कर दें। इसके बारे में आप गम्भीर नहीं हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपको डूब मरना चाहिए। जो आरोप मैंने लगाये हैं।

(व्यवधान)

आप हंसिये नहीं, माननीय चीफ व्हिप साहब।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : गवर्नमेंट को डूब मरने की नौबत कहां है? हमें कोई नौबत नजर नहीं आई है।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैं निवेदन करूंगा कि आर्डिनेंस के द्वारा शासन करना उतना ही पाप है, जितना कि इमर्जेन्सी लगाना। मैं कहता हूं, तीन महीने में कितने रिवीजन रेवेन्यू बोर्ड में दाखिल किये हैं? एक भी दाखिल नहीं हुआ है। आप बिल्कुल गम्भीर नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको क्या पता है?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपने इस कार्य के लिए अधिकार प्राप्त किया है, किन्तु तीन महीनों में कोई अपील नहीं की है। इससे आपके मानसिक धरातल का पता चलता है। It is only indication. बच्चा पैदा हो गया है।

(व्यवधान)

अब उस अवैध सन्तान को वैध करने के लिए कानून बनाना होगा। आप अवैध सन्तान मत पैदा कीजिए। पहले शादी कीजिए, फिर सन्तान पैदा कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी टाइम हो गया है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि,

(1) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1978.

(श्री नवनीत पालीवाल)

(2) राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

(3) राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

जब तक पारित न हो जायें, तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि जब तक विधेयक पारित न हो जायें तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, उसके अनुसार होना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ही तय किया है अभी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि जब तक विधेयक पारित न हो जायें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन की सहमति तो ली नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति ली जा चुकी है।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय रामनारायणजी चौधरी ने जो जनता पार्टी के मेनिफेस्टो और सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ...

श्री मथुरादास माथुर : लीगल कहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : लीगल ही कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि मेनीफेस्टों में किये गये वायदे को पूरा किया जाय। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां आप भी विराजमान हैं। सेल्स टैक्स को रिप्लेस किया जाना एक ऑल इण्डिया पालिसी का सब्जेक्ट मैटर है। इसको एक्साइज ड्यूटी करके रिप्लेस किया जाय, इसके स्थान पर दूसरा टैक्सेशन लगाया जाय क्योंकि आज के दिन यह वित्तीय साधनों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। कोई भी सरकार...

श्री मथुरादास माथुर : यह घोषणा-पत्र लिखने से पहले सोचना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिह मक्कासर : उस वक्त पता नहीं था कि राज भी आ जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय बोलते हैं तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रत्नाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : यह आपने धोखा किया है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ये लोग जो गुनहगार हैं...

श्री मथुरादास माथुर : हमारा तो एक ही गुनाह है कि राज तुमको दे दिया, यह गुनाह है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राज जनता ने दिया है।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) : राज कोई देने से थोड़े ही मिलता है,

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कौनसा आल्टरनेटिव सोर्स आफ रेवेन्यू हो सकता है जो सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर सकता है। माननीय रामनारायणजी, अपने दल को परामर्श देंगे कि जनता की जो दिक्कत हैं उनसे राहत दिलाने के लिए जनता पार्टी को इस बारे में सहयोग...

श्री मूलचन्द डागा : हमने तो अभी दिया है।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी: यह कोई तरीका नहीं है। आप लोग सुनने की क्षमता नहीं रखते। बैठ जाइये।

श्री मूलचन्द डागा : आप विश्वासघाती हैं, तीन करोड़ जनता के साथ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय मदेरणा साहब, माननीय माथुर साहब ने मेरे को खास तौर से इस बात की चुनौती दी कि यह जो प्रोविजन रखा जा रहा है इसको मैं विधि विभाग से सम्बन्धित होने के नाते जस्टीफाई करूं। सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कानून वही है जो उन्होंने बनाया है...

श्री मूलचन्द डागा : प्रोविजो नहीं है, एक्सप्लेनेशन है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी: अरे भाई! You must und erstand. It is explanation.

श्री मूलचन्द डागा: You said provision. therefore I said where is the proviso It is explanation. आप गलती करते हैं और मन्जूर भी नहीं करते।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने प्रोविजो कहा है जिसका मतलब एक्सप्लेनेशन से ही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय माथुर साहब और माननीय परशुराम जी ने कहा कि यह गलत परम्परा हो जायेगी कि स्वयं ही जज अपने फैसले से डिस्सेटिसफाई होकर रिवीजन में जाय। इस प्रकार का प्रावधान नहीं होना चाहिये। राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट, 1954 का बना हुआ है उसमें धारा 14 मे रिवीजन का प्राविजन है—

"The Board of Revenue on being moved by the Assessing Authority......"

ये वर्ड्स हैं। हम संशोधन यों ही नहीं ला रहे हैं। बल्कि कानून में खामी रही आपकी तरफ से, उसकी ओर माननीय राजस्व मण्डल ने अपने एक फैसले के द्वारा ध्यान

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
आकर्षित किया और अवैध घोषित किया, जिसका आशय यह है, निर्णय का निचोड़ है-

"If however the order of the Assessing Authority has been confirmed in appeal he could not file a revision against his order before the Board u/s 14(1) of the R.S.T. Act for he could not have any grievance against his own order."

तो यह जो आपका बनाया हुआ कानून है···

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय विधि मन्त्री, जो फैसला है उससे सदन को मिसलीड कर रहे हैं। मैं हाउस को मिसलीड करने के लिए आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाऊंगा। यह तरीका नहीं है। इसमें यह लिखा है कि आपको मुमानियत नहीं है।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह बोर्ड आफ रेवेन्यू के फैसले का निचोड़ है।

(व्यवधान)

निचोड़ बता रहा हूं। यह आपका इण्टर-प्रिटेशन हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पेश किया है। क्या माननीय मन्त्री महोदय जो जजमेंट है रेवेन्यू बोर्ड का उसके सम्बन्ध में हमको मिसलीड करना चाहते हैं? मैं यह चाहता हूं आप वह लाइन पढ़े जजमेंट की--

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप प्रिविलेज मोशन ले आइये। You have no right of discussing in such a manner.

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, यह मेरा सौभाग्य है कि आप भी कानून के जानकार हैं, इसलिए सेवा में···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : This is ratio. He should try to understand.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, उनका इण्टरप्रिटेशन सुन तो लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देखिये····

श्री सूर्य नारायण चौधरी : Just a minute.

"We therefore, answer the reference made to us that an Assessing Authority will be competent authority to file a revision under section 14 (1) of the R.S.T. Act, 1954 against his own orders which have been merged into appellate order and consequently, he feels aggrieved by it. If however, the order of the Assessing Authority has been confirmed in appeal he could not file a revision against his order before the Board under section 14(1) of the R.S.T. Act for he could not have any grievance against his own orders."

मैं उसका निचोड़ बता रहा था। क्या आप में सुनने की क्षमता नहीं है? मेरा इण्टरप्रिटेशन गलत हो सकता है। कानून का इण्टरप्रिटेशन

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मेरा गलत हो सकता है, बोर्ड की रूलिंग गलत हो सकती है। Where is the question of miscading the House. It was an argument.

मैं निवेदन कर रहा था कि जो आपने खामी छोड़ी थी उस खामी के कारण एक न्यायालय में मुकदमे के अन्दर कोई नतीजा निकला। उसके कारण कानून में पेचिदगियां पैदा हो गई हैं। जो प्राइवेट पार्टीज के पास अनकलटेड रेवेन्यू पड़ी हुई है एक करोड़ दस लाख असेस हुई है, उस सबको हम एक्स-चेकर में लाना चाहते हैं। यह इसका पर्पज है।

मैं निवेदन करूंगा कि माथुर साहब ने आपत्तियां उठाई, वे बड़े सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन है, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को डील किया है, उनके जमाने में भी यह कानून लागू था उसको वे आज स्वयं अनुचित बता रहे हैं, यह उनके सोचने की बात है। हमारा एक्सप्लेनेशन स्पष्ट है :

"An Assessing Authority shall be competent to move the Board of Revenue against its own order. Whether its order had been the subject matter of appeal or not and, if appealed against, whether confirmed or not"

वह लेकूना जजमेंट से फ्लोइंग होता है। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, कान्स्टीट्यूशनली इनवेलिड होगा, डिस्क्रिमिनेटरी होगा। इस संबंध में हम आश्वस्त हैं कि यह बिलकुल वेलिड कानून है। सोच समझ कर देश भर की विधान सभायें, लोक सभा और राज्य सभा बनाती हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है। इसका कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है। जितना हमारे पास विधि क्षेत्र है, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनको देख कर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक्सप्लेनेशन कान्स्टीट्यूशनली इनवेलिड नहीं है। आपको इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर अब भी स्टेण्ड करता है। इनको जो शब्द पढ़ने थे वे नहीं पढ़े। आप बता दें, आप रिवीजन में गए हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह कोई तरीका बहस का नहीं है। उपाध्यक्षजी, आप माननीय सदस्य को काबू में रखें। वह बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। दूसरे लोगों को बोलने न दें, यह उनकी मोनोपोली नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं मोनोपोली कांग्रेस राज में खतम कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बाद में व्यवस्था दे दूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : और जो शंकायें परसरामजी मदेरणा ने उठाई वे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन और इसके बैकग्राउंड के अन्दर निराधार हो जाती हैं। विधि की दृष्टि से इसके अन्दर किसी प्रकार की खामी मुझे नजर नहीं आती। इन्हीं शब्दों के साथ

श्री मूलचन्द डागा : मुझे जवाब देने का अधिकार है।

(श्री मूलचन्द डागा)

स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में लिखा है : in keeping with the intention of the Legislature. पहला सवाल यह था कि जो बिल पेश किया गया था उसकी मन्शा क्या है ? जिस समय यह एक्ट पास हुआ था उस समय लेजिस्लेचर की जो मन्शा थी वह मन्शा इस में इनकारपोरेट नहीं हुई थी इसलिए आपने यह संशोधन किया। दूसरे, आप बता दें कि असेसिंग आथोरिटी एग्रीव्ड है या नहीं ? वे कभी रेवेन्यू बोर्ड में गए और जाने पर रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि तुम नहीं आ सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी, आपने चर्चा उठाई है, मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। क्या यह आवश्यक है कि जो जो प्रश्न आप उठायें उसका उत्तर दिया जाय ? सदस्यों को प्रभावित करने के लिए उत्तर दिए जाते हैं। अगर आप समझते हैं अच्छा उत्तर नहीं है तो जो उसका असर होगा, सरकार देखेगी।

श्री मूलचन्द डागा : I have got every right to reply.

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप अपने आर्ग्यूमेंट्स की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। It is Law of the land और सरकार उसको चेलेंज कर रही है। आप समझ लें रीजन्स। जोसिफ ने आर्डर निकाला वह कन्सीडरेशन स्टेज पर कहूंगा। हमारे विधि मंत्री जी अनुभवी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े केसेज जीते हैं, आप समझ लें आपका मैं अहसान मानूंगा अन्यथा सारा देश कह रहा है कि it is bad law. और वह भी, उपाध्यक्षजी आपके सभापतित्व में पास हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सामने प्रश्न यह है कि जो संकल्प सर्वश्री परसराम मदेरणा, राम नारायण चौधरी व श्री मूल चन्द डागा ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : We want division हम इसको रिडन्डेंट मानते हैं। आप प्रश्न रखिए कि मोशन स्वीकार किया जाए या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिवीजन की आवश्यकता नहीं समझता।

प्रभारी मंत्री विचारार्थ प्रस्ताव करना चाहेंगे ?

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मुझे मालूम है कि सदन का अमूल्य समय मुझे नहीं लेना चाहिए लेकिन मुझे अपने कर्त्तव्य ने बाध्य किया है। अंदर की आवाज ने बाध्य किया है कि एक बात पुनर्विचार के लिए माननीय सदस्यों की सेवा में आपके द्वारा रखूं। मेरे योग्य विधि मंत्री बैठे हैं, वित्त मंत्री मौन हैं, वह किसी पाप में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। वे गहरे व गंभीर पुरुष हैं जिन्होंने यह बिल रखा है ...

Page No 120

(120)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : He has capacity of holding the entire House to ransom.

श्री मूलचन्द डागा : He should be asked to withdraw the words.

श्री उपाध्यक्ष : It seems to be credit for you.

श्री मूलचन्द डागा : मुझे एक मिनट तो कहने दीजिए।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : काफी कार्य शेष है।

मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने व प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने हेतु अपने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं क्या वे प्रेस करते हैं?

श्री रघुनाथ विश्नोई व श्री वृद्धिचन्द जैन ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं प्रवर समिति के लिए अपना प्रस्ताव प्रेस करता हूं। बहस के दौरान सर्वश्री माथुर, डागा व परसराम मदेरणा ने तथ्यपूर्ण दलीलें दीं उनसे जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं जो कानून जानते हैं वे कन्विन्स्ड हैं परन्तु ऐसा लगता है कि कोई न कोई व्हिप जारी हुआ है इसलिए

(व्यवधान)

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि, "राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करे।"

हमें यह खतरा है कि जो बिल पास करा रहे हैं इसमें फिर अमेन्डमेंट लायेंगे। विधि मन्त्री जी ने कहा है कि 11 करोड़ रुपया, जो कि अनकलेक्टेड रेवेन्यू पड़ा है, वसूल करना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 11 करोड़ रेवेन्यू आप वसूल कर लेंगे या नहीं, यह तो दायित्व है आपका किन्तु आपने सभी सदस्यों की जुबान तो बन्द कर दी। जो कानून बनाया था उसमें लेकुना रख दिया था तो उस समय आपने विदड्रा क्यों किया? किस ने कहा था कि आप इस बिल को विदड्रा करो? आप तो फिर नवम्बर में ले आयेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहता हूं कि सदन का समय दुबारा जाया नहीं हो. इसलिए हमने आग्रह किया है कि इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करें। आप नये आये हैं और एटरैन्डम खड़े होकर बोल जाते हैं। हम स्टडी करके आये हैं तो आप भी करें। आप तो कानून मन्त्री हैं, आपके पीछे सरकारी मशीनरी है. लॉ डिपार्टमेन्ट है, उसके बावजूद भी कम से कम सावधानी के रूप में दस-पन्द्रह दिन के लिए सलेक्ट कमेटी को भेज दो तो क्या प्रलय आ जायेगी...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ठीक है तो जिम्मेदारी आपकी है। राज्य आपको चलाना है। हमें तो अपनी ड्यूटी अदा करनी है क्योंकि हमने शपथ ली है। आप ब्रूटल मेजोरिटी से हां और ना करा कर कानून पास करके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

भागना चाहते हैं तो यह सही बात नहीं है। इसलिए आप सलेक्ट कमेटी को भेज दें। और भी कोई यदि लेकुना है तो सलेक्ट कमेटी उसको दूर कर देगी। अच्छे अच्छे सदस्य, जो कि कानून के जानकार हैं, को सलेक्ट कमेटी में ले लें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सलेक्ट कमेटी को भेज कर इसके ऊपर ठंडे दिल से विचार करके फिर इसको लायें। 11 करोड़ की रेवेन्यू पड़ी है अनकलेक्टेड उसको रिकवर कर लीजिए इसके लिए सारा विरोधी पक्ष आपके साथ है। माननीय वित्त मन्त्री जी आश्वस्त करें कि कानून मन्त्री ने कोई उनको मुगालता तो नहीं दिया है। आप मेरा सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव मान लें ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय,

श्री आदित्येन्द्र (वित मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव कि यह बिल सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये मुझे मान्य नहीं है। इसके कई कारण हैं और प्रमुख यह कारण है कि व्यक्ति के हित से राष्ट्र का हित अधिक सर्वोपरि है. . . .

श्री मूलचन्द डागा : आधार ही व्यक्ति होता है। व्यक्ति के हित पर ही राज्य का हित है। यह गलत कह रहे हैं आप व्यक्ति के हित में ही राज्य का हित है।

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच बीच में बार बार बोलते हैं इनको रोकिये।

श्री आदित्येन्द्र : श्रीमान्, इस बिल को लाने की इसलिए आवश्यकता हुई कि डी. सी. एम. के 4 केसेस थे। 1965–66, 1966–67, 1967–68 और 1968–69 के चार केसज थे। इन चार केसेज में लगभग 11 करोड़ की बिक्री का सवाल था और टैक्स लगभग 33 लाख का होता था। क्योंकि डी. सी. एम. एक बहुत बड़ी संस्था है, पूंजीपतियों की संस्था है इसलिए मैं समझता हूं कि हम इन केसेज को अपने हाथ में लें। वह संस्था यदि 33 लाख रुपया दे सकती है तो उसको देना ही चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : जरूर लीजिए।

श्री आदित्येन्द्र : क्योंकि आज हमारा सोशलिस्ट स्टेट है और इसमें बहुत सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, जनता की भी मांग है कि विकास के कार्य होने चाहिए किन्तु विकास के लिए पैसे की भी आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है जो माननीय डागा जी ने उठाई कि इससे इस बात का डर है कि राज्य की तानाशाही न हो जाय, राज्य लोगों को परेशान न करे। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले पांच सात वर्षों में एक केस दुर्गादास कामरा का था उसके बाद दूसरा केस आया उस केस में रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला राज्य के खिलाफ किया . . .

श्री मूलचन्द डागा : वह जजमेन्ट कौनसा है ?

श्री आदित्येन्द्र : वह जजमेन्ट पहले खिलाफ गया था बाद मे उस केस को हम रेवेन्यू बोर्ड में लाये। लेकिन डर यही था कि रेवेन्यू बोर्ड ने जो पहले फैसला किया है उस फैसले को देखते हुए राज्य के विरोध में फैसला किया जा सकता है इसलिए यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा मेरा आपसे अनुरोध

Page No 122

(122)

(श्री आदित्येन्द्र)

है कि यह आर्डिनेन्स किसी बदनीयति से नहीं लाया गया है। यह बहुत सोच समझ कर लाया गया है। एक पूंजीपति अगर गलती करता है, पूंजीपति किसी तरह से सफल हो जाता है अपने प्रयास में तो वह प्रयास हमें असफल करना चाहिये। बात दरअसल में यह थी कि जो यार्न फेब्रिक होता है इसको पहले सी.टी.ओ. ने टैक्सटाइल मान लिया और टैक्सटाइल पर कोई टैक्स नहीं है। इसलिये उस समय कर नहीं लगाया गया लेकिन बाद में आडिट आब्जेक्शन हुआ और यह चीज पकड़ी गयी कि यह टैक्सटाइल नहीं है यह यार्न है और यार्न पर टैक्स लग सकता था इसलिये इस केस को गवर्नमेंट ने हाथ में लिया और इसके लिए प्रयास किया लेकिन जब यह देखा कि दुर्गादास कामरा के मामले में रेवेन्यू बोर्ड का एक फैसला हो चुका है और उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी थी तो बाद में यह केस फिर लाया गया। बाद में आर्डिनेन्स राज्यपाल महोदय ने बनाया और आर्डिनेन्स को प्रामलगेट किया। अब यह आपके सामने बिल के रूप में लाया गया है। इस बिल में हमारी मंशा गलत नहीं है। कोई पांच छः साल में एक केस आया है। आम आदमी से इसका कोई संबंध नहीं है. वह भी मामला इन्टरप्रिटेशन का था कि उसको यार्न माना जाय या टैक्सटाइल माना जाये।

श्री मथुरादास माथुर : आर्डिनेन्स के आब्जेक्टिव में ही लिख देते कि डी.सी.एम. के मामले को तय करना है तो शायद यह बहस नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव है।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। श्री राम प्रसाद लड्ढा और श्री रामनारायण चौधरी क्या संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I have a very important amendment, Sir.

मेरा अमेण्डमेंट इस पर है कि धारा 14 की उप-धारा (1) में जोड़े जाने वाले स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाय :

"Provided that the assessing authority shall give notice of his intention so to do to the person

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

concerned and, after giving him an opportunity of heard, if not satistied, file a revision to the Board of Revenue."

यह प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस का सवाल है। जिस असेसी का आपने एक बार असेसमेंट कर दिया, , 2 वर्ष बाद में आप सोचते है कि अपने फैसले के विरुद्ध रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन फाइल करना चाहिये तो मैं समझता हूं कि प्रिन्सिपल आफ नेचरल जस्टिस का तकाजा है कि जिसके विरुद्ध रिवीजन करने का सोच रहे हैं उसको सुनने का मौका दो और उससे अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो बोर्ड में जाओ। हमारे कान्स्टीट्यूशन का आधार ही ह्यूमन लॉ है। जनता पार्टी का नारा है और लॉ का बेसिस प्रिन्सिपल है no-one should be condemned without being given a chance of hearing.

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को मेरा अमेन्डमेंट एज सच स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और इस अमेन्डमेंट को इस एक्सप्लेनेशन के साथ जोड़कर पूर्ण रूपेण कानून का फार्म दिया जायेगा।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, मै ऐसा मानता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें इस बात की मनाही नहीं है कि वे अपने आदेश के विरुद्ध रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। मैं ऐसा मानता हूं इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिये जो संशोधन पेश किया गया है, वह मुझे मान्य नहीं है

(5.25 म. प.)

(श्री मन्जूर अली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राम कृष्ण दास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनिमत के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : पहले इन से तो पूछ लिया जाये कि यह अपना अमेंडमेंट वापस ले रहे हैं क्या ?

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : मैंने जो क्लाज 2 में अमेंडमेंट दिया है उसे वापस लेने की आज्ञा दी जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को संशोधन प्रस्ताव विथड्रा करने को इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मै अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : खण्ड 3 पर कोई संशोधन नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड 2 पर वोट ले लीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 को पारित किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 3 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत),

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन

श्री सुखनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है। मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं–

गुरुवार 12 अक्टूबर, 1978

1. विद्युत मण्डल के ऋण लेने की सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में शासकीय संकल्प।

2. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन), 1978।

3. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978।

4. राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1978।

शुक्रवार 13 अक्टूबर, 1978

1. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 1978।

2. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1978।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978।

फिर इसके पश्चात् यह सदन एडजोर्न होकर 6 नवम्बर, 1978 को मिलेगा। उस दिन के लिये जो विधायी कार्य रखे गये हैं वह हैं :

(1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1978

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

(2) राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अन्तरण पर निर्बन्धन) निरसन विधेयक, 1978

(3) वर्ष 1972–73 के लिये अतिरेक की मांगें

(4) राजस्थान विनियोग (सं. 3) विधेयक, 1978

पर विचार व उसका पारण।

मंगलवार दिनांक 7 नवम्बर, 1978

(1) वर्ष 1978–79 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें

(2) राजस्थान विनियोग (सं. 4) विधेयक, 1978

पर विचार एवं उसका पारण।

उपरोक्त समय के बटवारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं बोलने के लिये अर्ज कर रहा हूं। अध्यक्ष पद से यह कह दिया गया था कि रूल 23 के नीचे बराबर प्राइवेट बिल के लिये मेम्बर को ढाई घंटे का समय मिलेगा। आसन से यह निर्णय हो गया था और आसन ने घोषणा कर दी थी। लिख कर आब्जेक्शन किया था। रूल 23...

(व्यवधान)

दूसरी बात मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं 12 तारीख के दिन लॉ एण्ड आर्डर की जो अहम सिचुएशन है, उस पर बहस करने के लिये आपने कह दिया था...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपके नेता ने कह दिया है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हमारे एडजोर्नमेंट मोशन पर कह दिया गया था कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पर 12 तारीख को वाद विवाद रखा जायगा। आज हमें वह अवसर नहीं दिया जा रहा है और हम उससे महरूम हो गये हैं।

तीसरी बात मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं और बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि 2-2, 3-3 लेजिस्लेशन एक दिन में लाकर आप मटियामेट करना चाहते हैं। लेजिस्लेशन के मामले में मैं प्रार्थना करूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी फिर विचार करे। एक भी लेजिस्लेशन पास नहीं हुआ है पिछले दिनों में, इसलिये इतनी जल्दी न करें। जल्दी करने से न तो हमारे काल अटेन्शन मोशन आते हैं, न कोई मोशन आता है और न कोई प्रिविलेज मोशन आता है।

श्री सभापति : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन की सहमति से ही दी जाती है।

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का नवां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

परिनियत संकल्प

राजस्थान आबकारी विधेयक, 1978, इस पर चर्चा होगी। अब माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मुझे और कुछ तो नहीं कहना है केवल इतना ही निवेदन है एक सेन्टेन्स में कि दोनों

(श्री मथुरादास माथुर)

के लिये आर्डिनेन्स की आवश्यकता नहीं थी। आबू में हमारा कानून लागू नहीं था और गुजरात का कानून लागू था, तो इसकी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, यह माननीय मंत्री महोदय बता दें कि आर्डिनेन्स के जरिये यह क्यों लाना पड़ा? यह आर्डिनेन्स की हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप आर्डिनेन्स मत लाया कीजिये। बिल ले कर आते तो क्या फर्क पड़ जाता?

[श्री मथुरादास माथुर ने निम्नलिखित परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया। "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 1 सितम्बर 1978 को प्रख्यापित राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 14 सन् 1978, को अस्वीकार करता है]

श्री राम नारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैंने संकल्प दिया है और मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को और वित्त मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी प्राहिबिशन की पालिसी है, आपने वायदा किया था और प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने चार वर्ष में कम्पलीट प्रोहिबिशन सारे देश में करने का वचन दे रखा है, उस तरफ मुस्तैदी से नही बढ़ रहे हैं। मेरा आरोप है, आपकी प्राहिबिशन पालिसी फेल हो रही है। गैर कानूनी शराब निकल रही है और गैर कानूनी शराब पी पी कर लोग मर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं इस वर्ष जयपुर में इल्लीसिट लिकर पी पी कर लोग मर गये। आपसे मुआवजे के लिये भी कहा था। आज लोग अजमेर के अन्दर, उदयपुर के अन्दर गैर कानूनी शराब निकाल निकाल कर पी रहे हैं। विभाग उनको रोक नहीं पा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप इस शराबबन्दी को सख्ती से लागू करें और इसमें काफी सख्ती करें। आप आज प्रोहिबिशन की पालिसी को आधे मन से चला रहे हैं। आज आपकी पालिसी यह है कि आप उन जगहों पर प्रोहिबिशन लागू कर रहे हैं जहां बहुत कम लोग शराब पी रहे हैं। आपने चूरू, गंगानगर में लागू नहीं की और टौंक में लागू कर दी। जहां मेजर इफेक्ट होने वाला है वहां तो आप लागू करते नहीं है केवल टोकन के लिये आपने कहीं कहीं पर लागू किया है, उदयपुर में नहीं किया है और तहसीलों में कर रखा है। जो सारे उदयपुर जिले में शराब का कन्जम्पशन नहीं होता है वह अकेले उदयपुर में ही हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपकी पालिसी में सिन्सियरिटी होनी चाहिये। मैं आरोप लगाता हूं आपकी कोई नीति नहीं है, आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, आप दिशाविहीन हैं। दिशाविहीनता की ओर ही यह सरकार चल रही है।

श्री सभापति : वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर : आप तो आज ही डिक्लेयर कर दो सारे राजस्थान में प्रोहिबिशन।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : सभापति जी, अभी जो बिल विचारार्थ आ रहे उनमें से एक है राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 और दूसरा विधेयक है राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978, ये दो बिल हैं। इन दोनों ही बिलों के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि बिल इनोसेन्ट हैं।

(श्री आदित्येन्द्र)

जहां तक सवाल है मद्य निषेध का, मद्य निषेध की नीति का जब प्रश्न आयेगा तब मैं भी सरकार की ओर से अपने विचार रखूंगा। मैं, श्रीमान्, आपके माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को कि जहां तक मद्य निषेध का प्रश्न है, हम इसको बहुत ही निष्ठा से और ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहते हैं। पूरे देश में 31 मार्च, 1982 को पूर्ण मद्य निषेध लागू हो जायगा। अभी तक चार वर्ष की अवधि रखी गई है, लेकिन अभी हाल में जो प्रोहिबिशन कौन्सिल की मीटिंग हुई उसमें तिथि भी निश्चित कर दी गई है लेकिन जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान इस मामले में और राज्यों की अपेक्षा आगे है, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं लेकिन आज का यह विषय नहीं है। आज तो केवल दो बिल हैं और इन दोनों बिलों में भी कोई नई बात नहीं है। हम इन बिलों के जरिये यह चाहते है कि राजस्थान का मद्य निषेध कानून और राजस्थान का आबकारी कानून दोनों ही कानून लागू होने चाहिये। आबू क्षेत्र में अभी तक ये दोनों कानून लागू नहीं थे और बम्बई के कानून थे। वहां पर इसकी आवश्यकता इसलिये हुई कि आज से 3–4 महीने पहले थिनर, जो पेन्ट में पड़ता है, पीने से वहां कई लोगों की मृत्यु हो गई। उन मृत्यु के कारण एक बड़ी उथल-पुथल हुई और सभी लोगों ने यह कहा, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण यह है कि बम्बई एक्ट के लागू होने के कारण वहां पर थिनर पर कोई लाइसेन्स नहीं था। जब कि लिकर पर लाइसेंस हैं। हम चाहते हैं कि सभी कानूनों में एकरूपता आ जाय, यूनिफार्मिटी आ जाय, इसलिए इस संशोधन को लाया गया है। इस संशोधन का केवल यही उद्देश्य है कि पहले जो बोम्बे एक्ट लागू है उसको रिपील कर दें और उसके स्थान पर यह हमारा राजस्थान का कानून लागू कर दिया जावे। राजस्थान का कानून, जो अभी तक आबू क्षेत्र को छोड़ कर सभी जगह पर लागू है, आबू क्षेत्र में भी लागू कर दिया जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि इल्लीसिट शराब में, शराब की स्मगलिंग में क्या राजस्थान सारे हिन्दुस्तान में अग्रणी है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जानकारी करने का कौनसा मौका है?

क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगे?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं विथड्रा करता हूं अपना संशोधन।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इन्होंने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया है?

श्री रामनारायण चौधरी : विथड्रा नहीं किया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री श्योपतसिंह (मकासर) : मैं दो मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं एक बात रखना चाहता हूं। अभी विरोधी दल के माननीय नेता ने आपको उकसाया है कि इसको बिल्कुल बन्द कर दो। दरअसल यह जो कुछ कह रहे हैं यह आपके हित में नहीं कह रहे हैं। यह आपके राज में क्राइसिस पैदा करना चाहते हैं, ताकि आपको क्राइसिस में फंसा कर फायदा उठायें और इनको अधिक से अधिक लाभ मिले। एक तो बात निश्चित है कि एक बड़ा शौक हो गया है, बड़ा रिवाज हो गया है क्योंकि प्रधान मंत्री कहते हैं इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा। पहले प्रधान मंत्री के बेटे की लाइकिंग नसबन्दी थी और अब प्रधान मंत्री की लाइकिंग नशाबन्दी है इसलिए आपको भी इसको मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जो कदम आप उठा रहे हैं उसके भयंकर परिणाम होंगे। आप शराब पीने के लिए लोगों को रोकेंगे फिर भी शराब बिकेगी। आज संगीन केसेज में भी पुलिस अपराधियों की तलाश नहीं कर पाती है। खुले आम मर्डर के केस होते हैं, संगीन चोरियां होती हैं, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाती है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत ही बिगड़ी हुई है तो फिर आप शराब बेचने वालों को कैसे रोक सकेंगे ? मेरे यहां पर आज लॉ एण्ड आर्डर की क्या हालत है। वहां आपने शराबबन्दी नहीं की है अभी · · ·

(व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : आज दारू की वकालत कर रहे हैं, आगे चल कर जुआ और वैश्यावृत्ति की भी वकालत करेंगे। · · ·

श्री परसराम मदेरणा : कंसीडरेशन के लिए बिल ले लिया गया है, अब कैसे बोल रहे हैं। इनको बोलना था तो पहले बोलते। अब तो क्लाज बाई क्लाज लेने की बात है, इस स्टेज पर नहीं बोल सकते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे कहने का मतलब यह है, मेहता जी, आप वैश्यावृत्ति की बात कह रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप लोगों का मन बनाइये। कानून के डंडे से शराबबन्दी नहीं हो सकेगी। लोग घड़ों में भर भर कर लाते हैं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ से बनी देशी शराब को लोग पीते हैं और मरते हैं। इसको वैज्ञानिक तरीके से समाप्त करिये, लोगों को समझाइये। कानून बना हुआ है फिर भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं· · ·

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह दोनों कम्युनिस्ट पार्टी चाहती हैं कि शराब चोरी चलती रहे।

(व्यवधान)

श्री नूरा : लोग मर रहे हैं, उनको तो रोकिये।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है ...

श्री परसराम मदेरणा : पहले आप क्लाज बाई क्लाज तो पास कराइये। क्लाजेज पास कराने के बाद मूव करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : क्लाज पर अमेंडमेंट नहीं हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : When there is no amendment to the clauses, it can be put to vote directly for its passing.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री आदित्येन्द्र : सभापति महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पारित किया जावे।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान मद्यनिषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978, जो प्रस्तुत किया गया है, के बारे में मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी है। वित्त मंत्रीजी मद्य निषेध के बारे में वास्तव में प्रयत्नशील हैं और मद्य निषेध राजस्थान में करना चाहते हैं, उनकी पूर्ण इच्छा है परन्तु मैं कहना चाहता हूं विशेष तौर पर वित्त मंत्रीजी को, मुख्य मंत्री जी इसमें बाधक होंगे और वे कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगे। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सलाहकार समिति में विचार रखे थे, मुख्य मंत्रीजी ने रखे थे, उनके वह विचार बिल्कुल अलग तरह के थे। गोकुल भाई भट्ट दिल से चाहते हैं कि कम्पलीट मद्य निषेध हो। आप भी चाहते हैं कि कम्पलीट मद्य निषेध हो परन्तु मुख्य मंत्री नहीं चाहते हैं इसीलिए आपने इसकी अवधि 82 तक की है। आप चाहते हैं कि अक्टूबर, 78 से पूर्ण मद्य निषेध लागू हो जाय। आप चाहते थे कि अप्रेल 79 में मद्य निषेध हो जाय लेकिन मजबूर होकर 82 तक की मियाद बढ़ाई है। 82 तक

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

आपकी गवर्नमेंट रहेगी भी या नहीं रहेगी, यह भी प्रश्न है। अगर आप अपने जीवन में यह पुण्य कार्य करना चाहते हैं, आप वृद्ध भी हो गए हैं, आपकी तमन्ना भी है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप इसको जल्दी से जल्दी करिये। जीवन का भी कोई पता नहीं है, आपकी भावना अच्छी है तो आप अपने जीवन के अन्दर ही यह कार्य कर दीजिए।

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां पर शराबबन्दी हुई है, मैं बाडमेर जिले की बात कह रहा हूं, मैं जैसलमेर जिले की बात कह रहा हूं . . .

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आपका ट्रंक काल आया हुआ है, आप तो वहां जाकर बात करो।

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : वहां पर शराबबन्दी सफल नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? आपने जो प्रिवेंटिव फोर्स वहां पर लगा रखी है वह उतनी फोर्स नहीं है जितनी होनी चाहिए। वहां पर प्रिवेंटिव फोर्स इतनी सक्रिय नहीं है, पुलिस सक्रिय नहीं है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं है, आपका प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट सक्रिय नहीं है। इन सब को सक्रिय करिये। अगर आप इनको सक्रिय नहीं करेंगे तो आप नाकामयाब होंगे। अभी इल्लीसिट लीकर की बात चल रही थी, आपका प्रोग्राम इसीलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि इल्लीसिट लिकर का फैलाव है और वह इसलिए है कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में सख्त एक्शन नहीं लेती है, प्रिवेंटिव फोर्स नहीं लगाती है। होम मिनिस्टर साहब से मिल कर, मुख्य मंत्रीजी से मिल कर और अपनी केबिनेट के अन्दर डिसीजन लेकर अगर आप ईमानदारी से इसको लागू करना चाहते हैं तो जहां जहां पर प्रोहिबिशन हुआ है वहां पर प्रिवेंटिव फोर्स लगानी चाहिए . . .

आपको प्रिवेन्टिव फोर्स पूरी तरह से, सख्ती से, ताकत के साथ लगानी चाहिये और प्रोहिबिशन का जो लॉ है, उसको इम्पलीमेन्ट करने का प्रयास करना चाहिए।

श्री नूरा : जिन जिलों में शराबबंदी हुई उन जिलों में . . .

(व्यवधान)

दो मिनट बोलने दें।

मैं यह कह रहा हूं कि जहां पर भी शराबबंदी की गई है वहां पर क्या शराब नहीं मिलती है? खूब मिलती है। चाहे वह ठेके की हो चाहे अवैध रूप से बनाई हुई हो। जहां पर भी आपने शराबबंदी की है वहां पर शराब की चोरी बढ़ी है। दो नम्बर की शराब बनती है और वह बिकती है। गरीब आदमी वह शराब पीकर मरता है। आपके कारखानों में जो शराब बनती है, वह वैज्ञानिक तरीके से बनती है, उसको पीकर गरीब आदमी नहीं मरता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या कालवी साहब भी शराबबंदी के पक्ष में हैं? वे पार्टी के अनुशासन में हैं। बोलना चाहते हैं परन्तु बोल नहीं सकते। जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्य शराबबंदी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

के पक्ष में नहीं हैं इसलिये यह जो कानून लाया जा रहा है यह निरस्त किया जाना चाहिए। जो कारखाने चल रहे हैं वे बंद हो जाएंगे और उससे सैंकड़ों लोग बेकार हो जाएंगे। लोगों को जो विश्वास की शराब मिलती है वह मिलना बंद हो जाएगी। वह नहीं मिलेगी। अवैध शराब को पीएंगे और वे मरेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर शराबबंदी न की जाए।

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : अगर जनता पार्टी शराबबंदी करना चाहती है तो सारे राजस्थान में एक दिन में शराबबंदी कर सके तो उचित रहेगा।

श्री मनोहर सिंह मेहता : माननीय सभापति महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज शराब बन्दी के विरोध में हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, वे सारे प्रदेश को यादव स्थली बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले कभी भी राज्य शराब नहीं बेचता था। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कानूनी दृष्टि से शराबबन्दी की जा रही है। किन्तु शराब-बन्दी केवल कानून से ही नहीं होगी। कानून से बन्द हो जाने के बाद भी लोगों को समझाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने कहा है, 'सुधारक कितनी ही कोशिश कर लें जब तक राज्य सरकार शराब बिक्री की इजाजत देगी और पीने की सुविधा देगी सुधारक को इसमें सफलता नहीं मिल सकती है।' चाहे कोई कितना ही कहे वह शराब नहीं पीएगा परन्तु जब उसको सामने लाल, पीली, गुलाबी बोतल नजर आयेगी उसके पांव डगमगाने लग जायेंगे।

श्री सभापति : इसका कोई प्रोविजन इस बिल में नहीं है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बम्बई के कानून में, राजस्थान के कानून में फर्क देखा। आपने देखा कि अनसोशल एलीमेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। राजस्थान में कानून आया है परन्तु मैं यह देखता हूं कि सड़कों के किनारे, मन्दिर, मस्जिद के पास शराब की दुकानें दिखाई देती हैं। वहीं पर आप दूसरे जिलों में देशी, विदेशी शराब की दुकानें खोल रहे हैं। फिर भी मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं, हिन्दुस्तान में शराबबन्दी के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। कृपा करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। राजस्थान ने यह एक बड़ा कदम उठाया है। अन्त्योदय योजना को सफल करना है तो शराबबन्दी जल्दी से जल्दी करिये ताकि अन्त्योदय सफल हो सके।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : एक ही बात कहना चाहता हूं। माननीय मेहता जी ने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा है कि वे शराबबन्दी के पक्ष में नहीं हैं। मैं उनको यह बता देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। एक कहावत है दुश्मन आपकी तारीफ करे तो समझ लो गड़बड़ है ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : मैं बोल रहा हूं।

मैं यह कहावत बताना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह प्रश्न शराबबन्दी का है। आपने बोलने की इजाजत

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
दे दी तो अधिकांश सदस्य बोलेंगे। इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें। वरना शराब के प्रश्न पर बराबर बोलते चले जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : व्यवस्था का सवाल तो सत्ता पक्ष पर लागू होता है। हमारा राय देने का फर्ज है। मानो या न मानो यह अलग बात है। जल्दी मरना है तो जल्दी मरिए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। तशरीफ रखिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कोड़े मारजी हुक्म उधर लगाइये।

श्रीमती उजला अरोडा : सभापति महोदय, अभी गंगानगर शुगर मिल्स ने माउन्ट आबू में एक दुकान खोली है। वहां पर लोग गुजरात से आकर पीते हैं। पहले कहा गया दो अक्टूबर से बन्द कर रहे हैं। फिर 1979 की बात कही और अब 82 की बात कही जा रही है। यह तो धोखा देना है। बहुत गलत है। मैं समझती हूं कि इस तरह से जब एक बार निर्णय लिया जा चुका है तो उसी टाइम पर शराबबन्दी होनी चाहिए। 82 की बात कही जा रही है तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर कुछ कहें और यहां कुछ कहें, यह तो गलत है।

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने यहां पर जो बातें कही हैं उससे मुझे प्रेरणा मिली है। उस तरफ के लोगों के विचार मैं आपके सम्मुख रखूं। मैं भी उसी इलाके से आता हूं जहां से माननीय नूरा आते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि भीम क्षेत्र, ब्यावर क्षेत्र सारा अजमेर जिला और रायपुर क्षेत्र, सोजत क्षेत्र, यह सारा क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर तत्काल शराबबंदी लागू की जाए। वहां पर गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं और लोग छोटी छोटी नोकरियां करते हैं। वे सब शराब के व्यसन में पड़ कर बरबाद हो गये हैं। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह समय रहते उनको बचाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले ब्यावर, मसूदा क्षेत्र, भीम क्षेत्र में शराबबन्दी लागू की जाए। मैं समझ नहीं पाता कि माननीय सदस्य नूरा ने यह कैसे कहा कि वहां पर शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी की वहां के लोगों की मांग है। यह तत्काल होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से···

श्री नूरा : मेरा कहना तो यह है कि शराबबंदी कानून से नहीं समझा कर करनी चाहिए।···

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह।

श्री नूरा : शराबबंदी समझा कर को जाए, कानून के डंडे से न की जाए वरना इससे आतंक बढ़ेगा और लोगों के साथ ज्यादती होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरी मंशा मेरी भावना यह नहीं है कि शराबबंदी न की जाए। मैं न तो शराब पीता हूं और न मेरा परिवार शराब पीता है। आपकी पार्टी के अन्दर बहुत से सदस्य शराब पीते हैं। मैं छिप कर नहीं पीता। मैं छिप कर पीने वालों को पसन्द नहीं करता।···

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करता हूं तशरीफ रखिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं खुद नहीं पीता हूं। मैं छिप कर पीने वालों का विरोध करता हूं। मैं उनको ढोंगी कहता हूं। वे इस देश के लिए, प्रगति के लिए सीरियस नहीं हैं। आपको देखना है तो गंगानगर आकर देखिए।···

श्री माधोसिंह कछवाह : यह क्या उठक बैठक कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको समझाइये। ये नये सदस्य हैं। यह मेरा अधिकार है। मैं गूंगा नहीं हूं। बोलूंगा। यह मेरा अधिकार है।····

श्री माधोसिंह कछवाह : इस तरह का अधिकार नहीं है··

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं बताना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में···

(व्यवधान)

अभी एक दुकान पर मिलती है, एक जगह मिलती है, शराबबंदी लागू हो जाने के बाद यह हर चूल्हे पर पहुंच जायगी।

श्री सभापति : अब आप तशरीफ रखिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले तो अपने सदस्यों को रोकें, मिनिस्टरों को रोकें। सभी नकली बात कहते हैं।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिंह ; माननीय श्योपतसिंह जी ने अच्छी बात कही। अगर हमको शराबबन्दी करनी है तो इसकी शुरूआत यहां से होनी चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यहां ड्रामे नहीं सुनेंगे। ड्रामे नहीं होने चाहिये। यह बहुत ही संजीदा जगह है।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी चिन्ता दूर भी होनी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि मुख्य मंत्री जी और मेरे में मतभेद है। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक मद्य निषेध का प्रश्न है हम में कोई मतभेद नहीं। एक प्रश्न जरूर विचारणीय है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले महीने में 27 तारीख को मीटिंग हुई थी प्रोहिबिशन कौंसिल की उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था लेकिन वह पूरे देश के लिए था। सभी राज्यों के प्रतिनिधि उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। वह निर्णय यह था कि 31 मार्च, 1982 को पूरे देश में मद्य निषेध लागू हो जायेगा। उससे पहले एक और जो निर्णय था वह 4 वर्ष की अवधि का था। आज से 15 महीने पहले जुलाई 77 में जो मीटिंग हुई थी सभी राज्यों की उसमें यह निर्णय लिया गया था कि चार वर्ष की अवधि में पूरे देश में मद्य निषेध लागू होगा। इसके आठ महीने बाद जब लोकसभा का बजट सेशन हुआ मार्च के महीने में उसमें माननीय राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि 4 वर्ष की अवधि में पूरे देश में मद्य निषेध लागू होगा और अभी जो मीटिंग 26 तारीख को हुई थी उसमें हम लोग चार वर्ष की चर्चा कर रहे थे। उसमें राजस्थान की ओर से आपत्ति की गई कि यह 4

(134)

(श्री आदित्येन्द्र)

वर्ष का समय कब तक चलेगा। कोई न कोई तारीख निश्चित कर दी जाय। मैं समझता हूं कि इस बात से सभी को प्रसन्नता होगी कि राजस्थान की ओर से आपत्ति पर तारीख निश्चित की गई और वह तारीख पूरे देश के लिये 31 मार्च, 1982 है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान इस तिथि तक नहीं रुकेगा। इससे पहले ही मद्य निषेध राजस्थान में लागू होगा इस बारे विचार किया जा रहा है और गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

जहां तक सवाल प्रिवेन्टिव फोर्स का और उसको सक्रिय करने का है इस संबंध में भी विचार हुआ है लेकिन अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन हम सभी जानते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मद्य निषेध लागू होना चाहिये। राजस्थान में नशाबन्दी मण्डल गुजरात पैटर्न का स्थापित किया गया है वह भी मैं समझता हूं कि अभी सक्रिय नहीं है। लेकिन अब एक महीने के अन्दर अन्दर आप देखेंगे कि जो हम नहीं कर सके हैं वह पूरी तरह से मद्य निषेध को सफल बनाने के लिये किया जाएगा। जहां तक कि तारीख का सवाल है वह आपको मालूम हो जायगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध (संशोधन और विस्तार) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही 12 अक्टूबर, 1978 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.08 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 12 अक्टूबर, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 129 की सूची)

राज्य स्तरीय समिति । उप समिति की गत दो वर्षों में निम्न बैठकें आयोजित की गईं :—

26–7–1976 (राज्य स्तरीय समिति)
2–8–1977 (उप समिति)
3–1–1978 (राज्य स्तरीय समिति)
7–9–1978 (उप समिति)

2. इन बैठकों में भूतपूर्व सैनिकों के एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु जो निर्णय लिये गये वे निम्न प्रकार हैं :—

विधवाओं को मासिक आर्थिक सहायता

3. जिन विधवाओं की आर्थिक स्थिति शोचनीय है और जिनके गुजारे के लिये आय के पूर्ण साधन नहीं हैं उनको अमलगामेटेड फंड से 38/- रुपये मासिक सहायता प्रदान की जाती थी। अमलगामेटेड की राज्य स्तरीय समिति ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि जो मासिक सहायता वर्तमान में दी जा रही है यह अपर्याप्त है और उसमें वृद्धि की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप इस समिति ने विधवाओं को (जो साधारण सैनिकों की हैं) 40/– रुपये और जे. सी. ओ. की विधवाओं को 50/– रुपये मासिक सहायता की वृद्धि 1–10–76 से की गई है।

4. राज्य स्तरीय समिति ने गत दो वर्षों के अन्दर 536 और विधवाओं को मासिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की है।

अपंग सैनिकों को मासिक सहायता

5. 20 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो अपंग थे और कमाने योग्य नहीं थे जिनको 30/- रुपये प्रति माह की दर से मासिक आर्थिक सहायता और स्वीकृत की गई।

चिकित्सा सहायता

6. भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा हेतु पिछले दो वर्षों में 8,600/– रुपये स्वीकृत किये गये।

सैनिकों की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता

7. हवलदार स्तर तक के स्वर्गीय सैनिकों की कन्याओं के विवाह के लिए रुपये 44,500/– की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।

Page No 136

(136)

सिलाई की मशीन

8. भूतपूर्व सैनिकों की विधवायें जो सिलाई के कार्य में दक्ष हैं उनको जीविकोपार्जन हेतु सिलाई की मशीनें क्रय करने हेतु रुपये 6,000/— स्वीकृत किये गये।

छात्रवृत्ति

9. भूतपूर्व सैनिकों के 4589 बच्चों को 14,06,280/— रुपये छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत किये गये। पिछले दो वर्षों में यह राशि वितरित की गई है।

पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग के लिए छात्रवृत्ति

10. पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग के लिए सेवारत सैनिकों को, जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं, 125/— रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है।

सैनिक विश्राम गृह

11. सैनिक विश्राम गृहों की मरम्मत, नये कमरे बनाने एवं उनमें आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए 54,000/— रुपये स्वीकृत किये गये।

भूतपूर्व सैनिकों का वार्षिक सम्मेलन

12. राज्य के सभी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान एक्स सर्विसेज लीग प्रति वर्ष भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन आयोजित करता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस अवसर पर राज्यपाल महोदय के आवास पर भी एक सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया जावे जिससे सैनिक अपनी समस्याओं के बारे में राज्यपाल महोदय को अवगत करा सकें।

एक्स सर्विस मैन वूलन मिल, नवलगढ

13. एक्स सर्विसमैन वूलन मिल, नवलगढ पुनः चालू करने हेतु राजस्थान लघु उद्योग निगम को लीज पर देने का निर्णय लिया गया और उसको 2,50,000/— रुपये का ऋण दिया गया जिसके फलस्वरूप मिल पुनः वर्ष 1976 में प्रारम्भ की गई है।

जीवन प्रमाण-पत्र

14. विधवाओं को फंड से आर्थिक सहायता दी जाती है जिसके लिए उन्हें वर्ष में दो बार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पड़ते थे। जिसमें विधवाओं की राशि भेजने में विलम्ब होता था। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिर्फ वर्ष में एक बार, अप्रेल माह में ही जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जावें।

सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु

15. राज्य में सैनिकों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और फण्ड के आय के साधन सीमित हैं जिससे सभी को सहायता देना सम्भव नहीं है। और जो राशि अमलगमेटेड फंड में सैनिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध है, यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को निवेदन किया जावे कि राजकीय बजट में सैनिकों के कल्याणार्थ स्थायी रूप से 5 लाख रुपये अतिरिक्त राशि के रूप में प्रावधान रखा जावें।

छात्रवृत्ति वितरण हेतु

16. भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को पूर्व में वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि भविष्य मे छात्रवृत्ति की राशि का वितरण वर्ष में दो बार किया जावे ताकि सैनिकों के बच्चों को आर्थिक कठिनाई नहीं होवे।

(138)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 132 की सूची)

जिला बीकानेर की राजस्व तहसीलवार ग्रामों की सूची जो राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में आते है :---

राजस्व तहसील बीकानेर

1- राणीसर 2-किशनपुरा 3-करनपुरा 4-पलांवाली 5-पूंगल 6- नूर मोहम्मद का धांधड़ा 7-पहलवान का वेरा 8-रसूलसर 9-खीरसर 10-गंगाजली 11-गणेशवाली 12-मकेरी 13-भरडूरी 14-छगोलिया 15-बल्लर 16-गुलामअली वाला 17-अक्लासर 18-सियासर चोगान 19-करमवाला 20-बेरियांवाली 21-नौसेरा 22-अलादीन का वेरा 23-रमजानवाला 24-बदरासर 25-भैरू खीरा 26-भैरू पावां 27-शारह भाऊ व्यास 28- घोलेरा न. 1 29- घोलेरा न. 2 30- घोलेरा हिस्सा मगजी 31- घोलेरा हिस्सा पेमजी 32- शरह रुपायत 33-हरखांसर वागोड़ान 34- जामसर 35- जलालसर 36- खीचियां 37- कानासर 38- खारा 39-डान्डसर 40- चक गर्वी 41- कावनी 42- राणेवाला 43- दीघा 44- ककराला 45- लूणखा 46- रमई 47- गोगली वाला 48- सामेवाला 49- दातौर 50- अमरपुरा 51- जोधासर 52- रामड़ा 53- चकौसा 54- सियासर पंचकोसा 55 बाहसर 56- सतासर 57- छतरगढ़ 58- भुड़किया 59- अमरेवला 60- शरह घोलेरा 61- शरह नथानिमा 62- बोछवाल 63- रकबा जलालसर 64- हुसंगसर 65- जगन्नाथसर 66- शरह कुंजिया 97-नग्गासर 68- वासी सहजबरदारान 69-रुघनाथसर 70-नत्थूसर 71-पेमासर 72-अनोपसागर 73- शिवबाड़ी 74- करमीसर 75- श्रीरामसर 76- बन्धा 77- महरासर 78- नग्गासर पंवाराम 79- ऊदासर 80- पनपालसर 81- जगदेव वाला 82- नेनों का वास

राजस्व तहसील लूणकरनसर

1- भानसर 2- तख्तपुरा 3- खारवारा 4- गबना उर्फ लालेवाली 5- घेवड़ा 6- उत्तमदेसर 7- शेरपुरा 8- राणेर 9- संसारदेसर 10- लक्ष्मीनारायणसर 11-काकड़-वाला 12- तेजाना 13-वीड़ संगरऊ 14-शेरपुरा थाना छत्तरगढ़ 15-कपूरीसर 16-मलकोसर 17- भीम मलकोसर 18- पिरेरा 19- गोपल्यान 20- मांडेरा 21- उदाना 22- सहनीवाला 23-फूलदेसर सिगास 24- रीमां 25- उदेसिया 26- हुसेरा 27-जाखड़ावली 28- सुरनाना 29- बारी 30- कुजटी 31- लूणकरनसर 32- नाथवाना 33- दुलमेरा 34- मिठड़िया 35- चक भवरिया 36- महाजन 37- मोहकमपुरा 38- चक फूलदेसर 39- चक कपूरीसर 40- फूलजी 41- जसवन्तसर 42- जैसां 43- बामनवाली 44- लाखनसर 45- मेहराना 46- लखोर वड़ी 48- देवसर

राजस्व तहसील कोलायतजी

1– नोखड़ा 2–गिरिराजसर 3– गिरान्धी 4–बज्जू खालसा 5– नगरासर 6–दादु का गांव 7 –सेवड़ 8 –बेरा देदावतान 9 – कोलासर 10 – पावूसर 11 – मिठड़िया 12– वीठनोक 13– पृथ्वीराज का बेरा 14– पावूसर सिन्दु I 15– रानीसर 16– अंगनेउ 17– रणधीसर 18–शेरुवाला 19– बांगड़सर 20– सांचू 21–बीकमपुर 22– गोगड़ीवाला 23– बैरासर 24–रणजीतपुरा 25– गौड़ 26– पलासर 27 – मोडायत 28 –पूगनवाला 29– माणकासर 30– पंवरवाला 31 – अखूसर 32 – चबरांवाला 33–बरसलपुर 34–मूसेवाला 35– भूरासर 36– डेहरिया 37– नसूमा 38 – विकेन्द्री 39 – तंवरांवाला 40– करनीसर 41– मीरनवाला 42– जगारार 43– भाटियावाला 44– अनेवाला 45–चारनवाला 46– रावलोतान का तल 47–गोकल 48–केहरली 49– मगजी का तला 50–खारोलाई 51– बिन्जेरी 52–कान्धरली 53– रामवाला 54 –ढण्डकला 55 – छीला कश्मीर 56– ढण्ड खुर्द 57– नारायणसर 58–मियावाला 59– फुलासर खुर्द 60–गजेवाला 61– बज्जू तेजपुरा 62– कायमवाला 63– गुलामवाला 64– मगनवाला 65– नोखा उर्फ देया 66– कोडमदेसर 67–भलूरी

140

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 134 का नियम)

PROVISO TO RULES 16 (2) OF RAJASTHAN POLICE SUB-ORDINATE SERVICE RULES, 1974.

The Inspector General of Police may fill upto 10% of the vacancies of the post of Sub-Inspectors/Platoon Commanders by means of direct recruitment in Section I, II and IV of the Schedule to be filled in a particular period of recruitment without observing the procedure laid down in these Rules with the approval of the Government and that the candidates so appointed shall confirm to the requirements of age, academic qualification, physique, Medical fitness and soundness of character as prescribed in these Rules and the preference will be given for proficiency in games and sports.

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 137 का विवरण)

जिलेवार सूची

क्रमांक	नाम सम्पादक	दिनांक वकुआ	मुलजिमान के नाम	नतीजा मुकदमा
1.	बाबा विष्णुदत्त, सम्पादक, 'गांधी के सपने' जयपुर	अभियोग सं. 7 धारा 327/324 ता. हि. दि. 2–1–78 थाना मानकचौक	1. अशोक उर्फ अच्छू 2. अजमीन उर्फ पप्पू	केस का चालान न्यायालय में किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।
2.	श्री प्रवीण, संवाददाता, 'जुल्म के विरुद्ध आवाज' अखबार, जोधपुर	अभियोग सं. 43 दिनांक 20–4–78 धारा 147/148/323 आई.पी.सी. थाना सदर बाजार, जोधपुर	1. नन्दकिशोर 2. कमल प्रकाश 3. चक्रधारी 4. प्रकाश चन्द्र 5. लालू राम	केस का चालान किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।
3.	श्री आदील अख्तर, सम्पादक, 'दैनिक जनगण' अखबार, जोधपुर	अभियोग सं. 215 दिनांक 30-7-78 धारा 452 आई.पी.सी. जोधपुर	कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका	अन्तिम नतीजा अदम पता दिया गया।
4.	श्री श्यामनारायण मोर्य, संपादक 'विश्वविजय दैनिक' अखबार, अलवर	अन्तर्गत धारा 379/352 दिनांक 27–4–78 थाना राजगढ़, अलवर	1. योगेश 2. कृष्णमुरारी 3. राधेश्याम	एफ.आर. अदम वकुआ दी गई।

(142)

परिशिष्ट-5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं किए जा सके

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राज्य की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

141. श्री एच. एन. शर्मा (बैंगू): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष राज्य सरकार ने कौन कौन सी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनायें स्वीकृत की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन स्वीकृत की गई ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना की सूची में भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति की भी ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को लिया गया है ? अगर नहीं, तो किन कारणों से शामिल नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 4 योजनायें पंचायत समिति खानपुर, पंचायत समिति अन्ता, ओ. एण्ड एम. अलवर खण्ड व ओ.एण्ड.एम. फालना खण्ड स्वीकृत की हैं।

(2) जी नहीं ! इस क्षेत्र के ग्रामों का सर्वेक्षण करके योजना में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों एवं प्रस्तावित कुओं की संख्या पर राज्य स्तरीय समन्वय उप समिति में विचार किया गया था जिसमें इसको अगले वर्ष के लिये विचार करने के लिये स्थगित कर दिया गया है।

औद्योगिक नगरों में राज्य परिवहन निगम की बस सेवा

142. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के रामगंज मंडी जैसे प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर के लिये, कोटा हेतु राज्य परिवहन निगम की केवल एक सेवा संचालित है ?

(2) क्या राज्य सरकार रामगंज मंडी को जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, इन्दौर, उज्जैन/भोपाल से बस सेवा द्वारा जोड़ने हेतु पिछले एक वर्ष से विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं सेवायें संचालित की गई ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर इकलेरा सेवा वाया रामगंज मंडी से है ? क्या यह सेवा नियमित है ? क्या जयपुर डिपो से रामगंज मंडी हेतु टिकिट दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या इससे निगम और जनता को हानि नहीं हुई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में कोटा व रामगंज मंडी के बीच दो निम्न सीधी सेवायें संचालित हैं:–

1. कोटा से भानपुरा वाया रामगंज मंडी — दो एकल सेवा

(यातायात मंत्री)

2. जयपुर से इकलेरा दो एकल सेवा
वाया कोटा
रामगंज मंडी

(2) जयपुर रामगंज मण्डी के बीच एक सीधी सेवा संचालित है। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, उदयपुर एवं चित्तौड़ से यात्री रामगंज मंडी के लिए इतनी संख्या में नहीं निकलते जिससे सीधी वाहन सेवायें रामगंज मंडी के लिए संचलित की जा सकें। जहां तक इन्दौर, उज्जैन एवं भोपाल मार्गों का प्रश्न है, ये अन्तर्राज्यीय लम्बी दूरी की सेवायें हैं जिनका मार्ग वदलना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। जयपुर से इकलेरा वाया रामगंज मंडी वाहन सेवा चलाई जा रही है जो नियमित रूप से संचालित है। उक्त वाहन सेवा में जयपुर से रामगंज मंडी के यात्रियों को टिकिट दिया जाता है।

भवानीमन्डी अस्पताल की एक्स-रे मशीन

143. **श्री बालचन्द आर्य** (डग): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भवानीमंडी अस्पताल में जो एक्स-रे मशीन है वह कितने समय से खराब पड़ी है और कितने समय में अच्छी होकर कार्य करने लगेगी?

उत्तर

भवानी मंडी अस्पताल की एक्स-रे मशीन दिसम्बर, 75 से खराब है। इसको ठीक कराने के प्रयास जारी हैं।

आपातकाल के पूर्व की ज्यादतियों के मुकदमे

144. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चूरू जिले में आपातकाल से पूर्व चले विभिन्न राजनैतिक आन्दोलन, छात्र आन्दोलन और आपातकाल में नसबन्दी–ज्यादती का विरोध करने वालों के विरुद्ध अब भी मुकदमे चल रहे हैं? यदि हां, तो इन मुकदमों को राज्य सरकार कब तक उठाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी हां। मुकदमा एफ. आई. आर. संख्या 93/74 धारा 147/148/149/341/353/332/337/109 आई.पी.सी. थाना सुजानगढ़ को वापिस लेने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। शेष तीन मुकदमे हिंसात्मक, सरकारी सम्पत्ति की तोड़-फोड़, सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं आगजनी से सम्बन्धित हैं। अतः ऐसे मुकदमों को राज्य सरकार ने वापस लेना उपयुक्त नहीं समझा है।

पंचायत समिति, खानपुर (झालावाड़) के गांवों में पेयजल की समस्या

145. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (खानपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खानपुर पंचायत समिति जिला झालावाड़ के किन-किन ग्रामों में पेयजल की कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार की योजना है?

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

(2) क्या यह सही है कि कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक के अवसर पर यह आश्वासन दिया गया था कि 11 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाने की स्वीकृति हो गई है जिनमें मशीनें भेज दी गई हैं ?

(3) करनवास में हैण्ड पम्प लगाने के लिए जो मशीन भेजी गई थी उसने कितना काम किया, अब वह मशीन किस जगह काम कर रही है ?

(4) ग्राम तारज तथा हरीगढ़ वाटर सप्लाई योजना के बारे में क्या प्रगति हुई है ? ये दोनों योजना राजस्थान वाटर सप्लाई चीफ इन्जीनियर के यहां से किस तारीख को स्वीकृत हुई थी ?

उत्तर

(1) वर्ष 78-79 में खानपुर तहसील के 2 ग्राम बैरावड एवं पलासरा के लिए हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत की गई। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत खानपुर तहसील के भी ग्राम सम्मिलित किये गये हैं।

(2) जी नहीं। मंत्रीमण्डल द्वारा किए गए निर्णयानुसार झालावाड़ जिले में स्वीकृत योजना के ग्रामों में 20 हैण्ड पम्प लगाने के आदेश हुये थे। यह कार्य पूरा कर दिया गया है।

(3) करनवास में हैण्ड पम्प लगाने के लिए जो मशीन भेजी थी जिसने एक बोर किया लेकिन उसके असफल हो जाने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया अब यह मशीन बांसवाड़ा जिले में कार्य कर रही है।

(4) तारज एवं हरीगढ़ ग्राम के लिए अभी तक कोई जल प्रदाय योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

जैसलमेर जिले को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभ

146. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत व्यय किये अनुसार जैसलमेर मुख्यत: एवं अन्य पशुपालन पर मूलत: आधारित जीवन यापन वाले जिलों का क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या उक्त योजना से मात्र कुओं से कृषि उत्पादक क्षेत्र ही लाभान्वित हो सकते हैं ?

(3) पशुपालन उद्योगी ग्रामीण क्षेत्रों को उक्त योजना से लाभ देने का राज्य सरकार के पास क्या प्रस्ताव या विकल्प है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो राज्य सरकार किस निश्चित अवधि तक उक्त क्षेत्रों के लोगों को यह लाभ प्रदान करायेगी ?

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल में व्यय के आंकड़े वृत स्तर पर रखे जाते हैं तथा जैसलमेर आदि पशुपालन पर मूलत: आधारित जीवन यापन करने वाले जिले जोधपुर एवं बीकानेर वृत्त के अन्तर्गत आते हैं जिनका वर्ष 1977-78 में ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत क्रमश: 21.8 व 8.0 है।

(2) जी हां।

(विद्युत् मंत्री)

(3) पशुपालन उद्योगी ग्रामीण क्षेत्र मुख्यत: ग्रामीण विद्युतीकरण के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं जिनका विद्युतीकरण राज्य सरकार शनै: शनै: वित्तीय साधनों की उपलब्धि एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर करने का प्रयास करेगी। इसके लिए निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है।

राज्य में शोषण मुक्त समाजवादी व्यवस्था हेतु कदम

147. श्री मूलचन्द डागा (पाली)– क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में शोषण मुक्त और समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठाने की सोच रही है और उन कदमों को किस तरह लागू करेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि आज भी समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में शोषण मौजूद है ? यदि हां, तो किन क्षेत्रों में और उसके लिये राज्य सरकार क्या कारगर कदम उठाने की सोच रही है ?

उत्तर

(1) शोषण मुक्त एवं समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं व किया जाना प्रस्तावित है:–

1. अन्त्योदय
2. लघु/सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास योजना।
3. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम।
4. एकीकृत ग्रामीण विकास।
5. ग्रामोदय विकास केन्द्र।
6. न्यूनतम आवश्यकता।
7. समाज कल्याण व पिछड़ी जातियों का विकास आदि।

(2) समाज में व्याप्त शोषण के निराकरण के लिये ही राज्य सरकार ने उपरोक्त कदम उठाए हैं।

राज्य पथ परिवहन निगम की आय-व्यय

148. श्री शिवचरण सिंह (ब्याना):– क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष राज्य को रोडवेज से क्या आय हुई व क्या खर्चा हुआ ?

(2) क्या राज्य में रोडवेज चालू होने से आम जनता की तकलीफें बढ़ी हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार राष्ट्रीयकरण की नीति पर पुन: विचार कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों को प्रशासन व्यवस्था के कारण रोडवेजों से आमदनी होती है व राजस्थान को नुकसान ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी है।

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य सरकार को निगम की प्रशासन व्यवस्था से कोई घाटा नहीं होता। अन्य राज्यों के हानि-लाभ की सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान राज्य परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 1977–78 में जो आय व व्यय हुआ वह निम्नलिखित है :—

आय

राजस्थान यात्री कर	727–79 लाख
सड़क कर	57–77 लाख
ब्याज	34–95 लाख
गारंटी कमीशन	1–37 लाख

व्यय

राज्य सरकार द्वारा व्यय का प्रश्न नहीं उठता है परन्तु राज्य सरकार द्वारा 100-00 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी दी गई है।

पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ बलात्कार आदि की शिकायतें

149. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चालू वर्ष में राजस्थान में कितने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ बलात्कार करने जैसी घटनाओं की गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई तथा इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों के द्वारा अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

इस वर्ष में माह सितम्बर तक 9 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार करने या बलात्कार की चेष्टा करने की घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी मामलों में अभियोग पंजीबद्ध कर 3 पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। 2 के विरुद्ध मामले झूठे पाये गये व 4 कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे अभी अनुसंधानाधीन हैं।

बाड़मेर जिले में चोरियां

150. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बायतू, मोकलसर, जैसलमेर जिले के पोकरण, फलसूंड, जोधपुर जिले के भीकमकोर एवं जालोर जिले के विशनगढ़ में नकबजनी, नीम का थाना (जिला सीकर) के ग्राम नयाबास, पंचोली आदि के चोरों के संगठित गिरोहों ने की है ?

(2) क्या राज्य के पुलिस विभाग ने यह भी जानकारी की है कि ये संगठित गिरोह जीपों और कारों का नकबजनी में प्रयोग करते हैं ? क्या पुलिस को इन संगठित चोरों के गिरोह के नामों और उनके पतों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो उनके नाम एवं पते सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(3) राज्य की पुलिस ने उपरोक्त नकबजनियों के मामलों को खोलने के लिए क्या पुलिस फोर्स लगाई और उन्होंने क्या-क्या प्रयास किये और उनमें किस प्रकार सफलता और असफलता प्राप्त हुई ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त मामलों को खोलने के लिये विशेष पुलिस फोर्स लगाकर चोरों के संगठित गिरोह को पकड़ कर उनसे लाखों का माल, जो वे चुरा कर ले गये हैं, बरामद कराने का प्रयास करेगी ?

उत्तर

(1) पुलिस के पास अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।

(2) जी हां। जनहित में गिरोहों के नाम व सूची देना उचित नहीं है।

(3) इन नकबजनियों का पता लगाने के लिये आवश्यक पुलिस फोर्स द्वारा भरसक प्रयत्न किये गये लेकिन पुलिस को अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। प्रयास जारी है।

(4) पुलिस द्वारा गिरोह का पता लगाने के प्रयत्न जारी हैं।

राज्य के तालाबों की मरम्मत

151. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार जहां तालाब अधिक हैं जैसे अजमेर जिला उनकी मोरियों को पक्की बनाने से उसी पानी से दुगुनी पिलाई हो सकती हैं, को बनवाने का कष्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब तक काम शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार जिन तालाबों में पानी आता है, खराब हो रहा है और जो पानी बेकार जाता है उनको ठीक करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो उनका काम कब तक शुरू किया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य के तालाबों की मोरियां समय पर नहीं खोली जाती हैं ? क्या राज्य सरकार जब भी किसान मांग करे उसी समय पानी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार जहां-जहां कच्ची मोरियां (नहरें) हैं उनको पक्का करने का विचार रखती है। यह कार्य आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत इस वर्ष से प्रारम्भ किया गया है।

(2) सिंचाई विभाग के किसी भी तालाब का पानी बेकार नहीं जाने दिया जाता है। तालाबों तथा नहरों का रख रखाव आवश्यकतानुसार एवं प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(3) जी नहीं। मोरियों का खोलना व बन्द करना जल वितरण समितियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

ब्यावर में चुंगी की दरें

152. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में चुंगी की दरें जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा आदि शहरों से ज्यादा है ?

(श्री उमगराज मेहता)

(2) क्या यह भी सही है कि वहां चुंगी की दरें ज्यादा होने की वजह से ब्यावर में दिनों दिन व्यापार कम होता जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि चुंगी की दरें ज्यादा होने की वजह से चुंगी की चोरियां भी होती हैं ? यदि हां, तो 1975, 76-77 एवं 78 में कितने केस पकड़े गये ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या अब राज्य सरकार चुंगी की दरें राजस्थान में सभी जगह एक जैसी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। नगर परिषद् ब्यावर में चुंगी की दरें जयपुर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा से कुछ मदों पर अधिक है तथा कुछ पर कम एवं कुछ पर एक समान है।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1975-76 में 243, वर्ष 1976-77 में 189, वर्ष 1977-78 में 183 तथा इस वर्ष 30-9-78 तक चुंगी चोरी के 34 मामले पकड़े गये हैं।

(4) चुंगी दरों में नगर पालिकाओं के लोक व्यापार स्थिति के अनुसार वर्गीकरण किया जाकर चुंगी की दरों में एकरूपता लाने का प्रश्न विचाराधीन है।

जालोर जिले में कम्पाउन्डरों की कमी

153. श्री टीकमचन्द कांत (जालोर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में निर्धारित कम्पाउण्डरों की संख्या से वर्तमान में कार्यरत कम्पाउण्डरों की संख्या कम है ? यदि हां, तो कहां-कहां कितनी कम है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कमी को पूरा करने के लिये राज्य सरकार क्या योजना रखती है ? तथा यह कमी कब तक पूरी कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कम्पाउण्डरों की कमी की पूर्ति के लिए तीन नये प्रशिक्षण केन्द्र गत वर्ष चालू किए गए हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने पर अन्य जिलों की कमी की पूर्ति के समय जालोर जिले की कमी की पूर्ति पर भी ध्यान रखा जावेगा।

जालोर जिले में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम संस्थान	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
1.	जनरल चिकित्सालय, जालोर	12	6
2.	चिकित्सालय, मण्डावला	2	2
3.	चन्द्राय चिकित्सालय	2	1
4.	चिकित्सालय, गुढावलोनात,	2	—
5.	चिकित्सालय, हरीजी	2	2

1	2	3	4
6.	चिकित्सालय बगोंदा	2	—
7.	,, बगडा	2	—
8.	,, मालवारा	2	—
9.	,, चितलवाना	2	—
10.	,, रानीवाड़ा	2	1
11.	,, खांखरी	2	1
12.	,, धनसा	2	2
13.	,, देसपा (वासणा)	2	2
14.	प्रा.स्वा.के., ग्राहोर	2	—
15.	,, यिवाना	2	—
16.	,, मण्डोलीनगर	1	2
17.	,, भीनमाल	4	1
18.	,, बडगांव	2	1
19.	,, सायला	2	—
20.	,, सांचोर	2	—
21.	एडपोस्ट चिकि., जसवन्तपुरा	2	1
22.	चिकित्सालय भाग	2	2
23.	,, पाथेडी	2	2
24.	एडपोस्ट, सुराचन्द	1	—
25.	एडपोस्ट, पांवली	1	—
26.	,, पोसाना	1	—
27.	,, डूंगरी	1	—
28.	,, मुवातड़ा	1	—
29.	,, सरत	1	1
30.	,, सेवडी	1	1
31.	,, गांग	1	1
32.	सैन्ट्रल मेडिकल स्टोर	1	—
33.	रिजर्वलिस्ट हैडक्वार्टर	2	—
	योग	69	31

ग्राम कागदीवाडा छीपीवाड़ा (जयपुर) में प्राथमिक शाला

154. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि, जयपुर शहर के निकट ग्राम कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा, जिनकी ग्राबादी लगभग 700 है, में अभी तक कोई प्राथमिक शाला नहीं है ? क्या राज्य सरकार वहां प्राथमिक या माध्यमिक शाला खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा में प्राथमिक शाला खोलने के ग्रादेश दिये जा चुके हैं।

ग्राबू पर्वत के वशिष्ठ ग्राश्रम का विकास

155. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राबू पर्वत के वशिष्ठ ग्राश्रम के विकास के लिये राज्य सरकार का क्या इरादा है ?

(2) क्या राज्य सरकार वशिष्ठ मंदिर तक पहुंचने के मार्ग पर सड़क बनाने व वहां यात्रियों के ठहरने हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राबू पर्वत के वशिष्ठ ग्राश्रम के विकास हेतु कोई योजना विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) हनुमान मन्दिर से वशिष्ठ ग्राश्रम तक जाने वाली सीढ़ियों तक सड़क निर्माण

(पर्यटन मंत्री)

की योजना आबू विकास समिति के विचाराधीन है। यात्रियों के लिए विश्राम स्थल के निर्माण की योजना भी इस समिति के विचाराधीन है।

राज्य में चुंगी कर की समाप्ति

156. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के सामने चुंगी कर समाप्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या तथा कब से और अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(2) चुंगी कर की समाप्ति कब तक कर दी जावेगी और उसके स्थान पर नगरपालिकाओं के आय के क्या साधन उपलब्ध कराये जावेंगे?

(3) उपरोक्त योजना किस रूप में कब सरकार के पास आई और उस पर अब तक किस किस स्तर पर क्या क्या कार्यवाही हुई?

उत्तर

(1) जी हां, यह प्रस्ताव दिनांक 6–12–77 से विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जो परीक्षणाधीन है।

(2) मामले में परीक्षण के पश्चात् ही चुंगी कर की समाप्ति एवं वैकल्पिक आय के साधनों के बारे में निर्णय किया जा सकेगा।

(3) प्रश्न संख्या (1) व (2) में इसका उत्तर दे दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग एवं मेडिकल कालेजेज में स्थानान्तरण

157. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 22 जून, 1977 के पश्चात् स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल कालेजेज के किन-किन (अ) प्रोफेसर (ब) रीडर्स व (स) लेक्चरार्स का तबादला किया गया?

(2) उपरोक्त में से किन किन का तबादला रद्द किया गया और क्यों?

(3) किन-किन के तबादले में परिवर्तन किया गया और क्यों?

(4) किन-किन ने तबादला लेने के बाद नये स्थान पर ड्यूटी जोइन नहीं की और क्यों?

(5) किन-किन ने अवकाश ग्रहण किया, कितना और क्यों?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में से रीडर्स 8 व लेक्चरार्स 4 के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से रद्द किये गये। सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) सूची संलग्न है।

(5) सूची संलग्न है।

प्रोफेसर्स/रीडर्स के स्थानान्तरण की तालिका

क्र.सं.	नाम व पद	आदेश संख्या व दिनांक	कहां से	कहां	कार्यभार संभाला या नहीं	स्थानान्तरण निरस्त करने का कारण	स्थानान्तरण पर क्या अवकाश लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डा. (मिस) सन्तोष भाटिया प्रोफेसर ऑफ गायना. एण्ड ओब्सट्.	एफ. 17(879)एमपीएच/64, दिनांक 14-7-77	जयपुर	बीकानेर	कार्यभार संभाला	—	—
2.	डा. (मिसेज) गायत्री विजय प्रोफेसर गायना. एण्ड ओब्स.	यथा	बीकानेर	जयपुर	यथा	—	—
3.	डा. (मिस) हितेष भार्गव प्रोफेसर गायना. एण्ड ओब्स.	यथा	जयपुर	अजमेर	यथा	—	—
4.	डा. (मिसेज) पुष्पा गुप्ता प्रोफेसर गायना. एण्ड ओब्स.	यथा	अजमेर	जयपुर	यथा	—	—
5.	डा. एम. एस. राठौड़, प्रोफेसर एनाटोमी	एफ. 13 (1) एमपीएच/51, दिनांक 15-7-77	बीकानेर	जोधपुर	यथा	—	—
6.	डा. एम. आर. पी. जैन प्रोफेसर नेत्ररोग	एफ. 1 (36) एमई/75, दिनांक 26-7-77	जयपुर	उदयपुर	यथा	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7	डा. आर. श्रीमाली प्रोफेसर रेडियोलोजी	एफ. 17(274) एमई/63, दिनांक 31-8-77	बीकानेर	जोधपुर	यथा	—	—
8.	डा. के. सी. जोशी प्रोफेसर पेथोलोज़ी	एफ. 17 (468) एमई/61, दिनांक 29-9-77	जयपुर	उदयपुर	यथा	—	—
9.	डा. पी. एन. शर्मा प्रोफेसर पी. एण्ड एस. एम.	एफ. 17(864)एमपीएच/60, दिनांक 20-12-77	जोधपुर	उदयपुर	यथा	—	—
10.	डा. टी. पी. जैन प्रोफेसर पी. एण्ड एस. एम.	यथा	उदयपुर	जयपुर	यथा	—	—
11.	डा. ओ. एस. चोधरी प्रोफेसर टी. बी.	एफ. 17(353)एमपीएच/64, दिनांक 4-1-78	जयपुर	उदयपुर	यथा	—	—
12.	डा. जी. एस. शर्मा प्रोफेसर टी. बी.	यथा	उदयपुर	जयपुर	यथा	—	—
13.	डा. एस. आर. मेहता प्रोफेसर औषध	एफ. 17(112)एमपीएच/67, दिनांक 20-10-77	जयपुर	बीकानेर	यथा	—	—
14.	डा. (मिस) सन्तोष भाटिया प्रोफेसर गायना. एण्ड आब्स.	एफ. 17(262)एमपीएच/64, दिनांक 4-4-78	बीकानेर	जयपुर	यथा	—	—
15.	डा. (श्रीमती) गायत्री विजय प्रोफेसर गायना. एण्ड आब्स.	यथा	जयपुर	बीकानेर	यथा	—	—
16.	डा. के. एम. सचदेव प्रोफेसर पेथोलोजी	एफ. 13 (1)(169)एमपीएच/58, दिनांक 15-5-78	बीकानेर	जोधपुर	यथा	—	—

रीडर्स के स्थानान्तरण की तालिका

क्र.सं.	नाम व पद	आदेश संख्या व दिनांक	कहां से	कहां	कार्यभार संभाला या नहीं।	स्थानान्तरण निरस्त करने का कारण	स्थानान्तरण पर क्या अवकाश लिया गया है यदि हां तो क्यों
1	2	3		4	5	6	7
1.	डा. एच. एल. अरोड़ा रीडर, पैथोलोजी	एफ. 17 (435) एमपीएच/61, दिनांक 19–6–77	अजमेर	जयपुर	हां	—	—
2.	डा. (मिस) दुर्गा गहलोत रीडर गायना एण्ड ओब्स.	एफ. 1 (64) एम. ई./71, दिनांक 19–8–77	अजमेर	बीकानेर	हां	—	—
3.	डा. पी. एस. सक्सेना रीडर फार्मा.	एफ. 1 (101) एम. ई./69, दिनांक 27–8–77	अजमेर	जोधपुर	हां	—	
4.	डा. एस. डी. पुरोहित रीडर टी. बी.	एफ. 1 (116) एम. ई./71, दिनांक 9–9–77	उदयपुर	जोधपुर	हां	—	—
5.	डा. के. बी. लाल रीडर पैडियेट्रिक मेडिसिन	एफ. 17 (468) एम. ई./61, दिनांक 29–9–77	जयपुर	बीकानेर	नहीं	स्थानान्तरण 7-10-77 को निरस्त किया गया। क्योंकि ये वरिष्ठतम रीडर थे एवम् साथ ही पोस्ट ग्रेज्युएशन भी कर रहे थे।	—

1	2	3	4		5	6	7
6.	डा. बी. एस. बलदेवा रीडर मेडिसिन	एफ 1 (16) एम. ई./70 दिनांक 20–10–77	जयपुर	अजमेर	हां	—	—
7.	डा. के. एन. हल्दिया रीडर मेडिसिन	एफ 17 (75) एम. ई./64 दिनांक 31–10–77	अजमेर	जयपुर	हां	—	—
8.	डा. (मिस) सुमित्रा जैन रीडर पैथोलोजी	एफ 1 (10) एम. ई./71 दिनांक 3–12–77	जोधपुर	बीकानेर	हां	—	—
9.	डा. (मिसेज) शशीबाला वैद्य रीडर, गायना एण्ड ग्रोब्स.	एफ 1 (136) एम. ई./75 दिनांक 13–1–78	जयपुर	जोधपुर	नहीं	छुट्टी पर	41 दिन अवकाश पर रही (13-1-78 से 22–2–78) बीमारी एवम् प्रसूति के कारण
10.	डा. आर. एस. माथुर रीडर सर्जरी	एफ 1 (140) एम. ई./77 दिनांक 18–2–78	जयपुर	जोधपुर	हां	—	—
11.	डा. पी. सी. कल्ला रीडर सर्जरी	—यथा—	अजमेर	जयपुर	हां	—	—
			जयपुर	जोधपुर	नहीं	प्रशासकीय कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किया।	—
			जोधपुर	जयपुर	हां	—	—
12.	डा. (मिस) पदमा भट्ट रीडर गायना एण्ड ग्रोब्स.	एफ 1 (207) एम. ई/68 दिनांक 21–2–78	जयपुर	जोधपुर	हां	—	छुट्टी पर रही दि. 23-2-78 से 14-4-78 तक
13.	डा. (श्रीमती) शशीबाला वैद्य रीडर, गायना एण्ड ग्रोब्स.	—यथा—	जोधपुर	जयपुर	हां	—	—

14.	डा. वी. एस. बलदेवा रीडर मेडिसिन	एफ. 17 (795) एम. ई./64, दिनांक 9-2-78	अजमेर	जयपुर	हां	—	—
15.	डा. एम. एन. माथुर रीडर मेडिसिन	यथा—	जयपुर	अजमेर	हां	—	—
16.	डा. ए. के. गुप्ता रीडर ई. एन. टी.	एफ. 1 (121) एम.ई./61	जयपुर	उदयपुर	हां	—	—
17.	डा. एस. के. कुकरेजा रीडर ई.एन. टी.	एफ. 1 (121) एम.ई./68, दिनांक 30-3-78	उदयपुर	जयपुर	हां	—	—
18.	डा. एम.एम. माथुर रीडर मेडिसिन	एफ. 17 (758) एम. ई./65, दिनांक 27-10-77	बीकानेर	जयपुर	हां	—	—
19.	डा. ए. के. गुप्ता रीडर ई. एन. टी.	एफ. 1 (33) एम. ई./78, दिनांक 27-4-78	उदयपुर	अजमेर	हां	—	—
20.	डा. आर. एस. माथुर रीडर सर्जरी	एफ. 1 (126) एम. ई./61, दिनांक 12-4-78	जोधपुर	जयपुर	हां	—	—
21.	डा. (मिस) पदमा भट्ट रीडर गायना एण्ड आब्स.	एफ. 1 (207) एम.ई./68, दिनांक 12-4-78	जोधपुर	जयपुर	हां	—	—
22.	डा. ए. के. पन्डरी रीडर सर्जरी	एफ. 1 (177) एम. ई./68, दिनांक 11-5-78	अजमेर	उदयपुर	हां	—	—
23.	डा. नलिनी तिवाड़ी रीडर एनाटोमी	एफ. 17 (8) एम.ई./67, दिनांक 23-6-78	जोधपुर	उदयपुर	हां	—	—
24.	डा. करनसिंह रीडर एनाटोमी	यथा	उदयपुर	जोधपुर	हां	—	

1	2	3		4	5	6	7
25.	डा. करनसिंह रीडर एनाटोमी	एफ. 17 (186) एम.ई./61, दिनांक 31-7-78	जोधपुर	अजमेर	नहीं	प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किया गया	—
26.	डा. एस. जी. काबरा रीडर एनाटोमी	—यथा—	अजमेर	जोधपुर	नहीं	—यथा—	—
27.	डा. गौतम सेन रीडर सर्जरी	एफ. 1 (33) एम.ई./78, दिनांक 25-7-78	बीकानेर	अजमेर	हां	—	—
28.	डा. ऊषा शर्मा रीडर गायना ओब्स.	एफ. 1 (33) एम.ई./78, दिनांक 20-7-78	अजमेर	जोधपुर	हां	—	—
29.	डा. पी.एस. गहलोत रीडर फिजियेटरी	एफ. 1 (33) एम.ई./78, दिनांक 7-6-78	उदयपुर	जयपुर	हां	—	—
30.	डा. डी. सी. सतीजा रीडर साईटरी	—यथा—	जयपुर	जोधपुर	हां	—	—
31.	डा. डी. पी. गुप्ता रीडर फोरेन्सिक मेडि.	एफ. 1 (76) एम. ई./69, दिनांक 2-5-78	अजमेर	उदयपुर	हां	—	—
32.	डा. एस.एम. माथुर रीडर स्किन एण्ड वी.डी	एफ. 1 (33) एम.ई./78, दिनांक 12-5-78	जयपुर	अजमेर	नहीं	—	अवकाश का प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
33.	डा. आर. सहाय रीडर ओप्थलमोलोजी	एफ. 17 (22) एम.ई./67, दिनांक 22-4-78	उदयपुर	अजमेर	हां	—	—
34.	—यथा—	एफ. 17 (41) एम.ई./67, दिनांक 6-6-78	अजमेर	बीकानेर	हां	—	—

35. डा. आर.एस. माथुर रीडर रेडियोलोजी	एफ 1 (97) एम.ई./72 दिनांक 13-9-77	उदयपुर	बीकानेर	हां	—	—
36. डा. पी. दयाल रीडर फोरेन्सिक मेडि.	एफ 1 (76) एम.ई./78 दिनांक 2-5-78	जोधपुर	जयपुर	हां	—	—
37. डा. ओ. एल. असावा रीडर फोरेन्सिक मेडि.	यथा	जोधपुर	अजमेर	हां	—	—
38. डा. वी. के. पाण्डे रीडर आर्थो.	एफ 1 (33) एम.ई./78 दिनांक 29-7-78	जोधपुर	जयपुर	हां	—	—

लेक्चरार्स के स्थानान्तरण की तालिका क्लिनिकल साइड

क्र.सं.	नाम व पद	आदेश संख्या व दिनांक	कहां से	कहां	निरस्त होने का कारण	कार्यभार संभाला या नहीं	स्थानान्तरण पर क्या अवकाश लिया गया है यदि हां तो क्यों और कितना
1	2	3	4		5	6	7
1.	डा. डी.के.कोचर व्याख्याता औषध	एफ. 1(200)एमई/73 दिनांक 19–4–78	जोधपुर	बीकानेर	--	हां	--
2.	डा.आर.के.मघोक व्याख्यता औषध	एफ1(34)एम.ई/76 दिनांक 12–5–78	जयपुर	उदयपुर	प्रशासनिक कारणों से आदेश निरस्त किये गये।	नहीं	उपार्जित अवकाश दिनांक 17-5-78 से 25-7-78
		एफ 1 (34) एम.ई./76 दिनांक 25–9–78	उदयपुर	जयपुर	—	हां	—
3.	डा.जे.पी.ऋषि व्याख्याता औषध	एफ1(34)एम.ई./76 दिनांक 25–7–78	जयपुर	उदयपुर	आदेशों को संशोधित किया	नहीं	कम्युटेड अवकाश (चिकित्सा अवकाश) 27-7-78 से 4-8-78
		एफ1(146)एमई/75 दिनांक 3–8–78	उदयपुर	जयपुर	--	हां	--
4.	डा.डी.एस.माथुर व्याख्याता औषध	एफ1(34)एम.ई./76 दिनांक 12–5–78	जयपुर	अजमेर	—	हां	—
5.	डा.आर.सी.गुप्ता व्याख्याता औषध	एफ1(136)एम.ई./76 ग्रुप-1 दिनांक 29-8-78	जोधपुर	अजमेर	--	हां	--

6.	डा. एल. के. भटनागर व्याख्याता औषध	एफ1(36)एम.ई./76 . ग्रुप-1 दिनांक 29–8–78	अजमेर	उदयपुर	—	हां	
7.	डा. एच. एल. खामेसरा व्याख्याता शल्य चिकित्सा	एफ1(34)एम.ई./76 दिनांक 27–4–78	बीकानेर	उदयपुर	—	हां	—
8.	डा. एच. के. दास गुप्ता व्याख्याता शल्य चिकित्सा	एफ1(175)एम.ई./78 दिनांक 26–3–78	बीकानेर	जयपुर	—	हां	—
9.	डा. एम. एम. बांगड़ी व्याख्याता शल्य चिकित्सा	एफ1(57)एम.ई./75 दिनांक 25–11–76	जयपुर	बीकानेर	—	हां	—
10.	डा. डी. के. कासलीवाल व्याख्याता शल्य चिकित्सा	एफ1(14)एम.ई./76 दिनांक 13–2–78	बीकानेर	जयपुर	—	हां	—
11.	डा. ए. सी. वोयरा व्याख्याता शल्य चिकित्सा	एफ1(35)एम.ई./76 दिनांक 12–7–77	जयपुर	बीकानेर	—	हां	—
12.	डा. (श्रीमती) सोहनी सिघवी कोचर व्या. गायना. एण्ड ओब्स.	एफ1(42)एम.ई./74 दिनांक 6–10–77	जयपुर	बीकानेर	—	हां	—
13.	डा. कुसुमलता माथुर व्याख्यता गायना. एण्ड ओब्स.	एफ1(139)एम.ई./77 दिनांक 26–4–78	जोधपुर	अजमेर	—	हां	—
14.	डा. कमला कंवरानी व्याख्याता गायना. एण्ड ओब्स.	एफ1(165)एम.ई./77 दिनांक 25–8–78	जोधपुर	उदयपुर	—	हां	—
15.	डा. अन्नपूर्णा माथुर व्याख्याता गायना एण्ड ओब्स.	एफ1(41)एम ई./78 दिनांक 9–6–78	जोधपुर	अजमेर	—	हां	—

Page No 160

(160)

1	2	3	4		5	6	7
16.	डा.(श्रीमती) निर्मला गुप्ता	ऐफ. 1(131)एम.ई./76 दिनांक	जयपुर	अजमेर	—	हां	—
17.	डा. पुरोहित ई.एन.टी.	एफ1(42)एम.ई./75 दिनांक 29–8–78	बीकानेर	अजमेर	—	हां	—
18.	डा. मुकेश गुप्ता व्याख्याता शिशु औषध	एफ1(137)एम.ई./75 दिनांक 12–7–78	बीकानेर	जोधपुर	—	हां	—
19.	डा. बी.डी. गुप्ता व्याख्याता शिशु औषध	एफ1(116)एम.ई./76 दिनांक 15–11–77	जोधपुर	बीकानेर	—	हां	—
20.	डा. पी.के. माथुर व्याख्याता दन्त रोग	एफ17(590)एम.पी.एच./- दिनांक 7–6–78	बीकानेर	अजमेर	—	हां	—
21.	डा. एस के. चड्ढा व्याख्याता दन्त रोग	एफ17(590)एमपीएच/65 दिनांक 7–6–78	अजमेर	बीकानेर	प्रशासनिक कारणों से आदेश निरस्त किये गये	नहीं	—
	—यथा—	एफ1(170)एम.ई./68 दिनांक 20–7–78	बीकानेर	जोधपुर	—	हां	—
22.	डा. जी.एस. विजय व्याख्याता आर्थो.	एफ1(34)एम.ई./78 दिनांक 15–3–78	जयपुर	अजमेर	—	हां	—
23.	डा. आर.एस. मोदी व्याख्याता रेडियोलोजी	एफ1(11)एम.ई./76 दिनांक 13–3–78	बीकानेर	जयपुर	—	हां	—
24.	डा.(श्रीमती) शशि भार्गव व्याख्याता नेत्र रोग	एफ17(41)एमपीएच/67 दिनांक 3–8–78	उदयपुर	अजमेर	—	हां	—

1	2	3	4		5	6	7	8
25.	डा. एस. सी. गुप्ता व्याख्याता नेत्र रोग	एफ27(41)एम.पी.एच./67 दिनांक 3–8–78	अजमेर	उदयपुर	—	—	—	कार्यभार संभालने की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।
26.	डा. आशा भाटिया व्याख्याता अनेस्थेसिया	एफ1(34)एम.ई./76 दिनांक 3–3–78	बीकानेर	जयपुर	—	हां	—	

162

लैक्चरार्स के स्थानान्तरण की तालिका नान–क्लीनिकल साईड

क.सं.	नाम व पद	आदेश संख्या व दिनांक	कहां से	कहां	कार्यभार संभाला या नहीं	स्थानान्तरण निरस्त करने का कारण	स्थानान्तरण पर क्या अवकाश लिया गया है यदि हां तो क्यों और कितना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डा. अनूप तनखा व्याख्याता (पी. एण्ड एस.एम.)	एफ1(50)एम.ई./70 दिनांक 28–4–78	जोधपुर	अजमेर	हां	—	—
2.	डा. आर.एस माथुर व्याख्याता पैथोलोजी	एफ1(78)एम.ई./70 दिनांक 24-12 77	अजमेर	बीकानेर	नहीं	—	डा. माथुर दि. 26-12-77 से बीमारी के कारण अवकाश पर चले गये इन्हें 27-12-78 को मुक्त कर दिया लेकिन कार्यभार नहीं संभाला और दि. 27–4–78 को अजमेर के आदेश होने पर इन्होंने कार्यभार संभाल लिया।
	–यथा–	एफ1(11)एम.ई./72 दिनांक 27–4–76	बीकानेर	अजमेर	हां	—	
3.	डा. (श्रीमती) प्रभा जैन व्याख्याता पैथोलोजी	एफ1(78)एम.ई./78 दिनांक 24–12–77	बीकानेर	अजमेर	हां	—	—
	–यथा–	एफ1(11)एम.ई./72 दिनांक 27–4–78	अजमेर	जयपुर	हां	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	डा. हरिश सक्सेना व्याख्याता पैथोलोजी	एफ 1(93)एम.ई./69 दिनांक 17-8-78	बीकानेर	जयपुर	हां	--	—
5.	डा. एन. पी. दधीच व्याख्याता फार्माकोलोजी	एफ 1(186)एम.ई./78 दिनांक 18-5-78	जोधपुर	बीकानेर	हां	—	—
6.	—यथा—	एफ 1(186)एम.ई./78 दिनांक 13-7-78	बीकानेर	जोधपुर	नहीं	—	दि. 24-7-78 से 22-8-78 तक अवकाश पर रहे।
	—यथा—	एफ 1(185)एम.ई./78 दिनांक 26-9-78	जोधपुर	बीकानेर	हां	—	—
7.	डा. वी. के. जैन व्याख्याता फारमाकालोजी	एफ 1(186)एम.ई./76 दिनांक 18-5-78	बीकानेर	जोधपुर	नहीं	—	प्रधानाचार्य, मेडि. कालेज, बीकानेर द्वारा दि. 26-5-78 में कार्यमुक्त कर दिया, लेकिन कार्यभार नहीं संभाला, इनकी पत्नी वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर कार्यरत थी अतः आदेश निरस्त कर दिये गये।
	—यथा—	एफ 1(186)एम.ई./78 दिनांक 13-7-78	जोधपुर	बीकानेर	हां	—	—
8.	डा. वी. के. पन्डले व्याख्याता फार्माकोलोजी	एफ 1(186)एम.ई./78 दिनांक 26-9-78	बीकानेर	जोधपुर	--	--	सूचना प्राप्त नहीं हुई।

नगरपालिका, मण्डावा (झुन्झुनूं) में अनियमितताएं

158. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, मण्डावा (झुन्झुनूं) में की गई विभिन्न अनियमितताओं की शिकायत राज्य सरकार को की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ बिन्दुओं पर एक साल से भी अधिक समय गुजर जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

(3) क्या सरकार ने उपरोक्त विषय बाबत आज तक कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या एवं कब एवं नहीं, तो क्यों नहीं एवं अब कब तक राज्य सरकार इस पर उचित कदम उठा कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सम्बन्धित रिकार्ड एवं पत्रावलियां प्राप्त कर ली गई हैं। परीक्षण किया जा रहा है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

चूरू जिले में जलदाय योजनाओं को स्वीकृति

159. श्री हजारी मल सारण (सरदारशहर) . क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला आयोजना समिति की सिफारिश पर चूरू जिले में सन् 1977–78 व 1978–79 में कितनी जलदाय योजनाओं की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई ? योजनावार स्वीकृत धनराशि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) स्वीकृत योजनाओं पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जायगा और कितने समय में पूरा होगा ?

(3) चूरू जिले के गांवों का पेयजल संकट हल करने के लिए राज्य सरकार भविष्य में क्या-क्या योजनाएं हाथ में लेने जा रही है ?

उत्तर

(1) जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों पर चूरू जिले में वर्ष 77–78 में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई, परन्तु समिति के वर्ष 77–78 के प्रस्तावों में से 78-79 में 9 योजनाएं स्वीकृति हेतु चयन की गई है जिनमें से 5 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 78–79 में चयनित योजनाओं पर धनराशि आवंटित कर दी गई है। कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए विभाग प्रयत्नशील है। सामान्यतः योजनाओं को पूरा होने में 3 वर्ष की अवधि लग जाती है।

(3) चूरू जिले के समस्या ग्रस्त ग्रामों में पेय जल संकट हल करने के लिए प्रयत्नशील है। धनराशि की उपलब्धि के अनुसार अधिक से अधिक योजनाएं हाथ में लेने का प्रयास करेगी।

प्रश्न संख्या एक के भाग की सूची

वर्ष 77—78 की जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों में से वर्ष 78—79 में स्वीकृत योजनाओं की सूची

त्वरित कार्यक्रम	नाम	तहसील	राशि लाखों रु. में
1	खुडेरा सेहला	रतनगढ़	4.00
2	साहवा जुनसीसर	तारानगर	8.00
3	घन्टेल सोमासी रिडखला	चूरू	20.00
4	सतरा	चूरू	4.00
5	हरपालू कुबड़ी राम सुला	राजगढ़	4.00
6	पातली सर	सरदारशहर	4.00
7	घोरना	डूंगरगढ़	6.00
8	टांका कोडासर जाटान हेमासर	"	5.00
9	डेगा	"	4.00
			59.00

राज्य में शिक्षित बेरोजगार

160. श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर): क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में बेरोजगार तकनीकी शिक्षित डिग्री प्राप्त एवं डिप्लोमा प्राप्त सामान्य डिग्री होल्डर शिक्षित एवं प्रशिक्षित कितने व्यक्ति हैं ?

(2) क्या वर्तमान सरकार के सत्तारूढ होने के बाद उक्त आंकड़ों में सुधार हुआ है? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालय में दिनांक 30-8-78 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षित डिग्री प्राप्त, डिप्लोमा प्राप्त सामान्य डिग्री होल्डर शिक्षित एवं प्रशिक्षित आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. तकनीकी शिक्षित डिग्री प्राप्त	614
2. तकनीकी शिक्षित डिप्लोमा प्राप्त	745
3. सामान्य डिग्री होल्डर	40,543
4. शिक्षित	1,41,665
5. प्रशिक्षित	3,196

(2) नियोजन कार्यालयों की चालू पंजिका पर उपलब्ध आशार्थियों का 30-6-77 व 30-6-78 का विवरण इस प्रकार है :—

	30—6—77	30—6—78
1. तकनीकी शिक्षित डिग्री प्राप्त	623	614

(रोजगार मंत्री)

	30-6-77	30-6-77
2. तकनीकी शिक्षित डिप्लोमा प्राप्त	979	745
3. सामान्य डिग्री होल्डर	34,940	40,543
4. शिक्षित	1,32,500	1,41,865
5. प्रशिक्षित	2,752	3,196

राज्य में विद्युत् वितरण में असमानता

161. श्री बहादुर सिंह नोहर–क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्युत् वितरण में बहुत अधिक असमानता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस असमानता को दूर करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार विद्युत् वितरण में गांवों तथा शहरों में जो असमानता है उसको दूर करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार एक कस्बे या शहर से दूसरे कस्बे या शहर को बिजली देते वक्त उन गांवों को भी बिजली देगी जिन गांवों के अन्दर से या पास से विद्युत् लाइन जाती है ? अगर हां, कब तक ? अगर नहीं, ती क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार विद्युतीकरण की आगामी योजना बनाते समय असन्तुलन को दूर करने का पूरा ध्यान रखेगी।

(2) जी नहीं। गांव तथा शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली में कोई असमानता नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार वित्तीय साधनों की उपलब्धि व तकनीकी साध्यता के अनुसार शनैः शनैः बीच में पड़ने वाले गांवों व एक किलोमीटर की दूरी के गांवों के विद्युतिकरण का प्रयास करेगी।

पंचायत समिति, बिलाड़ा व लूनी में भू-जल संबंधी सर्वेक्षण

162. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी):—क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र बिलाड़ा व लूनी क्षेत्र के ग्रामों का भू-जल सम्बन्धी सर्वेक्षण किस वर्ष में हुआ था ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भू-जल सम्बन्धी सर्वे हुए कई वर्ष हो चुके हैं ? उसके बाद पिछले पांच वर्षों में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होने से अनेक ग्रामों में भू-जल स्तर बढ़ गया है व अनेकों कुए खोदे गये हैं व पम्पिग सेट लगाकर खेती की जा रही है ? यदि यह है, तो क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के ग्रामों का पुनः भू-जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कराने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बिलाड़ा व लूणी पंचायत समितियों के ग्रामों का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण क्रमशः 1971–72 एवं 1973–74 में किया गया था। दोनों पंचायत समितियों के अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक-एक प्रति प्रस्तुत है।

(भू-जल मंत्री)

(2) जी हां। परन्तु अब लूणी बेसिन में 77-78 से विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। इसका लाभ दोनों पंचायत समितियों के क्षेत्र के ग्रामों को होगा।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

163. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत बजट सत्र में प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया था कि अन्य पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा ट्यूशन फीस माफ करने और सीमावर्ती इलाकों में प्री मेट्रिक्यूलेट छात्रवृत्ति देने की सुविधा घोषित की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान अन्य पिछड़ी जाति महा सभा की तरफ से इस आशय का प्रतिवेदन मुख्य मंत्री जी व समाज कल्याण मंत्री जी को प्रेषित करने पर कि राज्य सरकार की घोषणा का पालन नहीं हो रहा है, समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री निदेशक, शिक्षा विभाग के नाम जो पत्र जारी किया गया उसमें पिछड़ी जातियों के गरीब विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ?

(3) इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में दिये गये उत्तर व वास्तविक निर्देशों में भिन्नता क्यों है और कौन सी बात सही है ? गरीब विद्यार्थी किसे माना गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, पत्र भेजा गया था।

(3) भिन्नता नहीं है। अन्य पिछड़ी जातियों में गरीब उन विद्यार्थियों को माना गया है जिनके माता पिता की आय 600 रु. वार्षिक से कम हो।

———

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 89 की सूची)

सूची 'अ' जिला चूरू

वर्ष 1977–78 में विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	कोड नं.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	3/5/12	सूरजनगर	श्रीडूंगरगढ
2.	3/3/166	झिलरिया	सरदार शहर
3.	3/6/49	हुडेरा प्राथुना	रतनगढ
4.	3/6/50	हुडेरा सिद्धाम	रतनगढ
5.	3/7/95	बीड छापर	सुजानगढ
6.	3/7/31	घडियाल छोटी	सुजानगढ
7.	3/3/124	बन्दनेऊ दिखनादा	सरदार शहर
8.	3/4/58	जसरासर	चूरू
9.	3/5/75	नौसरिया	श्रीडूंगरगढ
10.	3/3/158	उडसर ममेरा	सरदार शहर
11.	3/7/124	धुलिया	सुजानगढ
12.	3/5/26	टेऊ	श्रीडूंगरगढ

सूची 'ब'

चूरू जिले की पंचायत समिति राजगढ़ में सांखू क्षेत्र की एम. एच. (एम. एन. पी. डी.) श्रेणी में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में शामिल ग्राम :–

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील
1.	जसवन्तपुरा	3/2/173	राजगढ
2.	लिलावठी	3/2/163	,,
3.	सांखू	3/2/129	,,
4.	जानाऊमीठी	3/2/172	,,
5.	सुलखानिया	3/2/179	,,
6.	नोरंगपुरा	3/2/180	,,
7.	ठिमाऊ	3/2/182	,,
8.	नेशल	3/2/174	,,
9.	साखणलाल	3/2/178	,,
10.	रावतसर कुजाला	3/2/175	,,

सूची 'स'

चूरू जिले की पंचायत समिति रतननगर में दुदवा खारा क्षेत्र की एम. जी. (एम. एन. डी.) श्रेणी में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में सम्मिलित ग्राम:--

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील
1.	सिरसली	3/4/35	चूरू
2.	दुदवा खारा	3/4/34	"
3.	वाडकी	3/4/37	"
4.	भिरमाला	3/4/36	"
5.	लोहसणा छोटा	3/4/86	"
6.	लोहसणा बड़ा	3/4/85	"
7.	मठोडी	3/4/32	"
8.	लालासर पट्टा राजपुरा	3/4/40	"
9.	लालासर पट्टा बणीरोतान	3/4/39	"
10.	थालोठी	3/4/33	"

Page No 170

(170)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची)

एक वर्ष में दो या दो वार से अधिक हुए वैद्यों के परिवर्तन की सूची 18-9-77 से 18-9-78 तक

क्र.सं.	नाम वैद्य/वैद्या	1	2
1	2		
		28.	श्री नैनूराम
1.	श्री कमल प्रकाश	29.	,, महावीर प्रसाद
2.	,, प्रेम बल्लभ	30.	,, निधिनाथ
3.	,, मुरली गोविन्द	31.	,, हरीनारायण
4.	,, मुनिन्दरसिंह भाटी	32.	श्रीमती शलुजा रोवड़े
5.	,, नटवरलाल,	33.	श्री अरुण कुमार
6.	,, बसन्तीलाल	34.	,, शांतीलाल
7.	,, औंकारलाल	35.	,, ओंकारलाल
8.	,, जगमोहन	36.	,, रामस्वरूप
9.	,, सुखदेव प्रसाद	37.	,, कांतिलाल
10.	,, माणकलाल	38.	,, जयन्ति स्वरुप
11.	,, प्रहलाद चन्द्र	39.	,, महेशचन्द्र
12.	,, नाथूलाल	40.	,, लालशंकर
13.	,, चन्द्र प्रकाश	41.	,, रामप्रसाद
14.	,, श्याम सुन्दर	42.	,, राधेश्याम
15.	,, जयन्त कुमार	43.	,, पन्नालाल
16.	,, सत्यनारायण	44.	,, नरहरि शर्मा
17.	,, जगदीशचन्द्र	45.	,, जगमोहन
18.	,, विमलचन्द्र	46.	,, दिनेशबिहारी लाल माथुर
19.	,, भंवरलाल	47.	,, सत्यनारायण
20.	,, सूरजमल	48.	,, वासुदेव
21.	,, निर्भय शंकर	49.	,, ओमप्रकाश
22.	,, सुरेन्द्रशंकर जानी	50.	,, ज्वालाप्रसाद
23.	,, रामेश्वर प्रसाद	51.	,, बनवारी लाल
24.	श्रीमती हंसलता	52.	,, रामप्रसाद
25	श्री लेखनारायण	53.	,, अमीलाल
26.	,, महेशचन्द्र	54.	,, जयप्रकाश
27.	,, दिलखुशलाल सेठ	55.	,, मोतीलाल

1	2	1	2
56.	श्री तुलसीराम	89.	श्री हेमचन्द्र
57.	,, प्रह्लाद सहाय शर्मा	90.	,, गोविन्द सहाय
58.	,, रामगोपाल	91.	,, जगदीश प्रसाद
59.	,, रामजीलाल	92.	,, उत्तम प्रकाश
60.	,, जगन्नाथ	93.	,, राधामोहन पाठक
61.	,, सुरजाराम	94.	,, विष्णुशंकर
62.	,, ईश्वरदास स्वामी	95.	,, रामकुमार
63.	,, भागीरथ	96.	,, कमलकान्त
64.	,, संतोष कुमार	97.	,, रमेशचन्द्र पारीक
65.	,, गोपाललाल	98.	,, संतकुमार
66.	,, सुरेन्द्रकुमार	99.	,, राधेश्याम
67.	,, श्याम सुन्दर	100.	,, सत्यदेव
68.	,, श्याम सुन्दर	101.	,, शिवसुन्दर
69.	,, श्याम सुन्दर	102.	,, अनवर हुसेन
70.	,, कैलाशचन्द्र	103.	,, दाऊलाल रंगा
71.	,, गजानन्द	104.	,, भागीरथ ओझा
72.	,, मंजूलता पारीक	105.	,, लक्ष्मणदास
73.	,, मालीराम	106.	,, पुष्करदत्त
74.	,, गणेशनारायण	107.	,, रामनिवास
75.	,, महेन्द्रकुमार	108	,, श्रीनिवास
76.	,, हटीलसिंह	109.	,, चिरंजीलाल
77.	,, सत्यदेव	110.	,, भगवत प्रसाद
78.	,, नारायणसहाय	111.	,, रामनिवास
79.	,, सूर्य नारायण	112.	,, रामलाल शर्मा
80.	,, मदनमोहन शर्मा	113.	,, सोभागमल
81.	,, ललित किशोर	114.	,, ओंकारमल
82.	,, सीताराम	115.	,, गोविन्दराम स्वामी
83.	,, जगदीशनारायण	116.	,, रामलाल शर्मा
84.	,, महावीर प्रसाद	117.	,, जगधर भट्ट
85.	,, शिवनाथ	118.	,, सोहनलाल
86.	,, रामकुमार	119.	,, मुन्नालाल
87.	,, प्रह्लाद चन्द्र	120.	,, कृष्णदत्त
88.	,, सुरेशचन्द्र	121.	,, चानणराव

1	2
122.	श्री सीताराम
123.	,, रामावतार शर्मा
124.	,, उमाकान्त
125.	,, शिवदत्त शर्मा
126.	,, अनिलकुमार
127.	,, गिरजाशंकर शर्मा
128.	,, रामरख
129.	,, बुद्धिप्रकाश
130.	,, गोविन्द प्रसाद
131.	,, बालकृष्ण
132.	,, लेखराज
133.	,, विष्णु शंकर
134.	,, रामकुमार
135.	,, शिवचरण लाल
136.	,, मदनमोहन
137.	,, रघुवीर प्रसाद
138.	डा. महे चन्द्र
139.	श्री प्रक श नारायण
140.	,, श्यामलाल सोनी
141.	,, कृपा चन्द्र शर्मा
142.	,, मुरारीलाल
143.	,, राधेश्याम शर्मा
144.	,, दयालशंकर जोशी
145.	,, मूलचन्द
146.	,, कंवर प्रसाद
147.	,, वासुदेव
148.	,, भंवरसिंह
149.	,, गिरीशचन्द्र
150.	,, जनार्दन प्रसाद
151.	,, बेनी प्रसाद
152.	,, विजयकु ार
153.	,, त्यना ायण
154.	,, वीरेन्द्र कुमार
155.	श्री महावीर कुमार
156.	,, मनोहरलाल
157.	,, पुष्पराज
158.	,, जुगल किशोर
159.	,, हरीश चन्द्र
160.	,, बंशीधर
161.	,, सत्यनारायण
162.	,, साबरमल शर्मा
163.	,, बजरंगलाल शर्मा
164.	,, भगवान लाल
165.	,, रामचन्द्र शर्मा
166.	,, पदमचन्द जैन
167.	,, नन्दकिशोर छीपा
168.	,, युगलनारायण
169.	,, लक्ष्मीकान्त
170.	,, सुलतानसिंह
171.	,, इन्द्रचन्द शर्मा
172.	,, गोविन्दराम
173.	,, भागीरथ मल जोशी
174.	,, सूरजमल गोयल
175.	,, मोतीलाल
176.	,, राधेश्याम
177.	,, सत्यप्रकाश
178.	,, श्यामलाल
179.	,, गिरधारीलाल
180.	,, प्रभुदयाल
181.	,, ओमप्रकाश
182.	,, सुरेशचन्द्र
183.	,, जगदीश प्रसाद
184.	,, राधेश्याम
185.	,, रामगोपाल अवस्थी
186.	,, महादेव प्रसाद
187.	,, कैलाश चन्द्र

1	2	1	2
188.	श्री कैलाश चन्द्र	221.	श्री गिरधर शर्मा
189.	,, प्रभुदयाल	222.	,, रमणलाल दवे
190.	,, रामगोपाल	223	,, जुगलकिशोर
191.	,, घासीराम	224.	,, रामगोपाल गुप्ता
192.	,, कांतिलाल दशोरा	225.	,, राधामोहन शर्मा
193.	,, रमेशकुमार शर्मा	226.	,, परमेश्वर दयाल
194.	,, रामप्रसाद	227.	,, शंकरलाल
195.	,, सम्पतराज	228.	,, प्रभुदयाल
196.	,, अनिलकुमार	229.	,, नरहरि शर्मा
197.	,, अम्बीकेश्वर	230.	,, विद्याधर शर्मा
198.	,, अमरचन्द	231.	,, रामदयाल
199.	,, ओमप्रकाश	232.	,, हरिचरण लाल
200.	,, रामचरण तिवारी	233.	,, विलास कुमार
201.	,, बालकृष्ण	234.	,, भवानी शंकर
202.	,, वीजेन्द्र राय	235.	,, संतकुमार
203.	,, भागीरथ ओझा	236.	,, रामस्वरूप
204.	,, भानाराम	237.	,, दिनेशचन्द्र
205.	,, सुरेश चन्द्र दाधीच	238	,, नरेन्द्र कुमार
206.	,, गिरजाशंकर	239	,, कैलाशप्रसाद
207.	,, हनुमन्तसिंह	240.	,, रामलाल
208.	,, संतोषकुमार	241.	,, राजेशकुमार
209.	,, शिवचरण लाल	242.	,, सुरेन्द्र कुमार
210.	,, पुरुषोत्तम लाल	243	,, मोहनलाल
211.	,, हीरालाल	244.	,, शैलेन्द्र कुमार
212.	,, श्रवणसिंह	245.	,, मोहनलाल
213.	,, गोवर्धन शर्मा	246.	,, हरिशंकर
214.	,, प्रहलाद सहाय	247.	,, शिवदयाल
215.	,, रामनिवास	248.	,, कैलाशचन्द्र
216.	,, धरमचन्द	249.	,, बंशीलाल
217.	,, बाबूलाल	250.	,, गणपतिलाल
218.	,, मिथलेश कुमारी	251.	,, दामोदर शर्मा
219.	,, राधेश्याम	252.	,, रामेश्वर प्रसाद
220.	,, राधेश्याम शर्मा	253.	,, गोपाल लाल

1	2	1	2
254.	श्री फजलुल्ला	287.	श्री अर्जुनदास
255.	,, ब्रजमोहन	288.	,, प्रसन्न कुमार
256.	,, राधेश्याम	289.	,, कन्हैयालाल
257.	,, रघुवीर प्रसाद	290.	,, गंगासहाय शर्मा
258.	,, हबीब हसन खां	291.	,, गोपाल प्रसाद
259.	,, बनवारी लाल	292.	,, सुल्तानसिंह
260.	,, गिरीशचन्द्र	293.	,, शंकरलाल
261.	,, घनश्याम	294.	,, द्वारका प्रसाद
262.	,, बालस्वरूप गर्ग	295.	,, कंचन देवी
263.	,, घनश्याम शर्मा	296.	,, हरनामसिंह
264.	,, ओंकार लाल	297.	,, सीताराम
265.	,, छगनलाल सरस्वती	298.	,, ताराचन्द
266.	,, कृष्णदत्त शर्मा	299.	,, महावीर प्रसाद
267.	,, जयनारायण अवस्थी	300.	,, सावित्री देवी
268.	,, भगवती प्रसाद	301.	,, हरिशंकर
269.	,, शिवसुन्दर शुक्ल	302.	,, सुरेन्द्रकुमार
270.	,, शुभ लाल	303.	,, हेतराम
271.	,, करुणा कुमारी	304.	,, बैजनाथ
272.	,, सतीशचन्द्र	305	,, उदयशंकर
273.	,, शिवप्रसाद	306.	,, घनश्याम
274.	,, रामेश्वर प्रसाद	307.	,, अरविन्दकुमार
275.	,, देशराज	308.	,, नथूलाल
276.	,, रामचन्द्र	309.	,, सुरजाराम
277.	,, विनोद कुमार	310.	,, श्यामलाल
278.	,, प्रभूदयाल	311.	,, पुरुषोत्तम
279.	,, बालकिशन	312.	,, मेघवाहन
280.	,, कृष्ण लाल	313.	,, रामकिशोर
281.	,, नाथूलाल	314.	,, वंशीधर
282	,, योगेशचन्द्र	315.	,, जगदीशप्रसाद
283.	,, रामस्वरूप	316.	,, घनश्याम शर्मा
284.	,, यज्ञदत्त	317.	,, राधेश्याम
285.	,, लक्ष्मीदत्त	318.	,, रमेशचन्द्र
286.	,, सूर्यनारायण	319.	,, रामप्रसाद

Page No 175

(175)

1	2
320.	श्री टीकाराम
321.	,, महादेव शुक्ल
322.	,, जगदीशनारायण
323.	,, गोविन्दनारायण
324.	,, मुन्शीसिंह
325.	,, बाबूलाल
326.	,, जगदीशप्रसाद
327.	,, भंवरलाल
328.	,, ओमप्रकाश
329.	,, रमेशचन्द्र
330.	,, मदनलाल
331.	,, शिवभगवान
332.	,, रामस्वरूप
333.	,, लक्ष्मीदत्त
334.	,, हरिशंकर
335.	,, राधाकृष्ण
336.	,, मूलचन्द
337.	,, गौरीशंकर
338.	,, मदनलाल
339.	,, युधिष्ठर शर्मा
340.	,, भंवरलाल शर्मा
341.	,, रामकृष्ण
342.	,, रामचन्द्र शर्मा
343.	,, शंकरलाल
344.	,, कन्हैयालाल
345.	,, हरिशंकर
346.	,, गजानन्द
347.	,, शांतिप्रसाद
348.	,, मदनमोहन मिश्र
349.	श्री राजेन्द्रकुमार
350.	,, लक्ष्मीनारायण
351.	,, जगदीशप्रसाद
352.	,, घनश्याम मथुरिया
353.	,, विनायकराम
354.	,, बंशीधर जोशी
355.	,, इन्द्रकुमार
356	,, अन्नूराम
357.	,, प्रह्लादचन्द
358.	,, सतीशचन्द जैन
359.	,, प्रसादाराम
360.	,, माधवलाल
361.	,, गणपतराम
362.	,, प्रेमसुखदास
363.	,, दुर्गादत्त खांडल
364.	,, दशरथ कुमार
365.	,, सत्यवृत्त शर्मा
366.	,, राजेन्द्र कुमार
367.	,, भंवरलाल
368.	,, दर्शनानन्द सारस्वत
369.	,, जगदीशचन्द्र
370.	,, हनुमन्त प्रसाद
371.	,, टंगदान स्वामी
372.	,, जगदीशचन्द्र
373.	,, हरीशचन्द्र
374.	,, भंवरलाल शर्मा
375.	,, मदनमिश्र
376.	,, देवीलाल गुप्ता

एक वर्ष में दो या दो से अधिक हुए कल्पद-धात्री के परिवर्तन की सूची–18–9–77 से 18–9–78 तक

क्र.सं. 1	नाम कल्पद/धात्री 2	1	2
1.	श्री गोकुलसिंह	31.	श्री मोहनलाल
2.	,, मामराज	32	,, राधेश्याम
3.	,, सुन्दरलाल	33.	,, हजारीलाल
4.	,, बाला सहाय	34.	,, गिरजाशंकर जोशी
5.	,, लक्ष्मीलाल नाई	35.	,, रामेश्वरप्रसाद
6.	,, राधादेवी	36.	,, रमेशचन्द्र श्रीवास्तव
7.	,, देवीराम	37.	,, दयाशंकर
8.	,, आनन्द कौर	38.	,, निर्मला देवी
9.	,, विमला व्यास	39.	,, प्रभावती
10.	,, चतुर्भुज	40.	,, मुराद मोहम्मद
11.	,, मदनपुरी	41.	,, महमूद अली
12.	,, तीव्रचन्द	42.	,, भंवरी देवी
13.	,, भगवान दास	43.	,, कमलेश वर्मा
14.	,, पार्वती देवी	44.	,, नारायणलाल दाधिच
15.	,, यदुनन्दन शर्मा	45.	,, नारायणलाल
16.	,, कृष्ण गोपाल	46.	श्रीमती शांता देवी
17.	,, मथुरालाल व्यास	47.	,, पुष्पा देवी
18.	,, भंवरलाल	48.	,, हरीशंकर
19.	,, रामजीलाल	49.	,, देवीलाल
20.	,, श्रीनिवास	50.	,, खूबीलाल
21.	,, गोपालकृष्ण	51.	,, रमेशचन्द्र
22.	,, मृदुला ऊधोलिया	52	,, पन्नालाल
23.	,, सुशीला चारण	53.	,, गिरिजा शंकर
24.	,, तुलसी राम	54.	,, रमेशचन्द्र
25.	,, भगवती आर्य	55.	,, रमेशचन्द्र
26.	,, भगवतीप्रसाद शर्मा	56.	,, पन्नालाल
27.	,, ताराचन्द्र	57.	,, रामजीलाल
28.	,, हरीशचन्द्र शर्मा	58.	,, शीतलकुमार गौतम
29.	,, प्रभुदयाल	59.	,, शांतिदेवी गूजर
30.	,, प्रवीणचन्द्र	60.	,, रमेशचन्द्र शर्मा
		61.	,, हरिशंकर पाराशर

1	2
62.	श्री भंवरलाल वैष्णव
63.	,, शंकरलाल गर्ग
64.	,, प्रहलाद दत्त
65.	,, गोपाल कृष्ण शर्मा
66.	,, खुशीराम
67.	,, सतीशचन्द्र
68.	,, कौशल्या देवी
69.	,, विमलेश कुमारी
70.	,, भंवरलाल टेलर
71.	,, ज्ञानचन्द जैन
72.	,, माउद्दीन खां
73.	,, धन्ना के. मो.
74.	,, भंवरी देवी
75.	,, राधेश्याम शर्मा
76.	,, जगदीशप्रसाद शर्मा
77.	,, श्यामसुन्दर त्रिवेदी
78.	,, राजकुमारी ओझा
79.	,, हरी प्रसाद
80.	,, जुगलकिशोर
81.	,, सईदा बेगम
82.	,, श्रीवल्लभ पुरोहित
83.	,, सत्यनारायण शर्मा
84.	,, विमला कुमारी
85.	,, बालमुकुन्द जोशी
86.	,, शान्तिलाल दाधीच
87.	,, सुशीलाबाई के. ए.

1	2
88.	श्री भंवरलाल रुणवाल
89.	,, शांति देवी
90.	,, शांति देवी
91.	,, वृजमोहन
92.	,, मुरलीधर शर्मा
93.	,, रामेश्वर प्रसाद
94.	,, गोविन्दकृष्ण
95.	,, जयनारायण
96.	,, सूरज देवी
97.	,, सुधा देवी
98.	,, रामस्वरूप शर्मा
99.	,, शिवराम
100.	,, रमेशचन्द पारीक
101.	,, हरिप्रसाद पारासर
102.	,, सोसम्मा एम. सी.
103.	,, रिखबचन्द जैन
104.	,, रामेश्वर जोशी
105.	,, सावित्री वर्मा
106.	,, नन्दलाल
107.	,, नाथूलाल
108.	,, आशा देवी
109.	,, नारायणदत्त
110.	,, बद्रीनारायण
111.	,, कान्ता देवी
112.	,, मुल्कराज

एक वर्ष में दो या दो बार से अधिक हुए मंत्रालयिक वर्ग के परिवर्तन की सूची 18-9-77 से 18-9-78

क्र.सं.	नाम सेवक
1.	श्री जमालुद्दीन, उच्च लिपिक
2.	श्री गिरधारीलाल शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री राजनलाल गर्ग, कनिष्ठ लिपिक
4.	श्री घीसालाल नागा, कनिष्ठ लिपिक

(78)

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची)

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था की नीति

राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था जो पहले शहरों की तरफ अधिक अग्रसर होती थी अब उसे ग्रामोन्मुखी बनाया जा रहा है।

आगामी छठी पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के विस्तार करने हेतु प्रावधान रखा गया है जिसे वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर क्रियान्वित करना संभव हो सकेगा। मुख्य योजनाएं निम्न प्रकार हैं :—

उपकेन्द्र

(1) वर्तमान में 10 हजार की ग्रामीण जनसंख्या 1971 पर एक उपकेन्द्र खोलने का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है जिसके अनुकूल राज्य में 2120 उप केन्द्र स्वीकृत किये जा चुके हैं। 8 हजार की जनसंख्या पर एक ए. एन. एम. रखने के क्रम में जो 531 ए. एन एम. होनी चाहिए उसमें से अब तक 400 ए. एन. एम. लगादी है अब 5 हजार की जनसंख्या पर एक ए. एन. एम. लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

चिकित्सालय

(2) वर्तमान में एक पंचायत समिति में कम से कम दो डिस्पेन्सरी तथा एक एडपोस्ट का लक्ष्य रखा गया था जिसमें अधिकतम भाग पूरा किया जा चुका है। आगामी पचं वर्षीय योजना काल में शेष भाग को पूरा कर दिया जायेगा।

(3) उप जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालयों को 50 रोगी शैय्याओं में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत उप-जिला मुख्यालय तथा नगरपालिका स्थित चिकित्सालयों में महिला डाक्टर की सुविधा उप-लब्ध कराई जाने की योजना है तथा कुछ स्थानों पर प्रसूति गृहों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

(5) चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों को ग्रामीण वातावरण एवं स्वास्थ्य सम-स्याओं को निकट से देखने हेतु उन्हें अध्ययनकाल में चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाता है जिससे उनका ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक झुकाव हो सके।

(6) बाहरी क्षेत्रों में उपलब्ध विशेषज्ञों की सेवायें ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने की योजना कार्यरत है जिसे सुदृढ़ किया जा रहा है।

(7) भारत सरकार के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्त-र्गत 2034 सामुदायिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित किये जा चुके हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष में दो अक्टूबर से यह योजना पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लागू की जा रही है। जिसके अन्तर्गत जयपुर, अजमेर, टोंक जिलों के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहां पर बहुउद्देशीय योजना लागू है।

179

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 94 का विवरण)

उन आई.ए.एस. एवं आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध गत पांच साल में पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई तथा जिनकी प्रारम्भिक जांच हो रही है।

1. श्री गुमान सिंह, आई.ए.एस.
2. श्री जी. रामचन्द्र, आई.ए एस.
3. श्री एम. एल. गोयल, आई.ए.एस.
4. श्री बनवारी लाल शर्मा, आई.ए.एस.
5. श्री हरीराम मीना, आई.ए.एस.
6. श्री पी. एन. भण्डारी, आई.ए.एस.
7. श्री भरत कुमार परमार, आर.ए.एस.
8. श्री वी. पी. गोयल, आर.ए.एस.
9. श्री पी.सी. जैन, आर.ए.एस.
10. श्री आर. पी. जोशी, आर.ए.एस.
11. श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, आर.ए.एस.
12. श्री प्रेमसुख महेश्वरी, आर.ए.एस.
13. श्री आर. एल. डाबी, आर.ए.एस.
14. श्री एम. एल. यादव, आर.ए.एस.
15. श्री नाथाराम शर्मा, आर.ए.एस.
16. श्री एम. एस. खान, आर.ए.एस.
17. श्री मातादीन शर्मा, आर.ए.एस.
18. श्री बद्रीलाल मीना, आर.ए.एस.
19. श्री रामजीलाल वर्मा आर.ए.एस.
20. श्री के. एम. सहाय, आर.ए.एस.
21. श्री सी. डी. देवल, आर.ए.एस.
22. श्री जी.एम.अग्रवाल, आर.ए.एस.
23. श्री उत्तम सिंह, आर.ए.एस.
24. श्री दीपसिंह फौजदार, आर.ए.एस.
25. श्री नाहर सिंह, आर.ए.एस.
26. श्री राम नारायण शर्मा, आर.ए.एस.
27. श्री महेन्द्र सुराना, आर.ए.एस.
28. श्री भंवानी शंकर, आर.ए.एस.

29. श्री आर. पी. निझर, आर.ए.एस.
30. श्री बी. एस. रानावत, आर.ए.एस.
31. श्री आई. एस. अग्रे, आर.ए.एस.
32. श्री श्यामनारायण व्यास, आर.ए.एस.
33. श्री शरद कुमार लहरी, आर.ए.एस.
34. श्री ए. सी. तलवार, आर.ए.एस.
35. श्री गुमान सिंह, आर.ए.एस.
36. श्री रामचन्द्र जैन, आर.ए.एस.
37. श्री देवकी नन्दन शांडिल्य, आर.ए.एस.
38. श्री हरीश चन्द्र तिवारी, आर.ए.एस.
39. श्री हरी नारायण माथुर, आर.ए.एस.
40. श्री किरन बाबू माथुर, आर.ए.एस.
41. श्री हरी नारायण शर्मा, आर.ए.एस.
42. श्री महावीर सिंह, आर.ए.एस.
43. श्री पी. सी. सिंघवी, आर.ए.एस.
44. श्री घनश्याम दास भारद्वाज, आर.ए.एस.
45. श्री बी. पी. सूद, आर.ए.एस.
46 श्री यतीन्द्र नाथ, आर.ए.एस.
47. श्री मोहन सिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.
48. श्री श्याम नारायण व्यास, आर.ए.एस.
49. श्री मंगल सिंह, आर.ए.एस.
50. श्री शान्ति लाल, आर.ए.एस.
51. श्री मोहन सिंह, आर.ए.एस.
52. श्री वी. एल. पाण्डे, आर.ए.एस.
53. श्री एस. सी. भण्डारी, आर.ए.एस.
54. श्री कन्हैया लाल, आर.ए.एस.
55. श्री हरीमोहन गुप्ता, आर.ए.एस.
56. श्री पी. सी. मेहलावत, आर.ए.एस.
57. श्री चन्द्र सिंह मुरड़िया, आर.ए.एस.
58. श्री एन. के. भार्गव, आर.ए.एस.
59 श्री कुलदीप शर्मा, आर.ए.एस.
60. श्री रामजीवन मीना, आर.ए.एस.
61. श्री योगेश चन्द्र, आर.ए.एस.
62. श्री एस. के. विजय, आर.ए.एस.
63. श्री गणपतसिंह सांखला, आर.ए.एस.

64. श्री आशुतोष गुप्ता, आर.ए.एस.
65. श्री महेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.
66. श्री सत्यनारायण सिंह, आर.ए.एस.
67. श्री राजकुमार, आर.ए.एस.
68. श्री मोहन लाल जैन, आर.ए.एस.
69. श्री पुखराज सालेचा, आर.ए.एस.

उन आई. ए. एस. एवम् आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध गत पांच साल में पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई तथा जिनको जांच करने पर प्रथम दृष्ट्या मामला दुराचरण का पाया जाने से अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी।

1.	श्री राजेन्द्र जैन, आई. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
2.	,, हरी राम मीना, आई. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
3.	,, बी. एल. पाण्डे, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
4.	,, सी. एल. महाजन, आर.ए.एस.	जांच के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने से उन्हें आरोप मुक्त किया गया।
5.	,, रमेश चन्द्र, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
6.	,, ए. एल. बिस्सा, आर. ए. एस.	जांच के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने से उन्हें आरोप मुक्त किया गया।
7.	,, घनश्याम सिंह, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
8.	,, धर्मपाल सिंह सूद, आर.ए.एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
9.	,, बी. पी. भार्गव, आर.ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
10.	,, रतन लाल, आर. ए. एस.	जांच के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने से उन्हें आरोप मुक्त किया गया।
11.	,, आर. पी. जोशी, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
12.	,, भरत लाल परमार, आर.ए.एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
13.	,, सन्तू लाल शर्मा, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
14.	,, भंवर सिंह, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
15.	,, ए.के. लोढ़ा, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
16.	,, घनश्याम दास भारद्वाज, आर. ए. एस.	जांच के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने से उन्हें आरोप मुक्त किया गया।
17.	,, सी. डी. देवल, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
18.	,, आर. सी. मिश्रा, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
19.	,, जे. सी. अग्रवाल, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
20.	,, सुखवीरसिंह गहलोत, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।

21.	श्री भंवर लाल श्रीमाली, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
22.	,, आर. एल. ढाबी, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
23.	,, श्याम लाल माथुर, आर. ए. एस.	जांच के बाद आरोप सिद्ध न हो पाने से उन्हें आरोप मुक्त किया गया।
24.	,, गुमान सिंह, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
25.	,, रणजीत सिंह कई गंठाला, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
26.	,, महावीर सिंह, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
27.	,, जगदेव सिंह यादव, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
28.	,, एम. के. सुराना, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
29.	,, हजारी लाल शर्मा, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
30.	,, एस. एन. साहू, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।
31.	,, ओंकार प्रसाद शर्मा, आर. ए. एस.	विभागीय जांच विचाराधीन है।

उन आई. ए. एस. एवम् आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जिनके विरुद्ध गत पांच साल में पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई तथा जिनको निराधार पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध कर दिया गया।

1. श्री एस. सी. पाण्डे, आई. ए. एस.
2. श्री बी. के. बिन्जू, आई. ए. एस.
3. श्रीमती कुसुम प्रसाद, आई. ए. एस.
4. श्री प्रहलाद राय शर्मा, आई. ए. एस.
5. श्री अनिल कुमार गुप्ता, आई. ए. एस.
6. श्री चन्द्र प्रकाश आई. ए. एस.
7. श्री गोविन्द जी मिश्रा, आई. ए. एस.
8. श्री जे. एम. खान, आई. ए. एस.
9. श्री एन. के. वर्मा, आई. ए. एस.
10. श्री राजेन्द्र जैन, आई. ए. एस.
11. श्री महेन्द्र सिंह, आई. ए. एस.
12. श्री पी. सी. गुप्ता, आई. ए. एस.
13. श्री ओ. पी. बिहारी, आई. ए. एस.
14. श्री तेज कुमार, आई. ए. एस.
15. श्री बृजेन्द्र सिंह, आई. ए. एस.
16. श्री हरीश नय्यर, आई. ए. एस.

17. श्री रमाकान्त शर्मा, आई. ए. एस.
18. श्री रणजीत सिंह कुमुट, आई. ए. एस.
19. श्री जी. रामचन्द्र, आई. ए. एस.
20. श्री मंगल बिहारी, आई. ए. एस.
21. श्री आदर्श किशोर, सक्सेना, आई. ए. एस.
22. श्री एम. एल. सुरेखा, आई. ए. एस.
23. श्री एम. एल. गोयल, आई. ए. एस.
24. श्री तुलसी राम अग्रवाल, आई. ए. एस.
25. श्री इन्द्र सिंह, कावडिया, आई. ए. एस.
26. श्री रामाकृष्णन्, आई. ए. एस.
27. श्री सी. एस. गुप्ता, आई. ए. एस.
28. श्री अर्जुन राज भण्डारी, आई. ए. एस.
29. श्री राजेन्द्र पाल सिंह, आई. ए. एस.
30. श्री माया राम, आई. ए. एस.
31. श्री पी. एन. भण्डारी, आई. ए. एस.
32. श्री आर. बी. सोनटक्के, आई. ए. एस.
33. श्री गजेन्द्र हल्दिया, आई. ए. एस.
34. श्री एस. एन. लढ्ढा, आई. ए. एस.
35. श्री के. के. भटनागर, आई. ए. एस.
36. श्री उम्मेद सिंह, आई. ए. एस.
37. श्री बी. एस. मिन्ट्रास, आई. ए. एस.
38. श्री मिस अलका ऋषि, आई. ए. एस.
39. श्री परमेश चन्द्र, आई. ए. एस.
40. श्री भीम सिंह, आई. ए. एस.
41. श्री एन. एस. सिसोदिया, आई. ए. एस.
42. श्री आई. सी. श्रीवास्तव, आई. ए. एस.
43. श्री अजय दुबे, आई. ए. एस.
44. श्री रमाकान्त अग्रवाल, आई. ए. एस.
45. श्री सज्जन नाथ मोदी, आई. ए. एस.
46. श्री गोपेश भट्ट, आई. ए. एस.
47. श्री लक्ष्मी चन्द गुप्ता, आई. ए. एस.
48. श्री अनिल वैश्य, आई. ए. एस.
49. श्री आर. डी. गुप्ता, आई. ए. एस.
50. श्री एम. डी. कोराने, आई. ए. एस.
51. श्री जे. एस. मेहता, आई. ए. एस.

Page No 184

(184)

52. श्री मिस अमरजीत कौर आहूजा, आई. ए. एस.
53. ,, जे. एन. आर. गौड़, आई. ए. एस.
54. ,, शेर सिंह, आई. ए. एस.
55. ,, गुमान सिंह, आई. ए. एस.
56. ,, एन. आर. मसीन, आई. ए. एस.
57. ,, हरि राम मीना, आई. ए. एस.
58. ,, बी. एल. मेहरडा, आई. ए. एस.
59. ,, जे. के. जैन, आर. ए. एस.
60. ,, महेन्द्र सिंह यादव, आर. ए. एस.
61. ,, ओंकार प्रसाद शर्मा, आर. ए. एस.
62. ,, मुकुट बिहारी लाल गुप्ता, आर. ए. एस.
63. ,, आर. डी. भार्गव, आर. ए. एस.
64. ,, बृजराज सिंह, आर. ए. एस.
65. ,, सत्यनारायण महेश्वरी, आर. ए. एस.
66. ,, आर. के. त्रिवेदी, आर. ए. एस.
67. ,, भंवर लाल श्रीमाली, आर. ए. एस.
68. ,, थानसिंह जाटव, आर. ए. एस.
69. ,, रिछपाल सिंह, आर. ए. एस.
70. ,, एच. एस. राजपुरोहित, आर. ए. एस.
71. ,, गोविन्द प्रसाद माथुर, आर. ए. एस.
72. ,, जगदीश चन्द्र अग्रवाल, आर. ए. एस.
73. ,, कौशल सिंह, आर. ए. एस.
74. ,, सुखवीर सिंह, आर. ए. एस.
75. ,, एस. एल. भट्ट, आर. ए. एस.
76. ,, भन्त सिंह, आर. ए. एस.
77. ,, हनवन्त सिंह, आर. ए. एस.
78. ,, ईश्वर चन्द्र चौधरी, आर. ए. एस.
79. ,, देव दत्त शर्मा, आर. ए. एस.
80. ,, जय कुमार जैन, आर. ए. एस
81. ,, बिठ्ठल दास थानवी, आर. ए. एस.
82. ,, राधाकृष्ण त्रिपाठी, आर. ए. एस.
83. ,, रमेश चन्द्र गुप्ता, आर. ए. एस
84. ,, वी. पी. गोयल, आर. ए. एस.
85. ,, आशकरण अग्रवाल, आर. ए. एस
86. ,, इन्द्र सिंह शेखावत, आर. ए. एस.

Page No 185

(185)

87. श्री कुरड़ा राम मीना, आर. ए. एस.
88. श्री आर. पी. जोशी, आर. ए. एस.
89. श्री सुरेश चन्द्र जैन, आर. ए. एस.
90. श्री भंवर लाल श्रीमाली, आर. ए. एस.
91. श्री सुखवीर सिंह, आर. ए. एस.
92. श्री मोतीलाल भारद्वाज, आर. ए. एस.
93. श्री ताराचन्द महेश्वरी, आर. ए. एस.
94. श्री जे. एस. पुरोहित, आर. ए. एस.
95. श्री रवि प्रकाश माग, आर. ए. एस.
96. श्री सुरेन्द्रसिंह वर्मा, आर. ए. एस.
97. श्री यदु राम यादव, आर. ए. एस.
98. श्री बाल कृष्ण शर्मा, आर. ए. एस.
99. श्री दीप सिंह फौजदार, आर. ए. एस.
100. श्री जगदीश कुमार, आर. ए. एस.
101. श्री जुगल बिहारी श्रीवास्तव, आर. ए. एस.
102. श्री एन. के. भार्गव, आर. ए. एस.
103. श्री गंगा सहाय अग्रवाल, आर. ए. एस.
104. श्री गणपत सिंह राजपुरोहित, आर. ए. एस.
105. श्री राम जीवन मीना, आर. ए. एस.
106. श्री गुमान सिंह, आर. ए. एस.
107. श्री ज्ञान चन्द जैन, आर. ए. एस.
108. श्री शिवलहरी शर्मा, आर. ए. एस.
109. श्री मोती लाल, आर. ए. एस.
110. श्री जगदेव सिंह यादव, आर. ए. एस.
111. श्री मदन गोपाल गुप्ता, आर. ए. एस.
112. श्री सुखदेव आर्य, आर. ए. एस.
113. श्री आर. सी. मिश्रा, आर. ए. एस.
114. श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, आर. ए. एस.
115. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, आर. ए. एस.
116. श्री जी. एल. वर्मा, आर. ए. एस.
117. श्री सतीश चन्द्र शर्मा, आर. ए. एस.
118. श्री आर. एल. ढाबी, आर. ए. एस.
119. श्री रामनारायण शर्मा, आर. ए. एस.
120. श्री शिवनारायण तिवारी, आर. ए. एस.
121. श्री रमाकान्त व्यास, आर. ए. एस.

(188)

122. श्री भवानी शंकर, आर.ए.एस.
123. श्री हरिनारायण सिंह राजपुरोहित, आर. ए. एस.
124. श्री पी. सी. सिंघवी, आर. ए. एस.
125. श्री कन्हैयालाल पाड़लिया, आर. ए. एस.
126. श्री आई. सी. सहल, आर. ए. एस.
127. श्री शान्ती स्वरूप, आर. ए. एस.
128. श्री जे. पी. सिंह, आर. ए. एस.
129. श्री रामेश्वर लाल जूनवाल, आर. ए. एस.
130. श्री छोटेलाल भदौरिया, आर. ए. एस.
131. श्री महावीर जैन, आर. ए. एस.
132. श्री आर. पी. निडर, आर. ए. एस.
133 श्री राधेश्याम, आर. ए. एस.
134. श्री पी. के. जैन, आर. ए. एस.
135. श्री दौलत सिंह कोठारी, आर. ए. एस.
136. श्री नरपत सिंह, आर. ए. एस.
137. श्री जुगल बिहारी श्रीवास्तव, आर. ए. एस.
138. श्री सत्यदेव शर्मा, आर. ए. एस.
139. श्री बसन्ती लाल शर्मा, आर. ए. एस.
140. श्री श्री नारायण शर्मा, आर. ए. एस.
141. श्री रामशरण मित्तल, आर. ए. एस.
142. श्री जे. एन. माथुर, आर. ए. एस. (वर्तमान आई. ए. एस.)
143. श्री भूषण लाल, आर. ए. एस.
144. श्री महेन्द्र कुमार व्यास, आर. ए. एस.
145. श्री हर्ष नारायण शर्मा, आर. ए. एस.
146. श्री मातादीन शर्मा, आर. ए. एस
147. श्री रामनारायण सक्सेना, आर. ए. एस.
148. श्री डी. के. मल्होत्रा, आर. ए. एस.
149. श्री महावीर सिंह, आर. ए. एस.
150. श्री ओ. पी. बंसल, आर. ए. एस.
151. श्री शिवचरण शर्मा, आर. ए. एस.
152. श्री रणजीत सिंह, आर. ए. एस.
153. श्री सागरमल दाधीच, आर. ए. एस.
154. श्री अश्वनी कुमार राठी, आर. ए. एस.
155. श्री आनन्दी लाल माथुर, आर. ए. एस.
156. श्री एस. के. ऐरन, आर. ए. एस.

Page No 187

(187)

157. श्री चन्द्र शेखर शर्मा, आर. ए. एस
158. श्री मोहन सिंह राजपुरोहित, आर. ए. एस.
159. श्री गोपाल सिंह, आर. ए. एस.
160. श्री एम. एस. खान, आर. ए. एस.
161. श्री के. एन. गुप्ता, आर. ए. एस.
162. श्री छतरसिंह चौहान, आर. ए. एस.
163. श्री रमेश चंद्र जैन, आर. एस. एस.
164. श्री गोरधन लाल शर्मा, आर. ए. एस.
165. श्री बृजमोहन शर्मा, आर. ए. एस.
166. श्री श्याम लाल माथुर, आर. ए. एस.
167. श्री रामस्वरूप अग्रवाल, आर. ए. एस.
168. श्री चंदोलिया, आर. ए. एस.
169. श्री देवकीनन्दन शांडिल्य, आर. ए. एस.
170. श्री युगल किशोर शर्मा, आर. ए. एस.
171. श्री संतूलाल शर्मा, आर. ए. एस.
172. श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, आर. ए. एस.
173. श्री बी. एल. बी. परमार, आर. ए. एस.
174. श्री सुदर्शन चोहड़ा, आर. ए. एस.
175. श्री गणपत राम यादव, आर. ए. एस.
176. श्री राम विकास सिंह पंवार, आर. ए. एस.
177. श्री एस. एस. त्रिपाठी, आर. ए. एस.
178. श्री जी. सी. टाक, आर. ए. एस.
179. श्री बख्शी सिंह, आर. ए. एस.
180. श्री कन्हैयालाल शर्मा, आर. ए. एस
181. श्री बी. पी. भार्गव, आर. ए. एस.
182. श्री घीसालाल वर्मा, आर. ए. एस.
183. श्री रेवाचन्द, आर. ए. एस.
184. श्री रघुवीर सिंह, आर. ए. एस.
185. श्री नवरंग राय, आर. ए. एस.
186. श्री बिरदी चन्द, आर. ए. एस.
187. श्री सुरेन्द्र कुमार, आर. ए. एस.
188. श्री जगमोहन भटनागर, आर. ए. एस.
189. श्री शिवचरण लाल गुप्ता, आर. ए. एस.
190. श्री यतीन्द्र नाथ, आर. ए. एस.
191. श्री सोमदत्त शर्मा, आर. ए. एस.

(188)

192. श्री एम. वी. सदासुखी, आर. ए. एस.
193. श्री लक्ष्मण सिंह राजावत, आर. ए. एस.
194. श्री दशरथसिंह, आर. ए. एस.
195. श्री हर प्रसाद अग्रवाल, आर. ए. एस. (वर्तमान आई. ए. एस.)
196. श्री श्याम दास जैन, आर. ए. एस.
197. श्री कुशल सिंह, आर. ए. एस.
198. श्री राम चन्द्र सिंह, आर. ए. एस.
199. श्री सी. डी. देवल, आर. ए. एस.
200. श्री जी. के. जैन, आर. ए. एस.
201 श्री श्याम सुन्दर श्रीवास्तव, आर. ए. एस.
202. श्री आर. एल. डाबी, आर. ए. एस.
203. श्री संतोष कुमार शर्मा, आर. ए. एस.
204. श्री कृष्ण सिंह, आर. ए. एस.
205. श्री एस. एस. भंडारी, आर. ए. एस.
206. श्री टोडरमल जैन, आर. ए. एस.
207. श्री गैंदीलाल शर्मा, आर. ए. एस.
208. श्री फूल चन्द, आर. ए. एस.
209. श्री मंगलसिंह, आर. ए. एस.
210. श्री आर. एन. भंडारी, आर. ए. एस.
211. श्री पूर्ण सिंह राजोरिया, आर. ए. एस.
212. श्री धनपत राय जैन, आर. ए. एस.
213. श्री के.के. सात्रीकी, आर.ए.एस.
214 श्री जे.टी. शर्मा, आर. ए. एस.
215. श्री अमी लाल, आर.ए.एस.
216. श्री अमर चन्द सेठी, आर.ए.एस.
217. श्री सौभाग्य मल सिंघवी, आर. ए. एस.
218. श्री वैकुण्ठ नाथ चतुर्वेदी, आर.ए.एस.
219. श्री जगदीश कातिल, आर. ए. एस.
220. श्री पूरेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
221. श्री धनेश्वर पाटीदार, आर.ए.एस.
222. श्री घनश्याम सिंह, आर.ए.एस.
223. श्री जसवन्त सिंह मेहता, आर.ए.एस.
224. श्री ललित नारायण शाह, आर.ए.एस.
225. श्री दीन दयाल सूद, आर. ए.एस.
226. श्री ए. एन. पंडित, आर.ए.एस.

227. श्री बी.डी.जोशी, आर.ए.एस.

228. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, आर.ए.एस.

229. श्री शीतला प्रसाद पुरोहित, आर.ए.एस.

230. श्री रामेश्वर सिंह, आर.ए.एस.

231. श्री अभय कुमार लोढा, आर.ए.एस.

232. श्री आनन्द कुमार हेमकार, आर.ए.एस.

233. श्री आलम सिंह, आर.ए.एस.

234. श्री एस.एस. राणावत, आर.ए.एस.

235. श्री सोलंकी, आर.ए.एस.

236. श्री महेन्द्र कुमार खन्ना, आर.ए.एस.

237. श्री पुरुषोत्तम आचार्य, आर.ए.एस.

238. श्री टी.आर. वर्मा, आर.ए.एस.

239. श्री रवीन्द्र नाथ चतुर्वेदी, आर.ए.एस.

240. श्री राम विलास परमार, आर.ए.एस.

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE TOTAL COST OF TYRES, TUBES & FLAPS PURCHASED FROM DIFFERENT TYRE MANUFACTURERS DURING THE PERIOD 1975-76, 1976-77 & 1977-78

Sl.No.	Name of the firm	1975-76	1976-77	1977-78
1.	M/s Goodyear India Ltd., Jaipur	15,61,056.10	36,24,151.45	19,00,991.50
2.	M/s Ceat Tyres of India, Jaipur	31,06,638.07	92,070.00	3,96,364.00
3.	M/s Fire Stone Tyre & Rubber Co., Jaipur	16,87,221.45	38,02,025.35	17,62,938.02
4.	M/s Premier Tyres, Jaipur	5,72,227.11	3,83,675.00	7,56,365.00
5.	M/s Incheck Tyres, Jaipur	14,61,143.96	—	13,49,454.60
6.	M/s Appolo Tyres, New Delhi	—	—	11,659.00
7.	M/s Dunlop India Ltd., Jaipur	44,12,875.41	29,97,055.00	24,44,328.40
8.	M/s Madras Rubber Factory, Jaipur	26,59,576.01	7,39,190.00	33,08,687.00
9.	M/s Modi Rubber, Jaipur	42,41,282.61	10,91,772.50	23,86,120.30
10.	M/s J.K. Industries, Jaipur	—	4,25,600.00	87,49,295.00
11.	M/s Jodhpur Tyres, Jodhpur	—	—	5,575.00

Purchase has been made during the above years indicated approximately.

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 103 का विवरण)

परिशिष्ट—"क"

राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों पर अब तक हुए कार्यों का विवरण

प्रथम चरण में 204 किलोमीटर लम्बी राजस्थान फीडर एवं उससे आगे 189 कि. मी. लम्बी मुख्य नहर बनकर पूर्ण हो चुकी है।

वितरण प्रणाली कि. मी. 0 से 74 तक :

राजस्थान मुख्य नहर कि. मी. 0–74 तक निकलने वाली शाखाओं एवं वितरिकाओं की लम्बाई 1850 कि. मी. है उसमें से 1830 कि. मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं मार्च, 1978 तक 1330 कि. मी. लम्बाई में नहरों को पक्का किया जा चुका है। अगस्त, 1978 तक 1414 कि. मी. की लम्बाई में शाखाओं एवं वितरिकाओं को पक्का किया जा चुका है। शेष कार्यों को मार्च 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

वितरण प्रणाली कि. मी. 74 से 189 :

किलोमीटर 74 से 125 तक की वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य मार्च, 1975 में पूर्ण हो चुका था।

किलोमीटर 125 से 189 तक वितरण प्रणाली की कुल अनुमानित लम्बाई 259.84 कि. मी. है जिसमें से मार्च 78 तक 255.27 कि. मी. लम्बाई पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

शेष कार्य मार्च, 1979 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

पूगल शाखा प्रणाली :

66 कि. मी. लम्बी मुख्य शाखा का 65.09 किलोमीटर लम्बा भाग मार्च 1978 तक पूरा किया जा चुका है तथा शेष 0.91 कि. मी. लम्बाई पर निर्माण कार्य मार्च 1979 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

पूगल शाखा की 280.81 कि. मी. लम्बी वितरक प्रणाली में से 15-9-78 तक 196.72 कि. मी. लम्बाई में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्य को मार्च 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

Page No 192

(192)

लूणकरणसर–बीकानेर जलोत्थान नहर प्रणाली :

151.64 कि.मी. लम्बी जलोत्थान नहर बनकर तैयार हो चुकी है तथा इसकी वितरक प्रणाली की कुल लम्बाई 158.62 कि. मी. है जिसमें से मार्च, 1978 तक 157.78 कि. मी. लम्बाई में कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 0.84 कि. मी. लम्बाई पर निर्माण कार्य मार्च, 1979 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

जलोत्थान प्रणाली पर 1021.50 कि. मी. अनुमानित लम्बाई में पक्के धोरे बनाने हैं जिनमें से 15-9-78 तक 793.69 कि. मी. लम्बाई में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य मार्च 1980 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(193)

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की सूची)

सूची 'अ'

हरिजनों पर हुए अत्याचार 22 जून, 1977 से 31 अगस्त, 78 तक जिलेवार अपराध तालिका

अनुसूचित जाति

क्रमांक	नाम जिला	हत्या		गम्भीर चोट		बलात्कार		गम्भीर क्षति		अन्य आई. पी.सी.	योग
		ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	–	2	–	4	–	–	–	–	–	6
2.	जयपुर	–	1	–	–	–	1	–	1	12	15
3.	भरतपुर	–	1	–	6	–	2	–	8	3	20
4.	अलवर	–	–	–	7	–	1	–	9	35	52
5.	सवाई माधोपुर	–	3	–	4	–	1	–	5	4	17
6	बीकानेर	–	1	–	2	–	4	–	–	12	19
7.	चूरू	–	1	–	3	–	2	–	1	19	26
8.	गंगानगर	–	4	–	5	–	14	–	–	8	31
9.	सीकर	–	1	–	2	–	1	–	4	39	47
10.	झुंझुनूं	–	–	–	–	–	1	–	4	5	10
11.	जोधपुर	–	1	–	5	–	3	–	3	48	60
12.	बाड़मेर	–	–	–	1	–	1	–	3	15	20
13.	जैसलमेर	–	–	–	1	1	–	–	–	5	7
14.	जालौर	–	1	–	2	–	1	–	1	14	19
15.	नागौर	–	–	–	11	–	4	–	3	27	45
16.	पाली	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
17.	सिरोही	–	–	–	2	–	1	–	–	4	7
18.	कोटा	–	1	–	11	–	5	–	4	69	90
19.	बूंदी	–	2	–	3	–	1	–	1	25	32
20.	झालावाड़	–	4	–	9	–	4	–	1	–	18
21.	टोंक	–	–	–	1	–	–	–	–	2	3
22.	उदयपुर	–	–	–	6	–	–	–	2	12	20
23.	बांसवाड़ा	–	–	–	–	–	1	–	1	3	5
24.	भीलवाड़ा	–	–	–	2	–	–	–	1	9	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	चित्तौड़	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2
26.	डूंगरपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
27.	रेल्वेज	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	राजस्थान	–	24	–	88	1	48	–	53	384	598

वर्ग:—

(ए) ऐसे अपराध जो जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित हों। — इस वर्ग में अभियोगी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के होंगे तथा अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के होंगे।

(बी) ऐसे अपराध जिनमें अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के हों और जिनमें अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित हो। — इस वर्ग के अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के होंगे परन्तु अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित न हो एवं वर्ग (ग) में दिखाये गये हो।

हरिजनों पर हुये अत्याचार 22 जून, 1977 से 31 अगस्त, 1978 तक जिलेवार अपराध तालिका।

अनुसूचित जन जाति

क्र.स.	नाम जिला	हत्या ए.	बी	गम्भीर चोट ए.	बी.	बलात्कार ए.	बी.	गम्भीर क्षति ए.	बी.	अन्य आई.पी.सी.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	जयपुर	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
3.	भरतपुर	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
4.	अलवर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	सवाई माधोपुर	–	–	–	–	–	–	–	2	9	11
6.	बीकानेर	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	चूरू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	सीकर	—	—	—	—	—	1	—	2	5	8
10.	झुंझुनूं	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2
11.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
12.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
13.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	1	—	1	4	6
14.	जालौर	—	—	—	4	—	—	—	1	7	12
15.	नागौर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पाली	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3
17.	सिरोही	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4
18.	कोटा	—	1	—	4	—	2	—	1	21	29
19.	बूंदी	—	1	—	3	1	—	—	1	25	31
20.	झालावाड़	—	2	—	—	1	—	—	—	—	3
21.	टौंक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	उदयपुर	—	1	—	2	—	6	—	2	18	29
23.	बांसवाड़ा	—	—	—	4	—	—	—	—	2	6
24.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	1	7	8
25.	चित्तौड़गढ़	—	1	—	—	—	1	—	1	6	9
26.	डूंगरपुर	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
27.	रेल्वेज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	राजस्थान	—	10	—	19	—	15	—	13	116	173

ए—ऐसे अपराध जो जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित हों।

इस वर्ग में अभियोगी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के होंगे तथा अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के होंगे।

ब—ऐसे अपराध जिनमें अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जन जाति के हों और जिनमें अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित या आधारित हों।

इस वर्ग में अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जन जाति के होंगे परन्तु अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित न हो एवं वर्ग ए में दिखाये गये हों।

सूची 'ब'

हरिजनों पर हुए अत्याचार के संबंध में बाबत 22 जून, 77 से 31 अगस्त, 78 तक के अपराधों का निस्तारण

(अनुसूचित जाति)

क. सं.	अपराध		रिपोर्ट	झूठे	अदम पता–अदम सबूत	गैर तफ्तीश	चालान	सजा	रिहावरी	राजीनामा	गैर ट्रायल अदालत
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हत्या	ए–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी–	24	3	2	7	12	1	–	–	12
2.	गंभीर चोट	ए–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी–	90	1	4	26	53	4	1	3	45
3.	बलात्कार	ए–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
		बी–	47	10	1	10	26	1	2	–	23
4.	गंभीर क्षति	ए–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी–	52	9	3	13	27	–	–	–	27
5.	अन्य अपराध	ए–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	आई. पी. सी.	बी–	385	56	22	95	212	1	2	4	205
	योग	ए–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
		बी–	598	85	32	151	330	7	5	7	311

सूची 'ब'

हरिजनों पर हुए अत्याचार 22 जून, 77 से 31 अगस्त, 78 तक के अपराधों का निस्तारण

(अनुसूचित जन जाति)

क्र.सं.	अपराध	रिपोर्ट	झूठे	अदम पता/अदम सबूत	गैर तफतीश	चालान	सजा	रिहावरी	राजीनामा	गैर ट्रायल अदालत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हत्या	ए– –	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी– 10	–	–	6	4	1	–	–	3
2.	गंभीर चोट	ए– –	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी– 19	2	–	5	12	–	–	–	11
3.	बलात्कार	ए– –	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी– 15	1	–	8	6	–	–	–	6
4.	गंभीर क्षति	ए– –	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी– 13	2	2	4	5	–	–	–	5
5.	अन्य आई.पी.सी.	ए– –	–	–	3	–	–	–	–	–
		बी–116	20	7	35	54	–	–	1	53
	योग	ए– –	–	–	–	–	–	–	–	–
		बी–173	25	9	58	81	1	–	2	78

वर्ग : —

(ए) ऐसे अपराध को जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित हो।

(बी) ऐसे अपराध जिनमें अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जनजाति के हों और जिनमें अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित हो।

इस वर्ग में अभियोगी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के होने तथा अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के होंगे।

इस वर्ग में अभियुक्त गैर अनुसूचित जाति अथवा गैर अनुसूचित जन जाति के होंगे परन्तु अपराध जातिगत भावना या उद्देश्य से प्रेरित अथवा आधारित न हो एवं वर्ग (अ) में दिखाये गये हों।

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची)

जनवरी से अगस्त तक वर्ष 1975, 1976, 1977 एवं 1978 के तुलनात्मक आंकड़े

शीर्षक	जनवरी से अगस्त 1975	जनवरी से अगस्त 1976	जनवरी से अगस्त 1977	जनवरी से अगस्त 1978	अन्तर 75–76–77	प्रतिशत 75–76–77		
हत्या	506	443	473	513	+7+70+40	1.38%	15.80%	8.46%
चोरी	8557	7989	9251	9658	+1101+1669+407	12.87%	20.89%	4.40%
डकैती	101	75	89	96	−5+21+7	5.21%	28%	7.87%
बलात्कार	164	200	219	294		9 माह के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण प्रतिशत नहीं निकाला जा सका।		
(पूरा वर्ष)	(पूरा वर्ष)	(पूरा वर्ष)	(पूरा वर्ष)	(जनवरी से सितम्बर तक)				

वर्ष 1975,76,77 एवं माह अगस्त, 1978 तक के पंजीकृत अपराध के तुलनात्मक आंकड़े व उनका निस्तारण तथा चोरी व डकैती में चोरी गई सम्पत्ति व बरामद हुई सम्पत्ति का प्रतिशत सम्बन्धित

शीर्षक	वर्ष	पंजीवद्ध अपराध	अदम वकू	157 वी सी.आर.पी.सी.	अदम पता	अदम सबूत	गैर तफतीश	299 सी.आर.पी.सी.	चालान	चोरी गई सम्पत्ति	बरामद हुई सम्पत्ति	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हत्या	1975	506	41	—	35	4	136	5	285			
	1976	443	24	—	32	8	112	2	265			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1977	473	30	—	19	5	154	1	264			
	1978	513	26	—	28	5	179	5	270			
	माह अगस्त तक											
चोरी	1975	8557	1265	79	3326	125	1286	34	2442	9176387.63	5597260.48	61%
	1976	7989	1491	55	2693	87	1127	33	2503	8843841.72	5767282.79	65.21%
	1977	9251	1401	72	3561	96	1833	22	2266	8129917.81	5241204.60	64.47%
	1978	9658	1539	79	4054	98	1366	39	2483	11736887.67	8176240.87	69.66%
	माह अगस्त तक											
डकैती	1975	101	22	—	9	1	35	1	33	688305.50	510536.00	74.17%
	1976	75	12	—	6	—	29	1	27	586510.00	378094.00	64.47%
	1977	89	9	—	4	—	50	—	26	467756.00	264587.00	56.57%
	1978	96	15	—	13	—	32	1	35	526367.36	397213.00	75.46%

(200)

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के आंकड़े)

राजस्थान राज्य में

जनवरी से अगस्त तक के पंजीबद्ध अपराध वर्ष 1975, 1976, 1977, 1978

वर्ष	पंजीबद्ध अपराध
1975	34748
1976	34835
1977	39272
1978	43261

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 108)

राजस्थान राज्य में 1970 से 1978 तक के अपराधों की तालिका

वर्ष	डकैती	लूट	चोरियां	छुरेबाजी	बलात्कार	कतल
1970	111	863	9229	331	155	655
1971	100	956	8924	332	158	555
1972	160	973	9678	389	153	590
1973	149	1146	10728	506	144	699
1974	164	1301	12597	476	182	730
1975	141	1237	12887	458	164	710
1976	105	1279	11512	393	200	648
1977	141	1638	14877	617	219	683
1978	96 (अगस्त तक)	1121 (अगस्त तक)	9657 (अगस्त तक)	522 (सितम्बर तक)	294 (सितम्बर तक)	513 (अगस्त तक)

202

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

जून, 1975 से दिसम्बर, 1976 तक की अवधि में जिला कारागृह, कोटा पर राजनैतिक बंदियों के लिये समय-समय पर आवश्यकता को दृष्टि में रख कर किराये पर लिये गये सामान का विवरण।

क्र.सं.	नाम वस्तु जो किराये पर ली गई	नग	दर (औसत)	कुल राशि	अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	पलंग	12	70 पै. प्रति दिन प्रति नग	2687.90	29–6–75 से 31–5–76
2.	,,	3	14 रु. प्रति माह प्रति नग	164.50	1–6–76 से 30–9–76
3.	,,	24	,,	1009.08	1–10–76 से 28–12–76
1.	कुर्सियां	24	10 पै. प्रति दिन प्रति नग	767.60	29–6–75 से 25–5–76
2.	,,	15	2.50 प्रति माह प्रति नग	268.13	1–6–76 से 31–12–76
3.	,, (फोल्डिंग)	11	10 पै. प्रति दिन प्रति नग	156.20	26–7–75 से 15–12–75
4.	,,	36	,, प्रति नग	108.00	1–4–76 से 30–4–76
5.	ईजी चेयर	3	25 पै. ,,	249.75	26–7–75 से 27–5–76
6.	केन चेयर	1	25 पै. ,,	71.25	26–7–75 से 7–5–76
1.	टेबिल	29	75 पै. प्रति दिन प्रति नग	7029.90	29–6–75 से 21–5–76
2.	टेबिल	28	8.50 प्रति माह प्रति नग	1384.14	24–6–76 से 31–12–76
1.	कढ़ाव	1	2.50 प्रति दिन प्रति नग	645/00	30–8–75 से 7–5–76
2.	कढ़ाई	1	75 पै. ,,	50.25	5–2–76 से 11–4–76
1.	पलटा	1	25 पै. ,,	66.75	30–8–75 से 15–5–76
2.	पलटा	1	7.50 प्रति माह प्रति नग	52.50	1–6–76 से 31–12–76

Page No 203

(203)

1	2	3	4	5	6
1.	तख्ते	9	2.00 प्रति दिन प्रति नग	4766.20	22-8-75 से 31-5-76
2.	तख्ते	19	24 पं. प्रति माह प्रति नग	1842.80	1-6-76 से 24-1-77
1.	भगोने	2	50 पं. प्रति दिन प्रति नग	240.00	6-9-75 से 6-5-76
1.	सिलाई मशीन	2	--	32.00	29-4-76 से 7-6-76
1.	पंखे	3	5.00 रु. प्रति दिन प्रति नग	1140.00	11-9-75 से 27-4-75
1.	झार	1	50 पं. ,,	8.00	30-8-75 से 8-9-75
1.	बाल्टी	6	25 पं. ,,	374.00	30-8-75 से 7-5-76

परिशिष्ट–17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 111 की सूची)

लिस्ट मुकदमा नकबजनी थाना गुमानपुरा दिनांक 1-5-76 से 31-10-76 तक

क्रम. सं.	मुकदमा नं. मय तारीख	जुर्म दफा	नाम पता फरियादी	माल मसरुका
1	2	3	4	5
1.	119 3-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री भंवरलाल पुत्र देवा जी जाति माली, निवासी भाबकपुरा	515/–कपड़े बरतन
2	120 3-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री मोहनकिशन व्यास पुत्र रतनलाल क्वार्टर नं. 210 एरोड्रम कोलोनी, कोटा	537/–कपड़े बरतन
3.	126 8-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री जगदीश नारायण पुत्र रामनिवास महाजन, पुरानी धानमंडी मानक चौक	200/–किवाड़ खिड़की
4.	129 9-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री मगनविहारीलाल माथुर पुत्र आर. बी.एन. माथुर,, निवासी दादाबाड़ी, मकान नं. एफ–10	जेवर 3500/–
5.	130 9-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री नारायन प्रसाद पुत्र कुन्जविहारी लाल छीपा, मकान नं. 277 शोपिंग सेन्टर, कोटा	जेवर कपड़े
6.	132 10-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री सत्यनारायण पुत्र ग्यारसीलाल महाजन, निवासी गुमानपुरा	जेवरात 8000/–
7.	133 12-5-76	457/380 आई. पी. सी.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र किशनचन्द, निवासी बीकानेर हाल गुमानपुरा	कलर पेन्ट 550/–
8	144 24-5-76	457/380 आई.पी.सी	श्रीमती तेजकौर पत्नी हरिसिंह कौम पंजाबी, निवासी आनन्दपुरा	बरतन वगैरह 500/–

Page No 205

205

1	2	3	4	5
9.	145 25-5-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री अर्जुनदास पुत्र गोकुल दास कौम सिन्धी निवासी शोपिंग सेन्टर, कोटा	—
10.	153 3-6-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री श्याम सुन्दर भार्गव आफीसर ड्यूटी चीफ कन्जरवेटर प्रोजेक्ट कोटा, किशोरपुरा नाका	कपड़े घड़ी व नकद नोट
11.	172 1-7-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री हरदयालसिंह पुत्र दीवान सिंह सिक्ख नि. इन्स्ट्रूमेन्टेशन कालोनी, कोटा	गद्दे, दरी वगैरह 550/—
12	178 11-7-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री जगन्नाथ पुत्र लाला जाति अग्रवाल निवासी गुमानपुरा मकान नं. 288	जेवर 5725/—
13.	182 2-8-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री देवीलाल पुत्र हीरालाल निवासी छावनी	जेवर सोना चांदी 3100/—
14.	186 26-7-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री दुर्गाप्रसाद गुप्ता मैनेजर दी न्यू बैंक आफ इण्डिया लि.	ताला 20/—
15.	189 29-7-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री शिवकुमार पुत्र मांगीलाल विजय निवासी न्यू कालोनी गुमानपुरा	जेवर, कपड़े 4120/—
16.	191 1-8-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री बी. एस. झा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (सी.डी.) आर.एस.ई.बी. कोटा आर.पी.एस. कालोनी किशोरपुरा	सामान बरतन 500/—
17.	193 2-8-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री रामप्रसाद गुप्ता पुत्र मोरीलाल महाजन निवासी किशोरपुरा पुल 10 नगरपालिका, कोटा	सामान पीतल 400/—
18.	195 3-8-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री कैलाश नारायण जिला प्रशिक्षण अधीकारी कोटा	2030/—
19.	198 7-8-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री नरेन्द्र अरोड़ा पुत्र डा. भुवराजजी अरोड़ा न्यू कालोनी गुमानपुरा, कोटा	300/—
20.	216 5-9-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री सी. पी. जोन पुत्र थोमस ईसाई नि. शोपिंग सेन्टर कोटा नं. 182	—
21.	220 16-7-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री रामानन्द प्रधानाध्यापक, रा.प्रा.वि. रंगवाड़ी, कोटा	लोटा पीतल 25/—
22.	222 18-9-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री ऊदल पुत्र पन्नालाल गूजर नि. शिवपुरा	बर्तन कपड़े 400/—
23.	223 21-9-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री हरभजन सिंह जनरल सेक्रेटरी गुरु नानक दरबार इन्स्ट्रूमेन्टेशन कोटा 5	553/—

1	2	3	4	5
24.	225 25-9-76	457/380 आई.पी.सी	श्री सुरेन्द्रदेव सैनी पुत्र दुर्गादत्त माली नि. बीकानेर हाल शोपिंग सैन्टर, कोटा	जेवर 500/-
25.	229 1-10-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र तेजमल गुप्ता नि. हरजावदम हाल लड़के बाल होस्टल कमरा नं. 6	400/-
26.	231 2-10-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री प्रेमचन्द पुत्र गोपीलाल नन्दवाना नि. शोपिंग सेन्टर मकान नं. 159	1000/-
27.	237 9-10-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री सूरजमल पुत्र राम गोपाल महाजन नि. काटेहो मकान नं. 115	कपड़ा 800/-
28.	238 12-10-76	457/380 आई.पी.सी.	श्री आदर्श कुमार पुत्र कालीचरण गुप्ता निवासी वल्लभ बाडी गुमानपुरा, कोटा	नकद नोट 640/-

लिस्ट मुकदमात चोरी व लूट थाना गुमानपुरा दिनांक 1-5-76 से 31-10-76 तक

क्र.सं.	मुकदमा नं. मय तारीख	जुर्म दैफा	नाम पता फरियादी	माल मसरूका
1	2	3	4	5
1.	121 3-5-76	379 आई.पी.सी.	श्री गजानन्द पुत्र देवीलाल गूजर सा. सूरजपोल	150/-
2.	122 6-5-76	379 आई.पी.सी.	श्री राम पुत्र लक्ष्मीदास सतरी सा. दादाबाड़ी कोटा	400/-
3.	123 7-5-76	379 आई पी.सी.	श्री जफर मो. पुत्र यासीन मो. गोदड़ी गोवर्धन- पुर मस्जिद के पास	1200/-
4.	128 9-5-76	380 आई.पी.सी.	श्री मोहनलाल पुत्र खेमराज मीना सा. देवली हाल रामचन्द्रपुरा, कोटा	400/-
5.	134 12-5-76	379 आई.पी.सी.	श्री मदनसिंह लाइन मेन टेलीग्राफ, रावत- भाटा	400/-
6.	138 16-5-76	380 आई.पी.सी.	श्री रामस्वरूप वशिष्ठ सा. वल्लभ बाडी, कोटा	260/-
7.	147 26-5-76	379 आई.पी.सी.	श्री गोपाललाल शर्मा पुत्र रामजीलाल ब्राह्मण सा. करौली हाल छावनी, कोटा	150/-

1	2	3	4	5
8.	157 31-5-76	379 आई.पी.सी.	श्री राम कृष्ण तंवर पुत्र तिलकराम इंस्ट्रूमेन्टेशन, कोटा	150/-
9.	152 1-8-76	379 आई.पी.सी.	श्री भोजराम पुत्र नेनूराम लाइन मेन, कोटा	500/-
10.	154 4-6-76	380 आई.पी.सी.	श्री रामपाल पुत्र मूलचन्द छीपा हाल कोटड़ी, कोटा	8000/-
11.	156 8-6-76	379 आई.पी.सी.	श्री वीस्थूलाल पोरवाल रामपुरा, कोटा	100/-
12.	159 16-6-76	381 आई.पी.सी.	श्री बृजमोहन पुत्र रतनलाल महाजन सा. लावान पी. एस. लाखेरी, बूंदी	2090/-
13.	160 16-6-76	379 आई.पी.सी.	श्री रामशरण शर्मा पुत्र भगवत त्रिपाठी शोपिंग सेन्टर, कोटा	5000/-
14.	165 21-6-76	379 आई.पी.सी.	श्री बशीर अहमद पुत्र मशूर अहमद डीपो. रामगंज मण्डी, कोटा	290/-
15.	166 22-6-78	380 आई.पी.सी.	श्री तेजमल पुत्र काना कोली सा. कोटड़ी, कोटा	50/-
16.	169 28-6-76	379 आई पी.सी.	श्री भगवान स्वरूप गोयल पुत्र आर. डी. गोयल जूनियर टी. पी., कोटा	200/-
17.	170 22-6-76	380 आई.पी.सी.	श्री महादेव पुत्र बेदूराम मेघवाल आकर खेड़ी हाल कोटा	4050/-
18.	171 30-6-76	379 आई.पी.सी.	श्री आर.डी. निगम असिस्टेन्ट इन्जिनियर सी. ए.डी., कोटा	200/-
19.	174 4-7-76	379 आई.पी.सी.	श्री जयकिशन पुत्र पीताम्बर सिंधी वल्लभ नगर, कोटा	150/-
20.	180 19-7-76	379 आई.पी.सी.	श्री गिरी प्रसाद स्वर्णकार पुत्र जयलाल सा. मानपुरा हाल सेन्टर, कोटा	300/-
21.	183 24-7-76	379 आई.पी.सी.	श्री सुन्दरलाल पुत्र दीनदयाल सिंधी दायाबाड़ी, कोटा	50/-
22.	185 25-7-76	379 आई.पी.सी.	श्री लक्ष्मण लाल पुत्र रामनारायण शोपिंग सेन्टर, कोटा	300/-
23.	189 3-8-76	380 आई.पी.सी.	श्री महेन्द्र कुमार भानु सा. वल्लभवाडी, कोटा	260/-

1	2	3	4	5
24.	197 6-8-76	379 आई.पी.सी.	श्री लक्ष्मण लाल मेहरा कनिष्ठ अभियन्ता, कोटा	500/-
25.	210 21-8-76	379 आई.पी.सी.	श्री सत्यनारायण पुत्र बद्रीनारायण छीपा सा. छावणी, कोटा	300/-
26.	212 24-8-76	379 आई.पी.सी	श्री बृजमोहन पुत्र काशीनाथ, सा. बरवाड़ा	700/-
27.	215 5-9-76	379 आई.पी.सी.	श्री माणकचन्द पुत्र फूलचन्द पालीवाल, छावनी, कोटा	10/-
28.	224 24-9-76	379 आई.पी.सी.	श्री मो. मुस्ताक पुत्र इब्राहीम खां, बनीवाल चम्बल, कोटा	50/-
29.	227 28-9-76	379 आई.पी.सी.	श्री रघुवीरसिंह पुत्र शिवरामसिंह, हाल कोटड़ी गोवर्धनपुरा, कोटा	80/-
30.	233 5-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री मोहनलाल पुत्र रकब चन्द जैन सा. विक्रम चौक, कोटा	50/-
31.	235 7-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री छोटू पुत्र तेजा कोली सा. मोटड़ा हाल मेला दशहरा, कोटा	100/-
32.	243 15-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री देवीशंकर पुत्र आनन्दी लाल पारीक, डी.सी.एम., कोटा	4000/-
33.	245 15-10-76	379 आई.पी.सी.	श्रीमती सुनीता पत्नी अरुण कुमार, दशहरा मेला, कोटा	300/-
34.	247 20-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री अशोक कुमार पुत्र गिरधारीलाल कोली, साकिन छावनी, कोटा	500/-
35.	248 30-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री हरदीप सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, कोटा	650/-
36.	249 22-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री द्वारकादास पुत्र कन्हैयालाल, धाकर छावनी, कोटा	344/-
37.	252 26-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री गिरिराज वत्सल पुत्र टीकमचन्द रामपुरा, कोटा	-
38.	253 27-10-76	379 आई.पी.सी.	श्री जयनारायण सेवा सम्पादक, मजदूर चेतना, रामपुरा, कोटा	-

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

खेरवाड़ा तहसील के व्यक्ति जो जनवरी, 1970 से अब तक एम. बी. सी. में भर्ती हुए उनकी सूची ।

क्र.सं. 1	नाम कर्मचारी मय बेल्ट नम्बर 2	तारीख भर्ती 3	निवास स्थान थाना मय जिला 4
1	श्री कुरीचन्द का. 3	2–5–70	मुहदरा, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर
2.	,, नानालाल 6	10–11–70	पडियाकाड, खेरवाडा, उदयपु र
3.	,, कन्हैयालाल 8	,,	कटेवड़ी, खेरवाडा, उदयपुर
4.	,, देवीलाल 10	30–3–70	बडला खेरवाडा, उदयपुर
5.	,, चतरसिंह 25	2–5–70	खंडी ओवरी, खेरवाडा, उदयपुर
6.	,, हीरालाल 52	10–11–70	बनजारिया खेरवाडा, उदयपुर
7.	,, छगन लाल 98	10–11–70	बडला खेरवाडा, उदयपुर
8.	,, मन्नालाल 99	1–5–70	मुहवाड़ा ऋणमहादेव, उदयपुर
9.	,, नानालाल 337	10–11–70	कामवर, ऋणदेव उदयपुर
10.	,, रूपलाल 957	2–5–70	मोडीवाला, पहाड़ी, उदयपुर
11.	,, बाबूलाल 12	7–4–71	काटोबी, खेरवाडा, उदयपुर
12.	,, किशन लाल 71	22–10–71	खरबर ऋणदेव, उदयपुर
13.	,, शंकर लाल 74	7–4–71	कटेवडी खेरवाड़ा, उदयपुर
14.	,, कालू लाल 76	7–4–71	बडला खेरवाडा, उदयपुर
15.	,, मोहनलाल 149	27–11–71	खनमीन खेरवाडा, उदयपुर
16.	,, धनराज 256	8–1–71	मांथली, खेरवाडा, उदयपुर
17.	,, लक्ष्मण लाल 259	7–4–71	बडला खेरवाडा, उदयपुर
18.	,, कचरा 330	25–2–71	जोवरी खेरवाडा, उदयपुर
19.	,, विजयसिंह 351	7–4–71	छागी, खेरवाडा, उदयपुर
20.	,, राम लाल 16	27–3–72	कनवई, खेरवाडा, उदयपुर
21.	,, नारायण लाल 96	27–3–72	मोडीबालसा, पहाडा, उदयपुर
22.	,, मणीलाल 9	3–9–75	परबिला खेरवाडा, उदयपुर
23.	,, बंशीलाल 11	3–9–75	परबिला खेरवाडा, उदयपुर
24.	,, गोवर्धन लाल 15	1–1–75	बनजारिया, खेरवाडा, उदयपुर
25.	,, शान्तिलाल 30	1–1–75	बरोटी, खेरवाडा, उदयपुर
26.	,, हाजाराम 41	1–1–75	खानमोन खेरवाडा, उदयपुर
27.	,, देवीलाल 43	1–1–75	चोहराई ऋणदेव, उदयपुर

1	2	3	4
28.	श्री धीरजमल 56	1-1-75	कामदर ऋणदेव, उदयपुर
29.	,, शोभालाल 60	,,	रूणी पहाड़ा, उदयपुर
30.	,, प्रेम चंद 62	,,	करनवा खेरवाड़ा उदयपुर
31.	,, अर्जुन लाल 67	,,	पटियो पहाडा, उदयपुर
32.	,, अमर सिंह 83	3-9-75	पारछा खेरवाडा, उदयपुर
33.	,, देवीलाल 84	1-1-75	बडला खेरवाडा, उदयपुर
34.	,, अर्जुन लाल 88	1-1-75	जोधरी खेरवाडा, उदयपुर
35.	,, हजारी लाल 92	5-12-75	पलसिया खेरवाडा, उदयपुर
36.	,, कोदर लाल 101	1-1-75	सरोली खेरवाडा, उदयपुर
37.	,, राम चन्द्र 102	,,	डेलाणा, ऋणदेव, उदयपुर
38.	,, नवलराम 103	,,	बसेठी खेरवाडा, उदयपुर
39.	,, लक्ष्मी शंकर 104	,,	बिलखा ऋणदेव, उदयपुर
40.	,, निदेश चन्द्र 106	3-9-75	मसारों की ओवरी, ऋणदेव, उदयपुर
41.	,, मांगीलाल 153	7-4-75	खेरवाडा, खेरवाडा, उदयपुर
42.	,, पन्नालाल 176	3-9-75	महुदरा, खेरवाडा, उदयपुर
43.	,, गपीलाल 203	3-9-75	बड़ला, खेरवाडा, उदयपुर
44.	,, लक्ष्मीलाल 204	3-9-75	बडला, खेरवाडा, उदयपुर
45.	,, रूपलाल 214	24-9-75	खेरवाडा, खेरवाडा, उदयपुर
46.	,, लक्ष्मण राम 232	7-4-75	सरेरा मांथे पहाडा, उदयपुर
47.	,, केशवलाल 249	,,	परविला खेरवाडा, उदयपुर
48.	,, कन्हैयालाल 362	,,	केटगढ़ी खेरवाडा, उदयपुर
49.	,, शंकरलाल 304	5-12-75	रेबिया खेरवाडा, उदयपुर
50.	,, कन्हैयालाल 320	5-12-75	निचला माण्डवा ऋषदेव, उदयपुर
51.	,, नाना लाल 338	7-4-75	बडला खेरवाडा, उदयपुर
52.	,, धर्मनारायण 339	,,	बडला खेरवाडा, उदयपुर
53.	,, नाथूलाल 344	5-12-75	बडला खेरवाडा, उदयपुर
54.	,, निजामुद्दीन 4	6-11-76	खेरवाडा, खेरवाडा, उदयपुर
55.	,, नाथूलाल 26	5-6-76	मसरों की ओवरी, ऋणदेव, उदयपुर
56.	,, अर्जुन लाल 34	6-11-76	पलसिया खेरवाडा, उदयपुर
57.	,, नाथूलाल 44	,,	करावाडा, पहाडा, उदयपुर
58.	,, शंकरलाल 47	5-6-76	पलसिया, खेरवाडा, उदयपुर
59.	,, धुरीलाल 53	15-2-76	कणगदार ऋणदेव, उदयपुर

1	2		3	4
60.	श्री सूरजमल	67	6–11–76	कारछा खेरवाडा, उदयपुर
61.	,, दशरथलाल	133	,,	खण्डी ओजरी खेरवाडा, उदयपुर
62.	,, बाबूलाल	159	,,	मुण्डीवाला पहाडास, उदयपुर
63.	,, शांतिलाल	165	,,	महीडा पहाडा, उदयपुर
64.	,, ललित कुमार	243	22–12–76	चौधरी खेरवाडा, उदयपुर
65.	,, मावर चन्द	274	6–11–76	बिरसोडा, पहाडा, उदयपुर
66.	,, देवीलाल	278	6–11–76	पहाडा, उदयपुर
67.	,, कन्हैयालाल	349	,,	खण्डाल खेरवाडा, उदयपुर
68.	,, प्रेमशंकर	32	15–2–77	खोघदरा खेरवाडा, उदयपुर
69.	,, लक्ष्मण	35	25–2–77	,,
70.	,, हाजाराम	59	15–2–77	बडला खेरवाडा, उदयपुर
71.	,, शिवशंकर	263	,,	फटेवडी, खेरवाडा, उदयपुर
72.	,, कनक कुमार	324	,,	उखेडी पहाडा, उदयपुर

एम.बी. सी. यूनिट खेरवाडा में सन् 1970 से अब तक जिन कांस्टेबिलों को हैड कांस्टेबिल के पद पर पदोन्नति दी गई, उसकी सूची

क्र. सं.	नाम कानि.	मय नं.	वर्ष पदोन्नति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री कावाराम	349	1970	
2.	श्री बुद्धा	251	1970	
3.	श्री लक्ष्मण	269	1971	
4.	श्री नाथू	299	1971	
5.	श्री गौतमलाल	850	1971	
6.	श्री भानुकुमार	271	1971	
7.	श्री लकरचन्द	192	1971	
8.	श्री बालजी	230	1971	
9.	श्री केसरसिंह	155	1972	
10.	श्री मोगाराम	320	1972	
11.	श्री पूनमचन्द	37	1972	
12.	श्री निर्भयसिंह	886	1972	
13.	श्री बेला	263	1973	

(212)

1	2	3	4	5
14.	श्री रखलीया	300	1973	
15.	श्री लक्ष्मण	354	1973	
16.	श्री दुलीराम	17	1973	
17.	श्री मगनीराम	2	1974	
18.	श्री कचरा	40	1974	
19.	श्री रमेशचन्द्र	306	1974	
20.	श्री कचरा	40	1975	
21.	श्री रमेशचन्द्र	306	1975	
22.	श्री भमरा	168	1975	
23.	श्री मन्नालाल	99	1975	
24.	श्री गौतमलाल	273	1975	
25.	श्री लालसिंह	95	1975	
26.	श्री वागा	286	1976	
27.	श्री जगमाल	227	1976	
28.	श्री नानालाल	188	1976	
29.	श्री खातूराम	1	1976	
30.	श्री नानकराम	308	1976	
31.	श्री दयाराम	226	1976	
32.	श्री भ्रमरसिंह	171	1976	
33.	श्री देवीलाल	10	1977	
34.	श्री कुरीचन्द्र	3	1977	
35.	श्री मन्नालाल	99	1977	

एम. बी. सी. यूनिट खेरवाडा में सन् 1970 से अब तक जिन हैड कांस्टेबिलों को उप-निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति दी गई उसकी सूची

क्र सं. 1	नाम हैड कांस्टेबिल 2	वर्ष पदोन्नति 3
1.	श्री कालूलाल हैड कांनि. नं. 331	1970
2.	श्री भीमजी नं. 71/तदर्थ	1971
3.	श्री हीमा नं. 84	1973
4.	श्री धूला	1974
5	श्री भीमजी	1974

1	2	3
6.	श्री हीमा	1974
7.	श्री बसरसिंह	1974
8.	श्री फूला नं. 33 (तदर्थ)	1975
9.	श्री रूपजी नं. 20 (तदर्थ)	1975
10.	श्री धनजी नं. 36 (तदर्थ)	1975
11.	श्री तुलसीराम	1976
12.	श्री धनजी नं. 269 (तदर्थ)	1977
13.	श्री सुरेन्द्रकुमार नं. 351 (तदर्थ)	1977
14.	श्री सिघा नं. 14 (तदर्थ)	1978

एम. बी. बी. यूनिट खेरवाडा में सन् 1970 से अब तक जिन उप-निरीक्षक/ए. पी./प्लाटून कमाण्डर को निरीक्षक ए. पी./कम्पनी कमाण्डर के पद पर पदोन्नति की गई, उसकी सूची

क्र.सं.	नाम उ.नि./ए.पी./पी.सी.	वर्ष.	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री भल्ला/ पी.सी.	1971	
2.	श्री मनजी पी. सी.	1975	

(214)

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची)

जिला भरतपुर व अलवर के पंजीबद्ध अपराध जनवरी से अगस्त तक वर्ष 1975,1976, 1977 व 1978 तक

(1) जिला भरतपुर में वर्ष 1978 के मुकाबले में अपराधों की वृद्धि हुई है ।

वर्ष	वृद्धि
1975–1978	829
1976–1977	615
1977–1978	334

(2) जिला अलवर में अपराधों की संख्या :–

वर्ष	वृद्धि
1975–1976	236
1976–1977	246
1977–1978	149

जिला	वर्ष 1975	वर्ष 1976	वर्ष 1977	वर्ष 1978	अन्तर 1975	अन्तर 1976	अन्तर 1977
भरतपुर	1875	2089	2370	2704	+829	+615	+334
अलवर	1620	1610	2005	1856	+236	+246	+149

परिशिष्ट : 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची)

जिला उदयपुर में वर्ष 1977 में पंजीबद्ध हुए हत्या व चोरी के अपराध व उनका निस्तारण

शीर्षक	पंजीबद्ध अपराध	अदम वकू	157 सीआरपीसी	अदम पता	अदम सबूत	जेर तफतीश	299 सीआरपीसी चालान	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	गैर ट्रायल कम	तीन माह से ज्यादा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हत्या	43	6	—	3	—	6	—	28	3	—	—	8	17
नकबजनी	502	41	—	362	1	27	—	151	16	—	1	51	83
चोरी	1012	195	3	382	11	39	3	379	15	1	10	141	212

1. हत्या निम्नलिखित थानों के क्षेत्र में हुई–सूरजपोल, घन्टाघर, अम्बामाता, गोगुन्दा, गोरधन, विलास, नांई, भिन्डर, मावली, डोरोबा, डबोक, भीम, देवगढ़, किनेरे, धरियावाद, ओगठा, कोटेडा, पान खां, वसेरिया, समकोर, देलवाडा, नाथद्वारा, केलवाडा, रामनगर, रेलमगरा, पहाड़ा, रामदेव, सराडा, खेरवाड़ा एवं सलूम्बर ।

2. नकबजनी व चोरियां निम्नलिखित थानों के क्षेत्र में हुई, सूरजपोल, प्रतापनगर, भोपालपुरा, धानमन्डी, अम्बामाता, हाथीपोल, घन्टाघर, कुरावड़, सामए, बहि, गोरधनविलास, गोगुन्दा, खोरेदा पोंडा, बल्लभनगर, डबोक, मावली, धरियावद, पाखोला, कानोड, लसाडिया, मडोल, फलासिया, पान खां, बेकरिया, बेकरिया, मांडवा, कोटडा, ओमरा, राजनगर, चारभुजा, आमेट, देलवाडा, रेलमगर, भीम, देवगढ, देवेर, जावर माइन्स, पहाडा, सबडा, झलाए, रिखबदेव, सलूम्बर, बिरवाडा, नाथद्वारा, खमनो एवं देलवाडा ।

जिला उदयपुर में वर्ष 1978 में पंजीबद्ध हुए हत्या व चोरी के अपराध व उनका निस्तारण।

शीर्षक	पंजीबद्ध अपराध	अदम वकूं	157–वी	अदम पता	अदम सबूत	जैर तफतीश	299 चालान	चालान	सजा	रिहावरी	राजीनामा	जैर	ट्रायले
हत्या	30	2	–	1	1	6	–	20	–	–	–	9	11
नकबजनी	471	22	1	291	–	48	1	108	4	–	–	52	52
चोरी	654	105	2	273	3	39	2	230	3	–	3	101	123

1. हत्याएं निम्नलिखित थानों के क्षेत्र में हुई :—भूपालपुरा, सायरा, कुरावड़, माई, भंडर, मावली, डबोक, भीम, देवगढ़, कोटडा, मांडवा, ओगणा, नाथद्वारा रेलमगरा, राजनगर, सलुम्बर, जावर माइन्स, पहाडा, झलाय, एवं सराड़ा।

2. नकबजनी व चोरियां निम्नलिखित क्षेत्र में हुई :—सूरजपोल, प्रतापनगर, भोपालपुरा, अम्बामाता, हाथीपोल, घण्टाघर, कुरावड, सम्प्र, नहि, गोरधनविलास, गोगुन्दा, खेरेदा, भंडा वल्लभनगर, डबोक, मावली, धरियावद, पारसोला कानोड़, लसाड़िया, फडोल, झालासिया, पान खां, बेकरिया, मांडवा, कोटड़ा, ओगना, राजनगर, चारभुजा, आमेट, केलवाड़ा, रेलमगरा, भीम, देवगढ़, देबेर, जावर माइन्स पहाड़ा, सराडा, झलाए, रिखबदेव, सलुम्बर, बिरवाड़ा, नाथद्वारा खमनोर एवं देलवाडा।

परिशिष्ट–21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

RASTRIAYA INDIAN MILITARY COLLEGE DEHRADOON

S.No. 1	Name of Student Address 2	Govt. Orders No. & date 3	Rate 4	Period 5	Amount 6
	Session 1974-75				
1.	Shri Sanjog Jain S/o Shri S. P. Jain Lec. in Pol. *Sc.*, Rajasthan University Jaipur.	F. 2 (38) Edu./C/67/Gr. 1 dated 28-7-74	100/—	1/74 to 12/74	1200/—
2.	Shri Dharmvir Choudhary S/o Shri Prabhu Ram P.O. Kasimpura, Distt. Jhunjhunu (Raj.)	,,	100/—	,,	1200/—
	Session 1975-76				
3.	Shri Vikram Vijairov S/o Shri H. R. Vijairov Asstt. Teacher, C-42 Janta Bal Vidyalaya Mangal Marg, Bapunagar, Jaipur.	F. 2 (38) Edu./C/6/67 dated 27-6-75	100/—	Aug. 74 to July 75	1200/—
4.	Shri Sanjog Jain	F. 2 (38) Edu./C/6/67 dated17-1-76	100/—	1/75 to 12/75	1200/—
5.	Shri Dharmvir Choudhary	—Do—	100/—	1/75 to 6/75	600/—
	Session 1976-77				
6.	Vikram Vijairov	—Do—	100/—	8/75 to 7/76	1200/—

1	2	3	4	5	6
Session 1977-78					
7.	Vikram Vijairov	F. 2 (38) Edu./GV/67 dated 21-2-78	150/—	Aug. 76 to July 77	1800/—
8	Sanjog Jain	,,	150/—	Jan. 76 to July 77	2850/—
9.	Vikram Vijairov	,, dated 12-1-78	130/—	Aug. 77 to July 78	1800/—
10.	Sanjog Jain	,, dated 12-1-78	130/—	—do—	1800/—
11.	Shri V. Venu Gopal Raju S/o Shri V.S. Raju Supdt. B/R/Gr. I Military Engineer Service C/o C.W.E. (Raj.) Jaipur.	,, dated 27-3-78	150/—	21-1-76 to 21-1-78	3600/—
12.	Shri A. S. Shekhawat S/o Maj. R. S. Hq. Western Command, Simla--3	,,	150/—	3-8-76 to 2-2-78	2700/—
13.	Shri Kavi Jain S/o G. L. Jain PRO Instrumentation Ltd., Kota	,,	150/—	24-1-77 to 23-1-78	1800/—
14.	Rakesh Kapur S/o J. L. Kapur R/o 15 Polo Ground, Udaipur.	,,	150/—	3-8-77 to 3-2-78	900/—

परिशिष्ट–22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

तालिका

क्र. सं.	पोस्टडिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष 1973-74		वर्ष 1974-75		वर्ष 1975-76		वर्ष 1976-77		वर्ष 1977-78		कुल
		भर्ती हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	अजमेर											
1.	रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग	8	6	4	2	4	2	6	3	2	2	
2.	मशीन टूल्स टैक्नोलाजी	—	—	10	6	7	2	9	12	9	7	

Page No 220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	25	परिणाम अघोषित	
	अलवर											
4.	बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एवं वेल्यूएशन	7	5	4	2	3	1	10	1	2	2	
	जोधपुर											
5.	ग्राउण्ड वाटर इंजीनियरिंग	15	12	4+3 (बाहरी छात्र)	6	4	2	7	7	7	7	

नोट :—सत्र 1978–79 से पोलीटेक्निक अजमेर से रेफ्रीजरेशन एवं एयर कन्डीशनिंग का पाठ्यक्रम और अलवर पोलीटेक्निक से बिल्डिंग टेक्नोलोजी एवं वेल्यूएशन का पाठ्यक्रम जयपुर में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।